पी एन जी आर बी
PNGRB

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board











वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24





आगे बढ़े
PNG चुनें
PIPED NATURAL GAS





वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

पीएनजीआरबी दृष्टिकोण

पीएनजीआरबी का विज़न उपभोक्ताओं को किफायती और सतत तेल एवं गैस ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक विश्व स्तरीय विनियामक प्रणाली स्थापित करना हैं, जिसका ध्येय एक सक्रिय और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाज़ार के माध्यम से कार्य करना तथा साथ–ही–साथ ऊर्जा पहुंचाने के लिए विश्वसनीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करना और सुरक्षा के उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित करना हैं।



विषय सूची

भाग	विवरण	पृष्ठ
–	मुख्य विशेषताएं	6
–	अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	9
–	बोर्ड के कार्य और शक्तियाँ	13
भाग 1	**सामान्य**	15
(क)	सामान्य आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा	15
(ख)	तेल और गैस का वैश्विक परिदृश्य	16
(ग)	तेल और गैस का घरेलू परिदृश्य	18
(घ)	सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस विनियामक पद्धतियां तथा भारतीय संदर्भ में उन्हें अपनाना	23
भाग 2	**नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क**	24
2.1	पंजीकरण और प्राधिकार	24
2.2	कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा	29
2.3	निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति पर निगरानी रखना	29
2.4	सीजीडी नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण	34
2.5	भारत में सीजीडी अवसंरचना की वर्तमान स्थिति	35
2.6	राष्ट्रीय पीएनजी अभियान	36
2.7	नई पहल	37
भाग 3	**प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें (एनजीपीएल)**	38
3.1	पंजीकरण और प्राधिकार	38
3.2	वर्ष 2023–24 में प्रदान किए गए प्राधिकार	38
3.3	निविदा प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	39
3.4	स्वप्रेरणा से हितधारक परामर्श की शुरुआत	39
3.5	परिवहन दरों का विनियमन	40
3.6	क्षमता मूल्यांकन	43
3.7	प्रगति समीक्षा बैठकें और सुनवाई	43
3.8	प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की समापन अनुसूची का विस्तार	43
3.9	प्राधिकार रद्द करना/समय–पूर्व बंद करना	44
3.10	चालू प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का विवरण	44
3.11	तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के लिए विनियामक ढांचे की स्थापना	44
3.12	भारत का गैस अवसंरचना मानचित्र	45
भाग 4	**पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें (पीपीपीएल)**	46
4.1	पंजीकरण और प्राधिकार	46
4.2	परिवहन दरों का विनियमन	47
4.3	क्षमता मूल्यांकन	49
4.4	प्रगति समीक्षा बैठकें और सुनवाई	49
4.5	प्राधिकृत पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की समापन अनुसूची का विस्तार	49
4.6	परिचालन/निर्माण के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	49
भाग 5	**गैस व्यापार विनिमय**	50
5.1	विनियामक ढांचा	50
5.2	प्रथम गैस विनिमय की अद्यतन स्थिति	50
भाग 6	**तकनीकी मानक**	51
6.1	विनियामक ढांचा	51
6.2	सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों का विकास	51
6.3	सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों में संशोधन	52
6.4	आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना	52

भाग	विवरण	पृष्ठ
6.5	एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)	53
6.6	तृतीय पक्ष अनुरूपता मूल्यांकन विनियम	53
6.7	पीएनजीआरबी विनियमों का अनुपालन	53
6.8	क्षमता निर्माण	57
6.9	हाइड्रोजन	58
6.10	सीबीजी	59
6.11	नई पहल	60
भाग 7	**विवाद समाधान**	61
भाग 8	**संगठनात्मक मामले**	64
8.1	बोर्ड	64
8.2	मानव संसाधन	64
8.3	सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005	68
8.4	सतर्कता मामले	69
8.5	राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन	69
8.6	विविध गतिविधियां	70
8.7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	73
8.8	बनाए गए /संशोधित नए विनियम	76
भाग 9	**गैर–अनुपालन**	77
भाग 10	**वित्त और लेखा**	79
10.1	केंद्र सरकार से अनुदान संबंधी प्रावधान और पीएनजीआरबी निधियों से संबंधित प्रावधान	79
10.2	अन्य शुल्क लगाना	79
10.3	असंतुलन और अधिक प्रभार लेने की वसूलियाँ	80
10.4	अधिशेष निधियों का निवेश	80
10.5	पंचवर्षीय वित्तीय विशेषताएं	81
10.6	वार्षिक लेखा विवरण	81
अनुलग्नक–क	9वें सीजीडी बोली दौर में सीजीडी प्राधिकार/लक्ष्य	111
अनुलग्नक–ख	10वें सीजीडी बोली दौर में सीजीडी प्राधिकार/लक्ष्य	117
अनुलग्नक–ग	11 और 11ए सीजीडी बोली दौर/लक्ष्य के अंतर्गत सीजीडी प्राधिकार	121
अनुलग्नक–घ	12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर/लक्ष्यों के अंतर्गत सीजीडी प्राधिकार	126
अनुलग्नक–च	सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण (दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक)	131
अनुलग्नक–छ	लंबित वित्तीय समापन (एफसी) और गैस आपूर्ति समझौता (जीएसए) – 11वां और 11ए सीजीडी बोली दौर (31.03.2024 तक की स्थिति)	133
अनुलग्नक–ज	निर्दिष्ट एनजीपीएल की अनुपलब्धता के कारण सीजीडी कंपनियों का विस्तार	134
अनुलग्नक–झ	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)	136
अनुलग्नक–ञ	भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क – 31 मार्च, 2024 तक संकेताक्षरों की सूची	138
अनुलग्नक–घ	दिनांक 31.03.2024 तक परिचालन में समर्पित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें (एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 19 के तहत प्राधिकृत	142
अनुलग्नक–ट	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)	152
अनुलग्नक–ठ	भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें – 31 मार्च, 2024 तक	154



मुख्य विशेषताएं

बोर्ड ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनकी मुख्य विशेषताओं को नीचे संक्षेप में दर्शाया गया है:

1. भारत के पूरे भू–भाग में सीजीडी नेटवर्क प्रदान करना। 12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर के तहत 7 भौगोलिक क्षेत्रों को अधिकृत करना।
2. 232 कि.मी. सामान्य वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिकृत करना।
3. 160 कि.मी. सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 28.81 कि.मी. अनुबंध कनेक्टिविटी बिछाने के लिए अधिकृत करना।
4. जागरूकता बढ़ाने और पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस को अधिक से अधिक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय पीएनजी अभियान चलाना।
5. सीजीडी नेटवर्क के लिए 40 प्रगति समीक्षा बैठकें/सुनवाई तथा एनजीपीएल और पीपीपीएल के लिए 61 प्रगति समीक्षा बैठकें/सुनवाई आयोजित की गईं।
6. 23 भौगोलिक क्षेत्रों को विस्तार दिया गया है, जिससे सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने या विस्तार करने के लिए संविदा वर्ष और विशिष्टता अवधि को 300 महीने के लिए स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 96 महीने की विशिष्टता अवधि दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों को नामित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की अनुपलब्धता के कारण सामान्य वाहक या संविदा वाहक के नियमों से छूट मिल गई है।
7. कंपनियों के अनुरोध पर एनजीपीएल/पीपीपीएल से संबंधित 16 मामलों के संबंध में समय बढ़ाया गया है।
8. दो एटीएफ पाइपलाइन को सामान्य वाहक/संविदा वाहक के रूप में घोषित किया गया।
9. देश के पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में वर्तमान तकनीकी/सुरक्षा ढांचे की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
10. पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 में मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों की समीक्षा करने और व्यापक उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए भावी मार्ग सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
11. विपणन विशिष्टता अवधि की समाप्ति के बाद सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक घोषित करने से संबंधित विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है।
12. पीएनजीआरबी द्वारा गठित बहु–विषयक टीमों (एमडीटी) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अलावा पीएनजीआरबी द्वारा सूचीबद्ध तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न तेल और गैस सुविधाओं में वर्ष के दौरान 664 लेखापरीक्षा की गईं।
13. "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन ट्रांसमिशन के लिए मार्ग" विकसित करने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से व्यापक अध्ययन शुरू किया गया।
14. पीएनजीआरबी के लिए बड़े कार्यालय आवास की खरीद।
15. अध्ययन दौरे, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने वाले व्याख्यान आदि के माध्यम से आंतरिक योग्यता और क्षमता को सुदृढ़ करना।
16. गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह, 2024 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामकों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी।

बोर्ड के सदस्य



श्री अंजनी कुमार तिवारी
सदस्य
(01.12.2021 से)

डॉ. अनिल कुमार जैन
अध्यक्ष
18.05.2023 से

श्री गजेन्द्र सिंह
सदस्य
(09.08.2021 से)

पीएनजीआरबी टीम



अध्यक्ष और सदस्यों की प्रोफाइल



डॉ. अनिल कुमार जैन

अध्यक्ष

18.05.2023 से

डॉ. अनिल कुमार जैन 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व सदस्य हैं तथा वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं। आपके पास ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में दो दशकों से अधिक का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। आपने कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया है, जहां आपने सतत खनन और बाजार विकास में सुधारों का नेतृत्व किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपने पहले कार्यकाल में, डॉ. जैन ने पर्यावरण मंजूरी, जैव–विविधता, संसाधन दक्षता और अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित काम देखा। उन्होंने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान और ड्राफ्ट रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी लिखने वाली लेखन टीमों का नेतृत्व किया। डॉ. जैन पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अन्वेषण प्रभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण तेल एवं गैसों की खोज के विकास के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

वर्ष 2012–17 के दौरान, आपने योजना आयोग (बाद में नीति आयोग) के ऊर्जा प्रभाग के प्रमुख के रूप में एकीकृत मॉडलिंग टूल का विकास, अर्थात् 'भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य, 2047 (आईईएसएस)' सहित कई पहलों का नेतृत्व किया। आपने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (2017–2040) का मसौदा तैयार करने वाली टीम का भी नेतृत्व किया।

डॉ. अनिल जैन के पास अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स), एमबीए की उपाधि है तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से डिप्लोमा है। डॉ. जैन ने '2030 में भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की भूमिका की खोज' विषय पर पी.एच.डी. की है। उन्होंने प्राकृतिक गैस पर दो पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें मुख्यतः भारत के ऊर्जा मिश्रण में इसकी संभावनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने आईईए, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और जी–20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यापक रूप से काम किया है। डॉ. जैन प्रायः ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लिखते हैं तथा भारत और विदेशों के शीर्ष विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान दे चुके हैं।



श्री गजेन्द्र सिंह

सदस्य

09.08.2021 से

वर्तमान में **श्री गजेंद्र सिंह** पीएनजीआरबी के सदस्य के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड में कार्यरत हैं। इससे पहले, आप भारत की राष्ट्रीय और सबसे विशाल प्राकृतिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड में निदेशक (विपणन) थे। ओएनजीसी में अपना करियर शुरू करने के बाद आप 1986 में गेल में शामिल हुए थे, जब भारतीय गैस क्षेत्र अपने शुरुआती चरण में था। तभी से आपने भारत में गैस बाजार और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री सिंह ने गेल में पाइपलाइनों तथा गैस प्रक्रिया संयंत्रों के अन्वेषण एवं उत्पादन, संचालन एवं रखरखाव से लेकर गैस स्रोत और विपणन तक संपूर्ण गैस मूल्य श्रृंखला में विभिन्न नेतृत्व और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। गेल के निदेशक (विपणन) के रूप में, आपने गेल के प्राकृतिक गैस, पेट्रोरसायन, सीजीडी और तरल हाइड्रोकार्बन व्यवसायों को गति दी और सुदृढ़ किया। आप उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत सरकार की अधिकार प्राप्त गैस पूल समिति के सदस्य भी थे और आपने कृषि उपज में सुधार के लिए सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल), बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल) के अध्यक्ष और गेल गैस लिमिटेड में निदेशक रहे हैं, जो भारत की प्रमुख सीजीडी कंपनियां हैं। आप गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड (जीजीएसपीएल), जो गेल की अंतरराष्ट्रीय व्यापार शाखा है, के अध्यक्ष भी थे।

श्री सिंह, सदस्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, देश में प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल और टिकाऊ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बाजार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों के हित सुरक्षित रहें। एक विनियामक के रूप में, आपने पूरे देश में एकीकृत टैरिफ, ट्रेडिंग एक्सचेंज और नगर गैस वितरण व्यवसाय लागू किया है।



श्री अंजनी कुमार तिवारी

सदस्य

01.12.2021 से

श्री अंजनी कुमार तिवारी 01 दिसंबर 2021 को पीएनजीआरबी के सदस्य के रूप में शामिल हुए। सदस्य, पीएनजीआरबी में शामिल होने से पहले, श्री तिवारी ने गेल (इंडिया) लिमिटेड में विभिन्न पदों पर और निदेशक (वित्त) के रूप में काम किया। गेल के निदेशक (वित्त) और सीएफओ के रूप में, आपने कार्यनीतिक मामलों, जोखिम कम करने के उपायों, विलय एवं अधिग्रहण और निवेश के अवसरों पर निर्णय लेने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना एवं कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया।

गेल में बोर्ड सदस्य के अलावा श्री तिवारी ने गेल गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड, भाग्यनगर गैस लिमिटेड, गेल गैस (यूएसए) इंक, गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी, गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, और आरजीपीपीएल में निदेशक के पद पर भी काम किया है तथा यह सुनिश्चित किया कि बोर्ड के कामकाज में प्रभावी, स्थायी, कार्यनीतिक और परिणाम उन्मुख निर्णय लिए जाएं। श्री तिवारी के पास तेल एवं गैस, ताप विद्युत, जल विद्युत तथा नगर गैस वितरण क्षेत्र में जटिल कारोबारी माहौल में 41 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है।

निदेशक (वित्त) के रूप में, श्री तिवारी ने कंपनी, इसकी भविष्य की योजना तथा गेल में तेल एवं गैस उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों को समझने और लागू करने के बारे में पारदर्शी प्रतिनिधित्व के लिए निवेशकों और विश्लेषकों, बैंकरों, प्रेस तथा तेल और गैस उद्योग के गणमान्य व्यक्तियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ उत्कृष्ट संबंध विकसित किए थे। आपने समग्र कंपनी रणनीति के साथ तालमेल बनाने और वित्तीय कार्य, संबंधित प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग में क्रांतिकारी बदलाव किए। आपने कंपनी की मज़बूत वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए गेल में सक्रिय भूमिका निभाई है।

पीएनजीआरबी में, श्री तिवारी देश में तेल और गैस बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए टैरिफ सुधार, विनियामक सुधार, राजकोषीय सुधार और विनियम में बदलाव जैसे विभिन्न सुधारों में शामिल रहे हैं।



स्व. श्री अजीत कुमार पांडे

सदस्य

15.03.2022 से 26.09.2023

श्री अजीत कुमार पांडे 15 मार्च 2022 को पीएनजीआरबी के सदस्य (विधि) के रूप में शामिल हुए थे। आपने उत्कृष्ट न्यायविद् के रूप में अपनी शानदार सेवाएं प्रदान कीं और आपके पास बैचलर ऑफ साइंस (बी.एस.सी.), लेगम बैकालॉरियस (एलएलबी.) में डिग्री है। श्री पांडे को विधि के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है। उन्होंने 24 अप्रैल, 1990 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। एक अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस करते हुए आपने दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और सेवा कानूनों से संबंधित मामले देखें। आपने वर्ष 1990 में अपनी प्रेक्टिस शुरू की और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और अर्ध–न्यायिक मंचों अर्थात् राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और विभिन्न अन्य न्यायाधिकरणों में प्रेक्टिस की और कई महत्वपूर्ण मामले देखें। आपने सर्वोच्च न्यायालय के कई मामलों पर निर्णय दिए तथा कई मामलों को विभिन्न पत्रिकाओं में शामिल किया गया और विधि जगत में आपका उत्कृष्ट रिकॉर्ड है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड के रूप में श्री पांडे ने असंख्य सिविल और आपराधिक मामलों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, आपने सिविल, आपराधिक, कर एवं मध्यस्थता मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन का भी प्रतिनिधित्व किया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय, एमिटी लॉ स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया। अतिथि शिक्षक होने के नाते आपने एनएसीईएन और दिल्ली पुलिस के आई.आर.एस. अधिकारियों को मानवाधिकार–नागरिक स्वतंत्रता पर व्याख्यान दिया।

आप परीक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालयों से भी जुड़े रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए पेपर भी सेट कर चुके हैं। एक शिक्षक के रूप में आपके जुनून ने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य कानून, वाद–विवाद, वाहन, और व्यावसायिक नैतिकता और कानून से संबंधित विषयों पर कॉलेज के छात्रों के लिए कई व्याख्यान देने के लिए प्रेरित किया।

श्री पांडे अपने उत्कृष्ट पेशेवर अनुभव के साथ विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एलएलबी की केस सामग्री के सह–लेखक रह चुके हैं, जिसमें टॉर्ट्स कानून, नागरिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य कानून, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम शामिल हैं। श्री पांडे इंग्लिश लॉ सोसाइटी के रोल पर यूके के एक योग्य सॉलिसिटर (इंग्लैंड और वेल्स) हैं।

आपको रेलवे दावा अधिकरण ('आरसीटी') के सदस्य (न्यायिक) के पद पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, जहाँ आप तब तक सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, जब तक कि आपने 'आरसीटी' (रेलवे दावा अधिकरण) गुवाहाटी बेंच के सदस्य के रूप में अपना कार्यालय नहीं छोड़ दिया।

आरसीटी (रेलवे दावा अधिकरण) की कोलकाता और सिकंदराबाद बेंचों में काम करने के अलावा, आपने मुंबई, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, रांची, अमरावती और पटना में आरसीटी (रेलवे दावा अधिकरण) बेंचों के सर्किट कोर्ट भी आयोजित किए। सदस्य के रूप में श्री पांडे को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में एक सम्मेलन और दिल्ली में भी सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

आरसीटी (रेलवे दावा अधिकरण) में न्यायिक कार्य करने के अलावा, श्री पांडे सदस्य (प्रशासन) थे, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी भी थे। निविदाओं को आमंत्रित करने और उन्हें अंतिम रूप देने में एक स्वीकार्य प्राधिकारी भी थे तथा आपको कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ('एसीआर') के लिए समीक्षा और रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



बोर्ड के कार्य और शक्तियां

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) कंपनियों के बीच उचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना;

(ख) निम्नलिखित के लिए कंपनियों का पंजीकरण करना –

i. अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा केंद्रीय सरकार की संविदात्मक बाध्यताओं के अधीन रहते हुए प्राकृतिक गैस का विपणन;'

ii. तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन;

iii. ऐसी क्षमता से अधिक, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद या प्राकृतिक गैस के लिए भंडारण की सुविधाओं की स्थापना;

(ग) निम्नलिखित के लिए कंपनियों को प्राधिकार देना–

i. सामान्य वाहक या संविदा वाहक पाइपलाइन बिछाना, निर्माण करना, प्रचालन या विस्तार करना;

ii. नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, निर्माण करना, प्रचालन करना या विस्तार करना;

(घ) पाइपलाइनों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करना;

(ड.) विनियमों द्वारा निम्नलिखित का विनियमन करना –

i. सामान्य वाहक या संविदा वाहक तक पहुँच ताकि उचित व्यापार और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकें और उस प्रयोजन के लिए पाइपलाइन एक्सेस कोड संहिता का निर्धारण करना;

ii. सामान्य वाहक या संविदात्मक वाहक के लिए परिवहन दरें;

iii. नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुँच ताकि पाइपलाइन एक्सेस कोड के अनुसार उचित व्यापार और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकें;

(च) अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस के संबंध में'–

i. पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ii. सभी रिटेल विक्रय केंद्रों पर उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम रिटेल मूल्यों के संबंध में सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित करना;

iii. मूल्यों की निगरानी करना और कंपनियों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए निवारक उपाय करना;

iv. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समान वितरण सुनिश्चित करना;

v. रिटेल विक्रय केंद्रों के लिए रिटेल सेवा बाध्यताओं और कंपनियों के लिए विपणन सेवा बाध्यताओं हेतु विनियमों द्वारा उपबंध बनाना और उन्हें लागू करना;

vi. परिवहन दरों की निगरानी और कंपनियों के प्रतिबंधक व्यापारिक व्यवहार के निवारण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करना;



(छ) विनियमों द्वारा यथा निर्धारित शुल्क और अन्य प्रभार लगाना;

(ज) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में सूचनाओं का डेटा बैंक रखना;

(झ) विनियमों द्वारा तकनीकी मानकों और विनिर्देशों को निर्धारित करना, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रियाकलापों में सुरक्षा मानक, तथा डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के संबंध में पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण और प्रचालन शामिल हैं;

(ञ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपें जा सकते हैं। {दिनांक 01.07.2020 को सरकार ने गैस व्यापार विनिमय(यों) की स्थापना और संचालन को विनियमित करने के लिए पीएनजीआरबी को अधिनियम की धारा 11(ञ) के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य को अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्देश जारी किए हैं}।

**चूंकि सरकार द्वारा किसी भी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए बोर्ड ऊपर (ख) (झ) और (च) में दिए गए कार्य करने की स्थिति में नहीं है।*



भाग 1: सामान्य

(क) सामान्य आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा

वर्ष 2023 में दुनिया की कुल वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2.7% थी। विश्व बैंक समूह के अनुसार, 2024 में वैश्विक विकास 2.6% रहने का अनुमान है।

जहां तक भारत का प्रश्न है, उसने वित्त वर्ष 2022–23 में 7% की जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर हासिल की, जो वित्त वर्ष 2023–24 में बढ़कर 8.2% हो गई। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5–7.0% रहने का अनुमान लगाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:

i) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

31.03.2023 तक विदेशी मुद्रा भंडार 578.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 31.03.2024 तक बढ़कर 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.67% अधिक है।

ii) भारत का निर्यात और आयात

भारत के कुल निर्यात ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 776.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल किया है। हालांकि वित्त वर्ष 2023–24 में वस्तु निर्यात में वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसी अवधि में सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है।

अप्रैल–मार्च 2023–24 में कुल आयात 854.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8% की कमी दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 में कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2022–23 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटकर 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

अप्रैल–जुलाई 2024 के लिए कुल व्यापार घाटा –31.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल–जुलाई 2023 के लिए घाटा –27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो घाटे में 13.1% की वृद्धि दर्शाता है।

iii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह

भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र रिकवरी के एक उल्लेखनीय प्रमाण के रूप में, वित्त वर्ष 2023–24 में कुल कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) संग्रह ₹34.5 ट्रिलियन है, जो पिछले वर्ष के ₹30.4 ट्रिलियन के राजस्व संग्रह की तुलना में ₹13.4% की वृद्धि दर्शाता है।

(क) वित्त वर्ष 2023–24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2022–23 में ₹16.6 ट्रिलियन से बढ़कर ₹19.6 ट्रिलियन हो गया है, अर्थात् 18.1% की वृद्धि।

(ख) वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह (जीएसटी और गैर–जीएसटी) से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹13.8 की तुलना में शुद्ध राजस्व संग्रह ₹14.9 ट्रिलियन है, जिससे 8.0% की वृद्धि दर्ज की गई है।



(ख) तेल और गैस का वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक तेल परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा जनवरी 2024 की तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तेल मांग वृद्धि वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही में 1.7 मिलियन बैरल/दिन तक धीमी हो गई, जो पिछली तिमाहियों के दौरान दर्ज 3.2 मिलियन बैरल/दिन दर से काफी कम है। यह गिरावट चीन में महामारी के बाद यात्रा की मांग में आई तेजी को दर्शाती है। 2024 में, विकास दर में और कमी आने का अनुमान है और यह 1.2 मिलियन बैरल/दिन पर पहुंच जाएगी, जो कि व्यापक आर्थिक चुनौतियों, सख्त दक्षता मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बेड़े से प्रभावित होगी।

विश्व तेल आपूर्ति में 1.5 मिलियन बैरल/दिन की वृद्धि का अनुमान है, जो कि 103.5 मिलियन बैरल/दिन के नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, जो अमेरिका, ब्राजील, गुयाना और कनाडा से रिकॉर्ड–सेटिंग उत्पादन द्वारा संचालित होगी। गैर–ओपेक़ उत्पादन इस वर्ष विकास पर हावी रहेगा, जो लगभग 1.5 मिलियन बैरल/दिन का योगदान देगा। इसके विपरीत, ओपेक़ आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है, यह मानते हुए कि इस महीने शुरू की गई अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती 2024 की दूसरी तिमाही में धीरे–धीरे समाप्त हो जाएंगी।

क्षेत्रीय रिफाइनरी लाभप्रदता में विचलन दिसंबर 2023 में और कम हो गया क्योंकि अटलांटिक बेसिन में मार्जिन कमजोर हुआ लेकिन सिंगापुर में मजबूत हुआ। 2024 में रिफाइनरी क्रूड थ्रूपुट औसतन 83.3 मिलियन बैरल/दिन होने की उम्मीद है, जो 2018 के 82.5 मिलियन बैरल/दिन के रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। हालांकि, मध्य पूर्व, अफ्रीका और चीन में ऑनलाइन आने वाली नई क्षमता के कारण ओईसीडी और गैर–ओईसीडी रिफाइनरी रन के बीच का अंतर बढ़ने की संभावना है।

दिसंबर 2023 में रूसी तेल निर्यात 500 हजार बैरल/दिन बढ़कर नौ महीने के उच्चतम स्तर 7.8 मिलियन बैरल/दिन पर पहुंच गया। कच्चे तेल की शिपमेंट में 240 हजार बैरल/दिन महीने–दर–महीने की वृद्धि हुई और यह 5 मिलियन बैरल/दिन हो गई, जबकि उत्पाद प्रवाह में 260 हजार बैरल/दिन की वृद्धि हुई। इसके बावजूद, अनुमानित निर्यात राजस्व छह महीने के निचले स्तर $14.4 बिलियन पर आ गया, क्योंकि रूसी तेल की कीमतों पर छूट बढ़ गई और बेंचमार्क तेल की कीमतों में गिरावट आई।

नवंबर 2023 में वैश्विक स्तर पर तेल भंडार में 8.4 मिलियन बैरल की कमी आई, जो जुलाई 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसमें विशेष रूप से कच्चे तेल और मध्यम डिस्टीलेट में तंगी देखी गई। पानी पर तेल (–12 मिलियन बैरल) में कमी आंशिक रूप से ऑन–लैंड स्टॉक बिल्ड (+3.6 मिलियन बैरल) द्वारा समायोजित की गई थी। तेल उत्पादों में 24.6 मिलियन बैरल की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जबकि कच्चे तेल के भंडार में 16.2 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई। प्रारंभिक डेटा से पता चलता है कि दिसंबर में वैश्विक भंडार में वृद्धि हुई, जो पानी पर तेल में उछाल के कारण हुई।

बेंचमार्क कच्चे तेल के वायदा भाव दिसंबर 2023 के मध्य के निचले स्तर से लगभग $4/बैरल बढ़ गए, क्योंकि लाल सागर में तनाव ने भू–राजनीतिक चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया।



प्राकृतिक गैस का वैश्विक परिदृश्य

जनवरी 2024 की आईईए रिपोर्ट के अनुसार, इस साल वैश्विक गैस की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, जिसका कारण ठंडा सर्द मौसम और कीमतों में कमी है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं खपत में वृद्धि का नेतृत्व करेंगी, लेकिन भू–राजनीतिक जोखिम और आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं कीमतों में फिर से अस्थिरता ला सकती हैं।

वर्ष 2023 में, वैश्विक गैस की मांग में केवल 0.5% की वृद्धि हुई, क्योंकि चीन, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और मध्य पूर्व में गैस–समृद्ध देशों में वृद्धि अन्य क्षेत्रों में गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित थी। जैसे–जैसे महामारी संबंधी प्रतिबंध ढीले हुए और आर्थिक गतिविधि वापस लौटी, चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी आयातक के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली (हालांकि 2023 में चीन का नजी आयात अभी भी 2021 के स्तर से नीचे था) क्योंकि प्राकृतिक गैस की मांग में 7% की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, यूरोप में प्राकृतिक गैस की खपत में 7% की गिरावट आई, जो 1995 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यह गिरावट नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार और परमाणु ऊर्जा की बढ़ती उपलब्धता से और बढ़ गई, जिससे यूरोप और एशिया के परिपक्व बाजारों में प्राकृतिक गैस की मांग कम हो गई, और कीमतें कम हो गईं।

वर्ष 2024 में वैश्विक गैस की मांग में 2.5% (लगभग 100 अरब घन मीटर) की वृद्धि का अनुमान है। 2023 में असामान्य रूप से हल्के सर्दियों के मुकाबले 2024 में ठंडे मौसम के कारण आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में हीटिंग की मांग बढ़ने की संभावना है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 2022 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद तेज गिरावट आई है, जो गैस की मांग में सुधार का समर्थन कर रही है। हालांकि, कीमतें अब भी ऐतिहासिक औसत से ऊपर हैं, लेकिन मूल्य–संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों में मांग के फिर से बढ़ने की उम्मीद है। बिजली उत्पादन में, गैस की खपत में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि एशिया–प्रशांत, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व में गैस की बढ़ती खपत को यूरोप में मांग में कमी से आंशिक रूप से संतुलित किया जाएगा।

वर्ष 2023 में आपूर्ति पक्ष पर गैस उपलब्धता अपेक्षाकृत कम रही, क्योंकि वैश्विक एलएनजी उत्पादन में वृद्धि उम्मीद से कम रही। इस कारण उत्पादन में वृद्धि रूस से यूरोप को पाइप्ड गैस की निरंतर गिरावट की भरपाई करने में असमर्थ रही। आपूर्ति में वृद्धि भी भौगोलिक रूप से सीमित रही, जिसमें अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक बन गया, जो 2023 में अतिरिक्त एलएनजी आपूर्ति का 80% हिस्सा होगा।

वर्ष 2024 में आपूर्ति फिर से तंग रहने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक एलएनजी उत्पादन में सीमित वृद्धि मांग में वृद्धि को रोक सकती है, विशेष रूप से यूरोप और एशिया के परिपक्व बाजारों के लिए। इस साल एलएनजी आपूर्ति में 3.5% वृद्धि की उम्मीद है, जो 2016–20 के बीच 8% की वृद्धि दर से काफी कम है। नई लिक्विफिकेशन प्लांट में देरी और मौजूदा परियोजनाओं में फीड गैस की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं आपूर्ति वृद्धि को 2025 तक टाल सकती हैं। बढ़ती मांग और तंग आपूर्ति के कारण इस साल कीमतों में भारी उतार–चढ़ाव होने की संभावना है।



(ग) तेल और गैस का घरेलू परिदृश्य

कच्चे तेल का परिदृश्य :

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत के 29.2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में, वित्त वर्ष 2023–24 में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन मामूली रूप से बढ़कर 29.4 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

खपत में तेज गति से वृद्धि और घरेलू उत्पादन में कमी के साथ, भारत की तेल आयात निर्भरता वित्त वर्ष 2022–23 में 87.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 87.7% हो गई है।

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत की तेल खपत 223 मिलियन टन थी, जो वित्त वर्ष 2023–24 में बढ़कर 234.3 मिलियन टन हो गई, जो वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 5.1% की वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत का कच्चे तेल का आयात 232.7 मिलियन टन था, जिसमें 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा व्यय था, जो वित्त वर्ष 2023–24 में बढ़कर 233.1 मिलियन टन हो गया, जिसमें 132.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा व्यय हुआ। आयात में वृद्धि होने पर भी विदेशी मुद्रा व्यय में गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के कारण हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कच्चे तेल की एफओबी कीमत (भारतीय बास्केटः खट्टे ग्रेड के लिए ओमान और दुबई का औसत और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संसाधित कच्चे तेल के अनुपात में मीठे ग्रेड के लिए ब्रेंट (डेटेड)) में वर्ष दर वर्ष के आधार पर लगभग 11.3% की कमी आई है, अर्थात् वित्त वर्ष 2022–23 में अमेरिकी $93.1/बैरल से अमेरिकी $82.6/बैरल।

भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति–मांग असंतुलन और आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण 2022–2023 के दौरान वैश्विक कच्चे तेल के बाजार की कीमतों में महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव देखा गया। 2022–2023 के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव देखा गया, जिसमें ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई बेंचमार्क कई कारकों से प्रभावित होते हुए एक सीमा के भीतर बने रहें। ये कारक थे–भंडार स्तर, उत्पादन से जुड़े फैसले, आर्थिक संकेतक और भू–राजनीतिक घटनाक्रम।

मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में भू–राजनीतिक तनावों ने आपूर्ति की स्थिति को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में संघर्षों, विशेषकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, के कारण तेल उत्पादन में रुकावट की चिंताओं ने बाजार में अनिश्चितता और कीमतों में उतार–चढ़ाव को बढ़ावा दिया।

प्राकृतिक गैस परिदृश्यः

भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की वर्तमान हिस्सेदारी लगभग 6% है। सरकार ने 2030 तक इस हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार, नीति निर्माता, विनियामक, उद्योग की कंपनियां सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर और प्राकृतिक गैस के परिवहन और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

देश में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए 100% (द्वीप क्षेत्रों को छोड़कर) कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 7 और भौगोलिक क्षेत्रों को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया है। इसके साथ ही कुल 307 भौगोलिक क्षेत्रों को अधिकृत किया जा चुका है। पीएनजीआरबी की इस उपलब्धि से घरों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा, औद्योगिक और व्यावसायिक सुविधाओं को समर्थन मिलेगा, और परिवहन के लिए ईंधन उपलब्ध होगा। यह गैस–आधारित अर्थव्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है और देश के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा।



इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने गैस के परिवहन के लिए एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक क्षेत्रीय टैरिफ के थीम के साथ एकीकृत टैरिफ व्यवस्था शुरू की है ताकि इसे उन ग्राहकों के लिए किफायती बनाया जा सकें जो स्रोत से दूर स्थित हैं।

भारत में घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 35.7 अरब घन मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 33.7 अरब घन मीटर था। यह वृद्धि मौजूदा क्षेत्रों में ड्रिलिंग गतिविधियों में वृद्धि और विशेष रूप से कृष्णा–गोदावरी बेसिन में नए ब्लॉकों की सफल खोज के कारण हुई। भारत के एलएनजी आयात में भी 15% की वृद्धि हुई, जो 40 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

देश में प्राकृतिक गैस की खपत 2022–23 में 160.8 एमएमएससीएमडी से बढ़कर 2023–24 में 188 एमएमएससीएमडी हो गई है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात भी 2022–23 में 26,304 एमएमएससीएमडी से बढ़कर 2023–24 में 31,795 एमएमएससीएमडी हो गया है।

भारत की योजना 47.7 एमएमटीपीए की मौजूदा एलएनजी टर्मिनल क्षमता में कम से कम 25 एमएमटीपीए क्षमता जोड़ने की है। भारत के सात एलएनजी आयात टर्मिनलों पर उपयोग दर में काफी भिन्नता रही है, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 15% से 95% तक है, जिसमें कई टर्मिनल 2023–24 में एलएनजी आयात में 16% की साल–दर–साल वृद्धि के बावजूद 30% या उससे कम क्षमता पर काम कर रहे हैं।

पीएनजीआरबी एलएनजी टर्मिनलों के पंजीकरण के लिए मसौदा विनियमन तैयार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि री–गैस परिसंपत्तियां गैस क्षेत्र के समग्र उद्देश्यों से अछूती न रहें और शेष प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास और आपूर्ति के साथ एकीकृत हों, जिसमें पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क शामिल हैं। एलएनजी टर्मिनल नियमों के तहत टर्मिनलों को पीएनजीआरबी से पंजीकरण लेना होगा और समय–समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

आपूर्ति और मांग में उतार–चढ़ाव, विशेषकर अधिक खपत वाली अवधि में, संतुलित करने के लिए उपयुक्त और रणनीतिक रूप से स्थित भंडारण और पुनर्गैसीकरण सुविधाएं ज़रूरी हैं, जो पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ी हों। इससे हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी।

भारत सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और एनईएलपी–पूर्व ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा–निर्देशों को संशोधित किया, जहां उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) कीमतों के लिए सरकार की मंजूरी प्रदान करता है। अप्रैल 2023 के प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा–निर्देशों के अनुसार, घरेलू गैस के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) पिछले महीने के औसत भारतीय क्रूड बास्केट मूल्यों के 10% पर मासिक रूप से निर्धारित किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा अमेरिकी $6.50/एमएबीटीयू और न्यूनतम सीमा अमेरिकी $4/एमएबीटीयू होगी। यह सीमा पहले दो वर्षों के लिए समान रहेगी और फिर किसी भी लागत मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए हर साल अमेरिकी $0.25/एमएबीटीयू की वृद्धि होगी। ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों के नए कुओं या कुओं के कार्यकलापों से उत्पादित गैस को एपीएम मूल्य पर 20% का प्रीमियम दिया जाएगा। इन सुधारों ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक स्थिर मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित की, जबकि साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ उत्पादकों को प्रतिकूल बाज़ार उतार–चढ़ाव से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की, जिससे एक प्रतिस्पर्धी और कुशल गैस बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ। अप्रैल 2023 में अधिसूचना के बाद, घरेलू गैस वर्तमान में अमेरिकी $6.5/एमएबीटीयू की अधिकतम कीमत पर बेची जा रही है।

कठिन क्षेत्रों (गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान (एचपीएचटी) क्षेत्रों) से उत्पादित



घरेलू गैस की अधिकतम कीमतें भी सरकार द्वारा छमाही अवधि पर अधिसूचित की जाती हैं जो वैकल्पिक ईंधन की कीमतों पर आधारित होती हैं। वित्त वर्ष 2023–24 की पहली छमाही और वित्त वर्ष 2023–24 की दूसरी छमाही के लिए अधिकतम कीमतें क्रमशः अमेरिकी $12.12/एमएमबीटीयू और अमेरिकी $9.96/एमएमबीटीयू अधिसूचित की गईं।

भारतीय गैस विनिमय (आईजीएक्स) में व्यापार मूल्य भी भारत में अन्वेषित गैस बाजार मूल्य का कुछ रुझान प्रदान करता है। विनिमय में भारित औसत मासिक व्यापार मूल्य अप्रैल, 2023 में ₹1,075 या अमेरिकी $13.1/एमएमबीटीयू था, जो मई, 2023 में काफी कम होकर ₹944 या अमेरिकी $11.4/एमएमबीटीयू हो गया। वर्ष 2023 तक कीमत ₹1098 या अमेरिकी $13.1/एमएमबीटीयू हो गई। जनवरी 2024 से कीमत में फिर से गिरावट देखी गई और यह मार्च 2024 में एक साल के निचले स्तर ₹799 या अमेरिकी $13.1/एमएमबीटीयू पर पहुंच गई।

नगर गैस वितरण नेटवर्क में निवेश बढ़ना जारी रहा, कई शहरों में विभिन्न कंपनियों द्वारा विस्तार परियोजनाएं शुरू की गईं। खाना पकाने, परिवहन और औद्योगिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाने के सरकार के प्रयास ने सीजीडी बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया।

सीबीजी क्षेत्र में 2028–29 तक ₹ 37500 करोड़ के निवेश के माध्यम से 750 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा के लिए, भारत सरकार ने सीबीजी क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में कंप्रेस्ड बॉयो–गैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की। सीबीजी मिश्रण दायित्व (सीबीओ) वित्त वर्ष 2024–25 तक स्वैच्छिक है और इसे वित्त वर्ष 2025–26, 2026–27 और 2027–28 के लिए कुल सीएनजी/पीएनजी खपत का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा गया है। 2028–29 के बाद से, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में सीबीओ को कुल खपत का 5% रखा गया है। इससे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के लिए आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा की बचत, परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत ने कई राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत के साथ एक स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में सीबीजी की क्षमता का पता लगाया है।

कार्यान्वयनाधीन प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: (मार्च, 2024 तक):–

i) जगदीशपुर – हल्दिया – बोकारो – धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल), बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (बीजीपीएल) तथा धामरा–पारादीप–हल्दिया पाइपलाइन परियोजना – पूर्वी भारत के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (पीएमजीयू)

पीएनजीआरबी ने 29.01.2018 को गेल इंडिया लिमिटेड को 3,546 कि.मी. जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा, बरौनी–गुवाहाटी और धामरा–हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एकीकृत जेएचबीडीपीएल) को अधिकृत किया। वर्तमान में 2,986 कि.मी. पाइपलाइन चालू हो चुकी है। दुर्गापुर–हल्दिया और धामरा–हल्दिया खंड वर्तमान में निर्माण चरण में हैं।

एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, भारत सरकार ने सितंबर 2016 में इस पाइपलाइन परियोजना के लिए 40% अनुदान प्रदान करने का नीतिगत निर्णय लिया था। इस परियोजना के समय पर विकास का उद्देश्य गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में स्थित 3 उर्वरक संयंत्रों और दुर्गापुर में नई उर्वरक इकाई के पुनरुद्धार का समर्थन करना है। पूरी परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे छह राज्यों को कवर करते हुए पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा मांग को पूरा करेगी।



ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड

पीएनजीआरबी ने 17.11.2020 को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को 1,656 कि.मी. लंबी पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को अधिकृत किया। पांच (05) तेल और गैस सीपीएसई अर्थात् गेल, आईओसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी और एनआरएल के संयुक्त उद्यम आईजीजीएल को सभी पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चरणबद्ध तरीके से ट्रंक पाइपलाइन कनेक्टिविटी विकसित करने का काम सौंपा गया है। इस पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादित घरेलू प्राकृतिक गैस का परिवहन करना और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह एनईआर ग्रिड को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से भी जोड़ेगा। निर्माण तीन चरणों में किया गया है– अर्थात् चरण । (गुवाहाटी–नुमालीगढ़, गोहपुर–ईटानगर, और डेरगांव–दीमापुर कुल 557 किमी), चरण ॥ (सिलचर–पानीसागर, पानीसागर–अगरतला, गुवाहाटी–सिलचर, पानीसागर–आइजोल, सिलचर सीजीडी, शिलांग सीजीडी, अगरतला–तुलमुरा फीडर लाइन, अगरतला–नीपको स्पर लाइन, खुबल फीडर लाइन कुल 726 किमी) और चरण ॥। (दीमापुर–कोहिमा–इंफाल, सिलीगुड़ी–गंगटोक कुल 385 कि.मी.)। पहले चरण में 442 कि.मी. पाइपलाइन बिछाई गई है। दूसरे चरण में 75 कि.मी. पाइपलाइन बिछाई गई है। तीसरे चरण में 33 कि.मी. तक वेल्डिंग और 10 कि.मी. तक पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है।

iii) कोच्चि–कुट्टनाड–बैंगलोर–मैंगलोर पाइपलाइन परियोजना (केकेबीएमपीएल):

पीएनजीआरबी ने 31.05.2012 को गेल इंडिया लिमिटेड को 1,104 कि.मी. कोच्चि–कूट्टनद–बैंगलोर–मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) को अधिकृत किया। तमिलनाडु में 312 कि.मी. के मुख्य लाइन खंड को छोड़कर, केकेएमबीपीएल की शेष मुख्य लाइन (644 कि.मी.) पहले ही चालू हो चुकी है। शेष खंड का निर्माण कार्य चल रहा है।

iv) एन्नोर–थिरुवल्लूर–बैंगलोर–नागापट्टिनम–मदुरै–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईटीबीएनएमटीपीएल):

पीएनजीआरबी ने 10.12.2015 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1,431 कि.मी. एन्नोर–तिरुवल्लूर–बैंगलोर–नागापट्टिनम–मदुरै–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईटीबीएनएमटीपीएल) को अधिकृत किया। यह पाइपलाइन नए एन्नोर एलएनजी टर्मिनल को क्षेत्र के विभिन्न मांग केंद्रों से जोड़ेगी। वर्तमान में, दो स्परलाइनों अर्थात् असनूर–करैकल और त्रिची–नागापट्टिनम को छोड़कर, जो निर्माणाधीन है, संपूर्ण ईटीबीएनएमटीपीएल चालू हो चुकी है।

v) श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एसएपीएल):

पीएनजीआरबी ने 23.07.2019 को गेल इंडिया लिमिटेड को 690 कि.मी. श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एसएपीएल) के लिए अधिकृत किया। दिनांक 31.03.2024 तक, पूरी 421 कि.मी. ट्रंक लाइन बिछाई जा चुकी है और 216 कि.मी. स्परलाइन भी बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

vi) मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल):

पीएनजीआरबी ने 15.05.2020 को गेल इंडिया लिमिटेड को 1,755 कि.मी. मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) को अधिकृत किया। पाइपलाइन मुंबई से शुरू होगी तथा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर गुजरेगी। तीनों खंडों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुंबई–नागपुर खंड, नागपुर–झारसुगुड़ा खंड और नागपुर–जबलपुर खंड में क्रमशः 654 कि.मी., 456 कि.मी. और 274 कि.मी. पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।



कार्यान्वयन के तहत प्रमुख पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण (मार्च, 2024 तक) इस प्रकार है:–

i) कांडला–गोरखपुर पाइपलाइन (केजीपीएल)

आईएचबी लिमिटेड 2,757 कि.मी. लंबी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना बिछा रहा है, जो देश में सबसे लंबी है, जो तीन राज्यों– उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करती है। यह एलपीजी पाइपलाइन देश की लगभग 25% एलपीजी का परिवहन करेगी। यह 4 आयात टर्मिनलों और दो रिफाइनरियों को 21 बॉटलिंग प्लांट से जोड़ेगी। कुल 2757 कि.मी. में से 2356 कि.मी. पाइपलाइन को बिछा दिया गया है।

ii) पियाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एटीएफ) पाइपलाइन (पीजेपीएल)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन टर्बाइन ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पियाला से जेवर तक 34 कि.मी. लंबी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना बिछा रहा है। पाइपलाइन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

iii) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) तक पाइपलाइन परियोजना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विमानन टर्बाइन ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएनपीटी से एनएमआईए तक 22 कि.मी. लंबी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना बिछा रहा है। पाइपलाइन अगस्त, 2025 तक पूरी होनी है।

iv) कोच्चि–कोयंबटूर– इरोड–सलेम पाइपलाइन परियोजना

कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड केरल और तमिलनाडु राज्यों में 458 कि.मी. लंबी एलपीजी पाइपलाइन बिछा रहा है। 203 कि.मी. का केरल खंड चालू हो गया है। तमिलनाडु खंड की गतिविधियाँ चल रही हैं।

v) कृष्णापट्टनम हैदराबाद पाइपलाइन (केएचपीएल)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कृष्णापट्टनम पोर्ट और हैदराबाद के माधाराम गाँव में अपने आगामी प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए 455 कि.मी. लंबी बहु–उत्पाद पाइपलाइन बिछा रहा है। पाइपलाइन मार्च 2025 तक पूरी होनी है। कुल 455 कि.मी. में से, 62 कि.मी. पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।

vi) हल्दिया पानागढ़ पाइपलाइन (एचपीपीएल)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हल्दिया में एलपीजी आयात टर्मिनल को पानागढ़ में एलपीजी के बॉटलिंग संयंत्र से जोड़ने के लिए 215 कि.मी. लंबी एलपीजी पाइपलाइन बिछा रहा है। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के साथ–साथ बिहार और झारखंड राज्यों में एलपीजी की मांग को पूरा करेगी। पाइपलाइन नवंबर 2025 तक पूरी होनी है।

vii) देवंगोंथी–चित्रदुर्ग पाइपलाइन (डीसीपीएल)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 232 कि.मी. लंबी बहु–उत्पाद पाइपलाइन बिछा रहा है। यह पाइपलाइन आईओसीएल के मौजूदा देवंगोंथी स्टेशन से चित्रदुर्ग में कॉमन यूजर फैसिलिटी के नए डिलीवरी पॉइंट तक जाएगी। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की मांग को पूरा करेगी। पाइपलाइन का निर्माण जून 2026 तक पूरा होना है।



पीएनजीआरबी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की प्राथमिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा है। यह देखा गया है कि मौजूदा अवसंरचना में कुछ अक्षमताएं हैं, जैसे ओएमसी द्वारा टंकों और टर्मिनलों में दोहरापन।

पीएनजीआरबी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक सामान्य वाहक पाइपलाइन अवसंरचना के विकास का समर्थन कर रहा है। इस उद्देश्य के तहत, मौजूदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को सामान्य वाहक घोषित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य संचालन को सुगम बनाना और दक्षता को बढ़ाना है, ताकि पीएनजीआरबी अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकें।

(घ) सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा/तेल और गैस विनियामक पद्धतियां और भारतीय संदर्भ में उन्हें अपनाना:

विनियमों के निर्माण/संशोधन के लिए तकनीकी समितियाँ: अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करते हुए, पीएनजीआरबी ने तेल और गैस उद्योग के अनुभवी पेशेवरों, विभिन्न सरकारी कंपनियों और औद्योगिक अनुसंधान केंद्रों के विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समितियाँ गठित की हैं। इन समितियों ने भारत के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी नियमों को अधिसूचित किया है। वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप, ये समितियाँ मौजूदा नियमों की समय–समय पर समीक्षा करती हैं, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती हैं और आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करती हैं ताकि नियमों को नवीनतम उद्योग पद्धतियों, प्रौद्योगिकी में प्रगति, घटनाओं से सीखने और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप रखा जा सकें। इन तकनीकी नियमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों, संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा करना है।

तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन प्रणाली: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन प्रणाली (टीपीसीए) नियमा बनाए गए हैं, जो पीएनजीआरबी द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के चयन और पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा आईएसओ–17020 के तहत टाइप 'क' श्रेणी के निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकें।

घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच प्रणाली: घटना रिपोर्टिंग संबंधी अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से प्रेरित होकर, पीएनजीआरबी ने एक 'घटना रिपोर्टिंग प्रणाली' स्थापित किया है, जिसे ईआरडीएमपी नियमों के तहत तैयार किया गया है। पीएनजीआरबी ईआरडीएमपी विनियमों के तहत सभी कंपनियों को प्रमुख, मामूली और बाल–बाल बचने की घटनाओं की रिपोर्ट पीएनजीआरबी को निर्धारित समय–सीमा के भीतर करनी होती है। सभी घटनाओं की जांच की जाती है और यदि कोई प्रमुख घटना होती है, तो पीएनजीआरबी जांच समिति का गठन करती है ताकि मूल कारणों की पहचान की जा सकें और घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव दिए जा सकें। जांच समिति की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है और घटनाओं से सीखे गए सबक और सिफारिशों को सभी अन्य कंपनियों को भेजा जाता है, ताकि घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हों और नियमों में संशोधन किया जा सकें।



भाग 2: नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क

2.1 पंजीकरण और प्राधिकार:

2.1.1 प्राधिकार संबंधी विनियामक ढांचा

पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 (सीजीडी प्राधिकार विनियम) को अधिसूचित किया था। इन विनियमों के अंतर्गत पीएनजीआरबी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सीजीडी नेटवर्क प्राधिकार प्रदान करता है:

(क) **रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मार्ग**: सीजीडी नेटवर्क का विस्तार करने की इच्छुक कोई भी कंपनी बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव भेज सकती है। प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात् बोर्ड या तो एक खुला विज्ञापन जारी करता है या सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया आरंभ करता है। बोर्ड प्राप्त राय और विभिन्न मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क के लिए क्षेत्र का निर्धारण कर सकता है और इसके लिए बोलियां आमंत्रित कर सकता है। विनियम 4(1)

(ख) **स्वतः संज्ञान में लेने का मार्ग**: बोर्ड किसी विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए नगर गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या विस्तार करने की इच्छुक कंपनियों से स्वतः संज्ञान लेते हुए भी बोलियां आमंत्रित कर सकता है। विनियम 4(2)

(ग) **विनियम 17 के अंतर्गत**: बोर्ड निर्धारित दिवस 1 अक्तूबर, 2007 से पूर्व नगर गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकार देने की स्वीकृति दे सकता है।

(घ) **विनियम 18 के अंतर्गत**: बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत न की गई कंपनियों को निर्धारित दिन 1 अक्तूबर, 2007 से पूर्व नगर गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए नगर गैस वितरण नेटवर्क के लिए प्राधिकार दे सकता है। मुख्य रूप से ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहाँ किसी कंपनी द्वारा नियत तारीख से पूर्व नगर गैस वितरण प्राधिकार विनियम में विनिर्दिष्ट सीमा तक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता की गई थी।

2.1.2 सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद की स्वीकृति/ अधिकार

नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के संबंध में स्वीकृति का मामला 2005 से "एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 06.09.2022 को अपने आदेश में इस विवाद से संबंधित एआई का निपटारा किया और निर्देश दिया कि बोर्ड अपनी भूमिका जारी रखें, क्योंकि बोर्ड का आवश्यक कोरम उपलब्ध था। तदनुसार, बोर्ड ने 25.04.2024 को निम्नलिखित पांच भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में स्वीकृति दी।

क्र.सं.	भौगोलिक क्षेत्र का नाम	प्राधिकृत कंपनी
1	नोएडा (ग्रेटर नोएडा सहित)	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)
2.	गुरुग्राम–1	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)
3.	गुरुग्राम–2	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
4.	फरीदाबाद–1	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)
5.	फरीदाबाद–2	अडानी टोटल गैस लिमिटेड

आईजीएल ने फरीदाबाद–1 और गुरुग्राम–1 के संबंध में प्राधिकार की स्वीकृति नहीं दी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

2.1.3 12वां और 12ए सीजीडी बोली दौर:

बोर्ड ने सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित करने हेतु स्वतः संज्ञान प्रक्रिया शुरू करने के लिए 6 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में फैले 103 जिलों की पहचान की।

बोर्ड ने 12 अक्तूबर, 2023 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 12वें सीजीडी बोली दौर के शुभारंभ की घोषणा की। 12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर के लिए बोलियां क्रमशः 13 अक्तूबर, 2023 और 25 नवंबर, 2023 से आमंत्रित की गईं। संभावित निवेशकों के बीच नगर गैस वितरण व्यवसाय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीएनजीआरबी ने दिल्ली और शिलांग में दो रोड शो आयोजित किए। बोर्ड को इस बोली दौर में निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सफल बोलीदाताओं को आशय–पत्र वितरित किए।



12वें सीजीडी बोली दौर पर प्रेस सम्मेलन



दिल्ली में 12वें सीजीडी बोली दौर का रोड शो

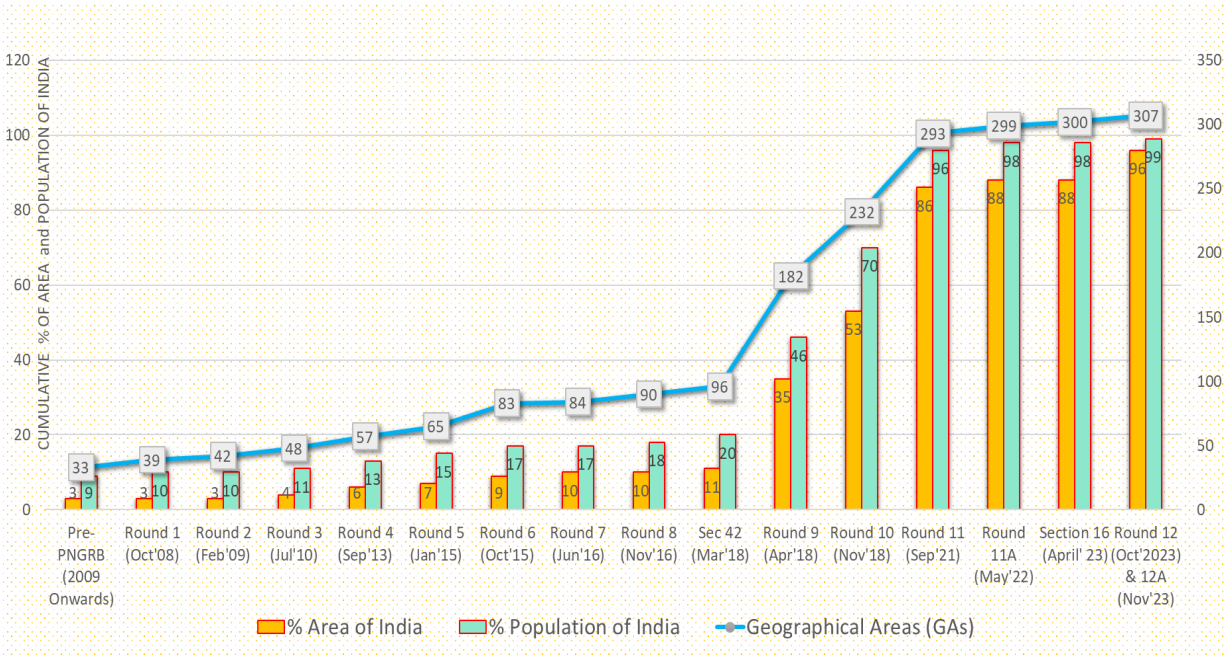


शिलोंग में 12वें सीजीडी बोली दौर का रोड शो



माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर में आशय–पत्रों का वितरण

2.1.4 9वें, 10वें, 11वें और 11, तथा 12वें और 12, सीजीडी बोली दौर के दौरान पीएनजी घरेलू कनेक्शन, सीएनजी स्टेशन और स्टील पाइपलाइन के संबंध में सीजीडी कंपनियों द्वारा की गई प्रतिबद्धता के साथ भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक क, अनुलग्नक ख, अनुलग्नक ग** और **अनुलग्नक घ** में दिया गया है। 8वें सीजीडी बोली दौर तक अधिकृत सीजीडी नेटवर्क का विवरण अनुलग्नक ड. में दिया गया है।



भारत में नगर गैस वितरण प्राधिकारों का स्नैपशॉट



सीजीडी प्राधिकारों की श्रेणी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	
	श्रेणी–वार	संचयी
पीएनजीआरबी–पूर्व (2009 के बाद)	33	33
दौर 1 (अक्तूबर'08)	6	39
दौर 2 (फरवरी'09)	3	42
दौर 3 (जुलाई'10)	6	48
दौर 4 (सितंबर'13)	9	57
दौर 5 (जनवरी'15)	8	65
दौर 6 (अक्तूबर'15)	18	83
दौर 7 (जून'16)	1	84
दौर 8 (नवंबर'16)	6	90
खंड 42 (मार्च'18)	6	96
दौर 9 (अप्रैल'18)	86	182
दौर 10 (नवंबर'18)	50	232
दौर 11 (जनवरी'22)	61	293
दौर 11, (जुलाई'22)	6	299
धारा 16 (अप्रैल'23)	1	300
दौर 12 (अक्तूबर'23) और 12, (नवंबर'23)	7	307

2.1.5 सीजीडी नेटवर्क तक तृतीय पक्ष की पहुंच

मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने और भौगोलिक क्षेत्र में तृतीय पक्ष को पहुंच की अनुमति देने के लिए, जहां प्राधिकृत कंपनियों ने अपनी विपणन विशिष्टताएं पूरी कर ली हैं, पीएनजीआरबी ने पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया, जो पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 20 के तहत सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने के लिए बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले प्रावधानों को निर्धारित करता है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्राधिकृत कंपनी और किसी भी शिपर पर लागू होगा, जो उस भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क में क्षमता का उपयोग करने का इरादा रखता है। एक बार जब किसी सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित किया जाता है, तो शिपर्स को सीजीडी नेटवर्क में उपलब्ध सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। तृतीय पक्ष की कंपनी (शिपर्स) के लिए खुली पहुंच उक्त एक्सेस कोड विनियमों द्वारा शासित होगी। पीएनजीआरबी ने 13.09.2021 को 54 ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को सामान्य वाहक/संविदा वाहक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी और प्राधिकृत कंपनियों को सुनवाई के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जा रहे थे। हालांकि, अधिकांश कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सार्वजनिक नोटिस और सुनवाई नोटिस को चुनौती दी।



इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने 24.03.2023 को सार्वजनिक परामर्श के लिए संशोधित मसौदा पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2023 को वेबहोस्ट किया, जिसमें पिछले मार्गदर्शक सिद्धांत विनियम 2020 को निरस्त करने का प्रस्ताव था। उक्त विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए हितधारक परामर्श के लिए ओपन हाउस 13 अक्तूबर, 2023 को आयोजित किया गया था।

2.2 कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा:

2.2.1 बोर्ड ने पीएनजीआरबी (नगर के स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है, जिसमें उपभोक्ताओं और जनता को विश्वसनीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता और अधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर के अनुरूप होने के अलावा उपभोक्ताओं के दायित्वों को निर्धारित किया गया है।

2.2.2 विपणन विशिष्टता अवधि की समाप्ति के बाद सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक के रूप में घोषित करने के लिए, बोर्ड ने हितधारकों के परामर्श के बाद 30 सितंबर, 2020 को पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें ऐसे क्षेत्रों को सामान्य वाहक के रूप में घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने 24.03.2023 को सार्वजनिक परामर्श के लिए संशोधित मसौदा पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2023 को वेबहोस्ट किया, जिसमें पहले के मार्गदर्शक सिद्धांत विनियम 2020 को निरस्त करने का प्रस्ताव था।

2.2.3 बोर्ड ने पीएनजीआरबी (सीजीडी नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 को निरस्त करने के बाद 23.11.2020 को पीएनजीआरबी (सीजीडी नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। ये विनियम एक अधिकृत सीजीडी कंपनी और किसी भी शिपर्स पर लागू होते हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के सीजीडी नेटवर्क में क्षमता का उपयोग करने का इरादा रखते हैं जिसे सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किया गया है।

2.3 निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति पर निगरानी रखना

2.3.1 प्रगति समीक्षा बैठकें और सुनवाई:

पहले से अधिकृत सीजीडी भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में पीएनजी/सीएनजी कवरेज की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के लिए सीजीडी कंपनियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठकें/सुनवाई की गई, ताकि प्राधिकार के समय उन्हें सौंपे गए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के मुकाबले अधिकृत कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी की जा सकें।

दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क के लिए आयोजित प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई की सूची **अनुलग्नक–च** में दी गई है।

2.3.2 गैस आपूर्ति समझौता (जीएसए) और वित्तीय समापन (एफसी):

सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकृत कंपनियों को प्राकृतिक गैस अनुबंध/गैस आपूर्ति समझौता (जीएसए) और वित्तीय समापन (एफसी) 270 दिनों के भीतर प्राप्त करना आवश्यक है, जो सीजीडी प्राधिकार नियमों के विनियम 11 के अनुसार है। विवरण **अनुलग्नक–छ** में दिया गया है।

जीएसए और एफसी की स्वीकृति की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	गैस आपूर्ति समझौता (जीएसए)	वित्तीय समापन (एफसी)
निम्नलिखित के दौरान स्वीकृत/प्रस्तुत		
वित्त वर्ष 2018–19	26	22
वित्त वर्ष 2019–20	94	119
वित्त वर्ष 2020–21	16	39
वित्त वर्ष 2021–22	17	09
वित्त वर्ष 2022–23	11 और 11ए सीजीडी बोली दौर 30 में अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के लिए लागू नहीं	30
वित्त वर्ष 2023–24	–वही–	33

2.3.3 सीजीडी नेटवर्क के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य का दौरा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना अर्थात् सीजीडी परियोजनाओं, एनजीपीएल और पीपीपीएल के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ बातचीत की। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, असम, राजस्थान, ओडिशा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा का दौरा किया। इन यात्राओं का उद्देश्य वैट में कमी, सांविधिक मंजूरी के त्वरित समाधान, सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाना और राज्यों में सीजीडी नीतियों की शुरूआत जैसे मुद्दों को संबोधित करना था। यह देखा गया कि इन यात्राओं से राज्य सरकारों को तेल और गैस अवसंरचना के विकास के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिली।



अध्यक्ष और सदस्य ने जम्मू–कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल
श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की

देने के लिए सरकारी अधिकारियों और सांविधिक एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य घरेलू खाना पकाने के ईंधन के साथ–साथ परिवहन, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार करना है।



अध्यक्ष और सदस्य ने जम्मू–कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की



तमिलनाडु में सदस्य द्वारा बुनियादी ढांचे की समीक्षा





अध्यक्ष एवं सदस्य ने राजस्थान की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा से मुलाकात की



सदस्य ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्री मनोज सौनिक से मुलाकात की



अध्यक्ष ने हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल से मुलाकात की



अध्यक्ष ने पंजाब के माननीय राज्यपाल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की

2.3.4 निष्पादन बैंक गारंटी में कमी

न्यूनतम कार्य कार्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति के कारण निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को प्रारंभिक मूल्य के 40% तक घटा दिया गया है:

क्र.सं.	जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र का नाम	प्राधिकृत कंपनी
(क)	4.06	दमन संघ शासित क्षेत्र	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लिमिटेड
(ख)	6.05	दहेज वागरा तालुका	गुजरात गैस लिमिटेड
(ग)	6.07	उत्तरी गोवा जिला	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड

2.3.5 प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क को विस्तार प्रदान करना

कंपनियों द्वारा प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए नामित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण 23 भौगोलिक क्षेत्रों के विकास हेतु 06 सीजीडी कंपनियों को विस्तार प्रदान किया गया है। विवरण **अनुलग्नक–ज** के रूप में संलग्न हैं।

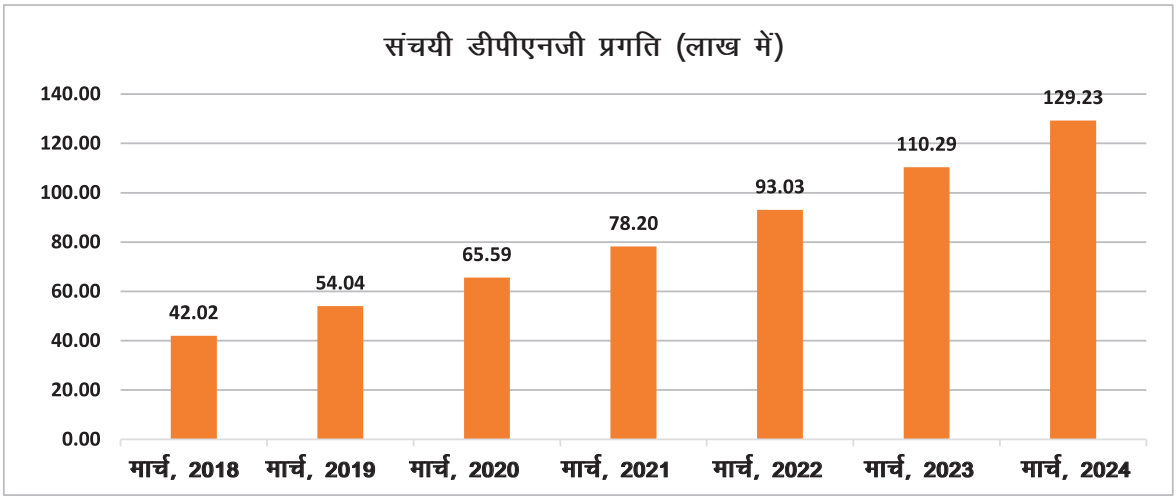
2.4 सीजीडी नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण

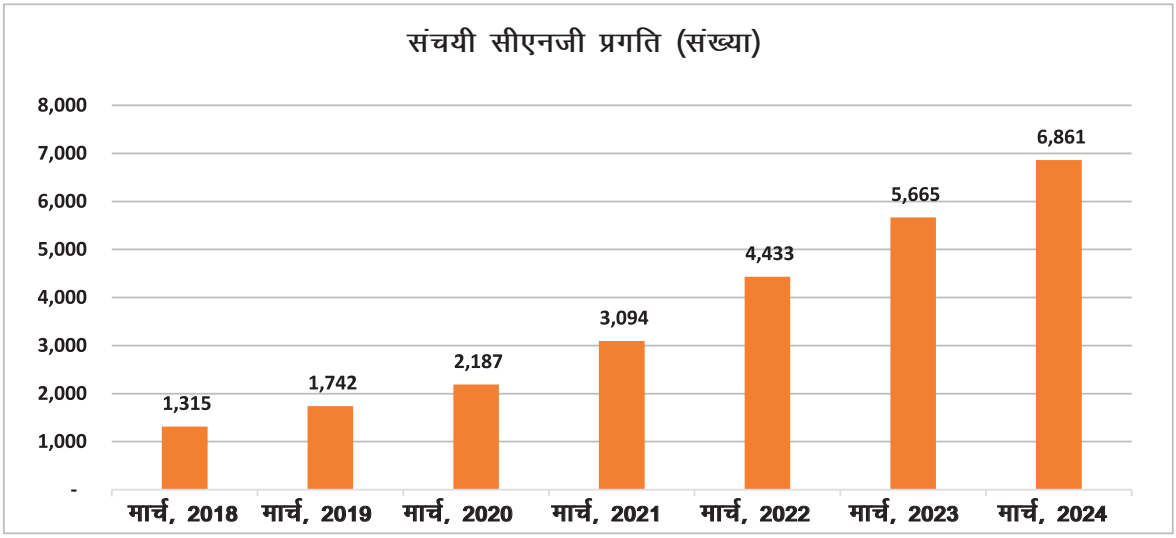
सीजीडी नेटवर्क की क्षमता पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसलिए निर्धारित की गई क्षमता विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेब–होस्ट की जाती है, जिसमे संगत नियमों के तहत बिना कोई भेदभाव बरते उपलब्ध क्षमता प्रदान करना शामिल है।



2.5 भारत में सीजीडी अवसंरचना की वर्तमान स्थिति

मापदंड	भारत में सीजीडी अवसंरचना						
	मार्च, 2018	मार्च, 2019	मार्च, 2020	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2023	मार्च, 2024
घरेलू पीएनजी कनेक्शन (लाख)	42.02	54.04	65.59	78.2	93.03	1,10.29	1,29.23
वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन	27,260	28,085	30,703	32,339	34,854	37,772	41,360
औद्योगिक पीएनजी कनेक्शन	7,472	8,783	10,391	11,803	13,215	16,563	18,756
कुल पीएनजी कनेक्शन (लाख)	42.36	54.41	66	78.64	93.51	1,10.83	1,29.83
सीएनजी स्टेशन	1,315	1,742	2,187	3,094	4,433	5,665	6,861
स्टील पाइपलाइन (इंच–किमी)	44,362	48,715	65,534	93,112	1,29,599	1,56,929	1,84,857
एमडीपीई पाइपलाइन (इंच–किमी)	93,648	1,13,277	1,78,279	2,04,538	2,44,546	2,83,729	3,23,616





2.6 राष्ट्रीय पीएनजी अभियान

भारत की ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2030 तक 6% से बढ़ाकर 15% करने, भारत को "गैस–आधारित अर्थव्यवस्था" में बदलने और नए पीएनजी कनेक्शन के लिए ग्राहकों को नामांकित करने के अलावा, मौजूदा पंजीकृत ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए, 26.01.2024 से 31.03.2024 तक राष्ट्रीय पीएनजी अभियान आयोजित किया गया।

अभियान अवधि के दौरान पीएनजी के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने– एक स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और विश्वसनीय ईंधन के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियाँ की गईं ताकि ग्राहकों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें। अभियान अवधि के दौरान कुल 30.79 लाख परिवारों से संपर्क किया गया, जिनमें से 10.87 लाख नए पंजीकरण किए गए और साथ ही 5.96 लाख पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए।



केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा देवघर में पीएनजी का उद्घाटन



आईजीएल द्वारा गांव ढांसा, दिल्ली में पीएनजी अभियान का शुभारंभ



एमएनजीएल द्वारा पुणे में पीएनजी जागरूकता सत्र



टोरेंट गैस द्वारा गोरखपुर में पीएनजी अभियान



2.7 नई पहल

2.7.1 उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11(क) के अनुसार बोर्ड के कार्यों में "कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना" शामिल है। इस अधिदेश को लागू करने तथा देश में तेल और गैस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उचित पद्धतियों और विनियमों को लागू करने के लिए, बोर्ड ने 1 फरवरी, 2024 को भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव श्री रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 में मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों की समीक्षा करने और व्यापक उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए आगे का रास्ता सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

विचारार्थ विषयों के अनुसार, उक्त समिति को पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 11(क), 11(च) और 12(1) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच कर उपाय सुझाने होंगे, ताकि अन्य कानूनों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के साथ टकराव से बचा जा सकें और लोकपाल की नियुक्ति के मौजूदा प्रावधानों की जांच की जा सकें तथा तेल एवं गैस क्षेत्र में इस संबंध में उपयुक्त तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया जा सकें।

2.7.2 पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की अधिसूचना न होने के कारण पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत कुछ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया गया है, ताकि अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश को क्रियान्वित किया जा सकें।



भाग 3: प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल)

3.1 पंजीकरण और प्राधिकार:

3.1.1 प्राधिकार पर विनियामक ढांचा:

पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 को अधिसूचित किया है। पीएनजीआरबी निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास के लिए प्राधिकार प्रदान करता है:–

(क) रुचि की अभिव्यक्ति: प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए इच्छुक कंपनी बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी। यदि रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मानदंडों को पूरा करती है तो बोर्ड एक खुला विज्ञापन जारी करता है और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करता है। प्राप्त विचारों के आधार पर बोर्ड रुचि की अभिव्यक्ति को अस्वीकार कर सकता है या संशोधन के साथ या उसके बिना प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है और उसके लिए बोलियां आमंत्रित कर सकता है। {विनियम 4(1)}

(ख) स्वत: संज्ञान के आधार पर: बोर्ड किसी भी पद्धति द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करने हेतु एक प्रस्ताव दे सकता है। {विनियम 4(2)}

(ग) विनियम 17 के अधीन: बोर्ड नियत दिन अर्थात् 1 अक्तूबर, 2007 से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कपंनियों को केंद्र सरकार के प्राधिकार की स्वीकृति जारी करता है।

(घ) **विनियम 18 के अधीन:** बोर्ड नियत दिन अर्थात् 1 अक्तूबर, 2007 से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं होने वाली कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करता है। व्यापक तौर पर ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें हैं, जहाँ किसी कंपनी ने नियत दिन से पूर्व एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता आदि से पहले की थी।

3.2 वर्ष 2023–24 में प्रदान किए गए प्राधिकार:

वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड ने पीएनजीआरबी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संबंधित कंपनियों को प्राधिकार जारी किए हैं। इन पाइपलाइनों को प्राधिकार की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।



क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	पाइपलाइन का मार्ग	पाइपलाइन का विवरण	जारी करने की तिथि	प्राधिकृत कंपनी
क	**विनियम 5 के तहत प्राधिकृत**				
1.	गुरदासपुर–जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जीजेपीएल)	गुरदासपुर–जम्मू	**लंबाई:** 160 कि.मी. **क्षमता:** 3.10 एमएमएससी **एमडी व्यास:** 12"	12.07.2023	गेल (इंडिया) लिमिटेड
ख	**एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 21(1) के तहत अनुबंध कनेक्टिविटी**				
1.	ओएनजीसी के रानीगंज सीबीएम ब्लॉक से गेल की जगदीशपुर – हल्दिया – बोकारो – धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तक अनुबंध कनेक्टिविटी	ओएनजीसी के रानीगंज सीबीएम ब्लॉक से गेल की जगदीशपुर – हल्दिया – बोकारो – धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तक	**लंबाई:** 28.81 कि.मी. **क्षमता:** 0.477 एमएमएससीएमडी **व्यास:** 8"	30.11.2023	गेल (इंडिया) लिमिटेड

3.3 निविदा प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन:

वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की:

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	मार्ग	विवरण (लंबाई, क्षमता)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1	एन्नोर – बार्शी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईबीपीएल)	एन्नोर – चित्तूर – वाईएसआर – कुरनूल – जोगुलम्बा – रायचूर – यादगीर – गुलबर्गा – सोलापुर – बार्शी	**लंबाई:** 875 कि.मी. **क्षमता:** 8.0 एमएमएससीएमडी	16.04.2024
2	जम्मू–श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएसपीएल)	जम्मू शहर – राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ श्रीनगर	**लंबाई:** 325 कि.मी. **क्षमता:** 2.0 एमएमएससीएमडी	13.05.2024

3.4. स्वतः संज्ञान लेकर हितधारक परामर्श की शुरुआत:

वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए



संस्थाओं को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के तहत निम्नलिखित **स्वतः संज्ञान लेकर** हितधारक परामर्श शुरू की:–

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण (मार्ग)	दिनांक
1	जम्मू–श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के लिए स्वतः संज्ञान प्रस्ताव।	जम्मू से श्रीनगर	03/07/2023
2	काकीनाडा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के लिए स्वतः संज्ञान प्रस्ताव	काकीनाडा – पीठापुरम – अनाकापल्ले – विजयनगरम श्रीकाकुलम	08/01/2024
3	कोच्चि से कन्याकुमारी होते हुए थूथुकुडी तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के लिए स्वतः संज्ञान प्रस्ताव	केकेएमबीपीएल/पीएलएल का एलएनजी टर्मिनल, जो कोच्चि और आईओसीएल के एन्नोर–थिरुवल्लूर–बेंगलुरु–पुदुचेरी–नागपट्टिनम–मदुरै–तूतीकोरिन से जुड़ता है	15/01/2024

3.5 परिवहन दरों का विनियमन

3.5.1 विनियामक ढांचा

पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 11(ड.)(ii) के अनुसरण में, पीएनजीबीआर को सामान्य वाहक और संविदा वाहक पाइपलाइन का उपयोग करने के लिए जहाजवाहकों पर बिना किसी भेदभाव के शुल्क सुनिश्चित करने हेतु सामान्य वाहकों और संविदा वाहकों के लिए परिवहन दर को विनियमन द्वारा विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।

पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत पाइपलाइनों के लिए परिवहन दरें बोली के माध्यम से बोली प्रक्रिया में निर्धारित की जाती हैं तथा प्राधिकार–पत्रों में उनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है और वे पीएनजीआरबी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

बोली प्रक्रिया से भिन्न तरीके (अर्थात् पहले से विद्यमान पाइपलाइनें और अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत अधिकृत) से प्राधिकृत पाइपलाइनों के लिए परिवहन दरों के लिए, बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 को अधिसूचित किया है। इस विनियम के अनुसार बोली के माध्यम से भिन्न किसी अन्य तरीके से प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के संबंध में टेरिफ निर्धारित किया जाता है जो मुख्य रूप से डीसीएफ पद्धति को लागू करते हुए और कुछ अन्य मापदंडों से नियोजित पूंजी पर 12% का कर पश्चात् प्रतिलाभ है।



3.5.2 जारी टैरिफ आदेश

दिनांक 1.4.2023 से जारी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के लिए टैरिफ आदेश नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	आदेश की तारीख	वर्श 2023–24 के दौरान परिवहन की गई मात्रा	घोषित टैरिफ	पिछला टैरिफ
			(एमएमएस सीएमडी)	(₹ / एमएम बीटीयू)	
1.	अगरतला क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (विधि आदेश)	31-05-2023	0.92	2.06	1.02
2.	निम्न दबाव गुजरात गैस ग्रिड (एलपी गैस ग्रिड)	23-06-2023	6.41	4.07	4.08
3.	के जी बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	27-12-2023	4.72	8.40	16.14

पीएनजीआरबी निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए टैरिफ की समीक्षा कर रही है:–

(क) आईजीजीएल की उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड

(ख) गेल की एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

(ग) गेल की के.जी. बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क

(घ) पीआईएल की पूर्व पश्चिम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईडब्ल्यूपीएल)

(ड.) एजीसीएल का असम गैस पाइपलाइन नेटवर्क

(च) गेल का गुजरात क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क (बड़ौदा उप–नेटवर्क को छोड़कर)

(छ) गेल की कोच्चि–कुट्टनाड–बैंगलोर–मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

3.5.3 एकीकृत टैरिफ:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नवंबर 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए। इन संशोधनों का मुख्य आकर्षण एकीकृत टैरिफ अवधारणा की शुरूआत है।

उद्देश्य: एकीकृत टैरिफ का उद्देश्य कैस्केडिंग टैरिफ व्यवस्था को खत्म करना है, जिससे ग्राहकों को परस्पर संबद्ध पाइपलाइन नेटवर्क में किसी भी टर्मिनल या स्रोत से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह सुधार उपभोक्ताओं, विशेष रूप से दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वालों को लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने और प्राकृतिक गैस को प्रतिस्पर्धी कीमत पर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

मुख्य लाभ:

क. कैस्केडिंग टैरिफ को खत्म करता है, संचयी शुल्क को कम करता है।

ख. प्राकृतिक गैस की सोर्सिंग में ग्राहक लचीलापन बढ़ाता है।

ग. आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

घ. प्राकृतिक गैस ग्रिड के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है।



नवंबर 2022 के दौरान, एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किए गए:

क. एकीकृत टैरिफ के लिए जोन की संख्या दो (2) जोन से बढ़कर तीन (3) जोन हो गई है।

ख. एकीकृत टैरिफ के पहले टैरिफ जोन के लिए टैरिफ दूसरे टैरिफ जोन के लिए 52.5% तय किया गया है और दूसरे टैरिफ जोन के लिए टैरिफ तीसरे टैरिफ जोन के टैरिफ का 75% होगा।

ग. निपटान तंत्र को विनियमों का हिस्सा बनाया गया है।

घ. नई परस्पर संबद्ध पाइपलाइनों के चालू होने से एकीकृत टैरिफ के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार होता रहेगा।

इसके बाद 01.04.2023 से एकीकृत टैरिफ लागू किया गया। इस संबंध में पीएनजीआरबी ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली का हिस्सा बनने वाली सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के संबंध में 01.04.2023 से एकीकृत टैरिफ अधिसूचित किया। राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली में वर्तमान में 9 कंपनियों की 20 परस्पर जुड़ी पाइपलाइनें हैं। कुल चालू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में से लगभग 90% प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एनजीजीएस का हिस्सा हैं।

नियमों के आधार पर पीएनजीआरबी ने 01.04.2023 से एकीकृत टैरिफ अधिसूचित किया है। 01.04.2023 को रु. 73.93/एमएमबीटीयू की दर से एकीकृत टैरिफ के लिए तीन टैरिफ जोन बनाए गए, जहां पहला जोन गैस स्रोत से 300 कि.मी. की दूरी तक है (रु. 39.45/एमएमबीटीयू), दूसरा जोन 300 – 1200 कि.मी. (रु. 74.97/एमएमबीटीयू) और तीसरा जोन 1200 कि.मी. से आगे (रु. 99.90/एमएमबीटीयू) है।

टिप्पणी: राष्ट्रीय गैस ग्रिड में सभी परस्पर जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क शामिल हैं, जिनका स्वामित्व और संचालन कंपनियों द्वारा किया जाता है जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1), गेल (इंडिया) लिमिटेड {10 (एकीकृत नेटवर्क प्लस केजी बेसिन)}, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (1), गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (2), गुजरात गैस लिमिटेड (1), रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (1), जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (2) और जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (1)। नई परस्पर जुड़ी पाइपलाइनों के चालू होने के साथ, एकीकृत टैरिफ के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार होता रहेगा।

एकीकृत टैरिफ और उसका क्षेत्रीय विभाजन **(₹/एमएमबीटीयू)**

क्र. सं.	विवरण	आदेश की तिथि	घोषित टैरिफ	पिछला टैरिफ
1.	एकीकृत टैरिफ (यूएफटी) और उसका क्षेत्रीय विभाजन 01.07.2023 से 31.03.2024 तक	28-06-2023	समतलीकृतः 81.13	समतलीकृतः 73.93
			जोन 1–40.00	जोन 1–39.45
			जोन 2–79.00	जोन 2–74.97
			जोन 3–114.52	जोन 3–99.90
2.	एकीकृत टैरिफ (यूएफटी) और उसका क्षेत्रीय विभाजन 01.04.2024 से 31.05.2024 तक	28-03-2024	टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं; टैरिफ पथों में परिवर्तन	

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक मात्रा प्रवाह जिस पर एकीकृत टैरिफ लागू था, 141.55 एमएमएससीएमडी (9500/केकैल पर) है।



3.6 क्षमता मूल्यांकन

बोर्ड ने 7 जून, 2010 को पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है। ये विनियम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एमएमएससीएमडी में पाइपलाइन क्षमता की घोषणा की प्रक्रियाओं, स्थिर और परिवर्तनीय दोनों मापदंडों और रुझान को कवर करते हैं। इस प्रकार निर्धारित क्षमता को विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेब–होस्ट किया जाता है, जिसमें प्रासंगिक विनियमों के तहत गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध क्षमता तक पहुँच प्रदान करना और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए टैरिफ का निर्धारण करना शामिल है।

पीएनजीआरबी ने 05 अप्रैल 2022 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत क्षमता मूल्यांकन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इस समझौता–ज्ञापन के तहत, बोर्ड ने ईआईएल को पांच प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों अर्थात् गेल की छांयसा–झज्जर–हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल), केजी बेसिन एनजीपीएल (केजीबीएनजीएल) नेटवर्क, दक्षिण गुजरात प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और कावेरी बेसिन नरीमनम–कुथलम (एनकेएम) उप–नेटवर्क और जीएसपीएल की गुजरात एचपी गैस ग्रिड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गेल एकीकृत नेटवर्क की क्षमता मूल्यांकन का काम सौंपा है।

3.7 प्रगति समीक्षा बैठकें और सुनवाई:

प्राधिकार प्रदान करने के बाद, पीएनजीआरबी बोर्ड प्राधिकृत की गई पाइपलाइनों की परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए निरंतर उनकी निगरानी करता है। इस प्रयोजन के लिए 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान प्राधिकृत कंपनियों के साथ **अनुलग्नक 'झ'** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रगति समीक्षा बैठकें/सुनवाई आयोजित की गई थीं।

3.8 प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की समापन अनुसूची का विस्तार:

पीएनजीआरबी ने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को पूरा करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन समय–सीमा को बढ़ाया है:

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	समापन की अनुसूचित तारीख	तक विस्तार
1	कोच्चि–कुट्टनाड–मैंगलोर–बैंगलोर	गेल इंडिया लिमिटेड	30.09.2022	30.11.2024
2	मेहसाणा – भटिंडा	गेल इंडिया लिमिटेड	30.06.2021	30.06.2023
3	मुंबई – नागपुर – झारसुगुड़ा (एमएनजेपीएल)	गेल इंडिया लिमिटेड	14.05.2023	मुंबई नागपुर खंड – 31.12.2023 एमएनजेपीएल परियोजना – 31.10.2024
4	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा, बरौनी–गुवाहाटी और धामरा–हल्दिया (एकीकृत जेएचबीडीपीएल)	गेल इंडिया लिमिटेड	30.06.2023	31.12.2023
5	मेहसाणा – भटिंडा	गेल इंडिया लिमिटेड	30.06.2023	30.09.2023



क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	समापन की अनुसूचित तारीख	तक विस्तार
6	नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	16.11.2023	31.03.2025
7	एन्नोर–तूतीकोरिन (ईटीपीएल)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संपूर्ण ईटीपीएल – 30.06.2022 आसनूर से कराईकल: 30.11.2023 त्रिची से नागपट्टिनम: 31.08.2023	संपूर्ण ईटीपीएल – 30.09.2023 आसनूर से कराईकल: 31.03.2024 त्रिची से नागपट्टिनम: 31.03.2024
8	श्रीकाकुलम–अंगुल	गेल इंडिया लिमिटेड	31.07.2022	31.12.2023
9	कनाई–छटा पानीतर	हुगली पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	31.05.2023	31.12.2023
10	कनाई–छटा पानीतार	हुगली पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	31.12.2023	31.03.2024
11	एमएनजेपीएल परियोजना का मुंबई–नागपुर खंड	गेल इंडिया लिमिटेड	31.12.2023	30.06.2024
12	श्रीकाकुलम–अंगुल	गेल इंडिया लिमिटेड	31.12.2023	30.06.2024
13	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा, बरौनी–गुवाहाटी और धामरा–हल्दिया (एकीकृत जेएचबीडीपीएल)	गेल इंडिया लिमिटेड	31.12.2023	30.06.2024
14	द्वेचा, जालोर (मेहसाणा भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बाडमेर–पाली खंड पर एसवी–01 स्टेशन) से पंचपदरा राजस्थान में एचआरआरएल रिफाइनरी तक	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	01.09.2022	31.03.2024

3.9 प्राधिकार रद्द करना/समय–पूर्व बंद करना:

आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (एपीजीडीसी) को काकीनाडा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए दिया गया प्राधिकार 1 दिसंबर, 2023 को समाप्त कर दिया गया।

3.10 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का विवरण:

प्रचालन के अधीन और निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का विवरण **अनुलग्नक–ञ** में दिया गया है।

3.11 तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के लिए विनियामक ढांचे की स्थापना:

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11(ख)(ii) द्रवीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण का प्रावधान करती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2012 में 'एलएनजी टर्मिनलों के पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तें' अधिसूचित कीं। बोर्ड ने वर्ष 2013, 2018 और 2022 में मसौदा एलएनजी विनियमों पर सार्वजनिक परामर्श किया है। हालांकि, हितधारकों के साथ खुली चर्चा के दौरान प्रस्तावित एलएनजी विनियमों के बारे में कुछ चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया है। वर्तमान में बोर्ड मसौदा पीएनजीआरबी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण) विनियम, 2024 पर परामर्श का एक और दौर शुरू करने पर विचार कर रहा है।

3.12 भारत का गैस अवसंरचना मानचित्र





भाग 4: पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (पीपीपीएल)

4.1 पंजीकरण और प्राधिकार

4.1.1 प्राधिकार का विनियामक ढांचा

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइप लाइनें बिछाना, निर्माण, प्रचालन और विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 (पीपीपीएल प्राधिकार विनियम) को 1 सितंबर, 2010 को अधिसूचित किया गया है।

पीएनजीआरबी द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों के विकास के लिए प्राधिकार दिया जाता है जो पूर्व में उल्लिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के प्राधिकार के समान है:–

(क) रुचि की अभिव्यक्ति

(ख) स्वतः संज्ञान मार्ग

(ग) विनियम 17 के अधीन

(घ) विनियम 18 के अधीन

4.1.2 वर्ष 2023–24 में दिए गए प्राधिकार:–

वर्ष 2023–24 के दौरान पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के विकास के लिए संबंधित कंपनियों को निम्नलिखित प्राधिकार प्रदान किए हैं:

क्र. सं.	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का नाम	पाइपलाइन का मार्ग	पाइपलाइन का विवरण	प्राधिकार देने की तारीख	अधिकृत कंपनी
पीपीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 5 के तहत अधिकृत					
1.	देवांगोंथी – चित्रदुर्ग पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	आईओसीएल के देवांगोंथी स्टेशन से सीयूएफ चित्रदुर्ग तक	**लंबाई:** 232 कि.मी. **व्यास:** 12.75'' **क्षमता:** 4.58 एमएमटीपीए	27.06.2023	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

4.1.3 निविदा प्रक्रिया के तहत पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन:

वर्ष 2023–24 के दौरान पीएनजीआरबी ने निम्नलिखित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की है:–

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	मार्ग	विवरण (लंबाई, क्षमता)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	मलकापुर टर्मिनल से हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एटीएफ) पाइपलाइन	मलकापुर टर्मिनल से हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	**लंबाई:** 59 कि.मी. **क्षमता:** 0.75 एमएमटीपीए	02.09.2024

"उपर्युक्त बोली को पीएनजीआरबी द्वारा रद्द कर दिया गया है"



4.1.4 मौजूदा पाइपलाइनों को सामान्य वाहक घोषित करने के लिए उठाए गए कदम

पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 20, बोर्ड को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मौजूदा पाइपलाइन को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने का अधिकार देती है। इसके तहत बोर्ड ने पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने या अधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012 तैयार किए हैं।

इस प्रावधान के तहत बोर्ड ने 14.07.2023 को निम्नलिखित पाइपलाइनों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित किया है:

i. बीपीसीएल की मुंबई रिफाइनरी से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

ii. एचपीसीएल की मुंबई रिफाइनरी से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ने एपीटीईएल में बोर्ड के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है। मामला विचाराधीन है।

4.1.5 नई पहल

बोर्ड ने 24.02.2024 को एक अवधारणा–पत्र परिचालित किया है, जिसमें भारत में विभिन्न मौजूदा और आगामी हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पाइपलाइनों के विकास पर विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना, आपूर्ति विश्वसनीयता को बढ़ाना और विमानन ईंधन बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। कई एटीएफ पाइपलाइनें पहले से ही विकास या प्रचालन के अधीन हैं और सरकार इस नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है। हितधारकों से प्राप्त विचार बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए कुशल और टिकाऊ ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन पाइपलाइनों की योजना बनाने में सहायक होगी।

4.2 परिवहन दरों का विनियमन

4.2.1 विनियामक तंत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अनुसार परिवहन के वैकल्पिक मोड अर्थात् रेल में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ बेंचमार्किंग द्वारा पचहत्तर प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे, सिवाय एलपीजी को छोड़कर जहां यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मार्ग के बराबर रेल दूरी के लिए ट्रेन लोड के आधार पर एक–सौ प्रतिशत होगा और विनियम 3 के तहत शामिल किसी कंपनी पर लागू होगा।

4.2.2 पीपीपीएल में परिवहन शुल्क संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू करना

मौजूदा पीपीपीएल टैरिफ विनियम 2010 में एक अस्थायी उपाय के रूप में लागू किए गए थे और तब से लागू हैं। साथ ही, बोली–आधारित पाइपलाइनों के मामले में, बोर्ड को संबंधित पाइपलाइन



के प्रचालन के 10 वर्षों के बाद परिवहन टैरिफ की समीक्षा करने और उसके बाद 5 वर्षों के लिए टैरिफ तय करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में, 13.4.2023 की एलओए के माध्यम से, केपीएमजी को भारत में पीपीपीएल के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन टैरिफ संरचना की सिफारिश करने के लिए परामर्श कार्य सौंपा गया था।

इस अभ्यास के तहत विभिन्न देशों में परिवहन यात्रा से संबंधित सहयोगियों और विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट सिद्धांतों का मूल्यांकन किया गया और भारत की प्रमुख शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पीएमजी की टीम के साथ अमेरिका और कनाडा का अध्ययन किया गया। पीपीपीएल के विकास और आर्थिक स्थिरता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने के लिए प्रमुख हितधारकों जैसे पाइपलाइन मालिकों और चुनिंदा उपभोक्ताओं/शिपर्स के साथ परामर्श किया गया। इसके अलावा, भारत में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की समझ हासिल करने के लिए भारत में बंदरगाह और रिफाइनरियों से निकलने वाली दो पाइपलाइनों का दौरा किया गया, जिसमें संबंधित भंडारण सुविधाएं भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की मूल्य निर्धारण पद्धति को समझने और समग्र लागत मूल्य एवं बिक्री मूल्य पर माल ढुलाई के प्रभाव को समझने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

भारतीय संदर्भ में उपयुक्त पीपीपीएल टैरिफ विनियमन सार्वजनिक परामर्श के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

4.2.3 जारी टैरिफ आदेश

मौजूदा विनियमों के संदर्भ में, पीएनजीआरबी ने 1.4.2023 से निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए हैं:–

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	पाइपलाइन कंपनी	आदेश की तारीख
1	जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	03.07.2023
2	चेन्नई–त्रिची–मदुरै पाइपलाइन, देवंगोंथी–देवनहल्ली एटीएफ पाइपलाइन और पारादीप–रायपुर–रांची पाइपलाइन	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28-12-2023
3	उरण–चाकन–शिकारपुर एलपीजी पाइपलाइन और मुंद्रा–दिल्ली पाइपलाइन	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27-12-2023
4	मैंगलोर–बैंगलोर पाइपलाइन	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	27-12-2023
5	विजाग–सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	27-12-2023
6	जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	27-12-2023



4.3 क्षमता मूल्यांकनः

बोर्ड ने 7 जून, 2010 को पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है। इन विनियमों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की क्षमता को एमएमटीपीए में घोषित करने की प्रक्रियाएं, स्थिर और परिवर्तनीय मापदंड तथा घोषणा की आवृत्ति शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड ने एचपीसीएल की उरण–चाकण–शिक्रापुर एलपीजी पाइपलाइन की क्षमता घोषित की।

4.4 प्रगति समीक्षा बैठकें और सुनवाईः

प्राधिकार प्रदान करने के बाद, पीएनजीआरबी बोर्ड द्वारा अधिकृत पाइपलाइनों को समय पर पूरा करने के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी कर रहा है। इसके लिए नीचे दी गई सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान प्राधिकृत कंपनियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठकें/सुनवाई की गई, जिसका विवरण **अनुलग्नक–'ट'** में दिया गया हैः

4.5 प्राधिकृत पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की समापन अनुसूची का विस्तारः

दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान, पीएनजीआरबी ने निम्नलिखित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को पूरा करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन समय बढ़ाने की अनुमति दी हैः–

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	पूरा होने की निर्धारित तिथि	तक विस्तार
1	कृष्णापट्टनम–हैदराबाद	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.03.2023	31.03.2025
2	कांडला – गोरखपुर	आईएचबी लिमिटेड	31.12.2023	30.06.2024

4.6 प्रचालन/निर्माण के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनेंः

दिनांक 31.03.2024 तक प्रचालन और निर्माणाधीन पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों का विवरण **अनुलग्नक–ठ** में दिया गया है।



भाग 5: गैस व्यापार विनिमय

5.1 विनियामक ढांचा

बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 को पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 42(2) के तहत 1 जुलाई, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में बनाया, जिसमें पीएनजीआरबी को धारा 11(ञ) के अंतर्गत गैस व्यापार विनिमय(यों) की स्थापना और संचालन को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था, जिससे देश में गैस–आधारित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करने के लिए एक मुक्त गैस बाजार विकसित करके उपयुक्त वितरण सुरक्षित करने और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने की उम्मीद है। गैस विनिमय देश में एक कुशल और मजबूत गैस बाजार को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गैस व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापारिक मंच प्रदान करता है। 6 क्षेत्रीय गैस हब बनाने और गैस विनिमय पर अधिकतम मूल्य पर घरेलू गैस की बिक्री को सक्षम करने के लिए 6 मई 2022 को इन विनियमों में संशोधन किया गया था।

दिनांक 8 मार्च 2024 को निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) के योगदान और इसके उपयोग साथ ही अन्य प्रशासनिक संशोधनों के संबंध में नियमों में और संशोधन किया गया। बोर्ड ने विनिमय पर छोटे पैमाने पर एलएनजी (एसएसएलएनजी) के व्यापार को मंजूरी दी और एमओपीएनजी द्वारा 13 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के तहत गैस आवंटन पद्धति और बिक्री मूल्य गैस की ऊपरी सीमा के लिए मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही 'एक्सपोजर और पोस्ट ट्रेड मार्जिन' में समायोजन भी किया गया।

5.2 प्रथम गैस विनिमय की अद्यतन स्थिति

इन विनियमों के तहत, भारतीय गैस एक्सचेंज लिमिटेड (आईजीएक्स) को 2 दिसंबर 2020 को पीएनजीआरबी द्वारा पहले गैस एक्सचेंज के रूप में अधिकृत किया गया है। अपने अस्तित्व की अवधि के दौरान, आईजीएक्स पर व्यापार मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2023–24 में औसत मासिक मात्रा घटकर 34.03 लाख एमएमबीटीयू हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 42.38 लाख एमएमबीटीयू थी, जिसका मुख्य कारण गैस एक्सचेंज में घरेलू सीलिंग प्राइस गैस के व्यापार में कमी है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारित औसत मासिक कीमतें काफी अस्थिर रहेंगी, जो मार्च, 2024 में ₹799/एमएमबीटीयू से लेकर नवंबर, 2023 में ₹1131/एमएमबीटीयू तक होंगी (भारित औसत मूल्य की गणना अधिकतम मूल्य पर कारोबार की गई गैस को छोड़कर की जाती है)।



भाग 6: तकनीकी मानक

6.1 विनियामक ढांचा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 11(i) के अनुसार बोर्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, जिसमें डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइनों और अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण और प्रचालन शामिल है, से संबद्ध क्रियाकलापों में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों का निर्धारण विनियमों द्वारा करेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा ऊपर निर्धारित कार्यों के अनुरूप पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों में सुरक्षा मानकों सहित मौजूदा तकनीकी मानकों और विशिष्टियों में कमियों का पता लगाने और उनकी समीक्षा करने के लिए अगस्त, 2007 में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी।

6.2 सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों का विकास

6.2.1 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश अधिसूचित किए गए हैं:–

i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008

ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के विकास की प्रक्रिया) विनियम, 2009

iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009

iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016

v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2018

vi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड {तकनीकी मानक और विनिर्देश (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण) के लिए सुरक्षा मानकों सहित} विनियम, 2018

vii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (एलपीजी भंडारण, हैंडलिंग और बॉटलिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2019

viii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2020

ix) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2023



6.2.2 तकनीकी मानकों और विशिष्टियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

विनियमन/मानकों के निर्माण, मानकों की एकरूपता, कोड और सभी कंपनियों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों, डाउनस्ट्रीम प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड ने इन तकनीकी समितियों में न केवल इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को बल्कि संबंधित सरकारी एजेंसियों, उद्योग निकायों, तकनीकी संस्थानों आदि को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। तकनीकी समितियां विषय वस्तु पर प्रचलित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों, उद्योग पद्धतियों, तकनीकी उन्नति आदि का अध्ययन करती हैं और सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया पर पीएनजीआरबी विनियमों में विस्तृत प्रावधानों के अनुसार मसौदा मानक तैयार करती हैं। संबंधित तकनीकी समितियों/उप–समूहों द्वारा अंतिम रूप दिए गए मसौदा विनियमों पर बोर्ड के भीतर विचार–विमर्श किया जाता है। संशोधन, यदि कोई हो, और बोर्ड द्वारा मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद, मसौदा विनियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए पीएनजीआरबी की वेबसाइट पर वेबहोस्ट किया जाता है। जनता के साथ–साथ हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, पीएनजीआरबी विभिन्न टिप्पणियों और सुझावों पर विचार–विमर्श के लिए ओपन हाउस चर्चा आयोजित करता है।

6.3 सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों में संशोधन

6.3.1 नवीनतम तकनीकी विकास, उद्योग के अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर सुरक्षा मानक विनियमों सहित अधिसूचित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों में संशोधन किया जाता है। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव या बोर्ड द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए संशोधन प्रस्तावों की तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। संशोधन प्रक्रिया नए विनियमों के विकास की तरह है और सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया पर पीएनजीआरबी विनियमन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। संशोधन/समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है, सुरक्षा से समझौता किए बिना क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजीडी विनियमों में बड़े संशोधन किए जा रहे हैं।

6.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना

6.4.1 आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन करने, संपत्ति, मशीनरी, जनता, पर्यावरण आदि को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पीएनजीआरबी (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए आचार संहिता) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया गया है। ये विनियम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम गतिविधियों जैसे कि रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, रखरखाव, परिवहन, वितरण, पेट्रोलियम का वितरण आदि पर लागू होते हैं।



6.4.2 ईआरडीएमपी विनियम, 2010 की अनुसूची–I के अनुसार, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों को अपनी सुविधाओं के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षक एजेंसी (टीपीआईए) द्वारा प्रमाणित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) दस्तावेज तैयार करने और प्रस्तुत करने होते हैं।

6.5 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

निम्नलिखित आईएमएस विनियम अधिसूचित किए गए हैं:–

i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए अखंडता प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2012

ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अखंडता प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013

iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए अखंडता प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2021

आईएमएस विनियम नगर गैस वितरण नेटवर्क, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक प्रभावी और कुशल अखंडता प्रबंधन योजना विकसित करने और कार्यान्वयन के लिए बुनियादी विशेषताओं और आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।

6.6 तृतीय पक्ष अनुरूपता मूल्यांकन विनियम

बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (तृतीय पक्ष अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है, जो विभिन्न विनियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यह मूल्यांकन अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से या बोर्ड द्वारा स्वयं किया जा सकता है। इसमें तृतीय पक्ष एजेंसी को अनुमोदित एजेंसी के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया भी शामिल है।

6.7 पीएनजीआरबी विनियमों का अनुपालन

6.7.1 सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टताओं के अनुपालन की निगरानी पीएनजीआरबी (तृतीय पक्ष अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2015 के अनुरूप उनकी तकनीकी क्षमता आदि के मूल्यांकन के माध्यम से पैनल में शामिल तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा या सीधे बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। ये विनियम अन्य बातों के साथ–साथ टीपीआईए के लिए एक मान्यता–प्राप्त निकाय द्वारा मान्यता की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), आईएसओ/आईईसी 17020 या किसी अन्य उपयुक्त मानक और/या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रणाली के अनुसार यह सुनिश्चित करते हैं कि उपर्युक्त पीएनजीआरबी नियमों



के अनुपालन हेतु उनकी क्षमता, अखंडता, निष्पक्षता आदि का निरीक्षण किया जाएगा। स्वतंत्र सूचीबद्ध टीपीआईए द्वारा निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप किया जाता है जहाँ विनियामक मानक निर्धारित करते हैं और स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के माध्यम से कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुख्य उतरदायित्व स्वयं कंपनी का ही होता है।

पीएनजीआरबी ने तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन पर अपने विनियमों का समर्थन करने के लिए मान्यता सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएनजीआरबी और विशेष रूप से क्यूसीआई के बीच सहयोग के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, बोर्ड द्वारा पैनल में रखी गई तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को आईएसओ 17020 के अनुसार मान्यता दी जाएगी। वैकल्पिक रूप से, अपने कार्मिकों की क्षमता और विनियमों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के अंदर प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा। पीएनजीआरबी के अधिकारियों को तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण/प्रमाणन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के बोर्ड में नामित किया गया है।

6.7.2 पैनल में शामिल तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की संख्या

पैनल में शामिल तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की संख्या				
क्षेत्र	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पैनलबद्ध	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान पैनलबद्धता	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक के दौरान समाप्त पैनलबद्धता	दिनांक 31 मार्च, 2024 को पैनलबद्धता
टी4एस				
नगर गैस वितरण	20	15	11	24
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	16	14	11	19
पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	12	10	8	14
एलएनजी सुविधाएं	7	7	5	9
एलपीजी भंडारण, रखरखाव और बॉटलिंग सुविधाएं	8	10	5	13
पेट्रोलियम स्थापनाएं	7	8	6	9
रिफाइनरी	0	1	0	1



पैनल में शामिल तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की संख्या				
क्षेत्र	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पैनलबद्ध	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान पैनलबद्धता	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक के दौरान समाप्त पैनलबद्धता	दिनांक 31 मार्च, 2024 को पैनलबद्धता
आईएमएस				
नगर गैस वितरण	8	10	4	14
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	8	9	4	13
पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	2	8	2	8
ईआरडीएमपी				
ईआरडीएमपी	14	9	6	17

31 मार्च 2024 तक पैनल में शामिल तृतीय पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों की कुल संख्याः 29 (कई क्षेत्रों के लिए पैनल में शामिल टीपीआईए सहित)

6.7.3 कंपनियों को विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपशमन योजना के साथ पैनल में शामिल तृतीय–पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इन विनियमों के अनुपालन और तकनीकी लेखापरीक्षा में देखी गई गैर–अनुरूपताओं की निगरानी पीएनजीआरबी द्वारा की जाती है और समयबद्ध तरीके से विभिन्न सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। नीचे दी गई तालिका 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा/निरीक्षण/प्रमाणन की संख्या दर्शाती है:

क्र .सं.	क्षेत्र	मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक			कुल
			टी4एस	आईएम एस	उप–योग	Total
1	नगर गैस वितरण नेटवर्क	419	39	52	91	510
2	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	202	20	17	37	239
3	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	115	13	20	33	148
4	एलपीजी भंडारण, रखरखाव और बष्टलिंग सुविधाएं	256	6		6	262
5	एलएनजी सुविधाएं	5	1		1	6
6	पेट्रोलियम स्थापनाएं	155	140		140	295
7	रिटेल आउटलेट्स	0				
8	रिफाइनरी	0				
कुल		**1152**	**219**	**89**	**308**	**1460**
9	ईआरडीएमपी	2180			356	2536
कुल योग		**3332**	**219**	**89**	**664**	**3996**



6.7.4 इसके अतिरिक्त, पीएनजीआरबी द्वारा गठित बहु–अनुशासनात्मक टीमों में उद्योग के सदस्य, विशेषज्ञों के पैनल शामिल हैं और पीएनजीआरबी ने निम्नलिखित निरीक्षण किए हैं।

क्र. सं.	क्षेत्र	सितंबर, 2015 से मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक	कुल
1	नगर गैस वितरण नेटवर्क	7	2	9
2	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	3	-	3
3	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	8	-	8
4	तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाएं	4	-	4
5	पेट्रोलियम स्थापनाएं	1	-	1
6	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	4	-	4

6.7.5 नगर गैस वितरण नेटवर्क, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और अन्य स्थापनाओं में होने वाली घटनाओं का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करते हुए विवरण, अवलोकन, मूल कारण और सीखे गए सबक को रिकॉर्ड किया जाता है और इसे वेब पर होस्ट किया जाता है ताकि उद्योग सुधारात्मक कदम उठाकर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकें। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रमुख घटनाओं की जांच के लिए, उद्योग और पीएनजीआरबी के विशेषज्ञों की जांच समितियां गठित की जाती हैं, जो कमियों, विफलता के कारणों और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों की पहचान करती हैं।

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान सूचित घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:–

अवधि	बाल–बाल बचने वाली घटनाएं	मामूली	बड़ी	मृत्यु	चोटें
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024	308207	20591	55	34	36

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान प्रमुख दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों का क्षेत्र–वार विवरण:

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रमुख दुर्घटना	मौतें	चोटें
1	नगर गैस वितरण नेटवर्क	21	5	7
2	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	3	1	1
3	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	0	0	0
4	तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाएं	0	0	0
5	रिटेल आउटलेट्स	14	14	13
6	एलपीजी भंडारण, रखरखाव और बॉटलिंग सुविधाएं	4	3	1
7	रिफाइनरी	9	9	14
8	पेट्रोलियम प्रतिष्ठान	4	2	0
	कुल	**55**	**34**	**36**



टिप्पणीः इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 139 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 75 मौतें हुईं और 63 लोग घायल हुए।

वर्ष के दौरान बोर्ड ने कमियों की पहचान करने, विफलता का कारण स्थापित करने और निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जांच समितियों का गठन किया:

i. 28.05.2023 को एचपीसीएल रिटेल आउटलेट, रायचोटी, अन्नामय्या जिला, आंध्र प्रदेश में एक घातक घटना।

ii. 29.05.2023 को गोलाघाट असम स्थित एनआरएल रिफाइनरी में आग की घटना।

iii. 07.08.2023 को नयारा रिफाइनरी में घटना।

iv. 07.12.2023 को आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी में घटना।

v. 09.03.2024 को थिंक गैस के भोपाल और राजगढ़ जिला भौगोलिक क्षेत्र में घटना।

vi. 30.03.2024 को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के दिल्ली भौगोलिक क्षेत्र के बुराड़ी क्षेत्र में आग की घटना।

उपर्युक्त समितियों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुपालन के लिए संबंधित संगठनों को भेज दी गई हैं। कंपनियों से प्राप्त अनुपालन स्थिति की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, इन रिपोर्टों के निष्कर्षों को संबंधित उद्योग सदस्यों के साथ साझा किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके स्तर पर लागू सिफारिशों का अनुपालन किया जा सकें।

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 की पहली छमाही में हुई बड़ी घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगने और किसी भी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा/अखंडता प्रणाली को मज़बूत करने के लिए संबंधित कंपनियों द्वारा उठाए गए उपायों को जानने के लिए विभिन्न कंपनियों के निदेशकों के साथ कई बैठकें की हैं। बोर्ड ने कंपनियों को ऐसी घटनाओं में शामिल ठेका श्रमिकों की किसी भी मृत्यु/चोट के लिए व्यापक मुआवजा कार्यक्रम बनाने का भी निर्देश दिया है।

6.8 क्षमता निर्माण

भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। इसमें विनियामक आदेशों को प्रभावी ढंग से पूरा करने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता विकसित करना शामिल है।

जागरूकता पैदा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएनजीआरबी अधिकारियों ने वर्ष के दौरान तेल और गैस उद्योग हितधारकों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से कुछ कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं:–



i) एचएमईएल द्वारा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के सहयोग से बठिंडा में "जटिलताओं, व्यापकता, वैश्वीकरण के युग में सुरक्षा" विषय पर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया।

ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आयोजित सत्र, हरित हाइड्रोजन मिशन पर विभिन्न मानकों पर केंद्रित था।

iii) पाइप टेक 2023, नई दिल्ली, सम्मेलन में प्रौद्योगिकी उन्नयन, तैयारी, ऑन–साइट और ऑफ–साइट आपातकालीन योजना का उपयोग करके उपशमन योजना, पाइपलाइनों और अन्य तरीकों के माध्यम से खतरनाक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन आदि पर जानकारी का आदान–प्रदान किया गया। पाइपलाइन अवसंरचना के संदर्भ में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित पैनल चर्चा में पीएनजीआरबी तकनीकी टीम शामिल थी।

पीएनजीआरबी तकनीकी प्रभाग का प्रयास राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, स्थानीय निकायों, समुदाय के अलावा उद्योगों और विभिन्न संगठनों को प्रासंगिक पीएनजीआरबी विनियमों के तहत तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाना है ताकि तेल और गैस प्रतिष्ठानों में उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखी जा सकें और साथ ही आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकें।

नगर गैस वितरण नेटवर्क, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों, एलएनजी सुविधाओं, एलपीजी भंडारण, संचालन और बॉटलिंग सुविधाओं के सामंजस्य मूल्यांकन के लिए टीपीआईए की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी के तकनीकी मानकों और विशिष्टियों, जिसमें सुरक्षा मानक और ईआरडीएमपी दस्तावेजों का प्रमाणन शामिल है, के अनुसार क्षमता निर्माण वेबिनार का आयोजन किया गया। इन वेबिनार में टी4एस/आईएमएस विनियमों और ईआरडीएमपी विनियमों के लिए पैनल में शामिल मान्यता–प्राप्त टीपीआईए को प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को संभालने वाली सुविधाओं/स्थापनाओं में उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखना था।

उद्योग जगत के पेशेवरों के बीच हाल की घटनाओं, उनसे मिलने वाले सबक, चुनौतियों, विकास और नई तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पीएनजीआरबी ने डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर ज्ञान का आदान–प्रदान करने के लिए कई वेबिनार आयोजित किए।

6.9 हाइड्रोजन

स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, बोर्ड ने निम्नलिखित कंपनियों को सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन मिश्रण पर प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अनुमति दी है:–

क) एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत, गुजरात में गुजरात गैस लिमिटेड।

ख) इंदौर, मध्य प्रदेश में आवंतिका गैस लिमिटेड।

ग) जोरहाट, असम में असम गैस कंपनी।

घ) अहमदाबाद, गुजरात में अदानी टोटल गैस लिमिटेड।

बोर्ड ने विश्व बैंक के साथ मिलकर एक विस्तृत अध्ययन किया है ताकि ''प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन के परिवहन के लिए मार्ग'' विकसित किए जा सकें। इसमें हाइड्रोजन मूल्य श्रंखला के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक उपायों की पहचान, हाइड्रोजन परिवहन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे की व्यवहार्यता, विभिन्न मिश्रण स्तरों पर अध्ययन और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों/नीतियों की तुलना के साथ भारत के लिए भावी मार्ग निर्धारित करना शामिल है।

इस संबंध में, सभी हितधारकों के साथ अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 7 मार्च 2024 को एक विशाल हितधारक बैठक का आयोजन किया गया था।



"प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन के परिवहन के लिए मार्ग" अध्ययन पर हितधारकों के साथ बातचीत

6.10 सीबीजी

बोर्ड सीबीजी नेटवर्क के लिए सीबीजी मिश्रण को सुविधाजनक बनाने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे रहा है।

बोर्ड ने 06.10.2023 को कम्प्रेस्ड बायो–गैस निर्माण तकनीकों और उनकी चुनौतियों पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया, जिसमें सीजीडी कंपनियों और सीबीजी उत्पादकों ने भाग लिया।



6.11 नई पहल

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11(i) के अनुसार बोर्ड के कार्यों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों को विनियमों द्वारा निर्धारित करना शामिल है, जिसमें डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण और संचालन शामिल है। इस अधिदेश को लागू करने और देश में तेल और गैस क्षेत्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए विभिन्न विनियमन का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने 24 नवंबर, 2023 को देश के पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में वर्तमान तकनीकी/सुरक्षा ढांचे की समीक्षा के लिए श्री एम.बी. लाल, पूर्व सीएमडी–एचपीसीएल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

संदर्भ की शर्तों के अनुसार उक्त समिति को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत देश के डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में परिसंपत्तियों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पीएनजीआरबी की विनियामक व्यवस्था, तौर–तरीकों और डोमेन की जांच करने, प्रणाली और प्रक्रियाओं के संबंध में तकनीकी और सुरक्षा ढांचे की समीक्षा करने और पीएनजीआरबी के टी4एस विनियमों में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण मापदंडों से संबंधित विनियामक प्रावधानों को शामिल करने की संभावना तलाशने की आवश्यकता है। साथ ही पीएनजीआरबी के डोमेन में पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को शामिल करने की सिफारिश करने की संभावना भी तलाशी जानी है।



भाग 7: विवाद समाधान

7.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 की धारा 12 द्वारा बोर्ड को उसकी सीमा में आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद पर अधिनिर्णय लेने और निपटाने तथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उन पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। इसकी प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय–ट में निर्धारित की गई है। इन उपबंधों के अधीन किसी याचिका या शिकायत को प्राप्त करने, कार्रवाई करने तथा निर्णय लेने की विस्तृत प्रक्रिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (व्यवसाय संचालन, शिकायत प्राप्ति और जाँच) विनियम, 2007 में दी गई है।

7.2 यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 12(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यदि पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत हो जाते हैं तो बोर्ड किसी विवाद या मामले पर निर्णय नहीं दे सकता है और उसका निपटान नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिनियम की धारा 25(1) बोर्ड को किसी उपभोक्ता की किसी ऐसी शिकायत को दायर करने से भी रोकती है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के समक्ष रखी जाने योग्य है।

7.3 आज की तारीख तक बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित मामले लंबित हैं:–

बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की सूची (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)

क्र. सं.	मामला संख्या	मामला विवरण	निर्णय की तारीख
1	**विधि / 25 / 2021**	सदरमल बागरिया इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (यूनिट रत्ना टी फैक्ट्री) बनाम असम गैस कंपनी एवं अन्य	**19.04.2023**
2	**विधि / 17 / 2020**	डिब्रूगढ़ टी गैस ग्रिड एवं अन्य बनाम असम गैस कंपनी	**19.04.2023**
3	**समीक्षा याचिका 06 / 2023**	मैसर्स एजीपी सीजीडी इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य	**20.04.2023**
4	**समीक्षा याचिका सं. 05 / 2023**	मैसर्स टोरेंट गैस जयपुर प्रा. लिमिटेड	**25.05.2023**
5	**समीक्षा याचिका सं. 19 / 2022**	गेल (इंडिया) लिमिटेड	**30.05.2023**
6	**विधि / 25 / 2022**	हरियाणा सिटी गैस वितरण (भिवाड़ी) लिमिटेड बनाम टोरेंट गैस जयपुर प्रा. लिमिटेड	**23.06.2023**
7	**विधि / 41 / 2021**	गुजरात गैस लिमिटेड बनाम चारोतर गैस सहकारी मंडली लिमिटेड	**14.07.2023**
8	**विधि / 7 / 2019**	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड बनाम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड	**07.08.2023**



बोर्ड के समक्ष मामलों की सूची (31.03.2024 तक लंबित)

क्र. सं.	मामला संख्या	मामले का विवरण	स्थिति
1)	विधि / 31 / 2013	जीएमआर वेमागिरी पावर जनरेशन लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन*
2)	विधि / 32 / 2013	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन*
3)	विधि / 33 / 2013	लैंको कोंडापाली पावर लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन*
4)	विधि / 34 / 2013	कोनसीमा गैस लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन*
5)	विधि / 36 / 2013	जीवीके गौतमी पावर लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन*
6)	विधि / 42 / 2013	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बनाम गेल	न्यायाधीन*
7)	विधि / 43 / 2013	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गेल	न्यायाधीन*
8)	विधि / 60 / 2013	अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व, सीएलपी इंडिया लिमिटेड) बनाम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	न्यायाधीन*
9)	विधि / 53 / 2013	एस्सार पावर लिमिटेड बनाम जीएसपीएल	न्यायाधीन*
10)	विधि / 37 / 2013	जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गेल	न्यायाधीन*
11)	विधि / 245 / 2018	गुजरात गैस लिमिटेड बनाम अडानी गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
12)	विधि / 11 / 2019	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड (अपील सं. 290 / 2016 में एपीटीईएल से रिमांड किया गया)	न्यायाधीन
13)	विधि / 09 / 2019	साबरमती गैस लिमिटेड बनाम गेल	न्यायाधीन
14)	विधि / 10 / 2019	साबरमती गैस लिमिटेड बनाम गेल	न्यायाधीन
15)	विधि / 22 / 2021	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	न्यायाधीन
16)	विधि / 40 / 2021	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	न्यायाधीन
17)	विधि / 16 / 2022	चारोतार गैस सहकारी मंडली लिमिटेड बनाम गुजरात गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
18)	विधि / 22 / 2022	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बनाम हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	न्यायाधीन
19)	विधि / 23 / 2022	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बनाम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और अन्य	न्यायाधीन
20)	विधि / 28 / 2022	अडानी टोटल गैस लिमिटेड बनाम गुजरात गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
21)	विधि / 29 / 2022	अडानी टोटल गैस लिमिटेड बनाम गुजरात गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
22)	विधि / 30 / 2022	अडानी टोटल गैस लिमिटेड बनाम गुजरात गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
23)	विधि / 31 / 2022	अडानी टोटल गैस लिमिटेड बनाम गुजरात गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
24)	विधि / 03 / 2023 (पुराना संदर्भ: विधि / 27 / 2022)	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य	न्यायाधीन
26)	विधि / 13 / 2023	सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड बनाम एचपीसीएल	न्यायाधीन
27)	विधि / 02 / 2023	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बनाम हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एवं अन्य	न्यायाधीन
28)	विधि / 03 / 2023 (पुराना संदर्भ: विधि / 26 / 2022)	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य	न्यायाधीन
29)	विधि / 04 / 2023 (पुराना संदर्भ: विधि / 27 / 2022)	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड बनाम जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य	न्यायाधीन



क्र. सं.	मामला संख्या	मामले का विवरण	स्थिति
30)	विधि / 07 / 2023	गेल (इंडिया) लिमिटेड	न्यायाधीन
31)	विधि / 08 / 2023	नॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	न्यायाधीन
32)	समीक्षा याचिका / 09 / 2023	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	न्यायाधीन
33)	विधि / 10 / 2023	साबरमती गैस लिमिटेड बनाम एक्सारो टाइल्स लिमिटेड एवं अन्य	न्यायाधीन
34)	विधि / 11 / 2023	जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लेड कंसोर्टियम बनाम थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड	न्यायाधीन
35)	निष्पादन याचिका सं. 01 / 2023 (पुराना संदर्भः विधि / 13 / 2022)	सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	न्यायाधीन
36)	निष्पादन याचिका सं. 02 / 2023	जी.एच. गेडिया बनाम मैसर्स साबरमती गैस लिमिटेड	न्यायाधीन
37)	विधि / 12 / 2023 निष्पादन याचिका 03 / 2023	भाग्यनगर गैस लिमिटेड बनाम मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	न्यायाधीन
38)	विधि / 13 / 2023	घनश्याम शर्मा बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
39)	विधि / 14 / 2023	गेल (इंडिया) लिमिटेड बनाम जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल) एवं अन्य	सूचीबद्ध किया जाना है
40)	विधि / 15 / 2023	आईएमसी लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
41)	विधि / 01 / 2024	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
42)	विधि / 02 / 2024	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सुश्री गेल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य	सूचीबद्ध किया जाना है
43)	विधि / 03 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम गेल एवं न्यूट्रल गैस लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
44)	विधि / 04 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम विर्गो लेमिनेट्स लिमिटेड शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
45)	विधि / 05 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम गेल एवं भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
46)	विधि / 06 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम सेंचुरी एनका लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
47)	विधि / 07 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम कॉम्फिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
48)	विधि / 08 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड, प्रगति ग्लास एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
49)	विधि / 09 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड, बैंको गैसकेट लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है
50)	विधि / 10 / 2024	मैसर्स गुजरात गैस लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड, सीजोन ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड	सूचीबद्ध किया जाना है

**मॉडल गैस ट्रांसमिशन समझौता दिशानिर्देश, 2012 के उल्लंघन के संबंध में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड या गेल (इंडिया) लिमिटेड के ग्राहकों द्वारा 10 संबंधित मामले दायर किए गए थे। विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 31434 / 2014, जिसका शीर्षक टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं अन्य है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2014 के आदेश के कारण तत्काल मामले बोर्ड के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हैं; जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि पीएनजीआरबी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।*

उपर्युक्त लंबित मामलों का निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि सदस्य (विधि) का पद 27.09.2023 से रिक्त था।



भाग 8: संगठनात्मक मामले

8.1 बोर्ड:

8.1.1. पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार, बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य (विधि) और तीन अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड के सदस्यों के नाम और कार्यकाल (31.03.2024 तक) नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	पदनाम	नाम	कार्यकाल की अवधि
1	अध्यक्ष	श्री अनिल कुमार जैन	15 अक्तूबर, 2027 तक
2	सदस्य	श्री गजेंद्र सिंह	14 जून, 2025 तक
3	सदस्य	श्री अंजनी कुमार तिवारी	1 नवंबर, 2026 तक
4	सदस्य (विधि)	श्री अजीत कुमार पाण्डे	26.09.2023 को निधन

8.1.2 बोर्ड के सचिव का नाम और कार्यकाल नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पदनाम	नाम	कार्यकाल की अवधि
1.	सचिव	श्रीमती वंदना शर्मा	30 सितंबर, 2024

8.1.3 बोर्ड की बैठकें:

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक नौ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	बोर्ड की बैठक सं.	दिनांक
1	124वीं	25.04.2023
2	125वीं	22.06.2023
3	126वीं (आपातकाल)	27.06.2023
4	127वीं	17.08.2023
5	128वीं	05.10.2023
6	129वीं	21.11.2023
7	130वीं	27.12.2023
8	131वीं	20.02.2024
9	132वीं (आपातकाल)	27.03.2024

8.2 मानव संसाधन:

8.2.1 पीएनजीआरबी की स्वीकृत जनशक्ति अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के पदों को छोड़कर संख्या 44 है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा अनुमोदित स्वीकृत पद नीचे दिए गए हैं:



क्र.सं.	स्वीकृत पदों का विवरण	स्वीकृत जनशक्ति
1	सलाहकार	4
2	संयुक्त सलाहकार	4
3	उप निदेशक	4
4	सहायक निदेशक	2
5	पीपीएस	1
6	लेखाकार	1
7	रोकड़िया	1
8	बेंच अधिकारी	1
9	निजी सचिव	9
10	निजी सहायक	6
11	सहायक–सह–डाटा एंट्री ऑपरेटर	6
12	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	5
	कुल	**44**

8.2.2 पीएनजीआरबी (वेतन, भत्ते और अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 को 1 अक्तूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, केंद्र सरकार से पीएनजीआरबी में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति पर तथा वैकल्पिक रूप से अल्पकालिक संविदा के आधार पर शुरू की गई थी। निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्त किया गया है:–

क्र. सं.	स्वीकृत पदों का विवरण	केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी/कर्मचारी
1	संयुक्त सलाहकार	2
2	उप निदेशक	3
3	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	1
	कुल	**6**

निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है:

क्र .सं.	स्वीकृत पदों का विवरण	केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी/कर्मचारी
1	उप निदेशक	2
2	सहायक निदेशक	2
3	पीपीएस	1
4	बेंच अधिकारी	1
5	लेखाकार	1
6	निजी सहायक	3
7	सहायक–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर	6
8	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	1
	कुल	**17**



8.2.3 बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रत्येक प्रभाग की कार्य की मात्रा के अनुसार अपेक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी की जाती है। बोर्ड द्वारा ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया और निबंधनों व शर्तों का निर्धारण करने के लिए विनियम बनाए गए हैं। 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा 37 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च, 2024 को परामर्शदाताओं की स्थिति निम्नानुसार है:

प्रभाग	स्तर– I	स्तर– II	स्तर– III	स्तर–IV	स्तर–V	स्तर–VI
विधि	4	1	–	–	–	–
निगरानी	5	–	1	–	–	–
तकनीकी (इंजी.)	3	1	–	–	1	–
प्राधिकार	4	–	–	–	–	–
वाणिज्यिक	2	2	–	2	–	–
प्रशासन	3	5	–	–	–	–
रणनीतिक योजना	–	–	1	–	–	2
कुल	**21**	**9**	**2**	**2**	**1**	**2**

8.2.4 नए प्रभागों की स्थापना

कार्य की प्रकृति के आधार पर बोर्ड में छह प्रभाग थे, अर्थात् प्राधिकार, निगरानी, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और प्रशासन। मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन और प्रभाग जोड़े गए, जो इस प्रकार हैं:

i. उपभोक्ता संरक्षण

ii. रणनीतिक योजना

iii. सांख्यिकी

8.2.5 नए कार्यालय परिसर की खरीद:

वर्तमान में, पीएनजीआरबी बाबर रोड स्थित विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी) की पहली मंजिल पर स्थित है और 2007 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले 17 वर्षों से इसी परिसर में स्थित है। बोर्ड को जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड का कार्यभार कई गुना बढ़ गया है तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए, पीएनजीआरबी ने विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में लगभग 160.97 करोड़ रुपए की लागत से एक कार्यालय परिसर खरीदा है। इसे एनबीसीसी (मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड) से खरीदा गया है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूटीसी का विकास और बिक्री का कार्य सौंपा गया है। इस परिसर का सुपर बिल्ट–अप क्षेत्र 40,139 वर्ग फुट (कार्पेट क्षेत्र 30,045 वर्ग फुट) है और यह फ्रीहोल्ड आधार पर खरीदा गया है। यह कदम पीएनजीआरबी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ किराए के खर्च में भी बड़ी बचत करेगा। नए परिसर में प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स की प्रभावी योजना और निगरानी के लिए एक ''नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोकार्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग'' भी स्थापित किया जा रहा है।



8.2.6 मानव संसाधन विकास

क. अध्ययन दौरे / सम्मेलन / प्रशिक्षण:

i. श्री अंजनी कुमार तिवारी, सदस्य और श्री पंकज भूटानी, संयुक्त सलाहकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के परिवहन शुल्क का अध्ययन करने के लिए 14 से 23 जुलाई, 2023 तक अमेरिका का दौरा किया।

ii. श्री गजेंद्र सिंह, सदस्य, मोहम्मद तनवीर अख्तर, संयुक्त सलाहकार और श्री अंकुर जैन, उप सलाहकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के परिवहन शुल्क का अध्ययन करने के लिए 20 से 28 अगस्त, 2023 तक कनाडा का दौरा किया।

iii. श्री अजीत कुमार पांडे, सदस्य (कानूनी), ने 4 से 9 सितंबर, 2023 तक सिंगापुर में गैसटेक सम्मेलन, 2023 में भाग लिया।

iv. लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार अभिषेक, संयुक्त सलाहकार और श्री गगन अग्रवाल, उप निदेशक ने 01 से 06 अक्तूबर, 2023 तक अबू धाबी में एडीआईपीआईसी सम्मेलन, 2023 में भाग लिया।

v. लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार अभिषेक, संयुक्त सलाहकार और श्री श्रेयस पलसुले, सहायक सलाहकार ने फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) द्वारा आयोजित विनियामक प्रशासन पर चार महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में भाग लिया।

vi. श्री खाजा मोहिदीन, उप निदेशक, ने 11 और 12 अप्रैल, 2023 को वाराणसी, उ.प्र. में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

vii. श्री अंकुर जैन, उप सलाहकार, ने 24 से 28 अप्रैल, 2023 तक हैदराबाद में "निष्पादन उत्कृष्टता और प्रबंध संबंध" पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

viii. श्री सोमांशु जैराथ और श्री शारिक हुसैन, सहायक सलाहकार 1 और 2 जून, 2023 को बीआईएसएजी–एन सीपीएसई प्रशिक्षण मॉड्यूल में पीएम गतिशक्ति की कार्यशाला में शामिल हुए।

ix. श्री पंकज भूटानी, संयुक्त सलाहकार 8 से 6 जून, 2023 तक निदेशकों और बोर्डरूम प्रभावशीलता के लिए मास्टर क्लास पर मुंबई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।

x. श्री श्रेयस पलसुले, सहायक सलाहकार और श्री ललित पंचपाल, सहायक सलाहकार ने 12 से 15 सितंबर, 2023 तक ऊर्जा परिवर्तन पर एफएसआर ग्लोबल – स्कूल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया।

xi. श्री मोहित बुद्धिराजा, बेंच अधिकारी ने 12 से 23 फरवरी, 2024 तक विधि और न्याय मंत्रालय के एक विंग इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च द्वारा आयोजित विधायी प्रारूपण में 25वें प्रशंसा पाठ्यक्रम में भाग लिया।

xii. कर्मचारियों के लिए एमएस–एक्सेल (बेसिक और एडवांस) पर साप्ताहिक प्रशिक्षण 29.08.2024 और 18.12.2023 को दो बार आयोजित किया गया।



ख. ज्ञान साझा करने वाले व्याख्यानः

i. अग्रणी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ श्री चंद्र भूषण ने 14 दिसंबर, 2023 को "भारत के लिए जलवायु परिवर्तन चुनौती" पर अपने विचार साझा किए।

ii. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी ने 3 जनवरी, 2024 को "मध्यम अवधि में बिजली ईंधन मिश्रण में परिवर्तन की संभावनाएं" पर एक व्याख्यान दिया।

iii. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के निदेशक श्री सौरभ दीद्दी ने 5 मार्च, 2024 को "कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) योजनाओं" पर एक व्याख्यान दिया।

iv. सुश्री धिया ऐन मैथ्यू, राष्ट्रीय महासचिव, यंग वुमन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, ने 8 मार्च, 2024 को 'कार्यस्थल को महिलाओं के अनुकूल बनाने और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

8.3 सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005

8.3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) का उद्देश्य एक पारदर्शी, उत्तरदायी, नागरिक–अनुकूल पद्धति के माध्यम से सुशासन के उद्देश्यों को पूरा करना तथा जनसाधारण को समस्त सूचना प्रदान करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ की अध्यक्षता नोडल अधिकारी ले. कर्नल पवन कुमार उनियाल, संयुक्त सलाहकार द्वारा की जाती हैं जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, सूचना का अधिकार की सूचनाएं अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआइएमआइएस पोर्टल से भी ली जा रही हैं।

8.3.2 संगठन का विवरण, इसके कार्य एवं कर्तव्य तथा सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी आदि का पदनाम आदि से संबंधित सूचना पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित की जाती है। बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत पीएनजीआरबी की वेबसाइट को अद्यतन करके नियमित अंतराल पर स्वतः जनसाधारण को सूचना भी उपलब्ध करवा रहा है।



8.3.3 आरटीआई/अपीलों का विवरण इस प्रकार है:

अवधि	आरटीआई		अपील	
	प्राप्त	31.03.2024 को लंबित	प्राप्त	31.03.2024 को लंबित
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक	215	14	19	01

8.4 सतर्कता मामले:

बोर्ड में 2023–24 के दौरान कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं था।

8.5 राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गईं।

कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में राजभाषा का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए गए। पीएनजीआरबी की वेबसाइट द्विभाषी है।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:–

(क) दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी मुहावरे और कहावत प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

(ख) वर्ष 2023–24 के दौरान हिंदी पत्रिका "पीएनजीआरबी दर्पण" का तीसरा अंक प्रकाशित किया गया। राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के दौरान पीएनजीआरबी के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन ने पत्रिका का विमोचन किया।

(ग) कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान ''हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और प्रावधान, सरकारी नियम, अधिनियम और नीतियां तथा ई–ऑफिस में हिंदी में काम करने के लिए उपयोगी शब्द और वाक्यांश'' जैसे विषयों पर पांच हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(घ) कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, नारा प्रतियोगिता, चित्र वर्णन प्रतियोगिता और श्रुतलेख प्रतियोगिता जैसी नियमित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

(ङ) कर्मचारियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुस्तकालय के लिए नियमित रूप से हिंदी भाषा की पुस्तकें खरीदी गईं।

(च) राजभाषा हिंदी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर पांच अंग्रेजी शब्दों के साथ उनका हिंदी अनुवाद प्रदर्शित किया जाता है।



8.6 विविध गतिविधियाँ

8.6.1 विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून, 2023)

पीएनजीआरबी ने 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारियों को पौधे वितरित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराना' थी।



विश्व योग दिवस समारोह में भाग लेते कर्मचारी

8.6.2 विश्व योग दिवस (21 जून, 2023)

पीएनजीआरबी ने 21 जून, 2023 को एक कार्यक्रम आयोजित करके विश्व योग दिवस मनाया, जिसमें योग के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और दैनिक जीवन में इसके फायदों और महत्व को समझाने के लिए एक योग प्रशिक्षक को बुलाया गया था। विश्व योग दिवस का थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम' अर्थात् 'दुनिया एक परिवार है' के लिए योग था।



स्वच्छता पखवाड़ा पर स्वच्छता गतिविधियाँ

8.6.3 स्वच्छता पखवाड़ा (01–15 जुलाई 2023)

पीएनजीआरबी ने 1 से 15 जुलाई 2023 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। प्रतिभागियों ने शपथ ली कि वे स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और इसके लिए समय निकालेंगे। पीएनजीआरबी परिसर के अंदर और बाहर कई सफाई अभियान चलाए गए और कर्मचारियों ने अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुनानी वस्तुओं, बक्सों, फाइलों, कागज के कचरे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे आदि का निपटान किया गया।



सचिव पीएनजीआरबी और राष्ट्रीय महासचिव, वाईडब्ल्यूसीए सभी पीएनजीआरबी महिला कर्मचारियों के साथ

8.6.4 पीएनजीआरबी में 08 मार्च, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

8 मार्च 2024 को पीएनजीआरबी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान, मुख्य अतिथि, सुश्री धिया एन. मैथ्यू, राष्ट्रीय महासचिव, वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली द्वारा "डिजिटऑलः लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी" विषय पर एक व्याख्यान दिया गया।

इस दिन, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।



श्री अंजनी कुमार तिवारी, सदस्य, पीएनजीआरबी ने 21–22 दिसंबर, 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित एफओआईआर सम्मेलन में भाग लिया



8.6.5 भारतीय विनियामकों का मंच (एफओआईआर)

भारतीय विनियामकों का मंच सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। इस मंच में बिजली, बंदरगाह, विमानन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्रतिस्पर्धा और दिवालियापन जैसे क्षेत्रों के विनियामक शामिल हैं। यह विनियामकों को विनियामक प्रक्रियाओं और पद्धतियों में उभरते मुद्दों पर चर्चा करने, भारत में विनियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आम रणनीति विकसित करने तथा जानकारी और अनुभव का आदान–प्रदान करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। पीएनजीआरबी एफओआईआर का सदस्य है।

8.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

8.7.1. संघीय ऊर्जा विनियामक आयोग, (एफईआरसी) अमेरिका के साथ समझौता–ज्ञापनः

पीएनजीआरबी ने 14 मार्च, 2019 को ह्यूस्टन, अमेरिका में संघीय ऊर्जा विनियामक आयोग, (एफईआरसी) यूएसए के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्राधिकरणों के विनियामक अधिकार क्षेत्र के तहत तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में समझौता–ज्ञापन के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में संक्षेप में दिया जा सकता हैः–

क) तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से संबंधित एक–दूसरे के कानूनों, नियमों और विनियमों तथा इन क्षेत्रों को विनियमित करने में उनके अनुभवों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान करना, ताकि अपने–अपने देशों में सर्वोत्तम प्रद्धतियों के बारे में सीखा जा सकें और प्रतिस्पर्धी बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सकें।

ख) आपसी हित के क्षेत्र पर परामर्श

ग) अनुरोध और व्यवहार्यता के अनुसार दूसरे विनियामक निकाय के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

घ) विनियामक मुद्दों पर तकनीकी क्षमताओं में सुधार के लिए तकनीकी सहायता, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः–

i. निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने के लिए एक विनियामक ढांचे का विकास

ii. सामान्य वाहक के लिए खुली पहुंच को विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश

iii. टैरिफ का विकास।

फरवरी, 2023 में विनियामकों के बीच सहयोग और भविष्य की रणनीतियों, दृष्टिकोणों, हाइड्रोजन आदि पर चर्चा के लिए पीएनजीआरबी में आयुक्त, संघीय ऊर्जा विनियामक आयोग, अमेरिका के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

8.7.2 अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई) के साथ समझौता–ज्ञापन

बोर्ड ने पाइपलाइन निरीक्षण और कार्मिक योग्यता कार्यक्रम को लागू करने और एएसएमई कार्य समूहों और प्रशिक्षण मंचों में भाग लेने के अवसरों का पता लगाने के लिए एएसएमई–अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



इसके अलावा, एएसएमई निम्नलिखित क्षेत्रों में अतिरिक्त अवसरों की खोज में पीएनजीआरबी के साथ सहयोग करेगा:

i) लेखापरीक्षा कार्यों और पाइपलाइन रखरखाव में भारतीय पाइपलाइन कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

ii) पाइपलाइन निरीक्षकों के लिए योग्यता पर मार्गदर्शन दस्तावेज़ का निर्माण।

iii) पाइपलाइन निरीक्षकों के लिए योग्यता मानदंड, परीक्षा और जांच–सूची का विकास।

iv) पाइपलाइन कर्मियों के लिए बी31क्यू के अनुसार प्रशिक्षण और परीक्षाओं का विकास और कार्यान्वयन।

8.7.3 अमेरिका–भारत निम्न उत्सर्जन गैस कार्यबल

भारत की ऊर्जा बॉस्केट में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका–भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत अमेरिका–भारत निम्न उत्सर्जन गैस कार्यबल का गठन किया गया था। इसके बाद, इस कार्यबल का नाम बदलकर निम्न उत्सर्जन गैस कार्यबल कर दिया गया, ताकि कंप्रेस्ड बायो गैस, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन का मिश्रण आदि जैसे अन्य कम उत्सर्जन ऊर्जा विकल्पों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सकें। पीएनजीआरबी के संयुक्त सलाहकार श्री एस.सी. गुप्ता बाज़ार और विनियामक उप–समिति के सह–अध्यक्ष हैं।

भारत–अमेरिका संयुक्त उप–समिति ने गैस बाजारों और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, गैस मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, पाइपलाइन पहुंच, गैस पाइपलाइनों के लिए आरओयू अधिग्रहण और गैस पाइपलाइन टैरिफ की प्राधिकार प्रक्रिया पर पांच पेपरों को अंतिम रूप दिया है। वर्तमान में, उप–समिति हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायो गैस आदि के साथ मिश्रित प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मौजूदा गैस बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

8.7.4 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के तत्वावधान में 5–8 फरवरी 2024 के बीच भारत ऊर्जा सप्ताह ('आईईडब्ल्यू') 2024, गोवा के दौरान आयोजित किया गया था। सम्मेलन में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रमुख दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय ऊर्जा विनियामक प्राधिकारियों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय उद्योग के नेता शामिल हुए।

सम्मेलन का मुख्य विषय 'प्राकृतिक गैस विकास के मार्गों की खोज' था, जिसमें प्राकृतिक गैस की भूमिका पर जोर दिया गया जो उभरते और विकासशील देशों के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तेज और गहन उत्सर्जन कमी में सहायक है। पाँच पूर्ण सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा केंद्रित रही, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाली भू–राजनीतिक अनिश्चितताएँ, तीव्र अवसंरचना विकास, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और संस्थागत विकास शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय विनियामकों के विशेष गोलमेज सम्मेलन ने विनियामक ढाँचों के संरक्षकों को एक साथ लाकर सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीमापार सहयोगी रणनीतियों और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए मंच प्रदान किया।

माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने सभा को संबोधित करते हुए भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने इस पहल की सराहना की और जोर दिया कि आगे चलकर तेल और गैस विनियामकों के अंतर्राष्ट्रीय विनियामक सम्मेलन को आईईडब्ल्यू की एक अभिन्न विशेषता बनाया जाना चाहिए। डॉ. अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस विकास के लिए प्रभावी विनियामक ढांचे तैयार करने के लिए ज्ञान साझा करने हेतु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

वक्ताओं के सम्मानित समूह ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता और नेट–जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक परिवर्तनीय ईंधन के रूप में इसकी भूमिका को आगे बढ़ाया। उन्होंने विकासशील देशों को ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक दक्षिण से एकजुट मोर्चे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस संवाद ने भारत में प्राकृतिक गैस के विनियामक और अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से समग्र अवसंरचना विकास और नगर गैस वितरण क्षेत्र के लिए, ताकि विश्वसनीय और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकें। उद्योग जगत के नेताओं ने दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के बीच परस्पर जुड़े गैस और बिजली ग्रिड के माध्यम से एक क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विशेषज्ञता के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न हितधारकों को नेटवर्क विकसित करने, ज्ञान का आदान–प्रदान करने और प्राकृतिक गैस विकास के भविष्य को आकार देने के लिए साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान करता है।



गोवा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन



8.8 बनाए गए/संशोधित नए विनियम

पीएनजीआरबी ने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विनियम/संशोधन विनियम जारी किए हैं:

क्र. सं.	राजपत्र क्र.सं.	विषय	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
1	649	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023	20.09.2023
2	745	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों) संशोधन विनियम, 2023	01.11.2023
3	840	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023	18.12.2023
4	839	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2023	18.12.2023
5	796	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सलाहकारों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023	01.12.2023
6	101	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों) संशोधन विनियम, 2024	16.02.2024
7	100	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008	15.02.2024
8	168	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) संशोधन विनियम, 2024	07.03.2024



भाग 9: गैर–अनुपालन

9.1.1 पीएनजीआरबी ने 26 नवंबर 2007 को पीएनजीआरबी (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) विनियम, 2007 ('अन्य प्रभार विनियम') अधिसूचित किया। इसके बाद, उक्त विनियमों को 7 जून 2010, 21 जून 2013, 3 जनवरी 2019, 13 मई 2020, 28 सितंबर 2020, 27 अगस्त 2021 और 2 अगस्त, 2022 के संशोधन विनियमों के तहत संशोधित किया गया। मौजूदा विनियम के अनुसार किसी भी प्रकृति की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन या नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार में लगी कोई भी कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्दिष्ट प्रत्येक पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क के संबंध में बोर्ड को अन्य शुल्क का भुगतान करेगी, अर्थात् 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से दो महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 31 मई तक।

उपर्युक्त विनियमों के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों ने शुल्क और अन्य प्रभार नियमों के विनियम 4 का अनुपालन नहीं किया है: –

राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	31.03.2024 तक लंबित अन्य शुल्क (अधिभार सहित)*
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	575.34
2.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	147.80
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	128.23
4.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड#	67.22
5.	जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	37.55
6	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड#	7.80
7.	केईआई–आरएसओएस पेट्रोलियम एंड एनर्जी लिमिटेड	6.69
8.	रिकासिल सिरेमिक इंड प्राइवेट लिमिटेड	6.69
9.	महाराज सोप्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	5.06
10.	स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	1.11
11.	जीपी कराईकल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड#	1.10
12.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड #	1.10
कुल		**985.69**

**वर्तमान विनियमों के अनुसार निश्चित/न्यूनतम शुल्क के आधार पर लगाया गया।*

 # वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त अन्य शुल्क।



उपर्युक्त के अतिरिक्त, गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड, साबरमती गैस लिमिटेड और ओएनजीसी (वित्त वर्ष 2018–19 तक) और कलकत्ता कंप्रेशन्स एंड लिक्विफैक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड से अन्य शुल्क भी लंबित हैं, जिन्हें बोकारो और धनबाद के लिए एनओसी दी गई है (2017–18 और 2018–19 के लिए लंबित) और इन कंपनियों से अपेक्षित राजस्व विवरण के अभाव में अभी तक इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

9.1.2 अधिनियम की धारा 11(क) के अनुसार बोर्ड को कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रमुख एलएनजी टर्मिनलों द्वारा अपनाई गई वित्तीय और लागत संरचनाओं को समझने के लिए बोर्ड ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित कुछ प्रमुख रीगैस टर्मिनलों को ऐतिहासिक भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन, री–गैसीकरण शुल्क की लागत संरचना, बंधी हुई क्षमताएं, टर्मिनलों का उपयोग, टर्मिनलों के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास, भावी व्यावसायिक योजनाएं आदि प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। यह उल्लेखनीय है कि उच्च रीगैस शुल्क का उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया और बोर्ड को एक पत्र भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया कि पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 11 के कार्यक्षेत्र, अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 15 के साथ–साथ प्रस्तुतीकरण के रूप में वांछित जानकारी धारा 11(क) के दायरे में नहीं आती है। पीएलएल ने आगे कहा कि चूंकि वह एक सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए इसके वित्तीय विवरण लागू कानून की आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, बोर्ड गैस की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की गंभीर जांच करने से वंचित रह गया।



भाग 10: वित्त और लेखा

10.1 केंद्र सरकार से अनुदान संबंधी प्रावधान और पीएनजीआरबी निधियों से संबंधित प्रावधान

10.1.1 पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 38 के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक बजट को अनुदान सहायता के रूप में आवंटित कर सकती है।

पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 39(1) पीएनजीआरबी फंड नामक एक फंड के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क, दंड, प्रभार और राशि जमा की जाती है। इस फंड का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में होने वाले खर्चों के लिए किया जाएगा।

10.1.2 अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पीएनजीआरबी आय का उपयोग

बोर्ड ने 1 जून 2020 से अनुदान सहायता लेना बंद करने और अपने खर्चों का प्रबंधन अपनी स्वयं की आय से करने का निर्णय लिया। पीएनजीआरबी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अप्रैल और मई 2020 के महीनों के लिए अंतिम अनुदान सहायता प्राप्त की है (₹23.53 करोड़ के कुल स्वीकृत अनुदान सहायता की तुलना में ₹3.48 करोड़)।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजीआरबी को केवल कॉर्पस फंड पर ब्याज आय और खर्चों को पूरा करने के लिए आवर्ती शुल्क और अन्य शुल्कों का 75% उपयोग करने की अनुमति दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कॉर्पस फंड को कम न करने का भी निर्देश दिया है।

10.2 अन्य शुल्क लगाना

10.2.1 धारा 61(2)(छ) के साथ पठित धारा 11(छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार वसूली) विनियम, 2007 बनाया, जिसे 26 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। बाद में अन्य प्रभार विनियमों में संशोधन किया गया तथा उन्हें 07 जून, 2010, 21 जून, 2013, 3 जनवरी, 2019, 13 मई, 2020, 28 सितंबर, 2020, 27 अगस्त, 2021 और 2 अगस्त, 2022 को अधिसूचित किया गया।

10.2.2 दिनांक 2 अगस्त 2022 की अधिसूचना के माध्यम से विनियमों में अनुबंध कनेक्टिविटी पाइपलाइन के लिए आवेदन शुल्क और अन्य कंपनी के पक्ष में प्राधिकार के त्याग के लिए आवेदन शुल्क और 51% से कम इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी आदि के हस्तांतरण के लिए आवेदन शुल्क को शामिल किया गया है।



10.3 असंतुलन और अधिक प्रभार लेने की वसूलियां

10.3.1 बोर्ड ने 13 अगस्त 2019 को पीएनजीआरबी (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एक्सेस कोड) संशोधन विनियम, 2019 को अधिसूचित किया। इस संशोधन के तहत परिवहनकर्ताओं द्वारा अब तक अनियमितता और अधिक खपत शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशियाँ, जो एस्क्रो खाता में रखी गई थीं, पीएनजीआरबी द्वारा बनाए गए बैंक खाता में स्थानांतरित की जाती हैं। इसके अलावा, परिवहनकर्ताओं को भविष्य में प्रत्येक तिमाही में अनियमितता और अधिक खपत शुल्क एकत्र करके स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड ने 16 जून, 2022 को 'अनियमितता/अधिक खपत शुल्क फंड के उपयोग के लिए दिशा–निर्देश' तैयार किए हैं, जो वित्त वर्ष 2022–23 से लागू हैं।

10.3.2 विभिन्न कंपनियों द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

	वित्त वर्ष 2023–24
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	423.05
वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा हस्तांतरित	62.64
वर्ष के दौरान प्राप्त और अर्जित ब्याज	31.66
वर्ष के अंत में शेष राशि	**517.35**
जमा: बैंकों में सावधि जमा	**383.34**
ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	**12.14**
पूंजी खाते पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम	**121.62**
स्रोत पर कर कटौती	**0.25**

10.4 अधिशेष निधियों का निवेश

10.4.1 सावधि जमा (टीडी) के रूप में अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश की नीति को बोर्ड द्वारा 28 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। इस नीति में बाद में और समय–समय पर और संशोधन किया गया है। उक्त नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध एक करोड़ रुपए से अधिक की अधिशेष निधियों के निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। उक्त नीति के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक ₹883.35 करोड़ (पीएनजीआरबी निधि – ₹473.69 करोड़, एपीटीईएल निर्देशित जमा–₹26.32 करोड़ तथा असमान और अतिव्यय प्रभार निधि – ₹383.34 करोड़) का निवेश अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों में किया गया है।



10.5 पंचवर्षीय वित्तीय विशेषताएं

₹ करोड़ में

	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2023–24
भारत सरकार से अनुदान–सहायता	19.10	3.48	0.00	0.00	0.00
ब्याज	17.72	17.29	17.54	21.76	33.46
अन्य प्रभार लगाना तथा अन्य प्रभारों पर अधिभार (पूर्व अवधि सहित)	23.70	23.03	23.40	27.76	42.17
सीजीडी नेटवर्क और पाइपलाइन के लिए आवेदन शुल्क	1.70	0.92	87.50	11.27	6.51
अन्य प्राप्तियां	4.48	5.34	7.54	3.97	41.69
कुल सकल प्राप्तियां	**66.70**	**50.06**	**135.98**	**64.76**	**123.83**
व्यय (पिछले वर्षों सहित)	26.43	25.40	27.32	27.46	33.02
निवल प्राप्तियां	**40.27**	**24.66**	**108.66**	**37.30**	**90.81**
मूल्यह्रास	0.44	0.56	0.42	0.42	0.47
पिछले वर्षों के लिए आयकर का प्रावधान	(5.31)	-	-	-	-
पीएनजीआरबी निधि में अंतरित किया गया निवल अधिशेष	**45.14**	**24.10**	**108.24**	**36.88**	**90.34**

10.6 वार्षिक लेखा विवरण

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 जून, 2020 की अधिसूचना द्वारा पीएनजीआरबी (वार्षिक विवरण और लेखा रिकॉर्ड) संशोधन नियम, 2020 प्रकाशित किया। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाओं का वार्षिक विवरण संशोधित नियमों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाओं का वार्षिक विवरण सीएंडएजी द्वारा लेखा–परीक्षित किया गया है। यह सीएंडएजी की एकल लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित संलग्न है।



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि		48,241.64	39,208.05
रिजर्व और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	51,735.51	42,305.43
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	7	4,824.23	6,537.23
कुल		**1,04,801.38**	**88,050.71**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8	139.08	105.72
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से	9	40,965.80	42,872.75
निवेश–अन्य	10	47,369.13	40,119.40
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	11	16,327.37	4,952.84
विविध व्यय		-	-
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)			
कुल		**1,04,801.38**	**88,050.71**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

पंकज भूटानी	वन्दना शर्मा	ए.के. तिवारी	डॉ. अनिल कुमार जैन
संयुक्त सलाहकार	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27 जून 2024



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(₹ लाख में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	**12**	8,967.55	4,277.07
अनुदान/सब्सिडी	**13**	-	-
शुल्क या अंशदान	**14**	-	-
निवेश से आय (निर्धारित या बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय। निधियों का कोष में हस्तांतरण)	**15**	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**16**	-	-
अर्जित ब्याज	**17**	3,346.37	2,175.90
अन्य आय	**18**	3.62	2.55
तैयार माल और कार्य–प्रगति के स्टॉक में वृद्धि या (कमी)	**19**	-	-
पूर्व अवधि आय (अनुबंध–क)		65.39	20.23
कुल (क)		**12,382.93**	**6,475.75**
व्यय			
स्थापना व्यय	**20**	1,241.58	1,243.29
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	**21**	2,040.58	1,504.91
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	**22**	-	-
ब्याज	**23**	-	0.99
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		46.99	41.99
पूर्व अवधि व्यय (अनुबंध–क)		20.19	(3.83)
कुल (ख)		**3,349.34**	**2,787.35**
व्यय से अधिक आय का शेष (क–ख)		**9,033.59**	**3,688.40**
विशेष रिजर्व में अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		**-**	**-**
सामान्य रिजर्व में या से स्थानांतरण		**-**	**-**
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) कॉर्पस/पूंजी निधि में अग्रेनीत		**9,033.59**	**3,688.40**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**24**		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	**25**		

पंकज भूटानी	**वन्दना शर्मा**	**ए.के. तिवारी**	**डॉ. अनिल कुमार जैन**
संयुक्त सलाहकार	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27 जून 2024



31 मार्च, 2024 तक तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची–1 कार्पस या पूंजीगत निधि:	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पीएनजीआरबी निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	39,208.05	35,519.65
जोड़ें: कॉर्पस या पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़ें / (कटौती): आय एवं व्यय लेखा से शुद्ध आय / (व्यय) की शेष राशि में हस्तांतरित	9,033.59	3,688.40
वर्ष के अंत में बकाया	**48,241.64**	**39,208.05**

(₹ लाख में)

अनुसूची 2 – रिजर्व और अधिशेष:	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजीगत रिजर्व	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-
3. विशेष भंडार	-	-
4. सामान्य भंडार	-	-
कुल	**-**	**-**

(₹ लाख में)

अनुसूची 3 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधियां	एस्क्रो फंड के अनुसार विवरण वर्तमान वर्ष	एस्क्रो फंड के अनुसार विवरण पिछला वर्ष
क) निधियों का आरंभिक शेष (एस्क्रो खाता)	35,755.95	27,130.94
(ब्याज)	6,549.48	4,569.42
ख) निधियों में वृद्धि:		
i. दान या अनुदान	-	-
ii. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	6,264.27	8,625.01
iii. अन्य वृद्धि (ब्याज)	3,165.83	1,980.06
कुल (क+ख)	**51,735.53**	**42,305.44**
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोगिता या व्यय		
i. पूंजीगत व्यय (अनुसूची 11 ऋण एवं अग्रिम के भाग ख–2 क तथा अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 10 देखें)	-	-
ii. राजस्व व्यय	0.02	0.01
कुल (ग)	**0.02**	**0.01**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	51,735.51	42,305.43

टिप्पणियाँ

1.) अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के तहत प्रकटीकरण किया जाएगा।

2.) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए।



(₹ लाख में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	–	–
3. वित्तीय संस्थान	–	–
क) सावधि ऋण	–	–
ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–
4. बैंक :	–	–
क) सावधि ऋण	–	–
– उपार्जित और बकाया ब्याज	–	–
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	–	–
– उपार्जित और बकाया ब्याज	–	–
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	–	–
6. डिबेंचर और बांड	–	–
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

(₹ लाख में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

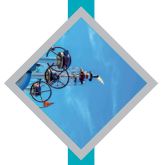


(₹ लाख में)

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार		
क) माल के लिए	-	-
ख) अन्य	216.59	64.54
3. प्राप्त अग्रिम	24.90	10.75
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	72.06	29.71
6. अन्य चालू देयताएं		
क) अनियमितता और अधिक खपत प्रभार जमा	-	-
ख) शुल्क वसूली के तहत ब्याज मुक्त जमा राशि	724.23	1,013.53
ग) प्राप्त प्रतिभूति जमा		
(i) गेल से	2,725.95	2,557.08
(ii) अन्यों से	237.26	102.66
घ) एसबीआई में चालू खाता	-	14.75
कुल (क)	**4,000.99**	**3,793.02**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. व्यापार वारंटी/दावा	-	-
5. अन्य		
क) अग्रिम–मुकदमों के तहत भुनाई गई पीबीजी	522.73	2,622.73
(अनुसूची 25 "लेखा टिप्पणियों" में टिप्पणी सं. 3 देखें)	300.51	121.48
ख) व्यय के लिए प्रावधान	**823.24**	**2,744.21**
कुल (ख)	**4,824.23**	**6,537.23**
कुल (क+ख)		

(₹ लाख में)

अनुसूची 8 – नियत प.ि रसंपत्तिया	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान पुनः वर्गीकरण	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक	23–24 के दौरान मूल्यह्रास	23–24 में वृद्धि	23–24 में कटौती	पिछले वर्ष का मूल्यह्रास	31 मार्च, 2024 तक संचयी मूल्यह्रास	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क. नियत परिसंपत्तियां:													
कार्यालय उपकरण	101.34	5.90	(2.45)	3.32	108.11	63.04	15.62	1.23	(2.44)	(0.05)	77.39	30.72	38.30
फर्नीचर और फिक्स्चर	22.93	11.61	-	-	34.55	7.05	2.10	0.65	-	(0.01)	9.78	24.77	15.88
कंप्यूटर / सहायक उपकरण	93.23	39.13	(6.38)	-	125.98	67.77	9.90	4.76	(6.07)	(0.09)	76.27	49.71	25.46
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	65.06	2.32	-	-	67.39	60.53	2.85	0.18	-	(0.01)	63.55	3.84	4.53
नेटवर्क और सर्वर	102.84	15.17	-	-	118.01	81.30	9.03	0.59	-	0.01	90.94	27.07	21.54
स्टाफ फर्निशिंग परिसंपत्ति	-	3.05	-		3.05	-		0.08	-	-	0.08	2.97	-
कुल		**77.17**	**(8.83)**	**3.32**	**457.09**	**279.69**	**39.49**	**7.50**	**(8.51)**	**(0.16)**	**318.01**	**139.08**	**105.72**
पिछला वर्ष	**358.59**	**26.81**			**385.40**	**237.72**	**37.76**	**4.23**	**-**	**(0.02)**	**279.69**	**105.72**	**120.87**
ख. चल रहा पूंजीगत कार्य	**-**											**-**	
कुल													




(₹ लाख में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (i) असंतुलन और समय आधिक्य	38,334.01	40,455.61
(ii) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित (अनुसूची 25 'लेखा टिप्पणियों' में टिप्पणी 2 देखें)	2,631.79	2,417.14
कुल	**40,965.80**	**42,872.75**

(₹ लाख में)

अनुसूची 10 – निवेश–अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (i) जमा पीएनजीआरबी निधियां	47,320.68	39,963.81
(ii) सीएलटीडी पीएनजीआरबी निधियां	48.45	155.59
कुल	**47,369.13**	**40,119.40**

(₹ लाख में)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. मांग सूची:		
क) भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औज़ार	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:		
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	945.13	690.84
ख) अन्य	42.23	67.35
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		



अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
4. बैंक में शेष:	-	-
क) अनुसूचित बैंकों में:		
– चालू खातों में		
क) पीएनजीआरबी निधियां	7.28	6.37
ख) असंतुलन और अतिरिक्त व्यय प्रभार	0.49	0.21
– डिपोजिट खातों पर (मार्जिन मनी सहित)	-	-
– बचत खातों पर	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	-	-
– चालू खातों में	-	-
– जमा खातों में	-	-
– बचत खातों में	-	-
5. डाकघर बचत खाते में	-	-
कुल (क)	**995.13**	**764.77**

(₹ लाख में)

ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ऋण:		
क) कर्मचारी		-
ख) कंपनी के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य कंपनियां	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां:		
2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां:		
क) पूंजीगत खाते में (एस्क्रो खाते में, अनुसूची 25 की टिपपणी सं. 10 भी देखें)	12,161.57	-
ख) पूर्व भुगतान	9.65	5.73
ग) अन्य	-	-
i) जमानत राशि का भुगतान	17.71	0.06
ii) स्रोत पर कर कटौती		
– पीएनजीआरबी निधि	77.49	61.79
– असंतुलन और अधिक व्यय शुल्क	24.73	2.89
– अन्य	1.77	1.67
iii) नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	75.78	75.78
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान (अनुसूची 25 "लेखा टिप्पणियां" में टिप्पणी सं. 9 देखें)	(75.78)	(75.78)
iv) कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
v) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	1.58	8.76
vi) बिक्री/निपटान के लिए धारित संपत्तियां	-	-
vii) लेनदारों से वसूली योग्य टीडीएस	17.78	1.66
viii) हाथ में स्टॉक (उपभोग्य)	6.77	2.63



ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश स	1,214.71	1,846.72
ख) निवेश पर अन्य	-	-
ग) ऋण और अग्रिम से	-	-
घ) अन्य (i) पीएनजीआरबी निधियों से	1,705.02	2,116.45
(ii) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित (अनुसूची 25 "लेखा टिप्पणियां" में टिप्पणी सं. 2 देखें)	92.31	138.23
4. प्राप्य दावे		
– छह महीने से अधिक की अवधि के लिए जीईईसीएल	1.15	1.15
– एजीपी सीजीडी इंडिया लिमिटेड	-	0.11
– पीएओ (विस्फोटक) नागपुर	-	0.22
कुल (ख)	**15,332.24**	**4,188.07**
कुल (क+ख)	**16,327.37**	**4,952.84**

(₹ लाख में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रोसेसिंग शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
i) शुल्क और अन्य प्रभार		
– सीजीडी नेटवर्क और पाइपलाइनों के लिए आवेदन शुल्क	651.00	1,127.37
– अन्य शुल्क की वसूली	4,065.38	2,700.44
– अन्य शुल्कों पर अधिभार	88.07	55.49
– तृतीय पक्ष निरीक्षण शुल्क	35.70	66.00
– शिकायत शुल्क	28.00	36.60
– विविध सेवाओं के लिए शुल्क	3.21	12.44
– पैनलबद्धता के लिए आवेदन शुल्क		
ii) जुर्माना		
– दंड	4,096.19	278.73
कुल	**8,967.55**	**4,277.07**



(₹ लाख में)

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्त)		
1) केंद्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकार(रें)	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

(₹ लाख में)

अनुसूची 14 – शुल्क/ अंशदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणः प्रत्येक मद के लिए लेखा नीतियों का खुलासा किया जाए

(₹ लाख में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर आय। निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निधियों में अंतरित		
1.) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
2.) लाभांश		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3.) किराया	-	-
4.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में अंतरित	**-**	**-**



(₹ लाख में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2.) प्रकाशनों से आय	-	-
3.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

(₹ लाख में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों से	3,346.37	2,175.90
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग) संस्थानों से	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खातों से:		
क) अनुसूचित बैंकों से	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर:		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**3,346.37**	**2,175.90**
टिप्पण – स्रोत पर कर कटौती दर्शाई जाए		

(₹ लाख में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्ति	0.01	-
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय –		
क) आय कर रिफंड पर ब्याज	1.84	-
ख) कंप्यूटर किराया प्रभार की वसूली	-	-
ग) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	1.51	2.52
घ) आरटीआई शुल्क	0.03	0.03
ड.) अन्य	0.23	-
कुल	**3.62**	**2.55**



(₹ लाख में)

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
निवल वृद्धि / (कमी) (क–ख)	-	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	1,176.55	1,193.10
(ख) भत्ते और बोनस	2.98	0.59
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
(घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
(ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
(च) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय	28.43	23.28
(छ) अन्य		
i) चिकित्सा व्यय	5.16	4.17
ii) अवकाश का नकद भुगतान	8.05	13.07
iii) अवकाश यात्रा रियायत	2.16	1.97
iv) प्रशासनिक और ईडीएलआईएस शुल्क	0.80	0.53
v) ब्रीफ केस	0.72	-
vi) स्थानांतरण लाभ दावा	-	1.62
vii) पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.04	-
viii) कैंटीन लाभ	0.44	-
ix) मोबाइल सेट	2.32	-
x) वाहन चलाना	13.93	4.96
कुल	**1,241.58**	**1,243.29**

(₹ लाख में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क) खरीद	-	-
(ख) श्रम और प्रोसेसिंग व्यय	-	-
(ग) कार्टेज और आंतरिक ढुलाई	-	-
(घ) बिजली और पॉवर	8.13	8.29
(ड.) बीमा	-	-
(च) मरम्मत और रखरखाव	7.91	10.42
(छ) उत्पाद शुल्क	-	-



अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(ज) किराया, दरें और कर	712.67	631.88
(झ) वाहन चलाना और रखरखाव	15.81	5.21
(ञ) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	16.23	10.19
(ट) मुद्रण और स्टेशनरी	20.51	14.88
(ठ) यात्रा और परिवहन व्यय	85.02	41.33
(ड) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	-	-
(ढ) सदस्यता व्यय	4.74	1.95
(ण) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	18.37	26.17
(त) आतिथ्य व्यय	17.30	15.46
(थ) पेशेवर शुल्क	853.48	568.95
(द) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(ध) बट्टे खाते में डाला गया गैर–वसूली योग्य बकाया	-	-
(न) पैकिंग प्रभार	-	-
(प) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	-	-
(फ) वितरण व्यय	-	-
(ब) विज्ञापन और प्रचार	5.66	12.28
(भ) अन्य		
क) आकस्मिक श्रम व्यय	113.12	95.31
ख) हिन्दी राजभाषा व्यय	1.21	0.24
ग) विविध व्यय	4.33	3.66
घ) समाचार–पत्र	1.22	0.96
ङ.) सुरक्षा व्यय	23.88	23.89
च) जल प्रभार	1.70	1.71
छ) स्थल प्रभार	-	-
ज) आईटी व्यय	15.95	14.95
झ) परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	0.19	-
ञ) सम्मेलन और प्रदर्शनी	97.69	14.63
ट) दंड	-	2.55
ठ) ब्रीफकेस–सलाहकार	1.49	-
ड) ब्रोकरेज	5.88	-
ढ) जनशक्ति कल्याण व्यय	5.37	-
ण) मोबाइल सेट	2.17	-
त) लाइब्रेरी पुस्तकें	0.55	-
कुल	**2,040.58**	**1,504.91**



(₹ लाख में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पण– कंपनियों के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ–साथ अनुदानों/सब्सिडी की संख्या का खुलासा किया जाए।		

(₹ लाख में)

अनुसूची 23 – ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	0.94
ग) अन्य – एनपीएस पर ब्याज	-	0.05
कुल	**-**	**0.99**

(₹ लाख में)

अनुलग्नक–क पूर्व अवधि समायोजन खाता	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय		
– अन्य प्रभार लगाना	47.27	13.06
– अन्य शुल्कों पर अधिभार	16.67	7.17
– अन्य	1.45	-
कुल आय (क)	**65.39**	**20.23**
व्यय		
– सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	-	(3.75)
– सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	1.22	(1.24)
– व्यावसायिक व्यय – विधि	1.73	-
– व्यावसायिक	-	1.16
– मूल्यह्रास	(0.15)	(0.02)
– एनपीएस पर ब्याज	-	0.02
– मरम्मत	(3.32)	-
– वेतन और भत्ते	6.51	-
– किराया	13.94	-
– अन्य	0.26	-
कुल व्यय (ख)	**20.19**	**(3.83)**
व्यय की तुलना में शुद्ध पूर्व अवधि आय (क–ख)	**45.20**	**24.06**



अनुलग्नक–ख

पिछले वर्ष के आंकड़ों के पुनर्समूहन का विवरण

(₹ लाख में)

शीर्षक	उप–शीर्षक	पिछले वर्ष के लेखा के अनुसार राशि (2022–23)	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए चालू वर्ष के खातों में पुनः दर्ज शेष राशि	अंतर
आय एवं व्यय लेखा				
अनुसूची–20	(छ) अन्य ग) वाहन चलाना	-	4.96	4.96
अनुसूची–21	(प) वाहन चलाना और रखरखाव	10.17	5.21	(4.96)
अनुसूची–21	(पी) आतिथ्य व्यय	31.26	15.46	(15.80)
अनुसूची–21	(ग) अन्य क) आकस्मिक श्रम व्यय	79.51	95.31	15.80



अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वार्षिक लेखा विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (लेखा और अभिलेखों का वार्षिक विवरण) नियम, 2017 में यथासंशोधित प्रारूप के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है तथा इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (वार्षिक लेखा एवं अभिलेख विवरण) नियम, 2020 द्वारा संशोधन किया गया है।

   तथापि, लेखाओं के वार्षिक विवरण में शामिल सभी राशियाँ लाख रुपए (₹/लाख) में बताई गई हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हों।

2. **अचल परिसंपत्तियां**: अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा इसके वांछित प्रयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में परिसंपत्ति को लाने की अन्य कोई संबद्ध लागत शामिल होती है। तथापि, पुस्तकों को उनकी खरीद लागत के बावजूद खरीद के वर्ष में राजस्व में दर्ज किया जाता है।

3. **मूल्यह्रास**:

   क) मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों से परिवर्धन/कटौती के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात के आधार पर माना जाता है। **तथापि, कर्मचारियों के फर्निशिंग से जुड़े सामानों पर 3 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रास लगाया जाता है, चाहे उनकी लागत कुछ भी हों। लेकिन मोबाइल सेटों के मामले में इन्हें खरीद के वर्ष में ही राजस्व में दर्ज कर लिया जाता है।**

   ख) ₹ 5000 या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों का पूरी तरह से पूंजीकरण के वर्ष में मूल्यह्रास हो जाता है।

   ग) अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आदि का उपयोगी जीवन के दौरान अधिग्रहण की लागत का 100: मूल्यह्रास हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान/राजसहायता: सरकारी अनुदान/राजसहायता को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिखा गया है।

5. विदेशी मुद्रा का लेन–देन: विदेशी मुद्रा का लेन–देन उस तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया गया है।

6. **सेवानिवृत्ति लाभ**:

   6.1 अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के संबंध में संचयी छुट्टी नकदीकरण लाभ, अवकाश वेतन का प्रावधान और कर्मचारियों को पेंशन अंशदान का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है। सेवानिवृत्ति लाभों की गणना इस आधार पर की गई है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

   6.2 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में प्रावधान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और संबद्ध कंपनियाँ पीएनजीआरबी बोर्ड से इसका दावा करती हैं।

   6.3 केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7. **पूर्व अवधि समायोजन**: पिछले वर्षों की आय या व्यय, जिसे त्रुटियों या चूक के कारण दर्ज नहीं किया जा सका, उसे "पूर्व अवधि आय/व्यय" के रूप में दिखाया जाता है।



8. राजस्व मान्यताः

8.1 अन्य शुल्कों को परिपक्वता के आधार पर दर्ज किया जाता है। तथापि, 2018–19 तक की अवधि के लिए इन्हें प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जा रहा है। शुल्क की वसूली को प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है।

8.2 पीबीजी को भुनाने या अन्यथा के रूप में वसूल किए गए जुर्माने को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है, बशर्ते जिस कंपनी का पीबीजी भुनाया गया है, उसने ऐसे नकदी भुनाए जाने के खिलाफ एप्टेल, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय के भीतर कोई अपील दायर न की हों। तथापि, यदि इन जुर्मानों की वसूली एप्टेल, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं तो इसका लेखांकन अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक "भुनाई गई निष्पादन बैंक गारंटी – मुकदमेबाजी के अधीन" देयता के रूप में किया जाता है। अंतिम न्यायिक निर्णय प्राप्त होने पर तदनुसार इन्हें हिसाब में लिखा जाता है।

9. प्रावधानः जिन प्रावधानों में मापन में काफी हद तक अनुमान शामिल होता है, उन्हें तभी मान्यता दी जाती है जब पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हों और संसाधनों के बाहर जाने की संभावना हों।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयता

i. आय कर के संबंध में विवादित मांगें: ₹0.78 लाख (पिछला वर्ष: ₹1.73 लाख) (टिप्पणी 8.1 देखें);

ii. ट्रेसेस पोर्टल पर दर्शाई गई टीडीएस मांग: ₹1.31 लाख (पिछला वर्ष: 2.53) (टिप्पणी 8.2 देखें)

ख. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशि साधारण व्यावसायिक गतिविधियों में वसूली पर तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य रखती हैं।

ग. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने के कारण, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

घ. विदेशी मुद्रा लेनदेन

यात्रा/डीए पर विदेशी मुद्रा में व्यय: ₹17.76 लाख (पिछला वर्ष: ₹3.14 लाख)

ड. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 20.11.2020 के पत्र के अनुसार पीएनजीआरबी को निम्नानुसार कॉर्पस फंड का उपयोग करने की अनुमति है:–

   क. ''कोष निधि'' को समाप्त नहीं किया जाएगा, इसलिए व्यय कोष निधि से नहीं किया जाएगा।

   ख. ''पीएनजीआरबी'' कोष निधि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग कर सकता है।

   ग. शुल्क और अन्य आवर्ती आय का 75% उपयोग किया जा सकता है, शेष 25% कोष निधि में जोड़ा जाएगा।

   घ. दंड, आवेदन शुल्क आदि जैसी अन्य आय को कोष निधि में जोड़ा जाएगा।



ड. वेतन और सामान्य खर्च ऊपर बताए अनुसार पूरे किए जाएंगे और यदि कोई कमी हो, तो मंत्रालय से अनुदान मांगा जाएगा।

2. पीएनजीआरबी को मैसर्स श्रावंती एनर्जी प्रा. लिमिटेड (05.3.2015 को पीएनजीआरबी द्वारा स्वीकृत), मैसर्स बीटा इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड और मैसर्स गामा इंफ्राप्रॉप प्रा. लिमिटेड (10.3.2015 को पीएनजीआरबी द्वारा स्वीकृत) से गेल (इंडिया) लिमिटेड ('प्रतिवादी') के खिलाफ शिकायतें मिलीं। पीएनजीआरबी ने दिनांक 11.04.2016 के अपने आदेश के तहत अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवादी को अपनी प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों को बंद करने का निर्देश दिया और पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रतिवादी पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया तथा एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया।

2.1 गेल ने इस आदेश को एपीटीईएल में चुनौती दी। एपीटीईएल ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और गेल को पीएनजीआरबी के पास सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया, जो इसे सामान्य शर्तों पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश करेगा। इसने यह भी निर्देश दिया कि ब्याज सहित यह राशि अपील में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश का पालन करेगी। तदनुसार, सितंबर 2016 में गेल ने पीएनजीआरबी के पास ₹1,750.63 लाख जमा किए।

2.2 माननीय एपीटीईएल ने 27 अक्तूबर, 2021 के निर्णय द्वारा अपील की अनुमति दी और 11.4.2016 के पीएनजीआरबी के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद, मैसर्स श्रवंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने माननीय एपीटीईएल के 27.10.2021 के निर्णय के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और इस मामले में 25.2.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई।

2.3. पीएनजीआरबी अधिशेष निधियों के अल्पावधि निवेश के लिए पैनल में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में इसका निवेश कर रहा है और यह राशि 31.3.2024 (मूल राशि ₹1750.63 लाख, प्राप्त ब्याज ₹883.01 लाख और अर्जित ब्याज ₹92.31 लाख) तक बढ़कर ₹2,725.95 लाख हो गई है।

3. लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक आदि के कारण पीएनजीआरबी द्वारा कंपनियों से प्राप्त निम्नलिखित निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) भुनाना, मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में है। इस तरह की मुकदमेबाजी लंबित होने तक, इन राशियों को "वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों" के रूप में "अग्रिम–मुकदमेबाजी के तहत भुनाई गई पीबीजी" के रूप में दिखाया गया है। अनुसूची 7ख में दर्शाई गई मुकदमेबाजी के तहत भुनाई गई पीबीजी के लिए अग्रिमों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	भौगोलिक क्षेत्र / पाइपलाइन	2023-24	2022-23
1	जय मधोक एनर्जी प्रा. लिमिटेड	लुधियाना भौगोलिक क्षेत्र	300.00	300.00
2	जय मधोक एनर्जी प्रा. लिमिटेड	कच्छ भौगोलिक क्षेत्र	200.00	200.00
3	जय मधोक एनर्जी प्रा. लिमिटेड	जालंधर भौगोलिक क्षेत्र	0.00	100.00
4	एच एनर्जी	जयगढ़ – मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	0.00	2000.00
5	आईएमसी लिमिटेड	एन्नोर पोर्ट मनाली औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	22.73	22.73
			522.73	**2622.73**



3.1 पीएनजीआरबी ने ''जय मधोक ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड'' के खिलाफ जलंधर भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित अपील को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए ₹100 लाख की परियोजना को 'विवाद में शामिल पीबीजी के अधीन प्रस्ताव' भाग ख से 'सुरक्षा जमा प्राप्ति' भाग क में, योजना 7 में 'वर्तमान देयताएं और प्रावधानों' के तहत अंतरित किया गया है।

3.2 एच एनर्जी से संबंधित ₹2000 लाख का पीबीजी 2022–23 में भुना लिया गया था। इसे ''माननीय एपटेल'' के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 19.04.2023 को पीएनजीआरबी के पक्ष में निर्णय लिया गया था और 90 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए इसे योजना 12 'सेवाएं–दंड–जुर्माना से आय' के तहत आय के रूप में लेखा में दर्ज किया गया है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन टिप्पणी 8.2 में उल्लेख किया गया है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 में ''आईएमसी लिमिटेड'' से संबंधित ₹22.73 लाख का पीबीजी भुनाया गया था। पार्टी ने ''माननीय एपीटीईएल'' के समक्ष अपील की थी और 15.05.2024 को पीएनजीआरबी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, हालांकि इस फैसले को चुनौती देने के लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

4. वर्ष 2014–15 के दौरान ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर बोर्ड द्वारा लगाया गया ₹50 लाख का जुर्माना कंपनी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया था। चूंकि पीएनजीआरबी को राशि प्राप्त नहीं हुई है और मामला न्यायाधीन है, इसलिए इसे न तो आय के रूप में और न ही देनदारी के रूप में दर्ज किया गया है।

5. बोर्ड को किसी विशिष्ट अचल संपत्ति से संबंधित कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। बोर्ड द्वारा रखी गई अचल परिसंपत्तियाँ उसकी गतिविधियों को चलाने के लिए हैं और स्वामित्व बोर्ड के पास निहित है।

6. वर्ष 2023–24 में ₹49.56 लाख (पिछले वर्ष: ₹10.45 लाख) की राशि विदेश यात्रा पर खर्च की गई।

7. बोर्ड ने 13.8.2019 को पीएनजीआरबी (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एक्सेस कोड) संशोधन विनियम, 2019 अधिसूचित किया। उक्त संशोधन के संदर्भ में, गैस परिवहन कंपनियों द्वारा असंतुलन और आधिक्य शुल्क के कारण एकत्र की गई और उनके द्वारा एस्क्रो खाते में रखी गई राशि को बोर्ड द्वारा खोले गए एसबीआई एस्क्रो खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसी कंपनियों के लिए भविष्य में एकत्र किए गए असंतुलन और अधिक समय लगाने पर लिए गए शुल्क को तिमाही के आधार पर बोर्ड को हस्तांतरित करना भी आवश्यक है। पीएनजीआरबी द्वारा बनाए गए एस्क्रो खाते में विभिन्न कंपनियों से प्राप्त राशि समय–समय पर सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ–साथ सीएलटीडी में जमा की जाती है। वर्ष 2023–24 के दौरान इस खाते में विभिन्न गैस परिवहन कंपनियों से ₹6,264.27 लाख (पिछला वर्ष: ₹ 8625.01 लाख) की राशि प्राप्त हुई है।

7.1. दिनांक 31.3.2024 को, ₹51,735.51 लाख (पिछले वर्ष ₹42,305.43 लाख) की राशि को अनुसूची 3 में ''निर्धारित और बंदोबस्ती निधि'' के रूप में दिखाया गया है। तुलन–पत्र के संपत्ति पक्ष पर इसका विवरण इस प्रकार दिखाया गया है:



(₹ लाख में)

शीर्ष	विवरण	2023-24	2022-23
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश	बैंक शेष–अनुसूचित बैंकों के पास:		
	– एसबीआई चालू खाता	0.23	0.21
	– एस्क्रो – केनरा बैंक में खाता	0.26	0.00
	– जमा खाता	38,333.54	40,455.61
	– सीएलटीडी	0.47	0.00
	उपार्जित ब्याज	1,214.71	1,846.72
ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	स्रोत पर कर कटौती	24.73	2.89
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को पूंजीगत अग्रिम (एनबीसीसी)	12,161.57	0.00
	कुल	**51,735.51**	**42,305.43**

8. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत बोर्ड को होने वाली कुछ आय के संबंध में 2014–15 से 2023–24 तक के आकलन वर्षों के लिए राजपत्र अधिसूचना 07.12.2016 और 14.09.2018 के माध्यम से कर छूट प्रदान की है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46क) के तहत कर वर्ष 2024–25 से आगे के लिए छूट लागू की गई है और पिछले वर्ष से ही इसे जारी रखने की उम्मीद है।

8.1 वर्ष 2019–20 के दौरान, बोर्ड को आयकर अधिकारियों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के तहत एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें आकलन वर्ष 2012–13 के संबंध में ₹6.65 लाख की आयकर की मांग की गई थी। आयकर विभाग से सुधार आदेश प्राप्त होने तक, वर्ष 2020–21 के दौरान पीएनजीआरबी ने ₹4.92 लाख जमा किए। वर्तमान में आयकर पोर्टल पर ₹0.78 लाख (मूल मांग ₹0.39 लाख और ब्याज ₹0.39 लाख) की बकाया मांग दिख रही है (वित्तीय वर्ष 2019–20 की रिफंड प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग द्वारा ₹1.33 लाख पहले ही समायोजित किया जा चुका है)।

8.2. यह देखा गया है कि पीएनजीआरबी से निम्नलिखित टीडीएस मांगें ट्रेसेस पोर्टल पर दर्शाई गई हैं:–

वित्तीय वर्ष	तिमाही	फॉर्म टाइप	राशि (₹) (वित्त वर्ष 2023–24)	राशि (₹) (वित्त वर्ष 2022–23)
2008–09	चौथी तिमाही	24क्यू	0	107,880
2010–11	चौथी तिमाही	24क्यू	190	190
2016–17	दूसरी तिमाही	24क्यू	0	8,330
2016–17	दूसरी तिमाही	24क्यू	0	5,730
2019–20	चौथी तिमाही	24क्यू	131,230	131,230
कुल			**131,420**	**253,360**

चूंकि वेतन और अन्य भुगतान पर काटे गए टीडीएस को पीएनजीआरबी द्वारा समय पर जमा किया गया था, इसलिए इन मांगों के सुधार/रद्दीकरण के लिए आयकर (टीडीएस) प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है। इन मांगों के सुधार/रद्दीकरण लंबित होने के कारण, इसे संभावित देयता के रूप में दिखाया गया है।

9. नेशनल बिल्डिंग्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी), जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालय परिसर में जगह के आवंटन के लिए अगस्त, 2013 में ₹ 666.68 लाख की आवेदन राशि का भुगतान किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक निर्देशों के मद्देनजर कि चालू



वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नई योजना पर विचार नहीं किया जाएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनवरी 2014 में सूचित किया कि चालू वर्ष में पीएनजीआरबी को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकती और पीएनजीआरबी को एनबीसीसी को दी गई आवेदन राशि को वापस लेने के लिए कहा गया। एनबीसीसी ने कार्यालय स्थान की लागत का 1% अर्थात ₹ 75.78 लाख की कटौती के बाद जून, 2016 में ₹ 590.90 लाख की राशि वापस कर दी। यह मामला शहरी विकास मंत्रालय के साथ चल रहा है, जो एनबीसीसी का प्रशासनिक मंत्रालय है। ₹ 75.78 लाख की राशि को एनबीसीसी को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और इसके लिए प्रावधान ''संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान'' शीर्षक के तहत किया गया है।

10. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए एनबीसीसी परियोजना के लिए अग्रिम – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक परियोजनाः पीएनजीआरबी ने कार्यालय स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 30,045 वर्ग फीट कारपेट एरिया (40,139 वर्ग फीट सुपर बिल्ट–अप एरिया) के साथ कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी–एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में भाग लिया। परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस प्रकार, एनबीसीसी परियोजना से संबंधित भुगतान को अनुसूची–11 में भाग–ख ऋण और अग्रिम के तहत 'नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँः पूंजी खाते पर' के तहत दर्ज किया गया है।

11. वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में ₹ 3.05 लाख की स्टाफ फर्निशिंग संपत्ति दर्ज की गई, जिस पर आनुपातिक आधार पर ₹ 0.08 लाख का मूल्यह्रास दावा किया गया है, इसे अनुसूची 8 अचल परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है। साथ ही कर्मचारियों/परामर्शदाताओं को दी गई ₹ 4.49 लाख की मोबाइल प्रतिपूर्ति को वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

12. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती दर्शाते हैं।

13. अनुलग्नक क और ख के साथ अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च 2024 तक 'तुलन–पत्र', 'आय और व्यय खाता' और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 'प्राप्ति और भुगतान खाता' के साथ संलग्न किया गया है और उसका एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

पंकज भूटानी	वन्दना शर्मा	ए.के. तिवारी	डॉ. अनिल कुमार जैन
संयुक्त सलाहकार	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27 जून 2024



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान विवरण

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	-	-	क) स्थापना व्यय	1,045.29	1,156.42
ख) बैंक में शेष	-	-	ख) प्रशासनिक व्यय	1,851.05	1,504.37
i) पीएनजीआरबी निधियां	(8.38)	85.28			
ii) असंतुलन और अधिक समय प्रभार	0.21	0.10	**II. अचल परिसंपत्तियों और चल रहा कार्य एवं सीडब्ल्यूआईपी पर व्यय**		
			क) कंप्यूटर	39.13	22.28
II. जमा खाते			ख) कार्यालय उपकरण	5.37	1.46
i) पीएनजीआरबी निधियां		23,288.93	ग) फर्नीचर एवं फिक्सचर	11.61	2.89
ii) असंतुलन और अधिक व्यय प्रभार	80,482.87	18,302.77	घ) सर्वर एवं नेटवर्क	14.74	0.18
			ड.) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2.32	-
III. प्राप्त अनुदान					
क) भारत सरकार से	-	-	**III. अन्य भुगतान**		
			वेतन से वसूली	46.38	47.49
IV. निवेश से आय	-	-	विक्रेताओं के लिए अग्रिम	1.00	7.58
			आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को पूंजीगत अग्रिम	12,161.57	-
V. प्राप्त ब्याज			सुरक्षा जमा राशि का रिफंड	0.58	50.00
क) पीएनजीआरबी निधियां	3,970.98	1,428.96	पूर्व–प्रदत्त व्यय	9.37	4.16
ख) असंतुलन और अधिक व्यय प्रभार	3,786.49	1,112.23	सुरक्षा जमा राशि का भुगतान–किराया	17.65	-
			चुकाया गया केनरा बैंक ऋण		250.00
VI. अन्य आय			पीबीजी का रिफंड	1,250.00	807.50
शुल्क	719.45	1,244.96	जीईईसीएल, एसीपीसीजीडी इंडिया और पीएओ (विस्फोटक) से वसूली योग्य	-	0.33
प्रभार (अधिभार सहित)	3,577.42	2,241.11			



(₹ लाख में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जुर्माना	2,096.19	3,031.46	**IV. जमा खाते**		
			i) पीएनजीआरबी निधियां	51,072.66	27,843.53
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			ii) असंतुलन और अधिक व्यय प्रभार	78,361.27	28,039.90
ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा	33.24	25.76			
सुरक्षा जमा	1,285.20	50.01	**V. अंतिम शेष**		
असंतुलन और अधिक व्यय प्रभार	6,253.76	8,625.01	क) हाथ में नकदी	-	-
आईटी विभाग से टीडीएस की वापसी	25.38	-	ख) बैंक में शेष		
आईटी विभाग–एस्क्रो से टीडीएस की वापसी	-	-	i) पीएनजीआरबी निधि	7.28	(8.38)
एनआईसी से रिफंड		1.24	ii) असंतुलन और अधिक व्यय प्रभार	0.49	0.21
एमओपीएनजी से रिफंड		4.91			
देनदारों से प्राप्त राशि	47.82	37.04			
समिति दौरा – एजीपी एवं टोरेंट	1.56	-			
अग्रिम – एस्सार ऑयल और थिंक गैस	15.02	-			
परिसंपत्ति की बिक्री	0.36	-			
टीडीएस रिफंड पर ब्याज	1.84	-			
पीएओ (आपूर्ति प्रभाग) एनडी	0.08				
केनरा बैंक से ऋण		250.00			
अधिवक्ता द्वारा टीडीएस रिफंड		0.15			
कुल	**1,45,897.76**	**59,729.92**	**कुल**	**1,45,897.76**	**59,729.92**

पंकज भूटानी	**वन्दना शर्मा**	**ए.के. तिवारी**	**डॉ. अनिल कुमार जैन**
संयुक्त सलाहकार	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27 जून 2024



दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 40(2) के तहत 31 मार्च, 2024 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), नई दिल्ली के संलग्न तुलन–पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण पीएनजीआरबी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के प्रति अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन सुधार पर टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम और विनियमन (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान विवरण भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

   iii. हमारी राय में, पीएनजीआरबी द्वारा उचित बही खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड रखे गए हैं, जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से पता चलता है।

   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. लेखाओं पर टिप्पणी

लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को रखने में देरी

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975–76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को हर वर्ष 31 दिसंबर तक संसद में रखा जाना आवश्यक था। हालाँकि, पीएनजीआरबी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा



220 दिनों की देरी से (08.08.2024 को रखे गए) लोक सभा में रखे गए, जबकि उन्हें अभी राज्य सभा में रखा जाना है।

ठ. अनुदान सहायता:

पीएनजीआरबी को वर्ष 2023–24 के दौरान कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हुई।

ग. प्रबंधन–पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन–पत्र के माध्यम से पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा।

(v) पिछले पैरा में हमारी टिप्पणियों के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा ऊपर वर्णित मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–। में उल्लिखित अन्य मामलों के तहत, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह तुलन–पत्र से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थिति और

(ख) जहां तक यह आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता।

हस्ता. /–
(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.10.2024



अनुलग्नक– I

{पैरा 4 (vi) में संदर्भित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा की जाती है। तथापि, वर्ष 2020–21 से बाद से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्वायत्त निकाय के आकार के अनुरूप है।
3.	अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली	अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, कमी/अधिकता का कोई मामला नहीं था।
4.	मांग–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	पीएनजीआरबी के पास कोई मांग–सूची नहीं है।
5.	उन पर लागू सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता	पीएनजीआरबी जीएसटी को छोड़कर सांविधिक बकाया का समय पर भुगतान करने में नियमित था। तथापि, इस संबंध में आज तक कोई छूट प्राप्त किए बिना, पीएनजीआरबी ने वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए जीएसटी पर सांविधिक देयता का भुगतान नहीं किया था, जो पीएनजीआरबी द्वारा एकत्रित शुल्क/प्राप्तियों पर ₹5791.64 लाख थी।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए देखा गया कोई महत्वपूर्ण जोखिम	कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं देखा गया।
7.	वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन आदि के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति के नुकसान का विवरण।	प्रबंधन ने प्रमाणित किया है कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया/रिपोर्ट नहीं किया गया।

हस्ता. /–
(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)



सीएंडएजी की टिप्पणी पर बोर्ड का उत्तर

पैरा	लेखाओं पर टिप्पणियां	उत्तर
	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को रखने में देरी सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975–76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को हर वर्ष 31 दिसंबर तक संसद में रखा जाना आवश्यक है। तथापि, पीएनआरजीबी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 220 दिनों की देरी से (08.08.2024 को रखे गए) लोक सभा में रखे गए, जबकि उन्हें अभी भी राज्य सभा में रखा जाना है।	वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 (द्विभाषी) की प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिनांक 22.12.2023 के पत्र सं. पीएनजीआरबी/प्रशा./13–एआर (01)/2022 के माध्यम से भेजी गई थीं। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र उसी दिन अर्थात् 22.12.2023 को स्थगित हो गया था, इसलिए उक्त रिपोर्ट उस समय संसद में पेश नहीं की जा सकीं। पता चला कि उक्त रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में नहीं रखी जा सकी। इसलिए मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट अगले संसद सत्र में पेश की जा सकें। वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट 08.08.2024 को लोक सभा में रखी गई। हालांकि, राज्य सभा में रखे जाने से पहले संसद 09.08.2024 को स्थगित हो गई। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया एसएआर पैरा को हटा दिया जाए।

क्र.सं.	अनुलग्नक–I (पैरा 4 (vi) में संदर्भित)	उत्तर
1	अनुलग्नक–I (पैरा 4(vi) में संदर्भित) आंतरिक लेखा परीक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा की जाती है। तथापि, वर्ष 2020–21 के बाद से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	पीएनजीआरबी को आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) से दिनांक 29.07.2024 का पत्र सं. पीएओ/पीएनजी/आंतरिक लेखापरीक्षा/ पीएनजीआरबी/2024–25/400 प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 28 अगस्त, 2024 के पीएओ ईमेल के माध्यम से यह कहा गया कि पीएनजीआरबी की लेखापरीक्षा केवल उस अवधि के लिए की जाएगी, जिस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता जारी की गई थी और आंतरिक लेखापरीक्षा दल बहुत जल्द पीएनजीआरबी का दौरा करेगा।
2	उन पर लागू सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता पीएनजीआरबी, सीएसटी को छोड़कर सांविधिक बकाया के समय पर भुगतान में नियमित था। पीएनजीआरबी के विनियामक कार्यों की फीस/प्राप्ति पर जीएसटी लागू है। तथापि, आज तक इस संबंध में कोई छूट प्राप्त किए बिना, पीएनजीआरबी ने वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए जीएसटी के कारण सांविधिक देयता का भुगतान नहीं किया था, जो पीएनजीआरबी द्वारा एकत्रित शुल्क/प्राप्ति पर ₹5791.64 लाख थी।	जीएसटी की प्रयोज्यता के लिए कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है। अभिव्यक्ति 'आपूर्ति' को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(1) में परिभाषित किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के महत्वपूर्ण घटकों में से एक यह है कि आपूर्ति का लेनदेन व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यह दर्शाता है कि मुख्य रूप से जीएसटी वाणिज्यिक लेनदेन तक ही सीमित है। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी भी गैर–व्यावसायिक/गैर–वाणिज्यिक लेनदेन को करने के लिए की गई आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के दायरे में नहीं आएगी।



क्र.सं.	अनुलग्नक– I (पैरा 4 (vi) में संदर्भित)	उत्तर
		ख) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 13/2017 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल नहीं हैं– 1) अचल संपत्ति का किराया, 2) नीचे निर्दिष्ट सेवाएँ– i. डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली एजेंसी सेवाएँ। ii. बंदरगाह या हवाई अड्डे के परिसर के अंदर या बाहर किसी विमान या जहाज से संबंधित सेवाएँ; iii. माल या यात्रियों का परिवहन। इसलिए, किसी भी अन्य सेवाओं में जीएसटी का भुगतान करने की 100% देयता सेवा प्राप्तकर्ता अर्थात व्यावसायिक कंपनी की है। इसलिए, यदि पीएनजीआरबी द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा जीएसटी के दायरे में आती है, तो सरकार को जीएसटी का भुगतान करना सेवाओं के प्राप्तकर्ता की देयता है। ग) पीएनजीआरबी एक विनियामक निकाय होने के साथ–साथ एक अर्ध–न्यायिक निकाय भी है। पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए की गई है। बोर्ड का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा, उपभोक्ताओं और निर्दिष्ट गतिविधियों में लगी कंपनियों के हितों की रक्षा करना है। बोर्ड का आवश्यक स्वरूप विशिष्ट कानून द्वारा निर्मित एक विनियामक निकाय का है। बोर्ड का उद्देश्य उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के हित में नियंत्रण या विनियामक गतिविधियाँ चलाकर कोई लाभ, फायदा या आजीविका अर्जित करना नहीं है। परिणामस्वरूप, बोर्ड आवेदन शुल्क, अन्य शुल्कों की वसूली, शिकायत शुल्क और तृतीय पक्ष के निरीक्षण शुल्क आदि पर जीएसटी (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।



क्र.सं.	अनुलग्नक– I (पैरा 4 (vi) में संदर्भित)	उत्तर
		घ) पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 13 में, बोर्ड के पास वही शक्तियां होंगी जो संहिता और सिविल प्रक्रिया, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं, इसलिए यह एक विनियामक निकाय/अर्ध–न्यायिक के रूप में कार्य कर रहा है और लाभ या आजीविका के लिए किसी भी व्यवसाय या पेशेवर गतिविधि में शामिल नहीं है। बोर्ड आय अर्जित करने की दृष्टि से श्रम या कौशल और धन के उपयोग से निरंतर और व्यवस्थित आधार पर किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। बोर्ड की विनियामक/अर्ध–न्यायिक गतिविधियों के पीछे कोई लाभ की मंशा नहीं है और परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति नहीं करती हैं। बोर्ड की गतिविधियां वाणिज्यिक या व्यवसाय की प्रकृति की नहीं हैं। ड.) पीएनजीआरबी ने 2017 में एस.सी. कामरा एंड कंपनी (जीएसटी विशेषज्ञ) से कानूनी राय ली है और उन्होंने यह भी कहा है कि पीएनजीआरबी की सेवाएं व्यवसाय के दौरान सेवाओं की आपूर्ति के बराबर नहीं हैं। इसलिए बोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण लागू करने या जीएसटी अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। च) पीएनजीआरबी ने 2018 में जीएसटी परिषद, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन भी दिए हैं, जहां बोर्ड ने जीएसटी से छूट प्राप्त निकायों की सूची में पीएनजीआरबी का नाम शामिल करने का अनुरोध किया है। कई लिखित संचार और अनुस्मारक के बावजूद मंत्रालय से कोई उत्तर नहीं आया है तथापि, इसका मतलब यह नहीं है कि बोर्ड जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। चूंकि पीएनजीआरबी द्वारा प्रदान की जाने वाली गतिविधियाँ/सेवाएँ सेवाओं की आपूर्ति नहीं हैं और उन पर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए पीएनजीआरबी ने जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया था। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पीएनजीआरबी को उत्पन्न राजस्व पर जीएसटी लगाने और एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।



अनुलग्नक–क

9वें सीजीडी बोली दौर में सीजीडी प्राधिकार/लक्ष्य

विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.01	श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिले	आंध्र प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,29,842	211	2,300
9.02	कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले	असम	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	95,001	21	751
9.03	कामरूप और कामरूप महानगरीय जिले	असम	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	3,21,001	51	961
9.04	औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,271	12	800
9.05	बेगूसराय जिला	बिहार	थिंक गैस बेगूसराय प्राइवेट लिमिटेड	1,69,787	25	762
9.06	गया और नालंदा जिले	बिहार	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	37,591	46	1,304
9.07	दीव और गिर सोमनाथ जिले	दमन और दीव (यूटी) और गुजरात	आईआरएम एनर्जी लिमिटेड	91,000	35	188
9.08	सुरेन्द्रनगर जिला (ईएएए)	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	87,005	20	839
9.09	बरवाला और रानपुर तालुका	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	12,098	4	209
9.10	नवसारी जिला (ईएएए), सूरत जिला (ईएएए), तापी जिला (ईएएए) और डांग जिला	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	90,191	25	1,010
9.11	जूनागढ़ जिला	गुजरात	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	77,400	45	3,186
9.12	खेड़ा जिला (ईएएए) और महिसागर जिला	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,75,007	30	1,010
9.13	नर्मदा (राजपीपला) जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	1,750	4	55
9.14	पोरबंदर जिला	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	60,464	12	704



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.15	पंचकुला जिला (ईएएए), सिरमौर, शिमला और सोलन (ईएएए) जिले	हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	32,360	45	NA
9.16	भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले	हरियाणा	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,50,464	60	1,010
9.17	हिसार जिला	हरियाणा	एचसीजी (केसीई) प्राइवेट लिमिटेड	2,51,370	46	1,991
9.18	झज्जर जिला	हरियाणा	हरियाणा सिटी गैस (केसीई) प्राइवेट लिमिटेड	1,38,815	46	1,175
9.19	सोनीपत जिला (ईएएए) और जिंद जिला	हरियाणा	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	98,000	38	1,183
9.20	नूंह और पलवल जिले	हरियाणा	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,81,019	60	803
9.21	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	हिमाचल प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28,170	10	NA
9.22	बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ जिले	झारखंड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	79,052	99	1,300
9.23	गिरिडीह और धनबाद जिले	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड	50,000	30	650
9.24	चित्रदुर्ग और दावणगेरे जिले	कर्नाटक	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड	1,01,000	42	75
9.25	उडुपी जिला	कर्नाटक	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,10,099	11	569
9.26	बल्लारी और गडग जिले	कर्नाटक	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53,850	24	1,365
9.27	बीदर जिला	कर्नाटक	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,200	4	143
9.28	दक्षिण कन्नड़ जिला	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड	3,50,000	100	1,250
9.29	रामनगर जिला	कर्नाटक	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	1,13,115	37	354
9.30	कोझिकोड और वायनाड जिले	केरल	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	4,21,277	142	927



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.31	मलप्पुरम जिला	केरल	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	3,38,518	130	1,671
9.32	कन्नूर, कासरगोड और माहे जिले	केरल और पुडुचेरी (यूटी)	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	3,67,176	125	1,103
9.33	पलक्कड़ और त्रिशूर जिले	केरल	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	6,00,000	200	2,126
9.34	भोपाल और राजगढ़ जिले	मध्य प्रदेश	थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड	5,50,222	104	2,508
9.35	गुना जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,900	7	400
9.36	रीवा जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,861	18	950
9.37	सतना और शांडोल जिले	मध्य प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15,600	8	196
9.38	अहमदनगर और औरंगाबाद जिले	महाराष्ट्र	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,08,100	106	2,109
9.39	वलसाड (ईएएए), धुले और नासिक जिले	महाराष्ट्र और गुजरात	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	9,37,965	156	2,181
9.40	लातूर और उस्मानाबाद जिले	महाराष्ट्र	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड	9,999	30	10
9.41	सांगली और सतारा जिले	महाराष्ट्र	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,76,700	64	2,112
9.42	सिंधुदुर्ग जिला	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	25,779	25	759
9.43	अंगुल और ढेकनाल जिले	ओडिशा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22,600	21	1,464
9.44	सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड	1,00,000	20	500
9.45	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिले	ओडिशा	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,50,464	20	506
9.46	बरगढ़, देबागढ़ और संबलपुर जिले	ओडिशा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,910	11	650



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.47	गंजाम, नयागढ़ और पुरी जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड	51,000	15	650
9.48	जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले	ओडिशा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12,550	10	791
9.49	जाजपुर और केंदुझार जिले	ओडिशा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	18,200	19	2,442
9.50	कराईकल और नागपट्टिनम जिले	पुडुचेरी (यूटी) और तमिलनाडु	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,66,644	27	495
9.51	पुडुचेरी जिला	पुडुचेरी (यूटी)	ईस्ट कोस्ट नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	2,75,000	130	2,100
9.52	एसएएस नगर जिला (ईएएए), पटियाला और संगरूर जिले	पंजाब	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	5,20,200	54	2,610
9.53	लुधियाना जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), बरनाला और मोगा जिले	पंजाब	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड	4,51,317	47	1,486
9.54	जालंधर जिला (ईएएए), कपूरथला और एसबीएस नगर जिले	पंजाब	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड	3,86,147	51	1,029
9.55	बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले	राजस्थान	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5,51,111	80	NA
9.56	अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले	राजस्थान	टोरेंट गैस जयपुर प्राइवेट लिमिटेड	13,20,000	132	12,030
9.57	कोटा जिला (ईएएए), बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले	राजस्थान	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	60,300	27	3,393
9.58	भीलवाड़ा और बूंदी जिले	राजस्थान	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	2,70,056	25	659
9.59	चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका के अलावा) और उदयपुर जिले	राजस्थान	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	4,00,583	70	1,568
9.60	धौलपुर जिला	राजस्थान	धौलपुर सीजीडी प्राइवेट लिमिटेड	18,000	14	412
9.61	कांचीपुरम जिला	तमिलनाडु	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	11,51,111	111	668





विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.62	चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले	तमिलनाडु	टोरेंट गैस चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	33,00,000	222	6,666
9.63	कोयम्बटूर जिला	तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,12,783	273	2,500
9.64	कुड्डालोर, नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिले	तमिलनाडु	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	3,00,089	40	839
9.65	रामनाथपुरम जिला	तमिलनाडु	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	41,311	11	251
9.66	सलेम जिला	तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,37,062	158	1,368
9.67	तिरुपुर जिला	तमिलनाडु	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	3,75,005	75	829
9.68	भद्राद्रि कोठागुडेम और खम्मन जिले	तेलंगाना	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	99,999	12	800
9.69	जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर और राजन्ना सिरसिला जिले	तेलंगाना	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,731	5	520
9.70	जनगांव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबुबाबाद, वारंगल शहरी और वारंगल ग्रामीण जिले	तेलंगाना	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	99,999	12	800
9.71	मेडक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिले	तेलंगाना	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	3,10,770	54	5,076
9.72	मेडचल–मलकजगिरी, रंगारेड्डी और विकाराबाद जिले	तेलंगाना	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	4,15,000	110	2,020
9.73	नलगोंडा सूर्यापेट और यदाद्रि भुवनागिरी जिले	तेलंगाना	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	3,50,000	75	1,500
9.74	गोमती जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	11,514	6	170
9.75	पश्चिमी त्रिपुरा (ईएएए) जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	15,800	6	60



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
9.76	बुलन्दशहर जिला (ईएएए), अलीगढ और हाथरस जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,43,404	46	1,662
9.77	इलाहाबाद जिला (ईएएए), भदोही और कौशांबी जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	58,658	24	680
9.78	अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	उत्तर प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	18,169	20	385
9.79	औरैया, कानपुर देहात और इटावा जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,18,800	27	1,602
9.80	फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड	4,000	4	350
9.81	गोरखपुर, संत कबीर नगर और कुशीनगर जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,78,200	36	5,814
9.82	मेरठ जिला (ईएएए), मुजफ्फरनगर और शामली जिले	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	1,05,543	36	1,755
9.83	मुरादाबाद (ईएएए) जिला	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,54,800	27	792
9.84	उन्नाव (ईएएए) जिला	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड	3,000	2	150
9.85	देहरादून जिला	उत्तराखंड	गेल गैस लिमिटेड	3,00,001	50	900
9.86	बर्दवान जिला	पश्चिम बंगाल	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	2,47,852	80	2,230
कुल				**2,21,16,702**	**4,603**	**1,16,171**

**टिप्पणी: ईएएए का अर्थ है– पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर।*



अनुलग्नक–ख

10वें सीजीडी बोली दौर में सीजीडी प्राधिकार/लक्ष्य

विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
10.01	अनंतपुर और वाईएसआर (कडप्पा) जिले	आंध्र प्रदेश	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	10,01,101	134	3,289
10.02	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिला	आंध्र प्रदेश	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	8,52,111	81	1,468
10.03	चित्तूर, कोलार और वेल्लोर जिले	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	22,95,933	251	1,731
10.04	अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,05,200	79	910
10.05	अरवल, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	80,636	50	1,023
10.06	खगड़िया,सहरसा और मधेपुरा जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,730	9	374
10.07	लखीसराय,मुंगेर और भागलपुर जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	54,471	16	1,625
10.08	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और समस्तीपुर जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,06,975	222	2,838
10.09	नवादा और कोडरमा जिले	बिहार और झारखंड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,632	21	527
10.10	शेखपुरा, जमुई और देवघर जिले	बिहार और झारखंड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	37,441	16	1,564
10.11	कैथल जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	99,144	27	810
10.12	सिरसा, फतेहाबाद और मनसा (पंजाब) जिले	हरियाणा और पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड	5,00,001	54	1,500
10.13	चतरा और पलामू जिले	झारखंड	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,821	4	100
10.14	सरायकेला–खरसावां जिला	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड	2,20,001	41	601
10.15	पश्चिमी सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड	6,028	5	100





विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
10.16	बागलकोट, कोप्पल और रायचूर जिले	कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	5,86,121	114	1,979
10.17	चिक्कमगलुरु, हसन और कोडागु जिले	कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	9,28,651	121	1,187
10.18	कलबुर्गी और विजयपुरा जिले	कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	5,26,551	62	1,395
10.19	मैसूर, मांड्या और चामराजनगर जिले	कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	13,54,714	171	1,293
10.20	उत्तर कन्नड़, हावेरी और शिवमोग्गा जिले	कर्नाटक	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	8,99,311	126	1,993
10.21	अलपुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले	केरल	एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड	18,51,111	291	1,851
10.22	अशोकनगर जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,885	9	158
10.23	ग्वालियर (ईएएए) जिला और श्योपुर जिला	मध्य प्रदेश	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	1,67,756	26	2,278
10.24	मुरैना जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,160	8	138
10.25	रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड	4,00,001	65	551
10.26	शिवपुरी जिला	मध्य प्रदेश	थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड	27,229	11	60
10.27	सीधी और सिंगरौली जिले	मध्य प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20,800	11	600
10.28	उज्जैन (ईएएए) जिला, देवास (ईएएए) जिला और इंदौर (ईएएए) जिला	मध्य प्रदेश	गुजरात गैस लिमिटेड	4,84,500	42	1,800
10.29	अनुपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	77,033	20	1,289
10.30	झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले	मध्य प्रदेश और राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड	4,50,000	54	2,100



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
10.31	झाँसी (ईएएए) जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया जिले	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,10,099	29	1,568
10.32	फिरोजपुर, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब जिले	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड	3,50,004	45	1,200
10.33	होशियारपुर और गुरदासपुर जिले	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड	6,00,123	81	1,800
10.34	अजमेर, पाली और राजसमंद जिले	राजस्थान	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	10,00,944	198	1,944
10.35	जालोर और सिरोही जिले	राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड	4,00,008	30	1,800
10.36	आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,00,800	40	1,008
10.37	बरेली (ईएएए) जिला, पीलीभीत और रामपुर जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,45,000	140	1,200
10.38	बस्ती और अंबेडकर नगर जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	35,100	18	207
10.39	फर्रुखाबाद, एटा और हरदोई जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	98,000	75	1,200
10.40	गोंडा और बाराबंकी जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	1,11,600	36	756
10.41	जौनपुर और गाजीपुर जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	77,033	38	875
10.42	कानपुर (ईएएए) जिला,	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	1,44,000	45	1,170
10.43	मैनपुरी और कन्नौज जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	60,000	45	972
10.44	मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड	1,51,001	51	400
10.45	शाहजहाँपुर और बदायूँ जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,25,000	75	950



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
10.46	बिजनौर और नैनीताल जिले	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,00,000	91	NA
10.47	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले	पश्चिम बंगाल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,90,000	125	NA
10.48	हावड़ा (ईएएए) जिला और हुगली (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,75,000	100	900
10.49	नादिया (ईएएए) जिला और उत्तर 24 परगना (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,25,000	110	1,543
10.50	दक्षिण 24 परगना (ईएएए) जिला	पश्चिम बंगाल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,00,000	65	1,552
कुल				**2,02,92,760**	**3,578**	**58,177**

**टिप्पणी: ईएएए का अर्थ है– पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर।*



अनुलग्नक–ग

11 और 11ए सीजीडी बोली दौर/लक्ष्य के अंतर्गत सीजीडी प्राधिकार

विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				पीएनजी घरेलू कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन	पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
11.01	कुरनूल, गुंटूर और प्रकाशम जिले	आंध्र प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44,99,311	301	1,412
11.02	नागांव, मोरीगांव, होजई, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिले	असम	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	4,81,962	78	1,962
11.03	लखीमपुर, धेमाजी, दर्रांग, उदलगिरि, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले	असम	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	3,46,000	166	2,288
11.04	कोकराझार, धुबरी, दक्षिण सलमारा–मनकचर और गोलपारा जिले	असम	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	3,11,962	62	962
11.05	बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, चिरांग, नलबाड़ी और बजाली जिले	असम	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	4,81,962	78	878
11.06	दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढी और शिवहर जिले	बिहार	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,10,999	50	2,895
11.07	गोपालगंज, सीवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और देवरिया जिले	बिहार एवं उत्तर प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,10,999	67	4,141
11.08	बलौदा बाजार, गरियाबंद और रायपुर जिले	छत्तीसगढ	एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड	15,06,000	606	5,060
11.09	कबीरधाम, राज नंदगांव और कांकेर जिले	छत्तीसगढ	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	3,11,962	78	1,962
11.10	मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और धमतरी जिले	छत्तीसगढ	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	11,11,962	178	1,962
11.11	जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा और महासमुंद जिले	छत्तीसगढ	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	8,81,162	162	1,962
11.16	मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले	हिमाचल प्रदेश	गैसोनेट सर्विसेज (एचपी) लिमिटेड	2,52,000	45	NA
11.17	कांगड़ा और चंबा जिले	हिमाचल प्रदेश	थिंक गैस हिमाचल प्राइवेट लिमिटेड	3,00,109	41	NA
11.18	जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा और कठुआ जिले	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,52,352	121	NA



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				पीएनजी घरेलू कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन	पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
11.19	गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा और खूंटी जिले	झारखंड	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,61,978	62	978
11.20	चिक्काबल्लापुर जिला	कर्नाटक	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	3,82,500	81	999
11.21	इडुक्की, कोट्टायम और पट्टानमटिट्टा जिले	केरल	शोलागास्को प्राइवेट लिमिटेड	10,80,928	325	1,342
11.22	आगर मालवा, नीमच, मंदसौर और झालावाड़ जिले	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	5,40,000	126	3,060
11.23	बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और हरदा जिले	मध्य प्रदेश	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	5,11,978	119	1,578
11.24	टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना जिले	मध्य प्रदेश	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,91,978	47	1,478
11.25	बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले	मध्य प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	4,00,500	171	2,088
11.26	दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, उमरिया और डिंडोरी जिले	मध्य प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	15,30,000	171	6,507
11.27	होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर और विदिशा जिले	मध्य प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 663,300	6,63,300	207	3,600
11.28	बुलदाना, नांदेड़ और परभणी जिले	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	20,07,730	325	2,600
11.29	बीड, जलगांव और जालना जिले	महाराष्ट्र	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23,09,973	151	1,188
11.30	अकोला, हिंगोली और वाशिम जिले	महाराष्ट्र	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	5,11,962	101	1,962
11.31	अमरावती और यवतमाल जिले	महाराष्ट्र	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	9,01,962	162	2,562
11.32	चंद्रपुर और वर्धा जिले	महाराष्ट्र	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	9,09,000	117	3,060
11.33	नागपुर जिला	महाराष्ट्र	एचसीजी नागपुर प्राइवेट लिमिटेड	19,65,000	756	7,221
11.34	भंडारा, गोंदिया और गरचिरोली जिले	महाराष्ट्र	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	3,61,962	78	1,562



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				पीएनजी घरेलू कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन	पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
11.35	अलीराजपुर, नंदुरबार और बड़वानी जिले	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	2,21,962	62	662
11.36	कोरापुट, मल्कानगिरी और नबरंगपुर जिले	ओडिशा	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	1,51,968	38	968
11.37	गजपति, कंधमाल, बौध और सोनपुर जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड	30,001	30	900
11.38	रायगढ़ा, कालाहांडी, बोलांगीर और नुआपाड़ा जिले	ओडिशा	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	3,03,030	63	2,520
11.39	पठानकोट जिला	पंजाब	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,62,740	51	151
11.40	तरनतारन जिला	पंजाब	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	2,43,000	72	999
11.41	फाजिल्का (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले	पंजाब और राजस्थान	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,52,999	49	3,308
11.42	बीकानेर और चूरू जिले	राजस्थान	गैसोनेट सर्विसेज (आरजे) लिमिटेड	9,00,000	81	1,800
11.43	झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले	राजस्थान	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20,87,645	171	1,200
11.44	दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिले	राजस्थान	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,07,000	124	3,988
11.45	धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिले	तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,19,227	201	1,201
11.46	तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कल्लाक्कुरिची जिले	तमिलनाडु	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	13,23,000	99	2,520
11.47	अरियालुर और पेरम्बलूर जिले	तमिलनाडु	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	4,19,400	63	1,530
11.48	नमक्कल और तिरुचिरापल्ली जिले	तमिलनाडु	आईआरएम एनर्जी लिमिटेड	17,74,000	290	1,450
11.49	पुदुकोट्टई, शिवगंगा और तंजावुर जिले	तमिलनाडु	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14,00,004	216	6,498
11.50	मदुरै, थेनी और विरुद्धनगर जिले	तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28,46,696	201	2,001
11.51	कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तिरुनेवेली कट्टाबो और तेनकासी जिले	तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29,39,842	251	2,001



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				पीएनजी घरेलू कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन	पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
11.52	डिंडीगुल और करूर जिले	तमिलनाडु	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	10,08,000	135	3,510
11.53	नीलगिरी और इरोड जिले	तमिलनाडु	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,84,777	201	1,316
11.54	निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचेरियल कुमुरम भीम आसिफाबाद और कामारेड्डी जिले	तेलंगाना	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	12,86,333	351	2,500
11.55	जोगुलम्बा गडवाल, नगरकुर्नूल, महबूबनगर, नारायणपेट, वानापर्थी और यादगीर जिले	तेलंगाना और कर्नाटक	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	12,99,996	270	4,545
11.56	दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिला	त्रिपुरा	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	96,000	46	844
11.57	धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, उनाकोटि और खोवाई	त्रिपुरा	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	1,16,000	66	552
11.58	अमरोहा (पूर्व प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) एवं संभल (पूर्व प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) जिले	उत्तर प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	6,57,000	99	1,440
11.59	कासगंज जिला	उत्तर प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	2,52,000	45	1,530
11.60	पुरुलिया और बांकुरा जिले	पश्चिम बंगाल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,55,999	27	1,211
11.61	पूर्वी मेदनीपुर, पश्चिम मेदनीपुर और झाड़ग्राम जिले	पश्चिम बंगाल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	37,34,901	131	1,500
11.62	अलीपुरद्वार और कोच बिहार	पश्चिम बंगाल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,51,999	19	706
11.63	बांदा, चित्रकूट और महोबा	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	1,50,006	102	2,325
11.64	पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जिले	उत्तराखंड	गैसोनेट सर्विसेज (यूके) लिमिटेड	3,51,000	63	NA
11.65	पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिले	उत्तराखंड	गैसोनेट सर्विसेज (यूके) लिमिटेड	4,05,000	72	NA



विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				पीएनजी घरेलू कनेक्शन	सीएनजी स्टेशन	पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
11A.01	लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महराजगंज जिले	उत्तर प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50,69,648	421	5,060
11A.02	बांका (बिहार), दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले	बिहार और झारखंड	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,76,189	99	2,007
11A.03	बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जिले	पश्चिम बंगाल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	62,10,189	162	1,845
11A.04	कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले	छत्तीसगढ	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,59,496	54	1,335
11A.05	कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले	छत्तीसगढ	गेल गैस लिमिटेड	70,031	32	511
11A.06	यानम	पुदुचेरी	एचसीजी यानम प्राइवेट लिमिटेड	51,000	51	133
	कुल			**7,05,57,571**	**9,540**	**1,33,836**

**टिप्पणी: ईएएए का अर्थ है– पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर।*



अनुलग्नक–घ

12वें और 12ए सीजीडी बोली दौर/लक्ष्यों के अंतर्गत सीजीडी प्राधिकार

विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य	अधिकृत सीजीडी कंपनी	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम		
				सीएनजी स्टेशन	पीएनजी घरेलू कनेक्शन	स्टील पाइपलाइन (इंच–कि.मी.)
12.01	अरुणाचल प्रदेश राज्य	अरुणाचल प्रदेश	बीपीसीएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड का परिसंघ 19,000	19,000	26	150
12.02	मेघालय राज्य	मेघालय	एचसीजी (केसीई) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य का संघ	3,56,000	314	2,105
12.03	मणिपुर राज्य	मणिपुर	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	1,00,439	39	180
12.04	नागालैंड राज्य	नगालैंड	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	3,56,589	63	189
12.05	सिक्किम राज्य	सिक्किम	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,77,399	45	657
12.06	अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम, डोडा, गांदरबल, कारगिल, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, शोपियां, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30,804	23	360
12A	मिजोरम राज्य	मिजोरम	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	2,91,562	75	1,002
कुल				**13,31,793**	**585**	**4,643**

**टिप्पणी: ईएएए का अर्थ है– पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर।*



अनुलग्नक ङ

8वें सीजीडी बोली दौर तक सीजीडी प्राधिकार, पीएनजीआरबी–पूर्व प्राधिकार और पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 42 और 16 के तहत प्राधिकार

क्र.सं.	जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	प्राधिकार की तिथि
प्रथम सीजीडी बोली दौर					
1	1.01	देवास	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड	01–जून–09
2	1.02	कोटा	राजस्थान	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	01–जून–09
3	1.03	मथुरा	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	11–जून–09
4	1.04	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	12–जून–09
5	1.05	सोनीपत	हरियाणा	गेल गैस लिमिटेड	12–जून–09
6	1.06	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड	12–जून–09
दूसरा सीजीडी बोली दौर					
7	2.01	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	08–मई–13
8	2.02	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	08–मई–13
9	2.03	झांसी	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	26–फरवरी–14
तीसरा सीजीडी बोली दौर					
10	3.01	जालंधर	पंजाब	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	06–सितम्बर–13
11	3.02	भावनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	05–मार्च–14
12	3.03	जामनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	17–जनवरी–14
13	3.04	कच्छ (पश्चिम)	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	19–दिसम्बर–14
14	3.05	कच्छ (पूर्व)*	गुजरात	जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व वाला परिसंघ	12–मार्च–15
15	3.06	लुधियाना*	पंजाब	जय मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व वाला परिसंघ	25–जुलाई–15
चौथा सीजीडी बोली दौर					
16	4.01	बेंगलुरू ग्रामीण और शहरी जिले	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड	18–फरवरी–15
17	4.02	पानीपत जिला	हरियाणा	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	01–अप्रैल–15
18	4.03	पालघर जिला और ठाणे ग्रामीण	महाराष्ट्र	गुजरात गैस लिमिटेड	01–अप्रैल–15
19	4.04	रायगढ़ जिला (ईएएए)	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड	01–अप्रैल–15
20	4.05	केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली	दादरा और नागरा हवेली	गुजरात गैस लिमिटेड	01–अप्रैल–15
21	4.06	दमन संघ राज्य क्षेत्र	दमन और दीव	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	01–अप्रैल–15
22	4.07	अमृतसर जिला	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड	05–मई–15
23	4.08	पुणे जिला (ईएएए)	महाराष्ट्र	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड	18–मई–15



क्र.सं.	जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	प्राधिकार की तिथि
24	4.09	एर्नाकुलम जिला	केरल	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	14–अक्टूबर–15
			5वां सीजीडी बोली दौर		
25	5.01	उधम सिंह नगर जिला	उत्तराखंड	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	28–जुलाई–15
26	5.02	हरिद्वार जिला	उत्तराखंड	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	27–जुलाई–15
27	5.03	पूर्वी गोदावरी जिला (ईएएए)	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	14–अगस्त–15
28	5.04	पश्चिमी गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	14–अगस्त–15
29	5.05	तुमकुर जिला	कर्नाटक	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14–अगस्त–15
30	5.06	कृष्णा जिला (ईएएए)	आंध्र प्रदेश	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14–सितम्बर–15
31	5.07	धारवाड़ जिला	कर्नाटक	इंडियन ऑयल–अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	14–सितम्बर–15
32	5.08	बेलगाम जिला	कर्नाटक	मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	14–सितम्बर–15
			6वां सीजीडी बोली दौर		
33	6.01	भटिंडा जिला	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड	10–मई–16
34	6.02	सहारनपुर जिला	उत्तर प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11–मई–16
35	6.03	अमरेली जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	27–मई–16
36	6.04	पाटन जिला	गुजरात	साबरमती गैस लिमिटेड	27–मई–16
37	6.05	दहेज वागरा तालुका	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	06–जून–16
38	6.06	रूपनगर जिला	पंजाब	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10–जून–16
39	6.07	उत्तर गोवा जिला	गोवा	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	24–जून–16
40	6.08	दाहोद जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	27–जून–16
41	6.09	बनासकांठा जिला	गुजरात	आईआरएम एनर्जी लिमिटेड	01–जुलाई–16
42	6.10	आनंद जिला (ईएएए)	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	04–जुलाई–16
43	6.11	पंचमहल जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	04–जुलाई–16
44	6.12	फतेहगढ़ साहिब जिला	पंजाब	आईआरएम एनर्जी लिमिटेड	05–जुलाई–16
45	6.13	यमुनानगर जिला	हरियाणा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22–जुलाई–16
46	6.14	रत्नागिरी जिला	महाराष्ट्र	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड	09–अगस्त–16
47	6.15	रेवाड़ी जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	19–अगस्त–16
48	6.16	धार जिल	मध्य प्रदेश	नवेरिया गैस प्राइवेट लिमिटेड	07–नवंबर–16
49	6.17	रोहतक जिला	हरियाणा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	09–अप्रैल–18
50	6.18	अहमदाबाद जिला (ईएएए)	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	22–जून–16
			7वां सीजीडी बोली दौर		
51	7.01	सोलापुर जिला	महाराष्ट्र	आईएमसी लिमिटेड	06–मार्च–17
			8वां सीजीडी बोली दौर		
52	8.01	दक्षिण गोवा जिला	गोवा	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	07–फरवरी–18
53	8.02	करनाल जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	08–फरवरी–18



क्र.सं.	जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	प्राधिकार की तिथि
54	8.03	अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले	हरियाणा	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	22–फरवरी–18
55	8.04	कोल्हापुर जिला	महाराष्ट्र	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	06–मार्च–18
56	8.05	बुलंदशहर (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	इंडियन–ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	06–मार्च–18
57	8.06	बागपत जिला	उत्तर प्रदेश	बागपत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	28–मार्च–18
पीएनजीआरबी–पूर्व – केंद्र सरकार प्राधिकार (सीजीडी प्राधिकार नियमों का विनियम 17)					
58	99.01	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	9–जनवरी–09
59	99.02	मुंबई और ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड	21–जनवरी–09
60	99.03	बरेली	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	22–अप्रैल–09
61	99.04	कानपुर	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	22–अप्रैल–09
62	99.05	पुणे शहर जिसमें पिंपरी–चिचवड़ और निकटवर्ती क्षेत्र हिंजवडी, चाकण, तलेगांव शामिल हैं	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	1–जून–09
63	99.06	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	28–जुलाई–09
64	99.07	ठाणे शहरी और आसपास की नगर पालिकाएँ	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड	4–अगस्त–09
65	99.08	इंदौर (उज्जैन शहर सहित)	मध्य प्रदेश	आवंतिका गैस लिमिटेड	31–अगस्त–09
66	99.09	हैदराबाद	तेलंगाना	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	9–अक्तूबिर–09
67	99.10	आगरा	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड	12–नवम्बर–09
68	99.11	गांधीनगर मेहसाणा साबरकांठा	गुजरात	साबरमती गैस लिमिटेड	16–दिसम्बर–09
69	99.12	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	आवंतिका गैस लिमिटेड	4–जनवरी–10
70	99.13	फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेजियम जोन)	उत्तर प्रदेश और राजस्थान	गेल गैस लिमिटेड	26–सितम्बर–11
71	99.14	कोलकाता नगर निगम और आसपास के जिलों के कुछ हिस्से	पश्चिम बंगाल	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	2–फरवरी–16
72	99.15	ऊपरी असम	असम	असम गैस कंपनी लिमिटेड	6–फरवरी–15
73	99.16	अगरतला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	24–फरवरी–15
74	99.17	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड	15–मार्च–16
75	99.18	वडोदरा	गुजरात	वडोदरा गैस लिमिटेड	27–अक्तूबर–16
76	99.19	गाजियाबाद और हापुड़ जिले	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	6–सितम्बर–19
77	99.20	नोएडा (ग्रेटर नोएडा सहित)	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	25.04.2023
पीएनजीआरबी–पूर्व – केंद्र सरकार के प्राधिकारों के अलावा (सीजीडी प्राधिकार विनियमों का विनियम 18)					
78	98.01	खुर्जा	उत्तर प्रदेश	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	4–दिसम्बर–12
79	98.02	सूरत, भरूच, अंकलेश्वर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	8–नवंबर–12
80	98.03	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड	30–नवंबर–12
81	98.04	नाडियाड	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	1–अक्टूबर–13
82	98.05	नवसारी	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	1–अक्टूबर–13



क्र.सं.	जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	प्राधिकार की तिथि
83	98.06	राजकोट	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	1–अक्टूबर–13
84	98.07	सुरेन्द्रनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	1–अक्टूबर–13
85	98.08	अहमदाबाद शहर और दस्करोई क्षेत्र	गुजरात	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	28–नवंबर–13
86	98.09	हजीरा	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	17–जुलाई–14
87	98.10	वलसाड	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड	20–जनवरी–15
88	98.11	कंजरी और वडताल गांवों सहित आनंद क्षेत्र (खेड़ा जिले में)	गुजरात	चरोतर गैस सहकारी मंडली लिमिटेड	12–मई–15
89	98.12	भिवाड़ी (अलवर जिले में)	राजस्थान	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (भिवाड़ी) लिमिटेड	1–अगस्त–18
90	98.13	गुरुग्राम–2	हरियाणा	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	25–अप्रैल–23
पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 42 और 16 के अंतर्गत					
91	97.01	पटना जिला	बिहार	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
92	97.02	पूर्वी सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
93	97.03	रांची जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
94	97.04	खोरधा जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
95	97.05	कटक जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
96	97.06	वाराणसी जिला	उत्तर प्रदेश	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7–मार्च–18
पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत					
97	95.01	फरीदाबाद–2	हरियाणा	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	25–अप्रैल–23

**इन सीजीडी नेटवर्कों का प्राधिकार पीएनजीआरबी द्वारा 03.12.2020 को रद्द कर दिया गया था*



अनुलग्नक–च

सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण

(दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सीजीडी नेटवर्क का नाम	बैठक/सुनवाई की तिथि
1	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	नागांव, मोरीगांव, होजई, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिले	19-04-2023
2		कोकराझार, धुबरी, दक्षिण सलमारा–मनकचर और गोलपारा जिले	19-04-2023
3		बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, चिरांग और नलबाड़ी जिले	19-04-2023
4		कबीरधाम, राज नंदगांव और कांकेर जिले	19-04-2023
5		जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा और महासमुंद जिले	19-04-2023
6		गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा और खूंटी जिले	19-04-2023
7		अकोला, हिंगोली और वाशिम जिले	19-04-2023
8		अमरावती और यवतमाल जिले	19-04-2023
9		भंडारा, गोंदिया और गरचिरोली जिले	19-04-2023
10		कोरापुट, मल्कानगिरी और नबरंगपुर जिले	19-04-2023
11		मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और धमतरी जिले	19-04-2023
12	असम गैस कंपनी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (एजीसीएल और ओआईएल) का परिसंघ	लखीमपुर, धेमाजी, दर्रांग, उदलगिरि, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले	02-05-2023
13		दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिले	02-05-2023
14		धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, उनाकोटि और खोवाई जिले	02-05-2023
15		लखीमपुर, धेमाजी, दर्रांग, उदलगिरि, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले	13-07-2023
16		दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिले	13-07-2023
17		धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, उनाकोटि और खोवाई जिले	13-07-2023
18		लखीमपुर, धेमाजी, दर्रांग, उदलगिरि, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले	12-09-2023
19		दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिले	12-09-2023
20		धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, उनाकोटि और खोवाई जिले	12-09-2023
21	गेल गैस लिमिटेड	कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले	28-04-2023
22		कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले	04-07-2023
23		कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले	21-08-2023



क्र.सं.	कंपनी का नाम	सीजीडी नेटवर्क का नाम	बैठक/सुनवाई की तिथि
24	गैसोनेट सर्विसेज (एचपी) लिमिटेड	मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले	28-04-2023
25		मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले	04-07-2023
26		मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले	21-08-2023
27	गैसोनेट सर्विसेज (यूके) लिमिटेड	पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जिले	28-04-2023
28		पिथौरागढ, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिले	28-04-2023
29		पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जिले	04-07-2023
30		पिथौरागढ, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिले	04-07-2023
31		पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जिले	21-08-2023
32		पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिले	21-08-2023
33	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिले	26-04-2023
34		बांका (बिहार), दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले	26-04-2023
35		बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जिले	26-04-2023
36	शोलागास्को प्राइवेट लिमिटेड	इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिले	26-04-2023
37		इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिले	12-06-2023
38		इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिले	21-08-2023
39		इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिले	13-02-2024
40	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएलपीएल)	लुधियाना जिला (ईएए), बरनाला और मोगा जिले	18-04-2023



अनुलग्नक – छ

लंबित वित्तीय समापन (एफसी) और गैस आपूर्ति समझौता (जीएसए) – 11वां और 11ए सीजीडी बोली दौर (31.03.2024 तक की स्थिति)

क्र.सं.	विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	प्राधिकृत कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकार का स्थानांतरण / संशोधन की तिथि / प्रभावी तिथि	जीएसए और एफसी के लिए नियत तिथि	उपलब्धि / प्रस्तुतिकरण स्थिति	
								जीएसए	एफसी
1	11.03	लखीमपुर, धेमाजी, दर्रांग, उदलगिरि, सोनितपुर और बिश्वनाथ चारियाली जिले	असम	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	23.03.2022	06.03.2024	17.12.2022	लागू नहीं	समीक्षा के अधीन
2	11.56	दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिला	त्रिपुरा	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	15.03.2022	06.03.2024	09.12.2022	लागू नहीं	समीक्षा के अधीन
3	11.57	धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, उनाकोटि और खोवाई	त्रिपुरा	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	15.03.2022	06.03.2024	09.12.2022	लागू नहीं	समीक्षा के अधीन
4	11.64	पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल जिले	उत्तराखंड	गैसोनेट सर्विसेज (यूके) लिमिटेड	20.02.2023	02.09.2022	20.02.2023	लागू नहीं	समीक्षा के अधीन
5	11.65	पिथौरागढ, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिले	उत्तराखंड	गैसोनेट सर्विसेज (यूके) लिमिटेड	04.02.2023	02.09.2022	04.02.2023	लागू नहीं	समीक्षा के अधीन
6	11.21	इडुक्की, कोट्टायम और पट्टानमटिट्टा जिले	केरल	शोलागास्को प्राइवेट लिमिटेड	09.12.2022	लागू नहीं	09.12.2022	लागू नहीं	दस्तावेजों की प्रतीक्षा है



अनुलग्नक – ज

निर्दिष्ट एनजीपीएल की अनुपलब्धता के कारण सीजीडी कंपनियों का विस्तार

क्र. सं.	विशिष्ट् जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	प्राधिकृत कंपनी	पिछली प्रारंभ तिथि	नई प्रारंभ तिथि	नामित एनजीपीएल
1	11.02	नागांव, मोरीगांव, होजई, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.01.2023	एकीकृत जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
2	11.04	कोकराझार, ध्ुबरी, दक्षिण सलमारा–मनकचर और गोलपारा जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	एकीकृत जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
3	11.05	बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, चिरांग, नलबाड़ी और बजाली जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	एकीकृत जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
4	11.08	बलौदा बाजार, गरियाबंद और रायपुर जिले	एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
5	11.09	कबीरधाम, राज नंदगांव और कांकेर जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.04.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
6	11.10	मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और धमतरी जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.04.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
7	11.11	जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा और महासमुंद जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
8	11.19	गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा और खूंटी जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
9	11.28	बुलदाना, नांदेड़ और परभणी जिले	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
10	11.29	बीड, जलगांव और जालना जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
11	11.30	अकोला, हिंगोली और वाशिम जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
12	11.31	अमरावती और यवतमाल जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन



क्र. सं.	विशिष्ट् जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	प्राधिकृत कंपनी	पिछली प्रारंभ तिथि	नई प्रारंभ तिथि	नामित एनजीपीएल
13	11.33	नागपुर जिला	एचसीजी नागपुर प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
14	11.34	भंडारा, गोंदिया और गरचिरोली जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2023	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
15	11.36	कोरापुट, मल्कानगिरी और नबरंगपुर जिले	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.01.2023	श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
16	11.39	पठानकोट जिला	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.10.2025	गुरदासपुर जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
17	11.43	झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.04.2023	मेहसाणा भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
18	11.45	धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.01.2023	एन्नोर–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
19	11.48	नमक्कल और तिरुचिरापल्ली जिले	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2022	01.04.2024	एन्नोर–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
20	11.50	मदुरै, थेनी और विरुद्ध नगर जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.01.2023	एन्नोर–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
21	11.51	कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तिरुनेवेली कट्टाबो और तेनकासी जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.01.2023	एन्नोर–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
22	11.54	निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचेरियल कुमुरम भीम आसिफाबाद और कामारेड्डी जिले	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	मल्लावरम–भोपाल–भीलवाड़ा–विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
23	11.61	पूर्वी मेदनीपुर, पश्चिम मेदनीपुर और झाड़ग्राम जिले	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2022	01.07.2023	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन



अनुलग्नक – झ

प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण

(1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	सुनवाई की तिथि
1	कोच्चि–कुट्टनाड–बैंगलोर–मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल)	गेल इंडिया लिमिटेड (गेल)	गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023
2	चौनसा–झज्जर–हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल) और दादरी बवाना नांगल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीबीएनपीएल)	गेल इंडिया लिमिटेड (गेल)	बुधवार, 19 अप्रैल, 2023
3	उत्तर–पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड (एनईजीजी)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)	गुरुवार, 20 अप्रैल, 2023
4	काकीनाडा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केएसपीएल)	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड	गुरुवार, 20 अप्रैल, 2023
5	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा, बरौनी–गुवाहाटी और धामरा–हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एकीकृत जेएचबीडीपीएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	बुधवार, 3 मई, 2023
6	काकीनाड़ा–विजयवाड़ा–नेल्लोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केवीएनपीएल)	आईएमसी लिमिटेड (आईएमसी)	बुधवार, 3 मई, 2023
7	कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (केजीपीएल)	आईएचबी लिमिटेड	मंगलवार, 9 मई, 2023
8	काकीनाड़ा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केएसपीएल)	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड	मंगलवार, 9 मई, 2023
9	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	सोमवार, 15 मई, 2023
10	कनाई–छाता–श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केसीएसपीएल)	हुगली पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	गुरुवार, 25 मई, 2023
11	काकीनाड़ा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केएसपीएल)	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड	मंगलवार, 13 जून 2023
12	मेहसाणा–भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	सोमवार, 7 अगस्त 2023
13	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा (बरौनी–गुवाहाटी और धामरा–हल्दिया सहित) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	मंगलवार, 8 अगस्त 2023
14	एन्नोर–थिरुवल्लूर–बेंगलुरु– पुडुचेरी–नागापट्टिनम–मधुराई–तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईटीपीएल)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	सोमवार, 21 अगस्त 2023
15	श्रीकाकुलम–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	सोमवार, 28 अगस्त 2023
16	एन्नोर – तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पुडुचेरी – नागापट्टिनम – मधुरई – तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईटीबीपीएनएमटीपीएल) के साथ कनेक्टिविटी के लिए सीजीडी संस्थाओं के साथ बैठक, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को प्राधिकृत किया गया।	एन्नोर – तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पुडुचेरी – नागापट्टिनम – मधुरई – तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (ईटीबीपीएनएमटीपीएल) के साथ कनेक्टिविटी के लिए सीजीडी संस्थाओं के साथ बैठक, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को प्राधिकृत किया गया।	सोमवार, 4 सितंबर, 2023



क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	सुनवाई की तिथि
17	गुरदासपुर – जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	बुधवार, 13 सितंबर, 2023
18	काकीनाड़ा–श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केएसपीएल)	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड	गुरुवार, 21 सितंबर 2023
19	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) की संयुक्त बैठक	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) की संयुक्त बैठक	बुधवार, 4 अक्टूबर 2023
20	कनाई–छाता–श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केसीएसपीएल)	हुगली पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023
21	कोच्चि–कुट्टनाड़–बैंगलोर–मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	सोमवार, 9 अक्टूबर, 2023
22	भटिंडा–गुरदासपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल)	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	सोमवार, 9 अक्टूबर, 2023
23	जोधपुर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर उसे चालू करने के संबंध में जीआईजीएल के साथ बैठक की गई।	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	सोमवार, 9 अक्टूबर, 2023
24	हजारीबाग रांची प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एचआरपीएल)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शुक्रवार, 3 नवंबर, 2023
25	काकीनाडा–विजयवाड़ा–नेल्लोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	आईएमसी लिमिटेड	मंगलवार, 7 नवंबर, 2023
26	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	मंगलवार, 12 दिसंबर 2023
27	पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक गैस के स्रोतों और मांग केंद्रों के संबंध में प्रस्तुति	पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक गैस के स्रोतों और मांग केंद्रों के संबंध में प्रस्तुति	बुधवार, 27 दिसंबर, 2023
28	द्वेचा, जालौर (मेहसाणा–भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमबीपीएल) के बाडमेर–पाली खंड पर एसवी–01 स्टेशन) से पचपदरा राजस्थान में एचआरआरएल रिफाइनरी तक	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	मंगलवार, 9 जनवरी, 2024
29	जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा (बरूनी गुवाहाटी सहित) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और धामरा–हल्दिया पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	सोमवार, 15 जनवरी, 2024
30	श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल (इंडिया) लिमिटेड	सोमवार, 15 जनवरी, 2024
31	कनाई–छाता–पानीतार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केसीपीपीएल)	हुगली पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल)	मंगलवार, 16 जनवरी, 2024
32	मेहसाणा–भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	बुधवार, 28 फरवरी, 2024
33	पूर्णतः परिचालन योग्य कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, टाई–इन कनेक्टिविटी और समर्पित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्रस्तुति	गेल (इंडिया) लिमिटेड	गुरुवार, 14 मार्च, 2024
34	काकीनाड़ा–हैदराबाद–उरण अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्रस्तुति	पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पीआईएल)	बुधवार, 27 मार्च 2024



अनुलग्नक–ञ (जारी...)

भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क – 31 मार्च, 2024 तक

विवरण		लंबाई (कि.मी.)	कुल (कि.मी.)
प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	सामान्य वाहक	31,903	33,478
	अनुबंध कनेक्टिविटी	795	
	समर्पित	780	
परिचालन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	सामान्य वाहक	23,560	24,881
	सामान्य वाहक	23,560	
	अनुबंध कनेक्टिविटी	178	
	समर्पित	653	
	एसटीपीएल	490	
निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	सामान्य वाहक	9,528	10,404
	अनुबंध कनेक्टिविटी	619	
	समर्पित	122	
	एसटीपीएल	135	

प्राधिकृत पाइपलाइनों की लंबाई की तुलना में परिचालन और निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की लंबाई के योग में भिन्नता निम्नलिखित कारकों में से एक या अधिक के कारण होती है:–

i. साइट की स्थिति के कारण निर्मित लंबाई में भिन्नता,

ii. पीपीपीएल प्राधिकार नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत कंपनियों द्वारा टैरिफ कॉरिडोर के भीतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइनें बिछाई गईं।

iii. उपर्युक्त परिचालनगत और निर्माणाधीन पाइपलाइनों की लंबाई में सीजीडी कंपनियों आदि के स्वामित्व वाली सब–ट्रांसमिशन पाइपलाइनों (एसटीपीएल) की उपलब्ध लंबाई शामिल है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की उपर्युक्त चालू और निर्माणाधीन लंबाई में सीजीडी कंपनियों के स्वामित्व वाली सब–ट्रांसमिशन पाइपलाइनों की उपलब्ध लंबाई भी शामिल है।

अस्वीकरण: उपर्युक्त डेटा कंपनियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। यदि किसी प्रकार की विसंगति होती है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जो इसमें दी गई जानकारी तक पहुंच या उसके उपयोग के परिणामस्वरूप उठाए गए किसी भी कदम के कारण हुई हों।



अनुलग्नक – ञ (क) (जारी...)

संकेताक्षरों की सूची

एजीसीएल	असम गैस कंपनी लिमिटेड
एजीपीकेएलपीएल	एजीपी कराईकल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
एपीसीपीएल	आस्था पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
एपीजीडीसी	आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड
बीजीएलके	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
बीजीआरएल	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
सीजीएसएमएल	चरोतर गैस सहकारी मंडली लिमिटेड
सीयूजीएल	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
डीएफपीसीएल	दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
डीएनपीएल	डीएनपी लिमिटेड
ईसीसीपीएल	ईस्ट कोस्ट कन्सेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
ईओजीईपीएल	एस्सार ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड
जीजीएल	गुजरात गैस लिमिटेड
जीजीपीएल	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
जीआईजीएल	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड
जीआईटीएल	जीएसपीएल इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड
जीएसपीएल	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड
एचईपीएल	एच–एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
एचएनजीपीएल	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
एचपीजीजीजी	हाई प्रेशर गुजरात गैस ग्रिड
एचपीओआईएल	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
एचपीपीएल	हुगली पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
एचवीजे	एकीकृत हजीरा–विजयपुर–जगदीशपुर एनजीपीएल
आईजीजीएल	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
आईजीएल	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

आईएमसी	आईएमसी लिमिटेड
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईआरएमईपीएल	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
केएम	किलोमीटर
आईओएजीपीएल	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
केआरपीईपीएल	केई आरएसओएस पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
एमईआईएल	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन
एमएसआईपीएल	महाराज सोप्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
एनजीपीएल	नवेरिया गैस प्राइवेट लिमिटेड
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
ओपीएएल	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड
जनहित याचिका	पाइपलाइन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आरसीआईपीएल	रेकासिल सेरामिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
आरजीपीएल	रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड
एससीपीएल	सिलिका सेरेमिका प्राइवेट लिमिटेड
एसईआईएल	स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
एसएनजीएल	सांवरिया गैस लिमिटेड
टीजीपीएल	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
टीजीपीयूएल	टोरेंट गैस पुणे लिमिटेड
टीएनजीसीएल	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
टीपीएल	टोरेंट पावर लिमिटेड
यूईपीएल	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड
वीजीएल	वडोदरा गैस लिमिटेड
डब्ल्यूसीपीएल	वेस्टर्न कन्सेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक – ञ (ख) (जारी...)

दिनांक 31.03.2024 तक पूर्णतः चालू सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें
(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 5/17/18 के अंतर्गत प्राधिकृत)

क्र.सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	परिचालन लंबाई	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1.	17.01.एनजीपीएल	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	04.11.2009	8	2.5	8	असम
2	17.02.एनजीपीएल	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल	04.11.2009	240	4.33	243	पुडुचेरी, तमिलनाडु
3	17.03.एनजीपीएल	हजीरा–विजयपुर–जगदीशपुर –जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना) –दहेज–विजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल	गेल	19.04.2010	6,169	107	6718	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
4	17.11.एनजीपीएल	दहेज–विजयपुर (डीवीपीएल)–विजयपुर–दादरी (जीआरईपी) उन्नयन डीवीपीएल 2 और वीडीपीएल		14.02.2011				
5	17.04.एनजीपीएल	काकीनाड़ा–हैदराबाद–उरण–अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम पाइपलाइन)	जनहित याचिका	19.04.2010	1,459	85	1483	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
6	17.05.एनजीपीएल	दहेज–उरण–पनवेल–दाभोल	गेल	10.05.2010	815	19.9	943	गुजरात, महाराष्ट्र
7	17.06.एनजीपीएल	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल	12.05.2010	878	16	865	आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी
8	17.07.एनजीपीएल	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	03.12.2010	609	8.31	589	गुजरात
9	17.08.एनजीपीएल	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	13.12.2010	55	2	65	त्रिपुरा
10	17.10.एनजीपीएल	दादरी–पानीपत	आईओसीएल	05.01.2011	132	20	143	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
11	17.13.एनजीपीएल	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	14.03.2011	129	7.04	125	महाराष्ट्र
12	17.14.एनजीपीएल	उरान–ट्रॉम्बे	ओएनजीसी	03.05.2011	24	6	24	महाराष्ट्र
13	18.01.एनजीपीएल	उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	27.07.2012	2,207	31	2665	गुजरात
14	18.02.एनजीपीएल	हजीरा–अंकलेश्वर (एचएपीआई)	जीजीएल	05.07.2012	73	5.06	73	गुजरात
15	18.03.एनजीपीएल	कम दबाव गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	19.03.2013	58	12	57	गुजरात
16	5.05.एनजीपीएल	शहडोल–फूलपुर	आरजीपीएल	11.07.2013	312	3.5	304	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
17	17.17.एनजीपीएल	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	एजीसीएल	20.12.2013	105	2.428	107	असम
18	17.18.एनजीपीएल	दुकली दृ महाराजगंज	गेल	09.01.2014	5.2	0.08	0	अगरतला
19	17.19.एनजीपीएल	उरण–तलोजा	डीएफपीसीएल	21.10.2014	42	0.7	42	महाराष्ट्र
20′	17.09.एनजीपीएल	चौनसा–झज्जर–हिसार	गेल	13.12.2010	455	35	444	हरियाणा, राजस्थान
21′	17.12.एनजीपीएल	दादरी–बवाना–नांगल	गेल	15.02.2011	921	31	983	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश
कुल					**14,696**		**15,881**	

टिप्पणी:– 'यह दर्शाता है कि गेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, चौनसा–झज्जर–हिसार (सीजेएचपीएल) और दादरी–बवाना–नांगल (डीबीएनपीएल) पाइपलाइन की ट्रंक लाइन चालू हो गई है। हालांकि, सीजेएचपीएल के लिए कमीशनिंग पत्र का अभी भी इंतजार है और डीबीएनपीएल पाइपलाइन में केवल स्पर लाइनें ही बची हैं।



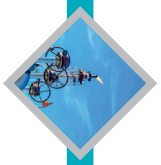


अनुलग्नक – ञ (ग) (जारी...)

दिनांक 31.03.2024 तक पूर्णतः चालू अनुबंध कनेक्टिविटी

(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 21(1) के अंतर्गत प्राधिकृत)

क्र.सं.	पीएल विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएससीएमडी)	परिचालन लंबाई	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	21-01-एनजीपीएल	परिचालन लंबाई	डब्ल्यूसीपीएल	18.05.2015	60	29	60	महाराष्ट्र
2	21-03-एनजीपीएल	ओएनजीसी की डब्ल्यूएचआई उत्तर पेनुगोंडा से जीएएच, पेरावली एसवी स्टेशन	केआरपीईपीएल	16.02.2016	7.8	0.05	7.8	आंध्र प्रदेश
3	21-06-एनजीपीएल	ओएनजीसी के मदनम क्षेत्र से गेल के कावेरी बेसिन नेटवर्क एसवी–2 (मेमाथुर) तक	गेल	21.12.2017	29	0.85	30	आंध्र प्रदेश
4	21-07-एनजीपीएल	ओएनजीसी के एस1–वीए क्षेत्र ओडालारेवु से गेल के केजी बेसिन नेटवर्क एसवी–1, बोडास्कुरु तक	गेल	09.01.2018	13.6	5.2	14	आंध्र प्रदेश
5	21-04-एनजीपीएल	सुवाली से एचवीजे/डीवीपीएल नेटवर्क	गेल	24.01.2017	7	2	10	गुजरात
6	21-05-एनजीपीएल	ओएनजीसी के बंटूमिली गैस स्रोत क्षेत्र से गेल के केजी बेसिन नेटवर्क तक	गेल	21.12.2017	41	0.9	38	आंध्र प्रदेश
7	21-19-एनजीपीएल	वेदांता लिमिटेड के जंबूसर, गुजरात स्थित जया फील्ड्स से दक्षिण गुजरात तक गेल के गुजरात प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का मुख्य उप–नेटवर्क	गेल	07.03.2022	18	0.1	18	गुजरात
कुल					**176**		**178**	


अनुलग्नक – (घ) (जारी...)

दिनांक 31.03.2024 तक परिचालन में समर्पित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें
(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 19 के तहत प्राधिकृत

क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	परिचालन लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	19.01.एनजीपीएल	दुलियाजान से नुमालीगढ़	डीएनपीएल	26.03.2009	194	1.2	192	असम
2	19.02.एनजीपीएल	एसार की एलपी गैस संग्रहण हेडर फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड दुर्गापुर को	ईओजीईपीएल	03.11.2010	8	0.7	8	पश्चिम बंगाल
3	19.03.एनजीपीएल	एस्सार की एलपी गैस गैदरिंग का शीर्षक दुर्गापुर में ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड को भेजा गया	ईओजीईपीएल	12.08.2015	3	0.06	2.36	पश्चिम बंगाल
4	19.04.एनजीपीएल	पीएलएल दहेज टर्मिनल से डीजीईएन पावर प्लांट, दहेज एसईजेड	टीपीएल	27.08.2012	13	8	13	गुजरात
5	19.05.एनजीपीएल	ईपीएस अकोलजोनी – सपना केमिकल'	गेल	14.12.2012	3.4	0.01	3.4	गुजरात
6	19.06.एनजीपीएल	ईपीएस नंदा – सुप्रीम ग्लास	गेल	14.12.2012	0.37	0.01	0.37	गुजरात
7	19.07.एनजीपीएल	दाहेज जीजीएस से जीएसीएल पाइपलाइन	गेल	14.12.2012	11.25	0.22	12.12	गुजरात
8	19.08.एनजीपीएल	जीजीएस ओलपाड से सीवाईए. एवं केम.	गेल	14.12.2012	1.2	0.05	1.2	गुजरात
9	19.09.एनजीपीएल	जोलवा ईपीएस से नाहर पाइपलाइन	गेल	14.12.2012	0.85	0.04	0.85	गुजरात
10	19.10.एनजीपीएल	जोलवा ईपीएस से जीएसीएल (एमडीपीई)	गेल	14.12.2012	7.8	0.13	7.8	गुजरात
11	19.11.एनजीपीएल	किम ईपीएस से स्पायर सेरा पाइपलाइन (एमडीपीई)	गेल	14.12.2012	1.2	0.01	1.2	गुजरात
12	19.12.एनजीपीएल	ईपीएस वासना – यूनिवर्सल मेटल (मंगलम मिश्र धातु)	गेल	14.12.2012	0.61	0.01	0.61	गुजरात
13	19.13.एनजीपीएल	मोटेरा जीजीएस – आरआईएल सुघड़	गेल	14.12.2012	3.72	0.07	3.72	गुजरात
14	19.14.एनजीपीएल	कलोल कलेक्टर लाइन टीध्ओ – बीवीएम	गेल	14.12.2012	1.7	0.02	1.7	गुजरात
15	19.15.एनजीपीएल	ईपीएस नंदसन – निरमा	गेल	14.12.2012	4.97	0.01	4.97	गुजरात
16	19.16.एनजीपीएल	ईपीएस नंदसन – स्टर्लिंग (एन)	गेल	14.12.2012	2.84	0.01	2.84	गुजरात
17	19.17.एनजीपीएल	ईपीएस नंदसन – स्टर्लिंग (के)	गेल	14.12.2012	0.52	0.02	0.52	गुजरात
18	19.18.एनजीपीएल	ईपीएस वाडू – पायनियर	गेल	14.12.2012	0.35	0.01	0.35	गुजरात
19	19.19.एनजीपीएल	सानंद जीजीएस – जलाराम	गेल	14.12.2012	1.17	0.03	1.17	गुजरात
20	19.20.एनजीपीएल	लिम्बोदरा ईपीएस – आकाश	गेल	14.12.2012	0.2	0.03	0.2	गुजरात
21	19.21.एनजीपीएल	नंदासन ईपीएस – अकीक टाइल्स	गेल	14.12.2012	2.4	0.01	2.43	गुजरात
22	19.22.एनजीपीएल	नल्लूर – टीएनईबी थिरुमक्कोट्टई	गेल	14.12.2012	9.8	0.77	10.21	तमिलनाडु
23	19.23.एनजीपीएल	नल्लूर – प्रेम केमको	गेल	14.12.2012	0.185	0.12	0.21	तमिलनाडु





क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	परिचालन लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
24	19.24.एनजीपीएल	बीवीजी–नेयसर	गेल	14.12.2012	16.55	0.02	16.32	तमिलनाडु
25	19.25.एनजीपीएल	एएफएल	गेल	14.12.2012	1.7	0.1	1.71	आंध्र प्रदेश
26	19.26.एनजीपीएल	हाईटेक	गेल	14.12.2012	0.46	0.06	0.46	आंध्र प्रदेश
27	19.27.एनजीपीएल	स्टील एक्सचेंज	गेल	14.12.2012	1.36	0.05	1.36	आंध्र प्रदेश
28	19.28.एनजीपीएल	डांडेवाला–गामनेवाला–आरएसईबी रामगढ़	गेल	14.12.2012	65.19	0.075 / 0.108	65.32	राजस्थान
29	19.29.एनजीपीएल	लांगतला से रामगढ़	गेल	14.12.2012	86.21	0.12	88	राजस्थान
30	19.31.एनजीपीएल	ओएनजीसी कविताम से गेल कविताम एसवी स्टेशन	एससीपीएल	27.08.2013	3.6	0.02	3.8	आंध्र प्रदेश
31	19.32.एनजीपीएल	ओएनजीसी कम्मापलेम पृथक कुआं पूर्वी गोदावरी के डिंडी में गेल एसवी टर्मिनल तक	एसईआईएल	09.01.2014	5.4	0.05	4.75	आंध्र प्रदेश
32	19.33.एनजीपीएल	ओएनजीसी के सीटीएफ अंकलेश्वर कुएं को गेल के कॉमन कैरियर साउथ गुजरात नेटवर्क इंटरकनेक्शन प्वाइंट से जोड़ा गया	आरसी आईपीएल	20.05.2015	0.53	0.015	0.53	गुजरात
33	19.34.एनजीपीएल	भड़ोल टॉप से टोरेंट हजीरा अखाकोल	जीएसपीएल	05.08.2015	22	0.48	22	गुजरात
34	19.34.एनजीपीएल	लैंको कोंडापल्ली पाइपलाइन–I	जनहित याचिका	12.08.2015	12	2	12	आंध्र प्रदेश
35	19.36. एनजीपीएल*	सोनामुरा जीसीएस से जीएमएस–मोनार्चक	ओएनजीसी	12.08.2015	13	0.5	10.5	त्रिपुरा
36	19.35. एनजीपीएल*	एडीबी जीसीएस से ओएनजीसी कॉलोनी बदरघाट	ओएनजीसी	12.08.2015	11	0.03	10.79	त्रिपुरा
37	19.37.एनजीपीएल	ओएनजीसी हजीरा–कृभको एचपी पाइपलाइन	ओएनजीसी	12.08.2015	5	2	4.27	गुजरात
38	19.38.एनजीपीएल	ओएनजीसी हजीरा–कृभको एलपी पाइपलाइन		12.08.2015	5	1	4.86	गुजरात
39	19.39.एनजीपीएल	रानीगंज (पूर्व) में एस्सार का मुख्य कंप्रेसर स्टेशन सीबीएम ब्लॉक दुर्गापुर में मैटिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (एमएफसीएल) को दिया गया	ईओजीईपीएल	12.08.2015	30	3	28.47	पश्चिम बंगाल
40	19.43.एनजीपीएल	ओएनजीसी पूंडी फील्ड्स महाराज सोप्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को	एमएस आईपीएल	29.09.2020	0.2	0.002	0.26	तमिलनाडु
41	19.41.एनजीपीएल	पीएलएल की दहेज – कोयाली रिफाइनरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीकेपीएल)	आईओसीएल	20.03.2020	106	5.23	106	गुजरात
कुल					**658**		**653**	

*टिप्पणीः– *यह दर्शाता है कि कंपनी ने नवीनतम डेटा प्रस्तुत नहीं किया है; इसलिए इस रिपोर्ट के लिए पिछले डेटा पर विचार किया गया है।*







अनुलग्नक – ञ (ड.) (जारी...)

31.03.2024 तक परिचालनरत उप–ट्रांसमिशन पाइपलाइनें (एसटीपीएल)

क्र.सं.	विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र/सीजीडी नेटवर्क	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	परिचालन एसटीपीएल लंबाई (किमी)	टैप–ऑफ से ट्रांसमिशन पाइपलाइन लिया गया	ट्रांसमिशन पाइपलाइन कंपनी
1	2.01	चंडीगढ़	आईओएजीपीएल	22	डीबीएनपीएल	गेल
2	2.02	इलाहाबाद	आईओएजीपीएल	17.2	एचवीजे	गेल
3	2.03	झांसी	सीयूजीएल	8.45	वीएपीएल	गेल
4	4.06	दमन संघ राज्य क्षेत्र	आईओएजीपीएल	15.6	डीयूपीएल–डीपीपीएल	गेल
5	4.07	अमृतसर जिला	जीजीएल	4.8	बीजीपीएल	जीआईजीएल
6	4.08	पुणे जिला (ईएएए)	टीजीपीएल	0.198	डीयूपीएल–डीपीपीएल	गेल
				1.71	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
				0.927	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
				0.565	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
7	5.03	पूर्वी गोदावरी जिला (ईएएए)	जीजीपीएल	6.845	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल
8	5.04	पश्चिमी गोदावरी जिला	जीजीपीएल	0.02	केजी बेसिन	गेल
				3.312	नेटवर्क	
				5.772		
				4.094		
				12.3		
9	5.05	तुमकुर जिला	एमईआईएल	2.4	डीबीपीएल	गेल
				0.16		
10	5.06	कृष्णा जिला (ईएएए)	एमईआईएल	0.48	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल
11	5.08	बेलगाम जिला	एमईआईएल	0.25	डीबीपीएल	गेल
12	6.13	यमुनानगर जिला	बीपीसीएल	2.3	डीबीएनपीएल	गेल
13	6.14	रत्नागिरी जिला	यूईपीएल	0.254	डीबीपीएल	गेल
14	9.07	दीव और गिर सोमनाथ जिले	आईआरएमईपीएल	6.48	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
15	9.1	नवसारी जिला (ईएएए), सूरत जिला (ईएएए), तापी जिला (ईएएए) और डांग जिला	एटीजीएल	17.8	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
16	9.12	खेड़ा जिला (ईएएए) और महिसागर जिला	एटीजीएल	0.74	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
17	9.24	चित्रदुर्ग और दावणगेरे जिले	यूईपीएल	0.14	डीबीपीएल	गेल
18	9.58	भीलवाड़ा और बूंदी जिले	एटीजीएल	0.88	एचवीजे	गेल
19	9.59	चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका के अलावा) और उदयपुर जिले	एटीजीएल	0.45	एचवीजे	गेल



क्र.सं.	विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र/सीजीडी नेटवर्क	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	परिचालन एसटीपीएल लंबाई (किमी)	टैप–ऑफ से ट्रांसमिशन पाइपलाइन लिया गया	ट्रांसमिशन पाइपलाइन कंपनी
20	9.7	जनगांव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबुबाबाद, वारंगल शहरी और वारंगल ग्रामीण जिले	एमईआईएल	1.319	एमबीबीवीपीएल	जीआईटीएल
21	9.71	मेडक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिला एस	टीजीपीएल	17.4	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
22	9.73	नलगोंडा सूर्यापेट और यदाद्रि भुवनागिरी जिले	एमईआईएल	2.8	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
23	9.78	अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	बीपीसीएल	0.75	एचवीजे	गेल
24	9.79	औरैया, कानपुर देहात और इटावा जिले	टीजीपीएल	2.5	एचवीजे	गेल
25	9.4	लातूर और उस्मानाबाद जिले	यूईपीएल	11.865	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
26	10.33	होशियारपुर और गुरदासपुर जिले	जीजीएल	0.123	बीजीपीएल	जीआईजीएल
27	98.02	सूरत, भरूच, अंकलेश्वर	जीजीएल	25.87	एचएपीआई	जीजीएल
				10.43	मोरा–सचिन एसटीपीएल	जीजीएल सीजीडी
				21.6	एचएपीआई	जीजीएल
				11.52	सनपट्टी स्रोत से जुड़ी	जीजीएल
				11	गेल एपीएम स्रोत से जुड़ी	जीजीएल
28	98.08	अहमदाबाद शहर और दस्करोई क्षेत्र	एटीजीएल	0.38	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
29	98.11	कंजरी और वडताल गांवों सहित आनंद क्षेत्र (खेड़ा जिले में)	सीजीएसएमएल	6.2	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
30	98.12	भिवाड़ी जिला	हरियाणा सिटी गैस (भिवाड़ी) प्राइवेट लिमिटेड	2.174	सीजेएचपीएल	गेल
31	99.18	वडोदरा	वीजीएल	0.415	एचवीजे	गेल
				11.5675		
				3.607		
				13.19		
				33.55		
32	99.04	कानपुर	सीयूजीएल	8.89	एचवीजे	गेल
33	99.09	हैदराबाद (अदालत के आदेश के आधार पर)	बीजीएलके	3.23	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
35	96.07	वडोदरा (न्यायालय में विचाराधीन)	एटीजीएल	0.36	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल



क्र.सं.	विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र/सीजीडी नेटवर्क	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	परिचालन एसटीपीएल लंबाई (किमी)	टैप–ऑफ से ट्रांसमिशन पाइपलाइन लिया गया	ट्रांसमिशन पाइपलाइन कंपनी
36	9.41	सांगली और सतारा जिले	बीपीसीएल	0.09	डीबीपीएल	गेल
37	10.4	गोंडा और बाराबंकी जिले	टीजीपीएल	19.04	एचवीजे	गेल
38	9.11	जूनागढ़ जिला	टीजीपीएल	56	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
39	9.56	अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिला	टीजीपीएल	2.43	एमबीपीएल	जीआईजीएल
40	9.62	चेन्नई और तिरुवल्लूर जिले	टीजीपीएल	1.31	ईएमपीएल	आईओसीएल
41	9.2	नूंह और पलवल जिले	एटीजीएल	0.25	सीजेएचपीएल	गेल
42	9.08	सुरेंद्रनगर जिला (ईएएए) और मोरबी जिला (ईएएए)	एटीजीएल	13.9	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
43	9.16	भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले	एटीजीएल	0.2	सीजेएचपीएल	गेल
44	10.31	झाँसी (ईएएए) जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया जिले	एटीजीएल	3.2	एचवीजे	गेल
45	10.12	सिरसा–फतेहाबाद–मनसा जिले	जीजीएल	0.848	एमबीपीएल	जीआईजीएल
46	9.68	भद्राद्रि कोठागुडेम और खम्मन जिले	एमईआईएल	0.4	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
47	9.72	मेडचल–मलकजगिरी, रंगारेड्डी और विकाराबाद जिले	एमईआईएल	8.5 6.9	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
48	10.29	अनुपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले	एटीजीएल	18.3	एसपीपीएल	आरजीपीएल
49	10.35	जालोर और सिरोही जिले	जीजीएल	1.924	एमबीपीएल	जीआईजीएल
50	6.1	आनंद जिला (ईएएए)	जीजीएल	2.68	एचपी–जीजीजी	जीएसपीएल
51	9.29	रामनगर जिला	एमएनजीएल	4.7	डीबीपीएल	गेल
52	9.42	सिंधुदुर्ग जिला	एमएनजीएल	11.5	डीबीपीएल	गेल
कुल				**490**		

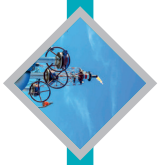
अनुलग्नक – ञ (च) (जारी...)

31.03.2024 तक निर्माणाधीन सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 5/17/18/21(3) और पीएनजीआरबी, अधिनियम, 2006 की धारा 42 के तहत अधिकृत)

क्र.सं.	पीएल विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	प्राधिकृत कंपनी का नाम	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	समापन की लक्षित तिथि'	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	5.07.एनजीपीएल	एन्नोर – नेल्लोर	जीटीआईएल	02.12.2014	220	36	अप्रैल–20	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
2	5.10.एनजीपीएल	काकीनाड़ा – विजयवाड़ा–नेल्लोर	आईएमसी	19.02.2018	667	18	मार्च–24	आंध्र प्रदेश
3	विजयवाड़ा–नेल्लोर	आईएमसी	आईजीजीएल	17.11.2020	1,656	4.75	मार्च–25	असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, पश्चिम बंगाल
4	42.01.एनजीपीएल	उत्तर–पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड	एचपीपीएल	08.07.2019	317	19.2	मार्च–24	पश्चिम बंगाल
5	5.11.एनजीपीएल	कनाई – छाता – पानीतार	गेल	23.07.2019	690	6.65	जून–24	आंध्र प्रदेश, ओडिशा
6	5.12.एनजीपीएल	श्रीकाकुलम – अंगुल	गेल	15.05.2020	1755	16.5	जून–24	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा
7	5.13.एनजीपीएल	मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा	जीएसपीएल	19.08.2021	100	3	अगस्त–24	गुजरात
8	21.17.एनजीपीएल	जामनगर से द्वारका (गुजरात)	आईओसीएल	09.02.2023	65	1.03	फरवरी–26	झारखंड
9	5.14.एनजीपीएल	हजारीबाग – रांची	गेल	12.07.2023	160	3.1	जुलाई–26	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पंजाब
कुल					**5,630**			

*टिप्पणी :– *यह दर्शाता है कि समापन की लक्ष्य तिथि कंपनी को जारी किए गए प्राधिकार या बोर्ड द्वारा विस्तारित किसी अन्य तिथि के अनुसार है*


अनुलग्नक – ञ (छ) (जारी...)

दिनांक 31.03.2024 तक निर्माणाधीन अनुबंध कनेक्टिविटी
(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 21(1) के तहत प्राधिकृत)

क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	समापन की लक्षित तिथि	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	21.09.एनजीपीएल	ओएनजीसी का ओडेलारेवु टर्मिनल, मल्लावरम केवीएनपीएल को जोड़ेगा	आईएमसी	06.09.2019	49.1	18	सितम्बर 22	आंध्र प्रदेश
2	21.10.एनजीपीएल	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के पुनर्गैसीकरण विस्तार सुविधाओं, दहेज में जीएसपीएल के प्रस्तावित टर्मिनल से लेकर भड़भुत में जीएसपीएल के मौजूदा टर्मिनल तक	जीएसपीएल	17.09.2019	39	14.77	सितम्बर 22	गुजरात
3	21.11.एनजीपीएल	छारा स्थित एचएसईपीएल एलएनजी टर्मिनल से लोंधपुर स्थित जीएसपीएल के प्रेषण टर्मिनल तक	जीएसपीएल	17.09.2019	85	18	दिसम्बर–22	गुजरात
4	21.12.एनजीपीएल	जीएएलएल के कावेरी बेसिन नेटवर्क के मौजूदा नरीमनम–कुथलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उप–नेटवर्क पर कराईकल बंदरगाह से केमप्लास्ट/पीपीसीएल तक प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल	एजीपीके एलपीएल	24.07.2020	8	2	जुलाई–23	तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
5	21.14.एनजीपीएल	जेएचबीडीपीएल के डोभी–दुर्गापुर खंड पर ओएनजीसी का झरिया सीबीएम ब्लॉक से एसवी–28 तक	गेल	19.08.2021	6	0.87	अगस्त–24	झारखंड
6	21.15.एनजीपीएल	जेएचबीडीपीएल के बोकारो–धर्म खंड पर ओएनजीसी का बोकारो सीबीएम ब्लॉक से एसवी–01ए तक	गेल	19.08.2021	23	0.99	अगस्त–24	झारखंड
7	21.16.एनजीपीएल	स्वान एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के जाफराबाद स्थित एफएसआरयू आधारित एलएनजी टर्मिनल से जीएसपीएल के एचपीजीजीजी के दारोड–जाफराबाद खंड पर पड़ने वाले जीपीपीसी टर्मिनल, जाफराबाद तक	जीएसपीएल	19.08.2021	3	18	अगस्त–24	गुजरात
8	21.17.एनजीपीएल	स्वान एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड का जाफराबाद से हदाला तक आरएलएनजी टर्मिनल, जो जीएसपीएल के एचपीजीजीजी के गण–हदला खंड पर पड़ता है	जीएसपीएल	31.12.2021	198	18	दिसम्बर–24	गुजरात
9	21.18.एनजीपीएल	जाफराबाद स्थित स्वान एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के आरएलएनजी टर्मिनल को दाहेज स्थित गेल के टर्मिनल से जोड़कर इसके एकीकृत एचवीजे से जोड़ा जाएगा।	गेल	31.12.2021	170	7	दिसम्बर–24	गुजरात
10	21.20.एनजीपीएल	जेएचबीडीपीएल के डोभी–दुर्गापुर खंड पर झरिया ब्लॉक । से एसवी–28 तक का ईपीएस 1	पीईपीएल	28.10.2022	9	0.79	अक्टूबर–25	झारखंड
11	21.20.एनजीपीएल	ओएनजीसी के रानीगंज सीबीएम ब्लॉक से गेल के जेएचबीडीपीएल नेटवर्क तक	गेल	30.11.2023	28.81	0.47	नवंबर–26	पश्चिम बंगाल
कुल					**619**			

*टिप्पणीः– *यह दर्शाता है कि समापन की लक्षित तिथि कंपनी को जारी किए गए प्राधिकार या बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई किसी अन्य तिथि के अनुसार है।*







अनुलग्नक – ञ (ज) (जारी...)

31.03.2024 तक निर्माणाधीन समर्पित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

(एनजीपीएल प्राधिकार विनियमों के विनियम 19 के अंतर्गत अधिकृत)

क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएससीएमडी)	समापन की लक्षित तिथि	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	19.30.एनजीपीएल	इनोले से पाशम्यलाराम	एपीसीपीएल	14.12.2012	14.6	1.5	लागू नहीं	तेलंगाना
2	19.40.एनजीपीएल	पीएलएल री–गैसीफिकेशन टर्मिनल, दाहेज से सुजेन पावर प्लांट तक	टीपीएल	20.03.2020	90	6.5	लागू नहीं	गुजरात
3	19.42.एनजीपीएल	पीएलएल से ओपीएएल, दाहेज तक	ओपीएएल	20.03.2020	17	3.32	लागू नहीं	गुजरात
कुल					**122**			



अनुलग्नक – ञ (झ) (जारी...)

दिनांक 31.03.2024 तक निर्माणाधीन सब–ट्रांसमिशन पाइपलाइनें (एसटीपीएल)

क्र. सं.	विशिष्ट जीए आईडी	भौगोलिक क्षेत्र/सीजीडी नेटवर्क	प्राधिकृत सीजीडी कंपनी	एसटीपीएल लंबाई (कि.मी.)	टैप–ऑफ से ली गई ट्रांसमिशन पाइपलाइन	ट्रांसमिशन पाइपलाइन कंपनी
1	3.01	जालंधर	जेएमईपीएल	4	डीबीएनपीएल	गेल
2	5.03	पूर्वी गोदावरी जिला (ईएएए)	जीजीपीएल	51.3	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल
3	5.04	पश्चिमी गोदावरी जिला	जीजीपीएल	53.4	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल
4	9.09	बरवाला और रानपुर तालुका	एटीजीएल	0.65	एचपीजीजीजी	जीएसपीएल
5	9.25	उडुपी जिला	एटीजीएल	3.1	केकेएमबीपीएल	गेल
6	9.45	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिले	एटीजीएल	0.1	जेएचबीडीपीएल	गेल
7	9.51	पुडुचेरी जिला	ईसीएनजीडीपीएल	8	ईटीबीपीएनएमटीपीएल	आईओसीएल
8	9.64	कुड्डालोर, नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिले	एटीजीएल	0.2	ईटीबीपीएनएमटीपीएल	आईओसीएल
9	10.31	झाँसी (ईएएए) जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया जिले	एटीजीएल	0.6	एचवीजे	गेल
10	9.71	मेडक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिले	टीजीपीएल	2	ईडब्ल्यूपीएल	जनहित याचिका
11	9.21	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	बीपीसीएल	4.7	गेल	गेल
12	9.26	बल्लारी और गडग जिले	बीपीसीएल	0.1	गेल	गेल
13	9.48	जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले	बीपीसीएल	1.8	गेल	गेल
14	10.13	चतरा और पलामू जिले	बीपीसीएल	0.85	गेल	गेल
15	9.43	अंगुल और ढेकनाल जिला	बीपीसीएल	4.2	जेएचबीडीपीएल	गेल
कुल				**135**		

अनुलग्नक – ञ (जे) (जारी...)

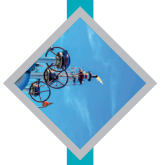
दिनांक 31.03.2024 तक आंशिक रूप से चालू सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

(एनजीपीएल प्राधिकार के विनियम 5/17/18/21(3) के तहत अधिकृत)

क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	परिचालन लंबाई (कि.मी.)	निर्माणाधीन लंबाई (कि.मी.)	समापन की लक्षित तिथि*	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	5.01.एनजीपीएल	मेहसाणा–भटिंडा	जीआईजीएल	07.07.2011	1,940	80.11	1200	740	सितम्बर–23	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
2	5.02.एनजीपीएल	भटिंडा–गुरदासपुर	जीआईजीएल	07.07.2011	261	42.42	102	159	दिसम्बर–24	पंजाब
3	5.03.एनजीपीएल	मल्लावरम–भोपाल–भीलवाड़ा– विजयपुर	जीआईटीएल	07.07.2011	1,881	78.25	364	1,517	मार्च–20	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात
4	17.16.एनजीपीएल	दाभोल–बंगलौर	गेल	14.11.2011	1,414	16	1148	266	फरवरी–13	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
5	17.15.एनजीपीएल	कोच्चि – कुट्टनाड – बैंगलोर – मैंगलोर	गेल	31.05.2012	1,104	16	644	460	नवम्बर–24	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
6	5.08.एनजीपीएल	एन्नोर–तूतीकोरिन	आईओसीएल	10.12.2015	1,431	84.67	1080	351	डंत.24	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
7	17.20.एनजीपीएल	जगदीशपुर – हल्दिया – बोकारो धामरा – पारादीप – बरौनी – गुवाहाटी	गेल	29.01.2018	3,546	23	3141	405	श्रनद.24	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम
कुल					**11,577**		**7,679**	**3,898**		

*टिप्पणी: – 1. *यह दर्शाता है कि पूर्णता की लक्षित तिथि कंपनी को जारी किए गए प्राधिकार या बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई किसी अन्य तिथि के अनुसार है।*

2. असनूर से कराईकल और त्रिची से नागपट्टिनम को छोड़कर सितंबर 2023 तक संपूर्ण ईटीपीएल – मार्च 2024




अनुलग्नक – ट

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए प्रगति समीक्षा बैठकों और सुनवाई का विवरण

(1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	सुनवाई की तिथि
1	पियाला–जेवर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एटीएफ) पाइपलाइन	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	06-04-2023
2	कृष्णापट्टनम–हैदराबाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	06-04-2023
3	कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (केजीपीएल)	आईएचबी लिमिटेड	09-05-2023
4	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	02-06-2023
5	हल्दिया–पानागढ़ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एलपीजी) पाइपलाइन (एचपीपीएल)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	06-06-2023
6	एन्नोर पोर्ट–मनाली औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (ईपीएमआईए)	आईएमसी लिमिटेड	06-06-2023
7	कोच्चि–कोयम्बटूर–इरोड–सलेम एलपीजी पाइपलाइन (केसीईएसपीएल)	कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल)	12-09-2023
8	देवांगोंथी – चित्रदुर्ग पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13-09-2023
9	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पियाला–जेवर एटीएफ पाइपलाइन (पीजेपीएल)	19-09-2023
10	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) की संयुक्त बैठक	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) की संयुक्त बैठक	04-10-2023
11	कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (केजीपीएल)	आईएचबी लिमिटेड	03-11-2023
12	एन्नोर पोर्ट मनाली औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोलियम (ईपीएमआईए) और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	आईएमसी लिमिटेड	07-11-2023
13	कोच्चि–कोयम्बटूर–इरोड–सलेम एलपीजी पाइपलाइन (केसीईएसपीएल)	कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल)	20-11-2023
14	हल्दिया–पानागढ़ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (एचपीपीएल)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11-12-2023
15	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एटीएफ)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	09-01-2024
16	बीना–पनकी और कोटा–जोबनेर	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	09-01-2024
17	कृष्णापट्टनम–हैदराबाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (केएचपीएल)	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	09-01-2024



क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	सुनवाई की तिथि
18	मुंबई–पुणे–शोलापुर, उरण–चाकन–शिक्रापुर, रेवाड़ी–कानपुर, आवा–सालावास, मैंगलोर–हसन–मैसूर–येदियुर, मुंद्रा–दिल्ली और हसन–चेरलापल्ली की समीक्षा बैठक	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	11-01-2024
19	मुंद्रा–मीठी रोहर (कांडला)	अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड)	15-01-2024
20	चेन्नई–त्रिची–मदुरै, पारादीप–रायपुर रांची और देवांगोंथी–देवनहल्ली एटीएफ	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	16-01-2024
21	जामनगर–लोनी और विजाग–सिकंदराबाद	गेल (इंडिया) लिमिटेड	17-01-2024
22	नुमालीगढ़ – सिलीगुड़ी	ऑयल इंडिया लिमिटेड	24-01-2024
23	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) की संयुक्त बैठक	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनआईए)	30-01-2024
24	मैंगलोर–हासन–बैंगलोर की समीक्षा बैठक	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	13-02-2024
25	एन्नोर–पोर्ट–मनाली औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की समीक्षा बैठक	आईएमसी लिमिटेड	13-02-2024
26	विजाग–सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन की क्षमता उपयोग में कमी के संबंध में गेल (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की संयुक्त बैठक	गेल (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	14-02-2024
27	सड़क मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आवाजाही को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त बैठक	एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल और गेल (भारत)	14-02-2024



अनुलग्नक – ठ (जारी...)

भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें – 31 मार्च, 2024 तक

विवरण	लंबाई (कि.मी. में)
प्राधिकृत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	13,596
परिचालन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	9,223
निर्माणाधीन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	4,284

टिप्पणी: प्राधिकृत पाइपलाइन की लंबाई और परिचालन और निर्माणाधीन पाइपलाइन की लंबाई के योग में भिन्नता निम्नलिखित कारकों के कारण हो सकती है:

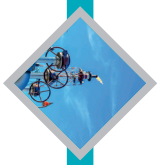
i. साइट की स्थिति के कारण निर्मित लंबाई में भिन्नता,
ii. पीपीपीएल प्राधिकार नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत कंपनियों द्वारा टैरिफ कॉरिडोर के भीतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइनें बिछाई गईं।

अस्वीकरण: उपर्युक्त डेटा कंपनियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। यदि किसी प्रकार की विसंगति होती है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जो इसमें दी गई जानकारी तक पहुंच या उसके उपयोग के परिणामस्वरूप उठाए गए किसी भी कदम के कारण हुई हों।

अनुलग्नक – ठ (जारी...)

भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें – 31 मार्च, 2024 तक

क्र.सं.	विशिष्ट आईडी	पाइपलाइन	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमटीपीए)	परिचालन लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	17.01	मुंबई–पुणे–शोलापुर	एचपीसीएल	19.04.2011	508	4.29	508	महाराष्ट्र
2	17.02	मैंगलोर–हसन–बैंगलोर	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	24.11.2011	362	2.14	363	कर्नाटक
3	17.03	चेन्नई–त्रिची–मदुरै	आईओसीएल	26.03.2012	683	2.3	684	तमिलनाडु
4	17.04	उरण–चाकन–शिकरापुर	एचपीसीएल	01.11.2012	165	1	171	महाराष्ट्र
5	5.01	रेवाड़ी–कानपुर	एचपीसीएल	20.11.2012	440	7.98	443	हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
6	5.02	आवा–सलावास	एचपीसीएल	20.11.2012	92	2.34	93	राजस्थान
7	5.03	मैंगलोर–हसन–मैसूर–येदियुर	एचपीसीएल	20.11.2012	356	3.1	356	कर्नाटक
8	5.04	कोटा–जोबनेर	बीपीसीएल	05.12.2012	210	2.75	211	राजस्थान
9	17.05	जामनगर–लोनी	गेल	24.07.2014	1414	3.25	1427	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश
10	17.06	मुंद्रा–दिल्ली	एचपीसीएल	23.01.2015	1334	6.9	1289	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
11	17.07	विजाग–सिकंदराबाद	गेल	18.05.2015	616	1.33	609	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
12	17.08	पारादीप–रायपुर रांची	आईओसीएल	17.08.2015	1108	5	1073	ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़
13	9.01	देवांगोंथी–देवनहल्ली एटीएफ	आईओसीएल	30.12.2016	36	0.66	36	कर्नाटक
14	5.09	बीना–पनकी	बीपीसीएल	21.12.2018	355	3.49	355	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
15	17.09	नुमालीगढ़–सिलीगुड़ी	ऑयल इंडिया लिमिटेड.	01.11.2021	660	1.72	660	असम, पश्चिम बंगाल
16	5.11	हासन–चेरलापल्ली	एचपीसीएल	24.06.2019	680	2.2	650	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
17	5.08	मुंद्रा–मीठी रोहर (कांडला)	एपीएसईजेड	28.03.2018	89	6.75	92	गुजरात
कुल					**9,108**		**9,020**	


अनुलग्नक–ठ (ख) (जारी...)

भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें – 31 मार्च, 2024 तक

क्र. सं.	पाइपलाइन विशिष्ट आईडी	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का नाम	कंपनी	प्राधिकार की तिथि	प्राधिकृत लंबाई (कि.मी)	प्राधिकृत क्षमता (एमएमएस सीएमडी)	परिचालन लंबाई (कि.मी.)	निर्माणाधीन लंबाई (कि.मी.)	समापन की लक्षित तिथि*	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुजरेगी
1	5.05	इरुगुर–देवंगोंथी	बीपीसीएल	26.02.2014	294	3.52	0	293	दिसम्बर–25	तमिलनाडु, कर्नाटक
2	5.06	कोच्चि–कोयंबटूर–	ज़ैच्च्स-	26.02.2014	458	1.53	203	255	फरवरी–24	केरल, तमिलनाडु
3	5.07	इरोड–सेलम	केएसपीपीएल	18.12.2015	21	7	0	21	जुलाई–20	तमिलनाडु
4	5.10	एन्नोर – पोर्ट मनाली औद्योगिक क्षेत्र	आईएमसी लिमिटेड	31.12.2018	2757	8.25	0	2757	जून–24	गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
5	5.12	कांडला–गोरखपुर	आईएचबी लिमिटेड	17.03.2020	455	4.4	0	455	मार्च–25	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
6	5.13	कृष्णापट्टनम–हैदराबाद	बीपीसीएल	22.08.2022	22	4.45	0	22	अगस्त–25	महाराष्ट्र
7	5.14	जेएनपीटी से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एटीएफ)	आईओसीएल	09.11.2022	215	1.45	0	215	नवंबर–25	पश्चिम बंगाल
8	5.15	हल्दिया–पानागढ़	एचपीसीएल	09.02.2023	34	4.58	0	34	फरवरी–26	उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा
9	5.16	पियाला–जेवर	बीपीसीएल	12.06.2023	232	2.6	0	232	जून 26	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
कुल					**4,488**		**203**	**4,284**		

**कार्य पूरा होने की लक्षित तिथि, कंपनी को जारी किए गए प्राधिकार या बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई अन्य तिथि के अनुसार होगी।*





पीएनजीआरबी के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	मूल संगठन	योग्यता
1.	श्रीमती वन्दना शर्मा	सचिव	26.07.2016	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र)
2.	श्री एस.सी. गुप्ता	संयुक्त सलाहकार प्रभारी (निगरानी)	01.12.2014	बीपीसीए	बीई (मैकेनिकल) और एमबीए
3.	मो. तनवीर अख्तर	संयुक्त सलाहकार (प्राधिकरण)	02.08.2016	गेल (भारत)	बी.ई.(मैकेनिकल), एम.टेक. और एमबीए
4.	श्री अनिल कुमार गर्ग	संयुक्त सलाहकार (तकनीकी)	17.05.2018	गेल (भारत)	बीई (मैकेनिकल) और एमबीए (मार्केटिंग)
5.	श्री पंकज भूटानी	संयुक्त सलाहकार (वाणिज्यिक)	09.09.2019	गेल (भारत)	सीए, आईसीडब्ल्यूए
6.	लेफ्टिनेंट कर्नल पवन कुमार उनियाल	संयुक्त सलाहकार (प्रशासन एवं मानव संसाधन)	17.09.2021	भारतीय सेना	स्नातकोत्तर (एचआरएम), पीजीडीबीएम (एचआर)
7.	लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार अभिषेक	संयुक्त सलाहकार (निगरानी)	16.01.2023	भारतीय सेना	पीजीडीएमएससीएम
8.	श्री निशांत पाराशर	उप सलाहकार (विधि)	04.05.2023	गेल (भारत)	एलएलएम
9.	श्री राकेश कुमार शाही	उप सलाहकार (प्राधिकरण–I)	02.08.2016	गेल (भारत)	बी.ई.(ईईई), एम.टेक, एमबीए (मार्केटिंग), एलएलबी, कॉर्पोरेट लॉ में पीजीडी
10.	श्री पीयूष वार्ष्णेय	उप सलाहकार (आईटी)	09.05.2017	गेल (भारत)	बी.टेक (सीएस)
11.	श्री अंकुर जैन	उप सलाहकार (वाणिज्यिक)	22.05.2017	गेल (भारत)	सीए, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूए
12.	श्री खाजा मोहिदीन	उप सलाहकार (प्राधिकरण)	24.05.2017	आईओसीएल	बी.ई. (इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल)
13.	श्री जमुनालाल राउत	उप सलाहकार (तकनीकी–I)	14.07.2021	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	बी.टेक (केमिकल)
14.	श्री गगन अग्रवाल	उप सलाहकार (तकनीकी–I)	04.08.2021	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	बीटेक (केमिकल), बीईई प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षा / पीजी डिप्लोमा (औद्योगिक सुरक्षा)
15.	श्री अभिषेक राज	उप सलाहकार (निगरानी)	15.07.2021	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	बी.ई. (मैकेनिकल)
16.	श्री श्रेयश पलसुले	सहायक सलाहकार (वाणिज्यिक–4)	02.05.2022	गेल (भारत)	एमबीए (मार्केटिंग)
17.	श्री नीरज अग्रवाल	स्टाफ–लेखाकार	06.07.2007	आईओसीएल	बी. कॉम
18.	श्री कवल शर्मा	सदस्य के निजी सहायक	12.10.2007	आईओसीएल	स्नातक
19.	श्री शिवेंदु प्रकाश	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	20.09.2021	मुंबई सीमा शुल्क	बी.टेक (आईटी)

नोट्स



Annual Report

2023-24

PNGRB VISION

To establish world class regulatory regime that provides affordable and sustainable oil and gas energy to consumers through a vibrant and competitive energy market, and collaborate towards creation of a reliable infrastructure to deliver the same to consumers while ensuring highest standards of safety.



Index

PART	DESCRIPTION	PAGE NO.
-	Key Highlights	164
-	Profiles of Chairperson and Members	167
-	Powers and Functions of the Board	171
PART 1	**GENERAL**	173
a.	Review of General Economic Environment	173
b.	Global Oil and Gas Scenario	173
c.	Domestic Oil and Gas Scenario	175
d.	Best International Energy/Oil and Gas regulatory practices and adoption thereof in the Indian context	181
PART 2	**CITY OR LOCAL NATURAL GAS DISTRIBUTION (CGD) NETWORK**	182
2.1	Registration and Authorisation	182
2.2	Protection of interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities	187
2.3	Monitoring for uninterrupted and adequate supply	187
2.4	Determination of capacity of CGD Networks	192
2.5	Present Status of CGD Infrastructure in India	193
2.6	PNG Drive	194
2.7	New Initiatives	195
PART 3	**NATURAL GAS PIPELINES (NGPL)**	196
3.1	Registration and Authorisation	196
3.2	Authorizations granted in the year 2023-24	196
3.3	Natural Gas Pipeline under tendering	197
3.4	Initiation of Suo-Moto Stakeholder Consultation under taken	197
3.5	Regulation of transportation rates	198
3.6	Capacity Assessment	201
3.7	Progress Review Meetings and Hearings	201
3.8	Extension of completion schedule to authorized Natural Gas Pipelines	201
3.9	Cancellation of Authorisations	202
3.10	The details of the operating Natural Gas Pipelines and under development Natural Gas Pipelines	202
3.11	Establishment of Regulatory Framework for Liquefied Natural Gas Terminals:	202
3.12	Gas Infrastructure Map of India	203
PART 4	**PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS PIPELINES (PPPL)**	204
4.1	Registration and Authorisation	204
4.2	Regulation of Transportation Rates	205
4.3	Capacity Assessment	206
4.4	Progress Review Meetings and Hearings	207
4.5	Extension of completion schedule to authorized Petroleum Products Pipelines	207
4.6	Petroleum Products Pipelines under operation/construction	207
PART 5	**GAS TRADING EXCHANGE**	208
5.1	Regulatory framework	208
5.2	Update on First Gas Exchange	208
PART 6	**TECHNICAL STANDARDS**	209
6.1	Regulatory Framework	209
6.2	Development of technical standards and specifications, including safety standards	209

PART	DESCRIPTION	PAGE NO.
6.3	Amendments in technical standards and specifications, including safety standards	210
6.4	Emergency Response and Disaster Management Plan	211
6.5	Integrity Management System (IMS)	211
6.6	Third Party Conformity Assessment Regulations	211
6.7	Compliance to PNGRB Regulations	212
6.8	Competence Building	215
6.9	Hydrogen	216
6.10	CBG	217
6.11	New Initiatives	217
PART 7	**DISPUTE RESOLUTION**	219
PART 8	**ORGANISATIONAL MATTERS**	222
8.1	The Board	222
8.2	Human Resources	222
8.3	Right to Information (RTI) Act, 2005	226
8.4	Vigilance Matters	227
8.5	Implementation and Encouragement to Official Language	227
8.6	Miscellaneous Activities	227
8.7	International Cooperation	231
8.8	New Regulations Framed/ Amended	234
PART 9	**NON-COMPLIANCE**	235
PART 10	**FINANCE AND ACCOUNTS**	237
10.1	Provisions relating to Grants from the Central Government and PNGRB Fund	237
10.2	Levy of Other Charges	237
10.3	Recoveries for Imbalance and Overrun Charges	237
10.4	Investment of Surplus Fund	238
10.5	Five Year Financial Highlights	238
10.6	Annual Statement of Accounts	239
Annexure A	CGD Authorisations in 9th CGD Bidding Round / Targets	269
Annexure B	CGD Authorisations in 10th CGD Bidding Round / Targets	275
Annexure C	CGD Authorisations under 11 and 11A CGD Bidding Round / Targets	279
Annexure D	CGD Authorisations under 12 and 12A CGD Bidding Round / Targets	284
Annexure E	CGD Authorisations until 8th CGD Bidding Round, Pre-PNGRB Authorisations & Authorisation under section 42 & 16 of PNGRB Act, 2006	285
Annexure F	Details of Progress Review Meetings and Hearings for CGD Networks (1st April, 2023 to 31st March, 2024)	289
Annexure G	Pending Financial Closure (FC) and Gas Supply Agreement (GSA) - 11th and 11A CGD Bidding Rounds (Status as on 31.03.2024)	291
Annexure H	Extensions to CGD Entities due to non-availability of designated NGPL	292
Annexure I	Details of Progress Review Meetings and Hearings for Natural Gas Pipelines (1st April, 2023 to 31st March, 2024)	294
Annexure J	NATURAL GAS PIPELINE NETWORKS IN INDIA – As on 31st March, 2024	296
Annexure K	Details of Progress Review Meetings and Hearings for Petroleum Products Pipelines (1st April, 2023 to 31st March, 2024)	310
Annexure L	PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCT PIPELINES IN INDIA – As on 31st March, 2024	312



KEY HIGHLIGHTS

The Board has taken many initiatives, highlights of which are summarised below:

1. Award of CGD Networks across the entire landmass of India. Authorization of 7 GAs under 12th & 12th A CGD bidding round.
2. Authorization for laying of 232 km common carrier Petroleum and Petroleum Products pipeline.
3. Authorisation for laying of 160 km common carrier Natural Gas Pipeline and 28.81 km Tie-in connectivity.
4. Conducted National PNG Drive from 26th January to 31st March 2024 to increase awareness & promote greater adoption of Piped Natural Gas.
5. Conducted 40 Progress Review Meetings/ Hearings for CGD Networks and 61 Progress Review Meetings/ Hearings for NGPL & PPPL.
6. Extension granted to 23 GAs in terms of shifting of Contract years & exclusivity in respect of laying, building, or expanding the CGD network for 300 months & the exclusivity period of 96 months for exemption from the purview of common carrier or contract carrier on account of non-availability of designated Natural Gas Pipeline.
7. Time extension granted in respect of 16 cases relating to NGPL/PPPL at the request of the entities.
8. Declaration of two ATF Pipeline as common carriers / contract carriers.
9. Constitution of a High-Level Expert Committee to review the present technical/ safety framework in the petroleum and gas sector of the country.
10. Constitution of a High-Level Expert Committee to review the extant consumer protection provisions in the PNGRB Act, 2006 and recommend a way forward to ensure comprehensive consumer protection framework.
11. Initiating Public Consultation process for finalising the regulations relating to declaring CGD Networks as common carrier after the expiry of marketing exclusivity period.
12. 664 audits undertaken during the year in various Oil & Gas Facilities through PNGRB empanelled Third Party Inspections Agencies besides audit undertaken by PNGRB constituted multi-disciplinary teams (MDT).
13. Initiation of comprehensive study in association with the World Bank to develop "Pathways for Hydrogen transmission in Natural gas pipelines and City Gas Distribution Networks".
14. Purchase of own larger office accommodation.
15. Strengthening of in-house competency and capacity through study tours, training, knowledge sharing lectures etc.
16. Hosting of first International Conference of Petroleum and Natural Gas Regulators during the India Energy Week, 2024 in Goa.

MEMBERS OF BOARD



Shri Anjani Kumar Tiwari
Member
w.e.f. 01.12.2021

Shri Anil Kumar Jain
Chairperson
w.e.f. 18.05.2023

Shri Gajendra Singh
Member
w.e.f. 09.08.2021





TEAM PNGRB





PROFILES OF CHAIRPERSON AND MEMBERS



Dr. Anil Kumar Jain

Chairperson

w.e.f. 18.05.2024

Dr. Anil Kumar Jain is former member of the Indian Administrative Service of the 1986 Batch and is presently posted as Chairperson, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. He has more than two decades long administrative experience in energy and environment. He has served as Secretary in the Ministry of Coal and Ministry of Mines where he led reforms in sustainable mining and market development. In his earlier stint in Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dr. Jain looked after the work relating to environmental clearances, bio-diversity, resource efficiency and management of wastes. He led the teams that wrote the India Cooling Action Plan and Draft Resource Efficiency Policy. Dr. Jain has also served in the Ministry of Petroleum and Natural Gas as Head of the Exploration Division and was responsible for the development of several significant oil and gas discoveries.

During 2012-17, as Head of the Energy Division in Planning Commission (later NITI Aayog), he led several initiatives including development of the integrated modeling tool, namely the 'India Energy Security Scenarios, 2047 (IESS)'. He also led the team that drafted the National Energy Policy (2017-2040).

Dr. Anil Jain holds a BA (Honours) in Economics, an MBA and a Diploma from the Indian Institute of Foreign Trade. Dr. Jain has done his Ph.D on the topic - "Exploring the role of natural gas in India's energy mix in 2030". He has authored two books on natural gas, largely on its prospects in India's energy mix. He has engaged extensively with international organisations like IEA, World Bank, UNEP and G-20. Dr. Jain frequently writes on energy and environmental issues and has lectured at top Universities and academic institutions in India and abroad.



Shri Gajendra Singh

Member

w.e.f. 09.08.2021

Shri Gajendra Singh is presently working with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board as Member, PNGRB. Prior to this, he was Director (Marketing) at GAIL (India) Limited, India's national and largest natural gas company. He had joined GAIL in 1986, after starting his career with ONGC, when the Indian gas sector was in its nascent stage. Since then, he has played an important role towards the development of gas market and infrastructure in India.

Shri Singh has served in various leadership & strategic positions in entire gas value chain from exploration & production, operation & maintenance of pipelines and gas process plants, to gas sourcing & marketing in GAIL. As Director (Marketing), GAIL, he speared and strengthened GAIL's natural gas, petrochemicals, CGD and liquid hydrocarbon business. He was also Member of Empowered Gas Pool Committee of Government of India for fertiliser sector and was instrumental in ensuring reliable gas supplies to support Government's initiative in improving agricultural produce. He has been the Chairman of Indraprastha Gas Limited (IGL), Maharashtra Natural Gas Limited (MNGL), Bengal Gas Company Limited (BGCL), and Director in GAIL Gas Limited, which are major CGD companies in India. He was also the Chairman of GAIL Global Singapore Pvt. Limited (GGSPL), the international trading arm of GAIL.

Shri Singh, Member, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, India is responsible to foster a competitive, efficient and sustainable petroleum and natural gas market in India, ensuring the interest of consumers, investors and other stakeholders are protected. As regulator Implemented unified tariff, trading exchange and city gas distribution business covering entire country.





Shri Anjani Kumar Tiwari

Member

w.e.f. 01.12.2021

Shri Anjani Kumar Tiwari joined as Member, PNGRB on 01st December 2021 and has played critical role in bringing the major natural gas pipeline reforms i.e., the implementation of the Unified Tariff in the country. Prior to joining PNGRB, Shri Tiwari has worked in various capacities, including as Director (Finance), in GAIL (India) Limited.

In addition to being a Board Member in GAIL (India) Ltd., Shri. Tiwari has also held the positions of Director in GAIL Gas Ltd., Green Gas Ltd., Bhagyanagar Gas Ltd, GAIL Gas (USA) Inc., GAIL Global (USA) LNG LLC, GAIL Global Singapore Pte Ltd., and RGPPL and has ensured effective, sustainable, strategic and result oriented decision making in Board functioning. Shri Tiwari has over 41 years of varied experience under complex business environment in Oil & Gas, Thermal Power, Hydel Power, and City Gas Distribution sector.

As Director (Finance), he had developed excellent relationships with various stakeholders like Investors & Analysts, Bankers, Press, and dignitaries from Oil & Gas Industry for transparent representation about the company, its future plan and for understanding and implementing the best practices of the Oil & Gas industry in GAIL. He was involved in transformation of finance function to align with the overall company strategy and make revolutionary changes into financial function, associated processes, internal controls, and financial reporting. He has taken active role in GAIL for maintaining strong financial health of the company.

In PNGRB, Shri Tiwari is involved in various reforms such as Tariff reforms, Regulatory reforms, Fiscal reforms, and changes in regulation for overall development of Oil & Gas Infrastructure in the country.



Late Shri Ajit Kumar Pande

Member

w.e.f. 15.03.2022 till 26.09.2023

Shri Ajit Kumar Pande joined as Member (Legal), PNGRB on 15th March 2022. As a jurist of impeccable repute, he has to his credit degrees in Bachelor of Science (B. Sc.), Legum Baccalaureus (LL.B.). Shri Pande has over 32 years of professional experience in the field of Law. He enrolled as an Advocate at the Bar Council of Delhi on April 24, 1990. Practicing as a lawyer has conducted cases on civil, criminal, constitutional, and service laws. He started his practice in the year 1990 and practiced before the Hon'ble Supreme Court of India, the High Court of Delhi, and quasi-judicial fora i.e. State Consumer Dispute Redressal Commission, National Consumer Dispute Redressal Commission and before various other Tribunals and handled various important cases and has to credit several reported judgments of the Supreme Court and several cases were reported in the various journal and has an excellent record of accomplishment in the legal fraternity.

Shri Pande, Advocate-On-Record of the Supreme Court of India represented innumerable Civil and Criminal matters. Moreover, also represented the State of U.P, before the Supreme Court of India in Civil, Criminal, Tax, and Arbitration matters. He taught Law in the Faculty of Law University of Delhi, Amity Law School, Guru Gobind Singh Indraprastha University. Being a guest faculty lectured on Human Rights-Civil Liberties to I.R.S. Officers at NACEN and Delhi Police.

He had also been associated with the Universities as a Member of the Board of Examiners and was a paper setter for the University of Delhi. His passion as a pedagogue has made him deliver many lectures to college students on the Law of Torts, CPC, IPC, CRPC, Law of Evidence, Pleadings, Conveyance, and Professional Ethics and law-related topics.

Shri Pande with his eminence professional experience has been co-authored case material of LL.B. for Faculty of Law, the University of Delhi which includes the law of Torts, Code of Civil Procedure, Law of Evidence, Indian Stamp Act, Suit Valuation Act, and Registration Act. Shri Pande is a Qualified Solicitor (England & Wales) the U.K. on rolls of English Law Society.

He was appointed to the post of Member (Judicial) of Railway Claims Tribunal ('RCT') by a committee headed by Supreme Court Judges, where he was actively working till he demitted his office as a Member, RCT (Railway Claim Tribunal) Bench of Guwahati.

Besides working at Kolkata and Secunderabad benches of RCT (Railway Claim Tribunal) also held Circuit Courts of RCT (Railway Claim Tribunal) Benches at Mumbai, Ernakulum, Bengaluru, Bhubaneswar, Ranchi, Amaravati, and Patna. As Member Shri Pande was invited to attend a conference in National Judicial Academy, Bhopal, and also conferences at Delhi.

Apart from performing, judicial functions at RCT (Railway Claim Tribunal) Shri Pande was also a Member (Admin), and also was an Appellate Authority under the Right to Information Act,2005. Also was an Accepting Authority in calling for tenders and their finalization and has also been appointed as Reviewing and Reporting Officer for Annual Confidential Report ('ACR') of the employees.



POWERS AND FUNCTIONS OF THE BOARD

As per section 11 of the Act, the Board shall:

(a) protect the interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities;

(b) register entities to-

- **i.** market notified petroleum and petroleum products and, subject to the contractual obligations of the Central Government, natural gas;*
- **ii.** establish and operate liquefied natural gas terminals;
- **iii.** establish storage facilities for petroleum, petroleum products or natural gas exceeding such capacity as may be specified by regulations;

(c) authorise entities to-

- **i.** lay, build, operate or expand a common carrier or contract carrier;
- **ii.** lay, build, operate or expand city or local natural gas distribution network;

(d) declare pipelines as common carrier or contract carrier;

(e) regulate, by regulations, -

- **i.** access to common carrier or contract carrier so as to ensure fair trade and competition amongst entities and for that purpose specify pipeline access code;
- **ii.** transportation rates for common carrier or contract carrier;
- **iii.** access to city or local natural gas distribution network so as to ensure fair trade and competition amongst entities as per pipeline access code;

(f) in respect of notified petroleum, petroleum products and natural gas *-

- **i.** ensure adequate availability;
- **ii.** ensure display of information about the maximum retail prices fixed by the entity for consumers at retail outlets;
- **iii.** monitor prices and take corrective measures to prevent restrictive trade practice by the entities;
- **iv.** secure equitable distribution for petroleum and petroleum products;
- **v.** provide, by regulations, and enforce, retail service obligations for retail outlets and marketing service obligations for entities;
- **vi.** monitor transportation rates and take corrective action to prevent restrictive trade practice by the entities;

(g) levy fees and other charges as determined by regulations;

(h) maintain a data bank of information on activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas;



(i) lay down, by regulations, the technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, including the construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector;

(j) perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government to carry out the provisions of this Act. [On 01.07.2020, Government issued directive u/s 42 of the Act, assigning function u/s 11(j) of the Act to PNGRB for regulating the establishment and operations of gas trading exchange(s)].

**As none of the Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas have been notified by the government, the Board is not in a position to undertake functions such as (b) (i) and (f) above.*



PART 1: GENERAL

(a) Review of General Economic Environment

The world's overall real GDP growth was 2.7% in 2023 As per World Bank Group, the global growth is projected to be at 2.6% in 2024.

As far as India is concerned, it achieved GDP real growth rate of 7% in FY 2022-23 which increased to 8.2% in FY 2023-24. RBI has projected real GDP growth for FY 2024-25 at 6.5-7.0%.

Some of the important developments in Indian Economy are as follows:

i) **India's foreign exchange reserves**

Foreign exchange reserves which were US$ 578.5 billion as on 31.03.2023 have increased to ~US$ 646.4 billion as on 31.03.2024, registering 11.67% over last year.

ii) **India's exports and imports**

India's overall exports scaled new heights, with marginally exceeding during FY 2023-24 over FY 2022-23 to achieve US$ 776.7 billion worth of exports. Although the commodity export has slightly reduced in FY 2023-24 over FY 2022-23, the service export has increased over the same duration.

Overall imports in Apr-March 2023-24 were US$ 854.8 billion, exhibiting a decrease of ~4.8% over the same period last year. The overall trade deficit in FY 2023-24 has decreased to US$ 78.1 billion as compared to US$ 121.6 billion in FY 2022-23.

Overall trade deficit for April-July 2024 is US$ -31.2 billion as compared to the deficit of US$ -27.5 billion over April-July 2023, registering a 13.1% increase in deficit.

iii) **Collection of Direct and Indirect Taxes**

As a remarkable testimony to the rapid recovery of the Indian economy, total tax (direct and indirect taxes) collection is ₹34.5 trillion in FY 2023-24 which marks a growth of ~13.4% over last year's revenue collection of ₹30.4 trillion.

(a) Net direct tax collection in FY 2023-24 has been increased to ₹19.6 trillion from ₹16.6 trillion in FY 2022-23 i.e. a growth of 18.1%

(b) The indirect tax collections (GST & non-GST) for the Financial Year 2023-24 show that net revenue collections are at ₹14.9 trillion as compared to ₹13.8 for Financial Year 2022-23, thereby registering a growth of 8.0%.

(b) Global Oil and Gas Scenario

Global Oil Scenario

As per the Oil Market Report of January 2024 by the International Energy Agency (IEA), global oil demand growth slowed to 1.7 mb/d in last quarter of CY 2024, significantly below



the 3.2 mb/d rate registered during earlier quarters. This decline reflects the unwinding of China's post-pandemic surge in travel demand. For 2024, growth is projected to ease further to 1.2 mb/d, influenced by macroeconomic headwinds, tighter efficiency standards, and an expanding electric vehicle fleet.

World oil supply is forecasted to rise by 1.5 mb/d, reaching a new high of 103.5 mb/d, driven by record-setting output from the US, Brazil, Guyana, and Canada. Non-OPEC+ production will dominate growth this year, contributing nearly 1.5 mb/d. In contrast, OPEC+ supply is expected to remain relatively stable compared to last year, assuming that the extra voluntary cuts introduced this month are gradually phased out in 2Q24.

Divergence in regional refinery profitability narrowed further in December 2023 as margins weakened in the Atlantic Basin but strengthened in Singapore. Refinery crude throughputs are expected to average 83.3 mb/d in 2024, surpassing the 2018 record of 82.5 mb/d. However, the gap between OECD and non-OECD refinery runs will likely widen, driven by new capacity coming online in the Middle East, Africa, and China.

Russian oil exports rose by 500 kb/d to a nine-month high of 7.8 mb/d in December2023. Crude shipments increased by 240 kb/d m-o-m to 5 mb/d, while product flows rose by 260 kb/d. Despite this, estimated export revenues slumped to a six-month low of $14.4 billion, as discounts on Russian oil prices deepened and benchmark oil prices declined.

Global observed oil inventories decreased by 8.4 mb in November2023, reaching their lowest levels since July 2022, with tightness particularly noted in crude oil and middle distillates. A reduction in oil on water (-12 mb) was partially offset by on-land stock builds (+3.6 mb). Oil products experienced a significant drop of 24.6 mb, while crude oil inventories rose by 16.2 mb. Preliminary data suggest that global inventories increased in December, driven by a surge in oil on water.

Benchmark crude oil futures recovered by approximately $4/bbl from their mid-December 2023 lows, as tensions in the Red Sea reignited geopolitical concerns.

Global Natural Gas Scenario

As per IEA report of January 2024, growth in global gas demand is set to pick up this year due to colder winter temperatures and easing prices, with emerging economies leading the increase in consumption, but geopolitical risks and supply-side concerns could trigger renewed price volatility.

In 2023, global gas demand rose by just 0.5%, as growth in China, North America and gas-rich countries in Africa and the Middle East was partially offset by declines in other regions. As pandemic restrictions loosened and economic activity returned, China regained its position as the world's largest LNG importer (although China's LNG imports in 2023 were still below 2021 levels) as natural gas demand grew by 7%. In contrast, natural gas consumption in Europe fell by 7%, reaching its lowest level since 1995. This decline was compounded by the rapid expansion of renewables and an increased availability of nuclear power weighing on natural gas demand in both Europe and mature markets in Asia, driving prices lower.



In 2024, global gas demand is forecast to grow by 2.5%, or 100 billion cubic metres (bcm) over previous year. Expected colder winter weather in 2024, compared with the unusually mild temperatures experienced in 2023, is likely to bring increasing demand for space heating in residential and commercial sectors. Natural gas prices have fallen sharply following the record highs seen in 2022, which is also supporting the recovery in gas demand. While prices remain well above historical averages, demand in price-sensitive industrial sectors will see a return to growth, according to the report. In power generation, gas use is forecast to increase only marginally, as higher gas burn in the Asia Pacific region, North America and the Middle East is forecast to be partly offset by reduced demand in Europe.

On the supply side, gas availability remained relatively tight in 2023, as the increase in global LNG production fell short of expectations. As such, production growth was not sufficient to offset the continued decline of Russian piped gas deliveries to Europe. The growth in supply was also highly concentrated geographically, with the United States becoming the world's largest LNG exporter, accounting for 80% of additional LNG supply in 2023.

With supply forecast to be tight again in 2024, a limited increase in global LNG output is expected to restrain demand growth, notably for Europe and the mature markets of Asia. LNG supplies are expected to grow by 3.5% this year – well below the 8% growth rate experienced between 2016-20 – as delays in new liquefaction plants and issues surrounding the availability of feedgas at existing projects could push back supply growth to 2025. Growing demand and tight supply could significantly contribute to price fluctuations throughout the year.

(c) Domestic Oil and Gas Scenario

Crude Oil Scenario:

As compared to India's crude oil output of 29.2 million metric tonnes in FY 2022-23, India's crude oil output marginally increased to 29.4 million metric tonnes in FY 2023-24.

With consumption growing at a brisk pace and domestic output reducing, India's oil import dependence has marginally risen from 87.4% in FY 2022-23 to 87.7% in FY 2023-24.

India's oil consumption which was 223 million tonnes in FY 2022-23 rose to 234.3 million tonnes in FY 2023-24, a rise of 5.1% over FY 2022-23.

India's crude oil imports which were 232.7 million tonnes with foreign exchange outgo of US$ 157.5 billion in FY 2022-23 Increased to 233.1 million tonnes with foreign exchange outgo of US$ 132.8 billion In FY 2023-24. The foreign exchange outgo dipped even when the import has increased is mainly because of softening of oil prices in international market.

The Crude Oil FOB Price (Indian Basket: average of Oman & Dubai for sour grades and Brent (Dated) for sweet grade in the ratio of crude processed during previous financial year) during FY 2023-24 decreased approximately by 11.3% year on year basis i.e. US$ 82.6/bbl from US$ 93.1/bbl in FY 2022-23.

The global crude oil market witnessed significant volatility in prices during 2022-2023 due



to various factors such as geopolitical tensions, supply-demand imbalances, and economic uncertainties. Crude oil prices experienced fluctuations throughout 2022-2023, with Brent and WTI benchmarks hovering within a range influenced by factors such as inventory levels, production decisions, economic indicators, and geopolitical developments.

Geopolitical tensions in key oil-producing regions influenced supply dynamics. For example, concerns over disruptions to oil production due to conflicts in the Middle East, including tensions between Iran and the United States, contributed to market uncertainty and price fluctuations.

Natural Gas Scenario:

The present share of Natural Gas in India's energy mix is around 6%. The Government has set a target to increase this share to 15% by 2030. Government, policy makers, regulator, industry players are playing vital roles to achieve this goal by promoting use of Natural Gas across all sectors and encouraging investments in infrastructure to transport and distribute natural gas.

In a significant stride towards achieving 100% (except island) coverage of country's area for the development of City Gas Distribution (CGD) network, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has authorized another 7 Geographical Areas for development of CGD Network. This has resulted in authorization of 307 GAs on cumulative basis. This landmark achievement by PNGRB will provide access to cleaner cooking fuel for households, support industrial and commercial facilities, and fuel transportation, marking a giant leap towards achieving a gas-based economy and would greatly help in conserving the natural environment of the country.

Further, PNGRB has introduced unified tariff regime for transportation of gas with a theme of one nation, one grid, one zonal tariff to make it affordable for the customers which are located far off from the source.

India witnessed a 6% increase in net domestic natural gas production, reaching a record high of 35.7 billion cubic meters in FY 2023-24 vis-à-vis 33.7 billion cubic meters in FY 2022-23. This growth was driven by increased drilling activity in existing fields, coupled with successful exploration efforts in new blocks, particularly in the Krishna-Godavari Basin. India's LNG imports surged by 15%, reaching 40 million metric tons.

The consumption of natural gas in the country has increased from 160.8 MMSCMD in 2022-23 to 188 MMSCMD in 2023-24. Liquefied Natural Gas (LNG) imports have also increased from 26,304 MMSCM in 2022-23 to 31,795 MMSCM in 2023-24.

India plans to add at least 25 MMTPA capacity to the current LNG terminal capacity of 47.7 MMTPA. Utilization rates at India's seven LNG import terminals have varied significantly, ranging from 15% to 95% in the FY 2023-24, with many terminals operating at 30% or lower capacity despite a 16% year on year increase in LNG imports in 2023-24.



PNGRB is in the process of formulating draft regulations for registration of LNG terminals to ensure that re-gas assets are not insulated from overall objectives of gas sector and integrated with the development and supply of the rest of natural gas infrastructure that includes pipelines and CGD network. The LNG terminal regulations will require terminals to take registration from PNGRB and submit required information on a periodic basis.

Adequate and strategically located storage and regasification facilities, connected with pipeline networks, are necessary to balance supply and demand fluctuations, especially during peak consumption periods. This will result in enhancement of the energy security of our nation.

The Indian government revised the domestic natural gas pricing guidelines for gas produced from nomination fields of state-run ONGC and OIL, New Exploration Licensing Policy (NELP) blocks and pre-NELP blocks, where Production Sharing Contract (PSC) provides for government's approval of prices. As per Natural Gas Pricing guidelines of April 2023, the Administered Pricing Mechanism (APM) for domestic gas will be determined monthly at 10% of the average Indian Crude Basket Prices of preceding month, with a ceiling of US$ 6.50/MMBTU and a floor of US$4/MMBTU. The ceiling will remain the same for the first two years and then increase by US$0.25/MMBTU every year, to adjust for any cost inflation. Gas produced from new wells or well interventions of the nomination fields of ONGC & OIL, would be allowed a premium of 20% over the APM Price. These reforms ensured a stable pricing regime for domestic gas consumers, while at the same time providing adequate protection to producers from adverse market fluctuation with incentives for enhancing production, thereby creating a competitive and efficient gas market ecosystem. Subsequent to the notification in April'23, domestic gas is currently being sold at a ceiling price of US $6.5/MMBTU.

Ceiling prices of domestic gas produced from difficult fields (deepwater, ultra-deepwater and high pressure-high temperature (HPHT) fields is also notified by Government on six monthly periodicities which is based on alternate fuel prices. The ceiling prices for H1 FY 2023-24 and H2 FY 2023-24 were notified as US$ 12.12/MMBTU and US$ 9.96/MMBTU respectively.

Trade price at Indian Gas Exchange (IGX) also provide some trend reflection of discovered gas market price in India. The weighted average monthly trade price at the exchange was ₹1,075 or $13.1 per MMBTU in April, 2023, which decreased significantly to ₹944 or $11.4 per MMBTU in May, 2023. Price stabilized for next three months till September at US$ 10.6 per MMBTU. Since Sep 2023, a continuous rise has been observed till Dec 2023 and price reached to ₹1098 or US$13.1 per MMBTU. A decline in price again observed from Jan 2024 and it reach to a year low level in March 2024 at ₹799 or US$13.1 per MMBTU.

Investment in city gas distribution networks continued to grow, with expansion projects undertaken by various entities across multiple cities. The Government's push to increase the penetration of natural gas for cooking, transportation, and industrial use drove investments in CGD infrastructure.



In order to facilitate establishment of 750 CBG Projects through investment of ~₹37500 crore by 2028-29 in CBG Sector, Indian Government announced mandatory blending of Compressed Bio-Gas in CNG (Transport) and PNG (Domestic) segments of CGD Sector. The CBG Blending obligation (CBO) is voluntary till FY 2024-25 and has been kept as 1%, 3% and 4% of total CNG/PNG consumption for FY 2025-26, 2026- 27 and 2027-28 respectively. From 2028-29 onwards, the CBO has been kept as 5% of overall consumption in CNG (Transport) & PNG (Domestic) segments. This would help in import substitution for Liquefied Natural Gas (LNG), saving in Forex, promoting circular economy, and assist in achieving the net zero emission targets. India explored the potential of CBG as a sustainable energy source, with pilot projects initiated in several states.

A brief of major Natural Gas Pipeline projects under implementation are as under (as on March, 2024):

i) Jagdishpur – Haldia - Bokaro – Dhamra Pipeline Project (JHBDPL), Barauni-Guwahati Pipeline project (BGPL) and Dhamra-Paradip-Haldia Pipeline project - Pradhan Mantri Urja Ganga (PMUG) for Eastern India

PNGRB authorised 3,546 km Jagdishpur-Haldia-Bokaro –Dhamra, Barauni- Guwahati and Dhamra – Haldia Natural Gas Pipeline (Integrated JHBDPL) to GAIL India Limited on 29.01.2018. Presently, 2,986 km of pipeline has been commissioned. Durgapur-Haldia and Dhamra-Haldia sections are currently under construction phase.

As a key enabler, GOI in September 2016, took a policy decision to provide 40% grant for this pipeline project. Timely development of this project is intended to support revival of the 3 Fertilizer Plants located at Gorakhpur, Barauni and Sindri and new Fertilizer Unit at Durgapur. The entire project will cater to the energy demand of Eastern and North-Eastern Region covering six states, namely Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Assam.

ii) North-East Natural Gas Pipeline Grid

PNGRB authorised 1,656 km North-East Natural Gas Pipeline Grid to Indradhanush Gas Grid Ltd (IGGL) on 17.11.2020. A joint venture of five (05) oil and gas CPSEs i.e. GAIL, IOCL, OIL, ONGC and NRL named IGGL has been entrusted to develop trunk pipeline connectivity in all North Eastern States i.e. Assam, Sikkim, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Nagaland and Meghalaya in a phased manner. The prime objective of this pipeline is to transport the domestic natural gas produced in the north eastern states and cater to the local requirements. It shall also connect the NER grid to the National Gas Grid. Construction has been undertaken in three phases-namely Phase I (Guwahati-Numaligarh, Gohpur-Itanagar, and Dergaon-Dimapur of a total 557 Km), Phase II (Silchar-Panisagar, Panisagar-Agartala, Guwahati-Silchar, Panisagar-Aizawl, Silchar CGD, Shillong CGD, Agartala-Tulamura Feeder Line, Agartala-NEEPCO



Spur Line, Khubal Feeder Line of a total 726 Km), and Phase III (Dimapur-Kohima-Imphal, Siliguri-Gangtok of a total 385 Km). In Phase I, 442 km of pipeline has been laid. In phase II, 75 km of pipeline has been laid. In Phase III, welding has been done for 33 km and 10 km lowering has been done.

iii) Kochi-Koottanad- Bangalore-Mangalore Pipeline Project (KKBMPL):

PNGRB authorised 1,104 km Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline (KKBMPL) to GAIL India Limited on 31.05.2012. Except the stretch of 312 km of mainline section in Tamil Nadu, rest of the mainline of KKBMPL 644 km has already been commissioned. Construction work for balance section is under progress.

iv) Ennore-Thiruvallur-Bangalore-Nagapattinam– Madurai – Tuticorin Natural gas pipeline (ETBNMTPL):

PNGRB authorised 1,431 km Ennore-Thiruvallur-Bangalore-Nagapattinam– Madurai – Tuticorin Natural Gas Pipeline (ETBNMTPL) to Indian Oil Corporation Limited on 10.12.2015. This pipeline connects new Ennore LNG Terminal with various demand centres in the region. Presently, the entire ETBNMTPL have been commissioned except the two Spurlines namely Asanur- Karaikal and Trichy- Nagapattinam which are under construction.

v) Srikakulam - Angul Natural Gas Pipeline (SAPL):

PNGRB authorised 690 km Srikakulam - Angul Natural Gas Pipeline (SAPL) to GAIL India Limited on 23.07.2019. As on 31.03.2024, entire 421 km of Trunk Line has been laid and also 216 km of spurlines have been laid. The balance work is under progress.

vi) Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas pipeline (MNJPL):

PNGRB authorised 1,755 km Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline (MNJPL) to GAIL India Limited on 15.05.2020. The pipeline will originate from Mumbai and traverse through the states of Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha. Construction work is in progress in all three sections. In Mumbai – Nagpur Section, Nagpur-Jharsuguda Section and Nagpur - Jabalpur Section 654 km, 456 km and 274 km of pipeline has been laid respectively.

A brief of major Petroleum and Petroleum Product Pipeline projects under implementation are as under (as on March, 2024):

i) Kandla-Gorakhpur Pipeline (KGPL)

IHB Ltd is laying 2,757 km of LPG pipeline project, longest in the country, covering three states - namely Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. This LPG pipeline would transport about 25% of country's LPG. It would connect 4 import terminals



and two refineries with 21 bottling plants. Out of a total of 2757 km, 2356 km of the pipeline has been lowered.

ii) Piyala Jewar International Airport (ATF) Pipeline (PJPL)

Bharat Petroleum Corporation Limited is laying 34 km of ATF pipeline project from Piyala to Jewar to cater Aviation Turbine Fuel requirement of the upcoming Noida International Airport. The pipeline is envisaged to be completed in synchronization with the commissioning of Noida International Airport.

iii) Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to Navi Mumbai International Airport (NMIA) Pipeline Project

Indian Oil Corporation Limited is laying 22 km of ATF pipeline project from INPT to NMIA to cater Aviation Turbine Fuel requirement of the upcoming Navi Mumbai International Airport. The pipeline is to be completed by August, 2025.

iv) Kochi-Coimbatore- Erode- Salem Pipeline Project

Kochi Salem Pipeline Private Limited is laying the 458 km long LPG pipeline in the states of Kerala and Tamil Nadu. The Kerala section of 203 km is commissioned. Tamil Nadu section activities are under progress.

v) Krishnapatnam Hyderabad Pipeline (KHPL)

Bharat Petroleum Corporation Limited is laying a 455 km long multi-product pipeline to connect its upcoming installations at Krishnapatnam Port and Madharam Village in Hyderabad. The pipeline is to be completed by March 2025. Out of a total of 455 km, 62 km of the pipeline has been lowered.

vi) Haldia Panagarh Pipeline (HPPL)

Hindustan Petroleum Corporation Limited is laying 215 km long LPG pipeline to connect LPG Import terminal at Haldia with HPCL's Bottling plant at Panagarh. The pipeline will cater LPG demand in the state of West Bengal as well as the states of Bihar and Jharkhand. The pipeline is to be completed by November 2025.

vii) Devangonthi - Chitradurga Pipeline (DCPL)

Indian Oil Corporation Limited is laying 232 km long multi-product. The pipeline will extend from IOCL's existing Devangonthi Station to the new delivery point at the Common User Facility in Chitradurga. It will cater the demand in the states of Karnataka and Andhra Pradesh. The pipeline is to be completed by June 2026.

PNGRB is focusing on optimizing the primary transportation of Petroleum and Petroleum Products. It is observed that there are certain inefficiencies in the existing infrastructure such as instances of duplication in tankages and terminals by OMCs.



PNGRB is advocating the development of a common carrier pipeline infrastructure for petroleum and petroleum products. Steps are being taken to declare the existing petroleum and petroleum products pipelines as common carrier. This initiative aims to streamline operations and enhance efficiency thereby aligning with the regulatory framework established under the PNGRB Act.

(d) Best International Energy/Oil and Gas regulatory practices and adoption thereof in the Indian context:

Technical Committees for Formulation/Amendment of Regulations: Adhering to international best practices, PNGRB has constituted a technical committees comprising of experienced professionals from the oil and gas industry, experts from various govt affiliated bodies and industrial research centres etc. and has notified various Technical Regulations to ensure safety and integrity of downstream petroleum and gas sector in India. In alignment with global practices, Technical Committees are periodically reviewing existing Regulations, identifying areas for improvement and proposing necessary amendments to keep the Regulations in line with the latest industry practices, technological advancements, learning from incidents and safety requirements. The prime focus of these Technical Regulations is to protect people, asset and environment.

Third Parties Conformity Assessment System: To align with international standards, the Third Parties Conformity Assessment (TPCA) Regulations have been formulated to outline the mechanism for selection and empanelment of third parties inspecting agencies by PNGRB. TPIAs are also accredited as Type 'A' bodies by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) to ensure impartiality as under ISO-17020.

Incident Reporting and Investigation System: Outlined from international practices in incident reporting, PNGRB has established a vigorous "Incident Reporting System" by formulating ERDMP Regulations. PNGRB ERDMP Regulations mandate all entities to report all Major, Minor, and Near-Miss incidents to PNGRB within specified time frames. All incidents are investigated and in case of Major incidents PNGRB constitute investigation committee to identify root-cause and suggest recommendations to prevent recurrence of incidents. Compliance to recommendation of investigation committee is ensured and the learning from incidents including recommendations are disseminated to all other entities to prevent re-occurrence and amendments of regulations.



PART 2: CITY OR LOCAL NATURAL GAS DISTRIBUTION (CGD) NETWORK

2.1 Registration and Authorisation:

2.1.1 Regulatory Framework on Authorization

PNGRB had notified Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 (CGD Authorisation Regulation). Under these regulations, PNGRB grants CGD Network authorization as per the following procedure:

(a) **Expression of Interest (EoI) route:** An entity desirous of laying, building, operating or expanding a CGD network shall submit an expression of interest to the Board. Board after its preliminary assessment, either issues an open advertisement or commences the public consultation process. The Board may, based on the views received and taking into consideration various criteria, decide the area for the proposed CGD network and invite bids for the same (Regulation 4(1)).

(b) **Suo-Motu route:** The Board may also suo-motu invite bids from entities interested in laying, building, operating or expanding a CGD network for any specified geographical area (Regulation 4(2)).

(c) **Under Regulation 17:** Board issues acceptance of Central Government authorization to the entities for laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day of 1st October, 2007.

(d) **Under Regulation 18:** Board grants authorization for CGD Network to entities not authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding CGD network before the appointed day of 1st October, 2007. Broadly speaking, these are the geographical areas where an entity had made physical progress and financial commitment etc., before the appointed day, to the extent specified in the CGD Authorisation Regulations.

2.1.2 Acceptance/ Authorization for development of CGD Network in respect of Noida, Gurugram and Faridabad.

The issue of authorization for Noida, Gurugram and Faridabad were sub-judice before the Hon'ble Supreme Court in "M.C. Mehta Vs UoI" since 2005. The Hon'ble Supreme Court vide order dated 06.09.2022, had disposed-off the IAs pertaining to dispute of the entities regarding authorization of aforesaid GAs. The Hon'ble Supreme Court directed the Board to proceed with its role, since the required quorum of the Board was available. Accordingly, the Board gave authorization in respect of the following five GAs on 25.04.2024:

S.No.	GA Name	Authorized Entity
1.	Noida (Including Greater Noida)	Indraprastha Gas Limited (IGL)
2.	Gurugram-1	Indraprastha Gas Limited (IGL)
3.	Gurugram-2	Haryana City Gas Distribution Limited
4.	Faridabad-1	Indraprastha Gas Limited (IGL)
5.	Faridabad-2	Adani Total Gas Limited

IGL has not given acceptance of authorization in respect of Faridabad-1 and Gurugram-1. The matter is sub-judice.

2.1.3 12th & 12A CGD Bidding Round:

The Board identified 103 districts spread over 6 North Eastern States viz. Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Sikkim & Mizoram and 2 Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh for initiating the suo-moto process for inviting bids from investors for laying, building, operating or expanding CGD network.

The Board held a press conference on 12th October, 2023 at New Delhi wherein Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri announced the launch the 12th CGD Bidding Round. The Bids were invited for the 12th & 12A CGD bidding round w.e.f 13th October, 2023 and 25th November, 2023 respectively.

PNGRB organised two road shows at Delhi and Shillong to create awareness about City Gas Distribution business amongst potential investors. The Board received positive response from the investors to this bidding round. The Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri distributed the Letters of Intent to the successful bidders on 4th March, 2024 in a function held at New Delhi.



12th & 12A CGD Bidding Round Distribution of Letters of Intent by Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri



12th CGD Bidding Round Road Show at Delhi



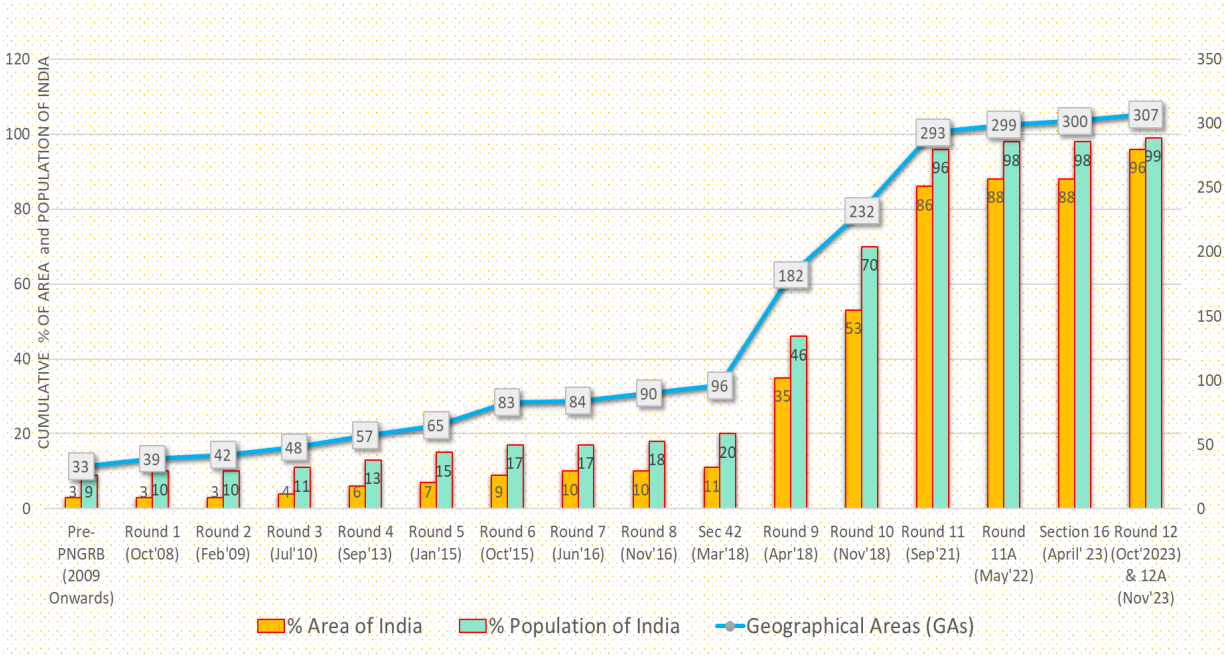
12th CGD Bidding Round Road Show at Shillong





12th & 12A CGD Bidding Round Distribution of Letters of Intent by Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri

2.1.4 Details of Geographical Areas along with commitment made by CGD Entities in respect of PNG domestic connections, CNG Stations and Steel Pipeline during 9th, 10th, 11th & 11A and 12th & 12A CGD Bidding Rounds are given in **Annexure A, Annexure B, Annexure C and Annexure D** respectively. Details of CGD Networks authorized till the 8th CGD Bidding Round are given in **Annexure E**.



Snapshot of City Gas Distribution Authorizations in India



Category of CGD Authorizations	Geographical Area (GAs)	
	Category wise	Cumulative
Pre-PNGRB (2009 Onwards)	33	33
Round 1 (Oct '08)	6	39
Round 2 (Feb '09)	3	42
Round 3 (Jul '10)	6	48
Round 4 (Sept '13)	9	57
Round 5 (Jan '15)	8	65
Round 6 (Oct '15)	18	83
Round 7 (Jun '16)	1	84
Round 8 (Nov '16)	6	90
Sec. 42 (Mar '18)	6	96
Round 9 (Apr '18)	86	182
Round 10 (Nov '18)	50	232
Round 11 (Jan '22)	61	293
Round 11A (Jul '22)	6	299
Section 16 (April'23)	1	300
Round 12 (Oct' 23) & 12A (Nov'23)	7	307

2.1.5 Third Party access to CGD network

In order to declare the existing GAs as common carrier or contract carrier and allowing access to third parties in the GAs where the authorized entities have completed their marketing exclusivities, PNGRB notified the PNGRB (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020, which lays down the provisions to be followed by the Board for declaring the CGD network as a common carrier or contract carrier under section 20 of the PNGRB Act, 2006. Further, PNGRB notified the PNGRB (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2020, which shall be applicable to an authorised entity in a GA and to any shipper who intends to utilise the capacity in the CGD Network in that GA. Once any CGD network is declared as common carrier or contract carrier, access to the shippers shall be allowed to utilize the common carrier or contract carrier capacity available in the CGD network. Open access to third party entity (shippers) shall be governed by the said Access Code regulations and would help increase the competition in the GA and provide flexibility to consumers. It would also benefit in terms of reach of natural gas in unserved areas of the GA. PNGRB had initiated the process of declaring 54 such GAs as common carrier/contract carrier on 13.09.2021 and Public Notices for hearing were being issued to the authorized entities However most of the entities challenged the public notice and hearing notices in Delhi High Court.

Further, PNGRB webhosted revised draft PNGRB (Guiding Principles for Declaring City or Local



Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2023 for public consultation on 24.03.2023 wherein the earlier Guiding Principles Regulations 2020 were proposed to be repealed. The Open house for stakeholder consultation was held on 13th October, 2023 to finalise the said regulations.

2.2 Protection of interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities:

2.2.1 The Board has notified PNGRB (Code of Practice for Quality of Service for City of Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010 which laid down the code of practice for promoting reliable service to the consumers and the public and obligations of the consumers besides conforming to minimum level of services to be provided by the Authorized CGD entities.

2.2.2 For declaring the CGD networks as common carrier after expiry of the marketing exclusivity period, the Board after stakeholder consultation has notified on 30th September, 2020, PNGRB (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020, which contain guiding principles and process for declaring such areas as common carrier. Further, PNGRB webhosted revised draft PNGRB (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2023 for public consultation on 24.03.2023 wherein the earlier Guiding Principles Regulations 2020 were proposed to be repealed.

2.2.3 The Board has notified PNGRB (Access Code for CGD Networks) Regulations, 2020 on 23.11.2020 after repealing PNGRB (Access Code for CGD Networks) Regulations, 2011. These regulations apply to an authorized CGD entity and any shippers who intends to utilize the capacity in the CGD Network of a Geographical Area that has been declared as common carrier or contract carrier.

2.3 Monitoring for uninterrupted and adequate supply

2.3.1 Progress Review Meetings and Hearings:

With an aim to enhance penetration of PNG/ CNG coverage in the CGD Geographical Areas (GAs) already authorized, progress review meetings/ hearings were carried out with the CGD entities for respective GAs, to monitor performance of authorized entities as against Minimum Work Program (MWP) assigned to them at the time of authorisation.

A list of the Progress Review Meetings and Hearings conducted for CGD Networks during the period from 1st April 2023 to 31st March, 2024 is given at **Annexure F**.

2.3.2 Gas Supply Agreement (GSA) and Financial Closure (FC):

The Entities authorized by the Board for development of CGD Networks are required to achieve Natural Gas Tie-up/ Gas Supply Agreement (GSA) and Financial Closure (FC), within 270 days from the date of authorization, as per the provisions of regulation 11 of CGD Authorization Regulations. The details are given at **Annexure G.**

Status of the acceptance of the GSA and FC is as under:

Description	Gas Supply Agreement (GSA)	Financial Closure (FC)
	Accepted/ Submitted during	
FY 2018-19	26	22
FY 2019-20	94	119
FY 2020-21	16	39
FY 2021-22	17	09
FY 2022-23	Not applicable for GAs authorized in 11 and 11A CGD Bidding Round	30
FY 2023-24	-do-	33

2.3.3 State visit for facilitating the growth of CGD Network

In order to facilitate the development of Petroleum and Natural Gas infrastructure i.e. CGD Projects, NGPL and PPPL, the Board Members regularly interacted with the State Governments. The Chairperson and Members of Board visited Tamil Nadu, Jammu & Kashmir, Assam, Rajasthan, Odisha, Chandigarh, Maharashtra and Haryana. These visits were focused to address the issues such as reduction of VAT, speedy resolution of statutory clearances, increased synergy with Govt officials and introduction of CGD Policies in States. It was observed that these visits helped in sensitising the State Governments towards development of oil and gas infrastructure.



Chairperson and Member met Hon'ble Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha

Further, the Board has been actively engaging with Government officials and statutory agencies to advance the promotion of natural gas as a cleaner & more sustainable energy option. These efforts are aimed at driving the expansion of City Gas Distribution (CGD) networks to provide natural gas as domestic cooking fuel as well as for use in transport, commercial and industrial sectors.



Chairperson and Member met Hon'ble Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma



Infrastructure Review by Member in Tamil Nadu





Chairperson and Member met Chief Secretary of Rajasthan, Smt. Usha Sharma



Member met Chief Secretary of Maharashtra, Shri Manoj Saunik



Chairperson met Chief Secretary of Haryana, Shri Sanjeev Kaushal



Chairperson met Hon'ble Governor of Punjab and Administrator of UT of Chandigarh, Shri Banwarilal Purohit

2.3.4 Reduction of Performance Bank Guarantee

S. No.	GA ID	GA Name	Authorised Entity
(a)	4.06	UT of Daman	Indian Oil Adani Gas Pvt. Ltd.
(b)	6.05	Dahej Vagra Taluka	Gujarat Gas Ltd.
(c)	6.07	North Goa District	Goa Natural Gas Pvt. Ltd.

Performance Bank Guarantee (PBG) of the following GAs have been reduced to 40% of the initial value on account of achievement of the Minimum Wok Program Targets:

2.3.5 Grant of Extension to Authorized CGD Networks

In order to streamline the implementation of CGD network in authorized GAs by entities, extensions have been granted to 06 CGD entities for development of 23 GAs on account of non-availability of designated Natural Gas Pipeline. The details are attached as **Annexure H**.

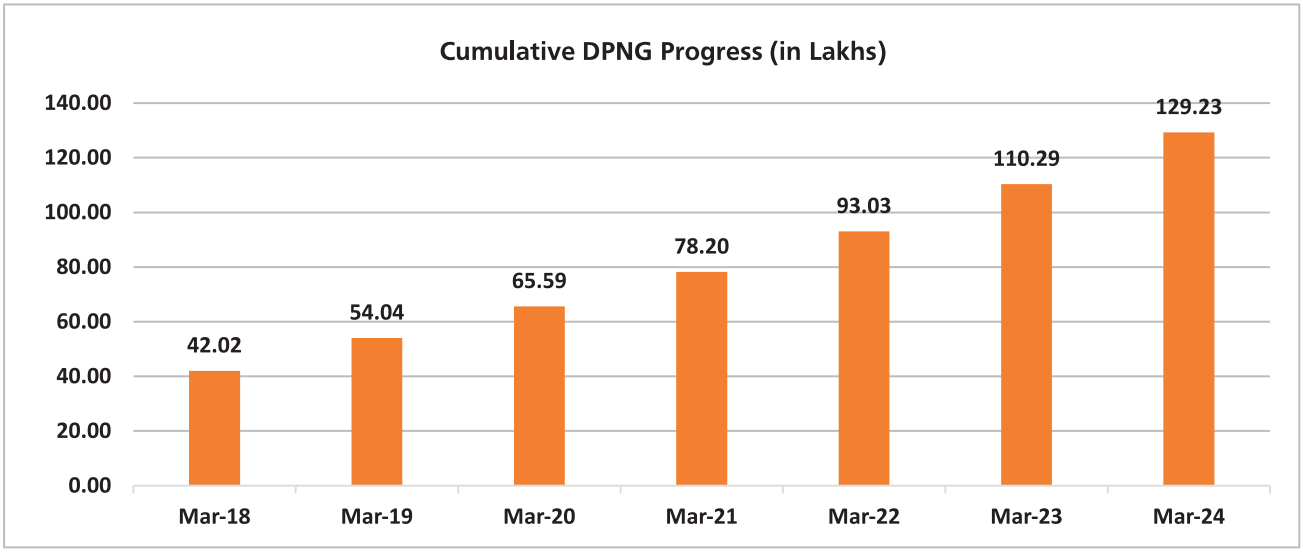
2.4 Determination of Capacity of CGD Networks

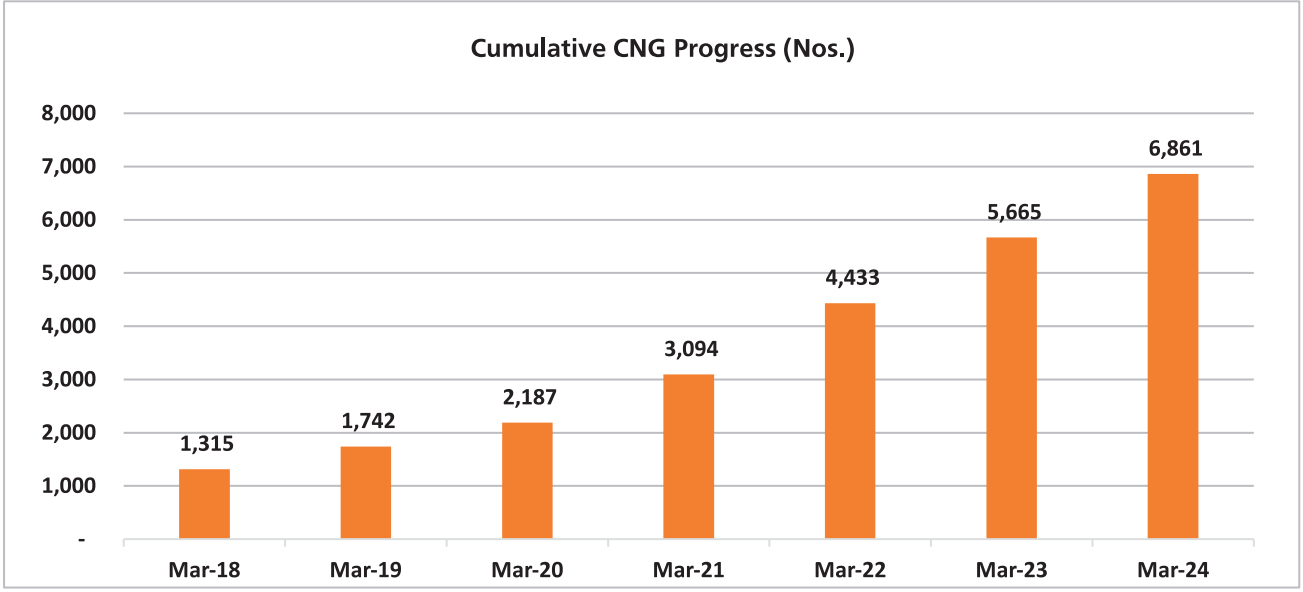
Capacity of CGD Networks is determined in accordance with the provisions of PNGRB (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2015. The capacity so determined is web-hosted for various purposes, including providing access to available capacity on non-discriminatory basis under the relevant regulations.



2.5 Present Status of CGD Infrastructure in India

Parameters	CGD Infrastructure in India						
	March, 2018	March, 2019	March, 2020	March, 2021	March, 2022	March, 2023	March, 2024
Domestic PNG Connections (Lakh)	42.02	54.04	65.59	78.2	93.03	1,10.29	1,29.23
Commercial PNG Connections	27,260	28,085	30,703	32,339	34,854	37,772	41,360
Industrial PNG Connections	7,472	8,783	10,391	11,803	13,215	16,563	18,756
Total PNG Connections (Lakh)	42.36	54.41	66	78.64	93.51	1,10.83	1,29.83
CNG Stations	1,315	1,742	2,187	3,094	4,433	5,665	6,861
Steel Pipeline (Inch-KM)	44,362	48,715	65,534	93,112	1,29,599	1,56,929	1,84,857
MDPE Pipeline (Inch-KM)	93,648	1,13,277	1,78,279	2,04,538	2,44,546	2,83,729	3,23,616





2.6 National PNG Drive

In order to achieve Prime Minister's vision to increase the share of Natural Gas in the India's energy basket from 6% to 15% by 2030, to transform India into a "Gas-Based Economy" & to facilitate supply of natural gas to existing registered customers besides enrolling customers for new PNG connections, National PNG Drive was organised from 26.01.2024 to 31.03.2024.

During the campaign period various promotional activities to increase the awareness on the use of PNG – a clean, environment friendly, safe and reliable fuel were undertaken so as to encourage customers for adoption of PNG. A total of 30.79 Lakh households were contacted during the campaign period out of which 10.87 Lakh new registrations were done along-with 5.96 Lakh PNG connections were provided.



PNG Inauguration at Deoghar by Union Minister, MOP&NG



Launch of PNG Drive at Vill. Dhansa, Delhi by IGL



PNG Awareness Session at Pune by MNGL



PNG Drive at Gorakhpur by Torrent Gas



2.7 New Initiatives

2.7.1 Constitution of a High-level Expert Committee

As per section 11(a) of the PNGRB Act, 2006 the functions of the Board include "protect the interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities". In order to implement this mandate and put in place appropriate practices and regulations for protection of consumers in Oil and Gas Sector in the country, the Board has constituted a High-level Expert Committee to review the extant consumer protection provisions in the PNGRB Act, 2006 and recommend a way forward to ensure comprehensive consumer protection framework on 1st February, 2024 under the Chairmanship of Shri Ratan P. Watal, Former Finance Secretary, Government of India.

As per the terms of reference the said Committee is required to examine and suggest measures for effective implementation of Section 11(a), 11(f) and 12(1) of the PNGRB Act, to clarify avoidance of conflict with existing provisions relating to consumer protection in other statutes and to examine the existing provisions for appointment of Ombudsman and suggest institution of suitable mechanism in this regard in Oil and Gas Sector.

2.7.2 Certain functions under Section 11 of the PNGRB Act, 2006 cannot be undertaken due to non-notification of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas. This issue has been taken up with the Government so that the mandate provided under the Act can be implemented.



PART 3: NATURAL GAS PIPELINES (NGPL)

3.1 Registration and Authorization:

3.1.1 Regulatory Framework on Authorization:

PNGRB has notified the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 (NGPL Authorization Regulations) for development of Natural Gas pipelines. PNGRB grants authorization for development of natural gas pipeline as per the following provisions: -

(a) **Expression of Interest**: An entity desirous of laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline shall submit an Expression of Interest (EoI) to the Board. In case the expression of interest fulfils the criteria, the Board issues an open advertisement and commences public consultation process. The Board, based on the views received may reject the EoI or go ahead with the proposal with or without modification and invite bids for the same (Regulation 4(1)).

(b) **Suo-motu route**: The Board may suo-motu initiate a proposal inviting entities to participate in the process of selection of an entity for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline on any route (Regulation 4(2)).

(c) **Under Regulation 17**: The Board issues acceptance of Central Government authorization to the entities authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding natural gas pipelines before the appointed day of 1st October, 2007.

(d) **Under Regulation 18**: The Board issues grant of authorization to entities not authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline before the appointed day of 1st October, 2007. Broadly speaking, these are the natural gas pipelines which an entity had made before the appointed day physical progress and financial commitment, etc. to the extent specified in the NGPL Authorisation Regulations.

3.2. Authorization granted in year 2023-2024:

During the year 2023-24, the Board has issued Authorization to the concerned entities for laying, building, operating or expanding the following Natural gas pipelines under the provisions of the PNGRB Act and the regulations notified thereunder. These pipelines are to be completed within a period of three years from the date of authorization.



Sr. No.	Name of the Pipeline	Route of pipeline	Description of the pipeline	Date of Issuance	Authorized entity
A	**Authorized under Regulation 5**				
1.	Gurdaspur-Jammu Natural Gas Pipeline (GJPL)	Gurdaspur - Jammu	**Length:** 160 kms **Capacity:** 3.10 MMSCMD **Dia:** 12"	12.07.2023	GAIL (India) Limited
B	**Tie-in Connectivity under Regulation 21(1) of NGPL Authorization Regulations**				
1.	Tie-in connectivity from ONGC's Raniganj CBM Block to GAIL's Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline	ONGC's Raniganj CBM Block to GAIL's Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline	**Length:** 28.81 Km **Capacity:** 0.477 MMSCMD **Dia:** 8"	30.11.2023	GAIL (India) Limited

3.3 Natural Gas Pipeline under Tendering Process:

During the year 2023-24, the Board initiated the bidding process for the following natural gas pipeline:

Sr. No	Name of Pipeline	Route	Description (Length, Capacity)	Last date of bid submission
1	Ennore - Barshi Natural Gas Pipeline (EBPL)	Ennore – Chittoor – YSR – Kurnool – Jogulamba – Raichur – Yadgir – Gulbarga – Solapur – Barshi.	Length: 875 km Capacity: 8.0 MMSCMD	16.04.2024
2	Jammu - Srinagar Natural Gas Pipeline (JSPL)	Jammu city – Srinagar along the National Highway.	Length: 325 km Capacity: 2.0 MMSCMD	13.05.2024

3.4. Initiation of Suo-Moto stakeholder consultation under taken:

During the year 2023-24, the Board initiated the following suo-moto stakeholder consultations under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 for development of Natural Gas pipelines:

S.No.	Title	Description (Route)	Date
1	Suo-Motu proposal for development of Jammu - Srinagar Natural Gas Pipeline.	Jammu to Srinagar	03/07/2023
2	Suo-motu proposal for development of Kakinada- Srikakulam Natural Gas pipeline	Kakinada-Pithapuram-Anakapalle-VizianagaramSrikakulam	08/01/2024
3	Suo-motu proposal for development of Natural Gas pipeline from Kochi to Thoothukudi via Kanyakumari	KKMBPL / PLL's LNG Terminal, Kochi and connect to IOCL's Ennore – Thiruvallur – Bengaluru – Puducherry – Nagapattinam – Madurai – Tuticorin	15/01/2024

3.5 Regulation of transportation rates

3.5.1 Regulatory Framework

In terms of section 11(e)(ii) of the PNGRB Act, PNGRB is empowered to regulate transportation rate by regulation for common carrier or contract carrier pipelines to ensure non-discriminatory tariff to shippers for using a common carrier or contract carrier pipeline.

Transportation rates for the pipelines authorised by PNGRB through bidding route is determined in the bidding process and specified in the authorisation letter available on PNGRB's website.

For transportation rates for the pipelines authorised other than by bidding process (i.e. pre-existing pipelines and those authorised under section 42 of the Act), the Board has notified Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008. In terms of these regulations tariff is determined in respect of natural gas pipelines authorised other than through bidding route, broadly considering post-tax return of 12% on capital employed applying DCF methodology and certain other parameters.



3.5.2 Tariff Orders issued

The tariff orders for the natural gas pipeline networks issued since 01.04.2023 are given below:

Sr. No	Name of Pipeline	Date of Order	Volume Transported 2023-24	Tariff declared	Previous Tariff
			(MMSCMD)	(₹/MMBTU)	
1.	Agartala Regional Natural Gas Pipeline (Legal Order)	31-05-2023	0.92	2.06	1.02
2.	Low Pressure Gujarat Gas Grid (LP Gas Grid)	23-06-2023	6.41	4.07	4.08
3.	K G Basin Natural Gas Pipeline network	27-12-2023	4.72	8.40	16.14

PNGRB is in the process of reviewing tariff for the following Natural Gas Pipelines:

(a) IGGL's North East Natural Gas Pipeline Grid

(b) GAIL's Integrated Natural Gas Pipeline

(c) GAIL's K G Basin Natural Gas Pipeline Network

(d) PIL's East West Natural Gas Pipeline (EWPL)

(e) AGCL's Assam Gas Pipeline Network

(f) GAIL's Gujarat Regional Natural Gas Pipeline Network (Excluding Baroda Sub-network)

(g) GAIL's Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline

3.5.3 Unified Tariff:

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) introduced significant amendments to the Natural Gas Pipeline Tariff Regulations in November 2020. The key highlight of these amendments is the introduction of the Unified Tariff concept.

Objective: The Unified Tariff aims to eliminate cascading tariff structures, providing customers with the flexibility to source natural gas from any terminal or source across the interconnected pipeline network. This reform enables consumers, particularly those in remote geographical locations, to overcome logistical disadvantages and access natural gas at a competitive price.

Key Benefits:

a. Eliminates cascading tariff, reducing cumulative charges.

b. Enhances customer flexibility in sourcing natural gas.

c. Promotes competition among suppliers.

d. Encourages efficient use of the natural gas grid.



During November 2022, following major amendments were made in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 for implementation of Unified Tariff:

a. Number of zones for Unified Tariff increased from two (2) zones to three (3) zones.

b. Tariff for the first tariff zone of unified tariff fixed at 52.5% for second tariff zone and tariff for the second tariff zone shall be 75% of the tariff for third tariff zone.

c. Settlement mechanism has been made part of regulations.

d. With commissioning of newer interconnected pipelines, the national gas grid will keep expanding for Unified tariff.

Later, Unified Tariff was implemented from 01.04.2023. In this regard, PNGRB notified the Unified Tariff w.e.f. 01.04.2023 in respect of all the natural gas pipelines forming part of the national gas grid system. National gas grid system currently consists of 20 interconnected pipelines of 9 entities. Out of total operational natural gas pipeline around 90% of natural gas pipeline forms part of NGGS.

Based on the regulations, PNGRB has notified Unified Tariff w.e.f. 01.04.2023 of Rs.73.93/ MMBTU and created three tariff zones for Unified Tariff, where the first zone is up to a distance of 300 kms from gas source (Rs.39.45/MMBTU), second zone is 300 – 1200 kms (Rs.74.97/MMBTU) and third zone is beyond 1200 kms (Rs.99.90/MMBTU).

Note: The national gas grid covers all the interconnected pipeline networks owned and operated by entities viz. Indian Oil Corporation Limited (1), Oil and Natural Gas Corporation Limited (1), GAIL (India) Limited (10 (Integrated Network plus KG Basin)), Pipeline Infrastructure Limited (1), Gujarat State Petronet Limited (2), Gujarat Gas Limited (1), Reliance Gas Pipelines Limited (1), GSPL India Gasnet Limited (2) and GSPL India Transco Limited (1). With commissioning of newer interconnected pipelines, the national gas grid will keep expanding for Unified tariff.

Unified Tariff and its zonal apportionment

(₹/MMBTU)

Sr. No	Particulars	Date of Order	Tariff declared	Previous Tariff
1.	Unified Tariff (UFT) and its Zonal apportionment w.e.f. 01.07.2023 to 31.03.2024	28-06-2023	Levelized: 81.13	Levelized: 73.93
			Zone 1-40.00	Zone 1-39.45
			Zone 2-79.00	Zone 2-74.97
			Zone 3-114.52	Zone 3-99.90
2.	Unified Tariff (UFT) and its Zonal apportionment w.e.f. 01.04.2024 to 31.05.2024	28-03-2024	No Change in Tariff; Change in tariff paths	



The actual volume flow during the FY 2023-24 on which unified tariff was applicable is 141.55 MMSCMD (at 9500/Kcal)

3.6 Capacity Assessment

The Board has notified PNGRB (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010 on 7th June, 2010. These regulations cover the procedures, parameters both constant and variable and frequency of declaration of pipeline capacity in MMSCMD for Natural Gas pipeline. The capacity so determined is web-hosted for various purposes, including providing access to available capacity on non-discriminatory basis under the relevant regulations and for fixation of tariff for the natural gas pipelines.

PNGRB has entered into an MoU with Engineers India Limited (EIL) on 05th April 2022, for capacity assessment of natural gas pipelines to be done in line with the provisions of capacity assessment regulations. Under this MoU, the Board has awarded the capacity assessment work to EIL five Natural Gas pipelines i.e. GAIL's Chhainsa-Jhajjar-Hissar Natural Gas Pipeline (CJHPL), KG Basin NGPL (KGBNGL) Network, South Gujarat Natural Gas Pipeline Network & Cauvery basin Narimanam – Kuthalam (NKM) sub-network and GSPL's Gujarat HP Gas Grid Natural Gas Pipeline and GAIL Integrated Network.

3.7 Progress Review Meetings and Hearings:

After grant of authorization, PNGRB continuously monitors the pipelines projects for timely completion of the pipelines authorized by the Board. Towards this end, progress review meetings/ hearings were conducted with the authorized entities during the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024, as per details given in **Annexure I**.

3.8 Extension of completion schedule to authorized Natural Gas Pipelines:

During the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024, PNGRB has granted time extension subject to certain conditions, for completion of following Natural Gas Pipelines authorized by it:

S/N	Name of Pipeline	Name of Entity	Scheduled date of completion	Extended up to
1	Kochi-Koottanad-Mangalore-Bangalore	GAIL India Limited	30.09.2022	30.11.2024
2	Mehsana – Bhatinda	GAIL India Limited	30.06.2021	30.06.2023
3	Mumbai – Nagpur - Jharsuguda (MNJPL)	GAIL India Limited	14.05.2023	Mumbai Nagpur Section – 31.12.2023 MNJPL Project – 31.10.2024
4	Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamra, Barauni – Guwahati and Dhamra – Haldia (Integrated JHBDPL)	GAIL India Limited	30.06.2023	31.12.2023
5	Mehsana – Bhatinda	GAIL India Limited	30.06.2023	30.09.2023



S/N	Name of Pipeline	Name of Entity	Scheduled date of completion	Extended up to
6	North East Gas Grid	Indradhanush Gas Grid Limited	16.11.2023	31.03.2025
7	Ennore-Tuticorin (ETPL)	Indian Oil Corporation Limited	Entire ETPL – 30.06.2022 Asanur to Karaikal: 30.11.2023 Trichy to Nagapattinam: 31.08.2023	Entire ETPL – 30.09.2023 Asanur to Karaikal: 31.03.2024 Trichy to Nagapattinam: 31.03.2024
8	Srikakulam-Angul	GAIL India Limited	31.07.2022	31.12.2023
9	Kanai-Chhata Panitar	Hooghly Pipelines Private Limited	31.05.2023	31.12.2023
10	Kanai-Chhata Panitar	Hooghly Pipelines Private Limited	31.12.2023	31.03.2024
11	Mumbai – Nagpur – Section of MNJPL Project	GAIL India Limited	31.12.2023	30.06.2024
12	Srikakulam-Angul	GAIL India Limited	31.12.2023	30.06.2024
13	Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamra, Barauni – Guwahati and Dhamra – Haldia (Integrated JHBDPL)	GAIL India Limited	31.12.2023	30.06.2024
14	Dwecha, Jalore (SV-01 station on Barmer-Pali section of Mehsana Bhatinda Natural Gas Pipeline) to HRRL Refinery at Panchpadra Rajasthan	GSPL India Gasnet Limited	01.09.2022	31.03.2024

3.9 Cancellation/Termination of Authorisations:

The Authorisation for Kakinada-Srikakulam Natural Gas Pipeline granted to Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation (APGDC), was terminated on 1st December, 2023.

3.10 Details of the operating Natural Gas Pipelines and under development Natural Gas Pipelines:

Details of the natural gas pipelines under operation and under construction are given at **Annexure J.**

3.11 Establishment of Regulatory Framework for Liquefied Natural Gas Terminals:

Section 11 (b) (ii) of PNGRB Act ,2006 provides for the registration to establish and operate liquefied natural gas terminals. The MoPNG notified the "Eligibility Conditions for Registration of LNG Terminals" in 2012. The Board has done public consultation of the draft LNG Regulations in the year 2013, 2018 and 2022. However, during the open house discussions with stakeholders some concern were raised regarding the proposed LNG Regulations, which are taken up with the MoPNG. Presently Board is considering to again initiate another round of consultations on the draft PNGRB (Registration for establishing and operating Liquefied Natural Gas (LNG) Terminals) Regulations, 2024.

3.12 Gas Infrastructure Map of India:





PART 4: PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS PIPELINES (PPPL)

4.1 Registration and Authorisation

4.1.1 Regulatory Framework on Authorization:

PNGRB has notified the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 (PPPL Authorization Regulations) on 1st September 2010 for development of Petroleum and Petroleum Products pipeline.

PNGRB grants the authorization for development of Petroleum and Petroleum Product Pipeline as per the following provisions, which are similar to the authorization of Natural Gas pipelines explained earlier: -

(a) Expression of Interest

(b) Suo-motu route

(c) Under Regulation 17

(d) Under Regulation 18

4.1.2 Authorization granted in the year 2023-24: -

During the year 2023-24, PNGRB has granted the following authorization to the concerned entities for development of Petroleum and Petroleum Product pipelines:

Sr. No.	Name of the Petroleum Product pipeline	Route of the pipeline	Description of the pipeline	Date of the Authorization	Authorised entity
Authorized Under Regulation 5 of PPPL Authorization Regulations					
1.	Devangonthi - Chitradurga Petroleum and Petroleum Products Pipeline.	IOCL's Devangonthi Station to CUF Chitradurga	**Length**: 232 km **Dia:** 12.75" **Capacity**: 4.58 MMTPA	27.06.2023	Indian Oil Corporation Limited

4.1.3 Petroleum and Petroleum Products pipeline under tendering process:

During the year 2023-24, PNGRB has initiated the bidding process for the following Petroleum and Petroleum Products Pipelines:

Sr. No	Name of Pipeline	Route	Description (Length, Capacity)	Last date of bid submission
1	Malkapur Terminal to Hyderabad International Airport Petroleum and Petroleum Product (ATF) pipeline	Malkapur Terminal to Hyderabad International Airport	**Length**: 59 km **Capacity**: 0.75 MMTPA	02.09.2024

"*The above bid has been annulled by PNGRB"*



4.1.4 Steps taken to declare the existing pipelines as common carrier

Section 20 of the PNGRB Act, empowers the Board to declare an existing pipeline for transportation of petroleum and petroleum products or natural gas as a common carrier or contract carrier under this the Board has framed PNGRB (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012.

Under this provision the Board has declared the following pipelines as common carrier or contract carrier on 14.07.2023:

i. BPCL's Mumbai Refinery to Mumbai International Airport

ii. HPCL's Mumbai Refinery to Mumbai International Airport

Both BPCL and HPCL have filed an appeal against the said decision of the Board in APTEL. The matter is sub-judice.

4.1.5 New Initiatives

The Board has circulated a concept paper on 24.02.02024 inviting views and suggestions on the development of Aviation Turbine Fuel (ATF) pipelines to connect various existing and upcoming airports in India, including greenfield and brownfield projects. This initiative aims to reduce transportation costs, enhance supply reliability, and promote competition within the aviation fuel market. Several ATF pipelines are already under development or operation, and the government seeks to expand this network. The insights received from the stakeholders will be instrumental in planning these pipelines to ensure efficient and sustainable fuel supply for the growing aviation sector

4.2 Regulation of Transportation Rates

4.2.1 Regulatory Mechanism

As per Regulation 5 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, petroleum and petroleum products pipelines transportation tariff shall be determined by benchmarking, against alternate mode of transport, that is, rail at a level of seventy-five percent except for LPG where it will be one-hundred per cent on a train load basis for equivalent rail distance along the petroleum and petroleum product pipeline route and shall apply to an entity covered under Regulation 3.

4.2.2 Initiating the Process to revise the transportation tariff structure in PPPL

The existing PPPL Tariff Regulations were introduced as a transitional measure in 2010 and are continuing since then. Also, in respect of bid-out pipelines, the Board is required to review the transportation tariff after 10 years of operation of the concerned pipeline and fix the tariff for a block of 5 years thereafter, on prospective basis. In



view of the same, vide LOA dated 13.4.2023, KPMG was awarded consultancy job for recommending the best suited Transportation Tariff Structure for PPPL in India.

As part of the exercise, international best practices for transportation tariff related policies and regulations in various countries were assessed and study tours were undertaken to USA and Canada along with team of KPMG to draw out key learnings for India. Consultation with key stakeholders viz pipeline owners and select consumers/ shippers were undertaken to identify key challenges that impediment the growth and economic sustainability of PPPL. Also, two pipeline destinations originating from port and refineries including related storage facilities in India were visited to gain understanding of systems followed in India. Meetings with Stakeholders were held to understand the pricing methodology of petrol and diesel and also understand the impact of freight on the overall cost price and selling price

PPPL Tariff Regulations suitable in Indian context are being drafted for Public consultation.

4.2.3 Tariff Orders issued

In terms of extant regulations, PNGRB has issued following Tariff Order since 01.04.2023:

Sr. No	Name of Pipeline	Pipeline Entity	Date of Order
1	Jamnagar Loni LPG Pipeline	GAIL (India) Limited	03.07.2023
2	Chennai - Trichy - Madurai Pipeline, Devangonthi - Devanhalli ATF Pipeline and Paradip - Raipur - Ranchi Pipeline	Indian Oil Corporation Limited	28-12-2023
3	Uran - Chakan - Shikrapur LPG Pipeline and Mundra - Delhi Pipeline	Hindustan Petroleum Corporation Limited	27-12-2023
4	Mangalore - Bangalore Pipeline	Petronet MHB Limited	27-12-2023
5	Vizag - Secunderabad LPG Pipeline	GAIL (India) Limited	27-12-2023
6	Jamnagar Loni LPG Pipeline	GAIL (India) Limited	27-12-2023

4.3 Capacity Assessment:

The Board has notified PNGRB (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010 on 7th June, 2010. These regulations cover the procedures, parameters both constant and variable and frequency of declaration of pipeline capacity in MMTPA for Petroleum and Petroleum Products Pipeline. The Board declared capacity of HPCL's Uran Chakan Shikrapur LPG pipeline during FY 2023-24.



4.4 Progress Review Meetings and Hearings:

After grant of authorization, PNGRB continuously monitors the progress in the pipeline projects authorized by the Board for their timely completion. Towards this end, progress review meetings/ hearings were conducted with the authorized entities during the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024, as per details given in **Annexure K**.

4.5 Extension of completion schedule to authorized Petroleum Products Pipelines:

During the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024, PNGRB has granted time extension subject to certain conditions, for completion of following Petroleum Products Pipelines authorized by it:

S/N	Name of Pipeline	Name of Entity	Scheduled date of completion	Extended up to
1	Krishnapatnam-Hyderabad	Bharat Petroleum Corporation Limited	16.03.2023	31.03.2025
2	Kandla-Gorakhpur	IHB Limited	31.12.2023	30.06.2024

4.6 Petroleum Products Pipelines under Operation/ Construction:

Details of petroleum products pipelines under operation and under construction as on 31.03.2024 are given at **Annexure L**.



PART 5: GAS TRADING EXCHANGE

5.1 Regulatory Framework

The Board notified Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020 in compliance to the directive issued by the Central Government on 1st July, 2020 under section 42(2) of the PNGRB Act assigning PNGRB a function under section 11(j) for regulating the establishment and operations of gas trading exchange(s) which is expected to secure suitable distribution and increase availability of natural gas by creating a free gas market to usher in gas-based economy in the country. The gas exchange provides a trading platform to foster gas trading in a fair and transparent manner to promote an efficient and robust gas market in the country. These regulations were amended on 6th May 2022 for creation of 6 regional gas hubs and to enable sale of ceiling price domestic gas at the gas exchange.

Regulations were further amended on 08th, March 2024 with respect to Settlement Guarantee Fund (SGF) contribution and its utilisation and other administrative amendments. The Board also approved trading of small scale LNG (ssLNG) at the exchange, Gas allocation methodology for celling price gas in pursuance to MoPNG Notification dated 13.01.2023, alignment in 'Exposure and Post Trade margin.

5.2 Updates on First Gas Exchange

Under these Regulations, Indian Gas Exchange Limited (IGX) has been authorised on 2nd December 2020 by PNGRB as first Gas Exchange. During the period of its existence, the trading volume at IGX showed significant improvement. The average monthly quantity decreased to 34.03 Lakh MMBTU in FY 2023-24 compared to 42.38 Lakh MMBTU in FY 2022-23, mainly because of reduction of trading of domestic ceiling price gas at the gas exchange. During the financial year 2023-24, weighted average monthly prices remain quite volatile ranging from ₹799/MMBTU in March, 2024 to ₹1131/MMBTU in November, 2023 (Weighted Average Price is calculated excluding gas traded at Ceiling Price).



PART 6: TECHNICAL STANDARDS

6.1 Regulatory Framework

As per Section 11(i) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, the Board shall lay down, by regulations, the technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, including the construction and operation of pipelines and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector.

In line with the above laid down functions, PNGRB constituted an Advisory Committee in August, 2007 for review and identification of gaps in the existing Technical Standards and Specifications including Safety Standards in activities related to petroleum, petroleum products and natural gas sector.

6.2 Development of Technical Standards and Specifications, Including Safety Standards

6.2.1 Technical standards and specifications, including safety standards had been notified for the following areas until March, 2024:

i) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

ii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009.

iii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009.

iv) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016.

v) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Liquefied Natural Gas Facilities) Regulations, 2018

vi) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for [dispensing of Automotive Fuels]) Regulations, 2018.



vii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for LPG Storage, Handling and Bottling Facilities) Regulations, 2019.

viii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020.

ix) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Plants) Regulations, 2023.

6.2.2 Process for finalization of Technical Standards and Specifications

Various technical committees have been constituted with a view to ensure the formulation of regulation/standards, uniformity of standards, codes, and best practices amongst all the entities, safety of downstream installations, public infrastructure, and environment. The Board has endeavoured to give representation in these technical committees not only to the entities operating in this sector but also to the concerned Government agencies, industry bodies, technical institutions etc. The Technical committees study the prevailing national/international standards, industry practices, technological advancements etc. on the subject matter and formulate the draft standard in accordance with the provisions as detailed in the PNGRB Regulations on Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards.

The draft regulations finalized by the respective technical committees/sub-groups are deliberated within the Board. After modification, if any, and approval of the draft by the Board, the draft regulations are webhosted on the PNGRB's website for public consultation. After receiving the suggestions/comments from the public as well as stakeholders, PNGRB conducts an Open Houses for deliberations on the various comments and suggestions. Based on Open House discussions, draft regulations are finalized, legally vetted, and considered by the Board for approval and formal notification.

6.3 Amendments in Technical Standards and Specifications, Including Safety Standards

6.3.1 The amendment in the notified Technical Standards and Specifications, Including Safety Standards Regulations is undertaken from time to time considering the latest technological developments, industry experience etc. The amendment proposals submitted by the entities or suo-moto by Board are reviewed by the technical committee. The amendment process is like development of new regulations and is in accordance with the provisions as detailed in the PNGRB Regulation on Procedure for



development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards. The amendment/review is a continuous process, major amendments in CGD Regulations are being undertaken to facilitate the growth in the sector without compromising the safety.

6.4 Emergency Response and Disaster Management Plan

6.4.1 In order to manage emergency, minimize damage to property, machinery, public, environment etc., the PNGRB (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Regulations, 2010, have been notified. These regulations apply to all downstream petroleum activities such as refining, processing, storage, handling, transportation, distribution, dispensing of petroleum etc. related to petroleum, petroleum products and natural gas.

6.4.2 In accordance with Schedule I to the ERDMP Regulations, 2010, the entities of downstream oil and gas sectors are required to develop and submit Third Party Inspection Agency (TPIA) certified and Board approved Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) documents for their facilities.

6.5 Integrity Management System (IMS)

The following IMS Regulations have been notified:

i) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for Natural gas pipelines) Regulations, 2012

ii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2013.

iii) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2021.

The IMS Regulations outline the basic features and requirements for developing and implementing an effective and efficient integrity management plan for city gas distribution networks, Petroleum Product Pipelines and Natural Gas Pipelines.

6.6 Third Party Conformity Assessment Regulations

The Board has notified Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Third Party Conformity Assessment) Regulations, 2015, which specify mechanism for assessment of conformity to various regulations by the entities through approved agencies or by the Board on its own including eligibility criteria and procedure for assessment of Third-Party Agency for empanelment as approved agency.



6.7 Compliance to PNGRB Regulations

6.7.1 The compliance to Technical Standards and Specifications, including Safety Standards, is monitored through inspections carried by Third Party Inspection Agencies (TPIAs) empanelled through assessment of their technical capability etc. in line with the PNGRB (Third Party Conformity Assessment) Regulations, 2015 or directly by the Board. These regulations inter alia provide the requirements of accreditation by an accrediting body for TPIAs, presently National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), as per ISO/IEC 17020 or any other appropriate standard and/or any other mechanism as approved by the Board to ensure their competence, integrity, impartiality etc. to undertake inspection for compliance of the above mentioned PNGRB regulations. The inspection by independent empanelled TPIAs is in line with international practice wherein regulators set the standards and compliance is ensured by the entities through independent TPIAs. However, the prime responsibility of ensuring safety lies with the entity itself.

PNGRB has a MoU with Quality Council of India (QCI) for cooperation between PNGRB and QCI especially for providing accreditation services to PNGRB to support its regulations on Third Party Conformity Assessment. Accordingly, TPIAs empanelled by Board shall be accredited as per ISO 17020. Alternatively, the certification shall be obtained within one year to ensure the competence of its personnel and compliances in line with Regulations. PNGRB officials have been nominated on the Board of National Accreditation Board for Certification Bodies to strengthen the process of inspections/certifications by Third Party Inspection Agencies.

6.7.2 Number of empanelled Third-Party Inspection Agencies (TPIA)

Number of empanelled Third-Party Inspection Agencies (TPIA)				
Sector	**Empanelled as on 31st March 2023**	**Empanelled during April '23 and March '24**	**Empanelment expired during April '23 and March '24**	**Empanelled as on 31st March 2024**
T4S				
City Gas Distribution	20	15	11	24
Natural gas Pipeline	16	14	11	19
Petroleum Products Pipelines	12	10	8	14
LNG Facilities	7	7	5	9
LPG Storage, Handling and Bottling Facilities	8	10	5	13
Petroleum Installations	7	8	6	9
Refinery	0	1	0	1



Number of empanelled Third-Party Inspection Agencies (TPIA)				
Sector	**Empanelled as on 31st March 2023**	**Empanelled during April '23 and March '24**	**Empanelment expired during April '23 and March '24**	**Empanelled as on 31st March 2024**
IMS				
City Gas Distribution	8	10	4	14
Natural Gas Pipeline	8	9	4	13
Petroleum Products Pipelines	2	8	2	8
ERDMP				
ERDMP	14	9	6	17

Total number of Empanelled third party inspections agencies as on 31st March 2024: 29 Nos. (Including TPIA's impanelled for multiple scope sectors)

6.7.3 The entities are required to submit the report of technical audit carried out by the empanelled Third-Party Inspection Agencies (TPIAs) along with the mitigation plan as per the provisions of the regulations. The compliance to these regulations and non-conformities observed in Technical Audit are monitored by PNGRB and review meetings are held with entities to ensure compliance of various recommendations in a time bound manner. The Table below shows number of Audit/Inspection/Certification carried out during the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024:

Sr. No	**Sector**	**Until March, 2023**	**1st April 2023 to 31st March, 2024**			**Total**
			T4S	**IMS**	**Sub total**	
1	City Gas Distribution Networks	419	39	52	91	510
2	Natural gas pipelines	202	20	17	37	239
3	Petroleum product pipelines	115	13	20	33	148
4	LPG Storage, Handling and Bottling Facilities	256	6		6	262
5	LNG Facilities	5	1		1	6
6	Petroleum Installations	155	140		140	295
7	Retail Outlets	0				
8	Refinery	0				
Total		**1152**	**219**	**89**	**308**	**1460**
9	ERDMP	2180			356	2536
Grand Total		**3332**	**219**	**89**	**664**	**3996**



6.7.4 In addition, multi-disciplinary teams constituted by PNGRB comprising members from industry, panel of experts and PNGRB have undertaken the following inspections.

Sr. No.	Sector	September, 2015 to March, 2023	1st April,2023 to 31st March, 2024	Total
1	City Gas Distribution Networks	7	2	9
2	Natural Gas Pipelines	3	-	3
3	Petroleum Product Pipelines	8	-	8
4	Liquefied Natural Gas Facilities	4	-	4
5	Petroleum Installations	1	-	1
6	Liquefied Petroleum Gas	4	-	4

The incident database for the incidents in city gas distribution networks, natural gas pipelines, petroleum, petroleum product pipelines, installations etc. is maintained and analysis of major incidents detailing the description, observations, root cause and learning is carried out and web-hosted so that corrective measures are taken by industry to prevent recurrence. Further, to investigate select major incidents, enquiry committees comprising of experts from industry and PNGRB are constituted to identify the shortcomings, reasons for failure and learning to prevent recurrence of such incidents.

The number of incidents, reported during the period from 1st April,2023 to 31st March, 2024 is as under:

Period	Near- miss	Minor	Major	Fatalities	Injuries
1st April, 2023 to 31st March, 2024	308207	20591	55	34	36

Sector wise details of major Incidents, Fatalities, and Injuries during the period from 1st April 2023 to 31st March 2024:

Sr. No.	Sector	Major Incident	Fatalities	Injuries
1	City Gas Distribution Networks	21	5	7
2	Natural Gas Pipelines	3	1	1
3	Petroleum Product Pipelines	0	0	0
4	Liquefied Natural Gas Facilities	0	0	0
5	Retail Outlets	14	14	13
6	LPG Storage, Handling and Bottling Facilities	4	3	1
7	Refinery	9	9	14
8	Petroleum Installations	4	2	0
	Total	**55**	**34**	**36**



Note: In addition, 139 road incidents were reported during FY 2023-24, resulting in 75 fatalities and 63 injuries.

During the year the Board constituted enquiry committees to identify shortcomings, establish the cause of failure and suggest remedial measures to prevent the recurrence of incidents for the following major incidents:

i. Fatal incident at a HPCL Retail Outlet, Rayachoti, Annamayya District, Andhra Pradesh on 28.05.2023.

ii. Fire incident at NRL Refinery located at Golaghat Assam on 29.05.2023.

iii. Incident at Nayara Refinery on 07.08.2023.

iv. Incident at IOCL's Panipat Refinery on 07.12.2023.

v. Incident at Bhopal & Rajgarh District GA of Think Gas on 09.03.2024.

vi. Fire incident in Burari area of Delhi GA of Indraprastha Gas Limited on 30.03.2024.

The enquiry reports submitted by the above mentioned committees were forwarded to the respective organisations for compliance. The compliance status received from entities is monitored. Further, the findings of these reports are being shared with concerned Industry members for compliance of applicable recommendations at their end to prevent recurrence of similar incidents.

The Board has held a series of meetings with Directors of various entities to seek explanation on occurrence of major incidents occurred in H1 of FY 2023-24 and to know the measures taken by respective entities to strengthen its safety/integrity system to prevent recurrence of any major incidents. The Board has also directed entities to have comprehensive compensation program for any fatality/injury of contract workmen involved in such incidents.

6.8 Competence Building

Competence building is crucial to create awareness and ensure Safety of the petroleum and natural gas sector in India. This involves developing skills, knowledge, and expertise to effectively fulfil regulatory mandates, ensure public safety, promote innovation, and keep pace with technological advancements.

In order to create awareness and to ensure safety, PNGRB officials participated in various workshops/training programs organized by Oil and Gas Industries stakeholder during the year. Same of these events are listed below:

i) Safety Conclave organized by HMEL in collaboration with Oil Industries Safety Directorate at Bathinda on the theme "Safety in the era of intricacies, Massiveness, Globalization".

ii) Session by Ministry of New and Renewal Energy (MNRE), focused on various standards on green Hydrogen mission.

iii) Pipe Tech 2023, New Delhi, conference to exchange information on technology up-gradation, preparedness, mitigation planning using on-site and off-site emergency planning, transportation of hazardous petroleum, petroleum products and natural gas through pipelines and other modes etc. PNGRB Technical team was involved in Panel discussion, focused on Hydrogen Technologies in the context of pipeline Infrastructure.

PNGRB Technical Division endeavor has been to sensitize state Governments, district authorities, local bodies, community, besides industries and various organizations w.r.t. technical requirements under relevant PNGRB Regulations to maintain high level of safety at the Oil and Gas installations as well as to ensure effective response to emergencies and disaster management.

In order to enhance the capabilities of TPIAs for carrying out conformity assessment of city gas distribution networks, natural gas, petroleum and petroleum products pipelines, LNG facilities, LPG storage, handling and bottling facilities in accordance with the PNGRB's technical standards and specification, including safety standards and certification of ERDMP documents in accordance with ERDMP regulations, Capability Building webinar for empanelled accredited TPIAs for T4S / IMS regulations and ERDMP Regulations was held regularly to bring uniformity in process of certifications and maintain highest standards of safety standards at the facilities/installations handling petroleum, petroleum products and natural gas.

To spread awareness around the industries professional about the recent incidents and their learning, challenges, development, and new technology etc. PNGRB conducted multiple Knowledge Sharing Webinar on different sectors of downstream section.

6.9 Hydrogen

In line with Government's vision of promoting Hydrogen as clean energy source, the Board has granted permission for pilot projects on Hydrogen blending in CGD network to the following entities:

a) Gujarat Gas Limited at NTPC Kawas Township, Surat, Gujarat.

b) Aavantika Gas Limited in Indore, Madhya Pradesh.

c) Assam Gas company in Jorhat, Assam.

d) Adani Total Gas limited in Ahmedabad, Gujarat.

The Board in association with the World Bank has carried out a comprehensive study to develop "Pathways for Hydrogen transmission in Natural gas pipelines and City Gas

Distribution networks" by identifying the measures needed across the hydrogen value chain, feasibility of existing infrastructure for hydrogen transport at different levels of blending and bench marking w.r.t. global best practices/policies & way forward for India.

In this regard, a mega Stakeholder Meet was organised on 7th March 2024 to discuss the draft report of the study with all stakeholders.



Stakeholder interaction on the study "Pathways for Transmission of Hydrogen in Natural Gas pipelines and City Gas Distribution networks"

6.10 CBG

The Board is in the process of finalising the Standard Operating Procedures for facilitating CBG blending for CBG network.

The Board organised a technical session on Compressed Bio-Gas manufacturing technologies and its challenges on 06.10.2023 which was attended by CGD entities and CBG producers.

6.11 New Initiative

As per section 11(i) of the PNGRB Act, 2006 the functions of the Board includes laying down, by regulations, the technical standards and specification including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, including the construction and operation of pipeline and infrastructure project related to downstream



petroleum and natural gas sector. In order to implement this mandate and to ensure compliance to various regulation for safety and integrity of Oil and Gas Sector in the country, the Board constituted a High-level Expert Committee to review the present technical/safety framework in the petroleum and gas sector of the country on 24th November, 2023 under the Chairmanship of Shri M.B Lal, Former CMD-HPCL.

As per the terms of reference the said Committee is required to examine the regulatory regime, modalities and domain of PNGRB to ensure safety and integrity of assets in the country's downstream Oil and Gas Sector as mandated under PNGRB Act, 2006, to review the technical and safety framework w.r.t system and procedures and to explore inclusion of regulatory provisions related to energy efficiency and environmental parameters in T4S Regulations of PNGRB. Also to explore to recommend inclusion of petrochemical plants in PNGRB's domain.



PART 7: DISPUTE RESOLUTION

7.1 Section 12 of the PNGRB Act, 2006 empowers the Board to adjudicate upon and decide any dispute on the issues relating to the subject matters within the purview of the Board as also to receive and decide complaints connected with the specified activities. The provisions in this regard have been laid down in Chapter-V of the Act. The detailed procedure for receiving, processing and deciding any petition or complaint under these provisions has been laid down under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Conduct of Business, Receiving and Investigation of Complaints) Regulations, 2007.

7.2 It is relevant to point out that as per the provisions of Section 12 (1) (a) of the PNGRB Act, 2006, the Board cannot adjudicate upon and decide any dispute or matter when the parties have agreed for arbitration. Further section 25 (1) of the Act, providing for filing a complaint before the Board also prohibits the Board from taking up any complaint of an individual consumer maintainable before a consumer disputes redressal forum under the Consumer Protection Act, 1986.

7.3 The following cases are pending before the Board till date:

LIST OF CASES DISPOSED BY THE BOARD (From 01.04.2023 to 31.03.2024)

S. No.	Case No.	Case Particulars	Judgment Date
1	**Legal/25/2021**	Sadarmal Bagaria Industries Pvt. Ltd. (Unit Ratna Tea Factory) V. Assam Gas Company and Ors.	**19.04.2023**
2	**Legal/17/2020**	Dibrugarh Tea Gas Grid and Ors. V. Assam Gas Company	**19.04.2023**
3	**Review Petition 06/2023**	M/s AGP CGD India Pvt. Ltd. V. Hyundai Motor India Ltd. and Anr.	**20.04.2023**
4	**Review Petition No. 05/2023**	M/s Torrent Gas Jaipur Pvt. Ltd.	**25.05.2023**
5	**Review Petition No. 19/2022**	GAIL(India) Ltd.	**30.05.2023**
6	**Legal/25/2022**	Haryana City Gas Distribution (Bhiwadi) Ltd. V. Torrent Gas Jaipur Pvt. Ltd.	**23.06.2023**
7	**Legal/41/2021**	Gujarat Gas Ltd. V. Charotar Gas Sahakari Mandali Ltd.	**14.07.2023**
8	**Legal/7/2019**	Gujarat State Petronet Ltd. V. Arcelormittal Nippon Steel India Ltd.	**07.08.2023**

LIST OF CASES BEFORE BOARD (Pending up to 31.03.2024)

S. No.	Case No.	Case Particulars	Status
1	**Legal/31/2013**	GMR Vemagiri Power Generation Ltd. Vs. GAIL(I)Ltd	**Sub-Judice***
2	**Legal/32/2013**	GMR Energy Ltd Vs.GAIL (India)Ltd	**Sub-Judice***
3	**Legal/33/2013**	Lanco Kondapali Power Ltd Vs. GAIL(I) Ltd	**Sub-Judice***
4	**Legal/34/2013**	Konaseema Gas Ltd Vs.GAIL(I)Ltd	**Sub-Judice***



S. No.	Case No.	Case Particulars	Status
5	**Legal/36/2013**	GVK Gautami Power Ltd Vs.GAIL(India)Ltd	**Sub-Judice***
6	**Legal/42/2013**	Tata Power Delhi Distribution Ltd Vs. GAIL	**Sub-Judice***
7	**Legal/43/2013**	Reliance Infrastructure Limited Vs. GAIL	**Sub-Judice***
8	**Legal/60/2013**	Apraava Energy Private Limited (Former, CLP India Limited) Vs.Gujarat State Petronet Limited	**Sub-Judice***
9	**Legal/53/2013**	Essar Power Ltd Vs.GSPL	**Sub-Judice***
10	**Legal/37/2013**	GVK Industries Ltd Vs. GAIL	**Sub-Judice***
11	**Legal/245/2018**	Gujarat Gas Ltd. Vs Adani Gas Ltd.	**Sub-Judice**
12	**Legal/11/2019**	Gujarat State Petrleum Corporation Limited vs. GAIL (India) Limited (Remanded from APTEL in Appeal No. 290 of 2016)	**Sub-Judice**
13	**Legal/09/2019**	Sabarmati Gas Ltd Vs. GAIL	**Sub-Judice**
14	**Legal/10/2019**	Sabarmati Gas Ltd Vs. GAIL	**Sub-Judice**
15	**Legal/22/2021**	Think Gas Ludhiana Private Ltd. Vs. Jay Madhok Energy Private Ltd**.**	**Sub-Judice**
16	**Legal/40/2021**	Think Gas Ludhiana Private Ltd. Vs. Jay Madhok Energy Private Ltd.	**Sub-Judice**
17	**Legal/16/2022**	Charotar Gas Sahakari Mandali Limited Vs. Gujarat Gas Lmited	**Sub-Judice**
18	**Legal/22/2022**	Indraprastha Gas Limited Vs. Haryana City Gas Distribution Limited	**Sub-Judice**
19	**Legal/23/2022**	Haryana City Gas Distribution Limited Vs. Indraprastha Gas Limited & Ors.	**Sub-Judice**
20	**Legal/28/2022**	Adani Total Gas Limited Vs. Gujarat Gas Limited	**Sub-Judice**
21	**Legal/29/2022**	Adani Total Gas Limited Vs. Gujarat Gas Limited	**Sub-Judice**
22	**Legal/30/2022**	Adani Total Gas Limited Vs. Gujarat Gas Limited	**Sub-Judice**
23	**Legal/31/2022**	Adani Total Gas Limited Vs. Gujarat Gas Limited	**Sub-Judice**
24	**Legal/03/2023(***Old Ref: Legal/26/2022***)**	Think Gas Ludhiana Private Limited Vs. Jay Madhok Energy Private Limited	**Sub-Judice**
25	**Legal/04/2023(***Old Ref: Legal/27/2022***)**	Think Gas Ludhiana Private Limited Vs. Jay Madhok Energy Private Limited & Ors.	**Sub-Judice**
26	**Legal/13/2022**	Central U.P. Gas Limited Vs. HPCL	**Sub-Judice**
27	**Legal/02/2023**	Indraprastha Gas Limited Vs. Haryana City Gas Distribution Limited & Ors.	**Sub-Judice**
28	**Legal/03/2023 (Ref. Legal/26/2022)**	Think Gas Ludhiana Private Limited vs Jay Madhok Energy Private Limited & Ors.	**Sub-Judice**
29	**Legal/04/2023 (Ref: Legal/27/2022)**	Think Gas Ludhiana Private Limited vs Jay Madhok Energy Private Limited & Ors.	**Sub-Judice**
30	**Legal/07/2023**	GAIL (India) Limited	**Sub-Judice**
31	**Legal/08/2023**	Knauf India Private Limited	**Sub-Judice**
32	**Review Petition/09/2023**	GSPL India Gasnet Limited	**Sub-Judice**



S. No.	Case No.	Case Particulars	Status
33	**Legal/10/2023**	Sabarmati Gas Limited Vs. Exxaro Tiles Limited & Anr.	**Sub-Judice**
34	**Legal/11/2023**	Jay Madhok Energy Pvt. Ltd. Led Consortium vs. Think Gas Ludhiana Pvt. Ltd	**Sub-Judice**
35	**Execution Petition No.: 01 of 2023(Old Ref: Legal/13/2022)**	Cenral U.P. Gas Limited vs Hindustan Petroleum Corporation Limited	**Sub-Judice**
36	**Execution Petition No.: 02 of 2023**	G.H. Gediya Vs M/s. Sabarmati Gas Limited	**Sub-Judice**
37	**Legal/12/2023 Execution Petion 03/2023**	Bhagyanagar Gas Limited Vs. M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd.	**Sub-Judice**
38	**Legal/13/2023**	Ghanshyam Sharma Vs. Hindustan Petroleum Corporation Limited	**To be listed**
39	**Legal/14/2023**	GAIL (India) Limited Vs. GSPL India Gasnet Ltd. (GIGL) & Ors.	**To be listed**
40	**Legal/15/2023**	IMC Limited Vs. Indian Oil Corporation Limited	**To be listed**
41	**Legal/01/2024**	Bharat Petroleum Corporation Limited	**To be listed**
42	**Legal/02/2024**	Ms. Bharat Petroleum Corporation LtdVs. Ms. Gail India Ltd. & Anr.	**To be listed**
43	**Legal/03/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. GAIL and Neutral Gas Limited	**To be listed**
44	**Legal/04/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. Virgo Laminates Ltd. Shell Energy India Private Ltd and Inox India Ltd	**To be listed**
45	**Legal/05/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. GAIL and Bharat Glass Tube Limited	**To be listed**
46	**Legal/06/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. Century Enka Limited and Indian Oil Corporation Limited	**To be listed**
47	**Legal/07/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. Comfia Industries Private Limited and GAIL (India) Limited	**To be listed**
48	**Legal/08/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. GAIL (India) Limited, Pragati Glass and Industries Private Limited	**To be listed**
49	**Legal/09/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. GAIL (India) Limited, Banco Gasket Limited	**To be listed**
50	**Legal/10/2024**	M/s. Gujarat Gas Limited Vs. GAIL (India) Limited, Seazone Granito Private Limited	**To be listed**

** The 10 connected cases were filed by the customers either of Gujarat State Petronet Ltd. or GAIL (India) Ltd., regarding violation of Model Gas Transmission Agreement Guidelines, 2012. The instant matters are not listed before the Board due to Hon'ble Supreme Court of India's order dated 21.11.2014, in Special Leave to Appeal (C) No. 31434 of 2014, titled Tata Power Delhi Distribution Ltd. V. GAIL (India) Ltd. and Ors.; wherein it was held that no final order shall be passed by PNGRB.*

The pending cases mentioned above could not be adjudicated as the position of Member (Legal) was vacant since 27.09.2023.



PART 8: ORGANISATIONAL MATTERS

8.1 The Board:

8.1.1. As per the PNGRB Act, 2006, the Board consists of Chairperson, Member (Legal) and three other Members. Names and the tenure of the Board Members (as on 31.03.2024) are given below:

S No.	Designation	Name	Tenure upto
1	Chairperson	Dr. Anil Kumar Jain	15th October, 2027
2	Member	Shri Gajendra Singh	14th June, 2025
3	Member	Shri Anjani Kumar Tiwari	1st November, 2026
4	Member (Legal)	Shri Ajit Kumar Pande	Passed away on 26.09.2023

8.1.2 The name and tenure of the Secretary to the Board is given below:

S. No.	Designation	Name	Tenure upto
1	Secretary	Smt. Vandana Sharma	30th September, 2024

8.1.3 Meetings of the Board:

Nine Board Meetings were held during 1st April, 2023 to 31st March, 2024 as per details below:

S. No.	Board Meeting No.	Date
1	124th	25.04.2023
2	125th	22.06.2023
3	126th (Emergency)	27.06.2023
4	127th	17.08.2023
5	128th	05.10.2023
6	129th	21.11.2023
7	130th	27.12.2023
8	131th	20.02.2024
9	132th (Emergency)	27.03.2024

8.2 Human Resources:

8.2.1 The sanctioned manpower strength of PNGRB is 44 posts, excluding the positions of Chairperson, Members and Secretary. The sanctioned posts approved by Ministry of Finance (Department of Expenditure), are given below:



S. No.	Details of sanctioned posts	Sanctioned Manpower
1	Adviser	4
2	Jt. Adviser	4
3	Deputy Director	4
4	Assistant Director	2
5	PPS	1
6	Accountant	1
7	Cashier	1
8	Bench Officer	1
9	PS	9
10	PA	6
11	Asst-cum-Data Entry Operator	6
12	Senior Secretariat Assistant	5
	Total	**44**

8.2.2 PNGRB (salary, allowances and other conditions of service of Officers and employees) Rules, 2020 were notified on 1st October, 2020. Accordingly, the process for engagement of Officers and staff on deputation to PNGRB from Central Government and alternatively on short-term contract basis was commenced. The following Officers and staff have been taken on deputation from Central Government:

S.No.	Details of sanctioned posts	Officers/staff on deputation from Central Government
1	Jt. Adviser	2
2	Deputy Director	3
3	Senior Secretariat Assistant	1
	Total	**6**

The following Officers and staff have been appointed on short-term contract basis:

S. No.	Details of sanctioned posts	Officers/staff on short-term contract basis
1	Deputy Director	2
2	Assistant Director	2
3	PPS	1
4	Bench Officer	1
5	Accountant	1
6	PA	3
7	Asst.-cum-Data Entry Operator	6
8	Senior Secretariat Assistant	1
	Total	**17**



8.2.3 The Board also engages requisite number of tenure-based consultants depending upon the volume of work with each division from time to time. The Board has framed Regulations to lay down the process and the terms and conditions for such engagement. During the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024, 37 consultants were engaged by the Board. The status of Consultants in position as on 31 March, 2024 are as under:

Division	Level - I	Level - II	Level - III	Level - IV	Level - V	Level - VI
Legal	4	1	--	--	--	--
Monitoring	5	--	1	--	--	--
Technical (Engg.)	3	1	--	--	1	--
Authorization	4	--	--	--	--	--
Commercial	2	2	--	2	--	--
Admin	3	5	--	--	--	--
Strategic Planning	--	--	1	--	--	2
Total	**21**	**9**	**2**	**2**	**1**	**2**

8.2.4 Establishment of New Divisions

Based on the nature of work the Board had six divisions namely Authorisation, Monitoring, Technical, Commercial, Legal and Administration. Three more divisions were added with a view to strengthen the existing organisational structure which are as follows:

i. Consumer Protection

ii. Strategic Planning

iii. Statistics

8.2.5 Purchase of New Office Premises:

At present, PNGRB is housed at the First Floor of World Trade Centre (WTC), Babar Road and has been in this premises since its inception in 2007 over past 17 years. The Board is facing acute shortage of space as the workload of the Board has grown manifold and the number of officers & staff has also increased. Therefore, PNGRB has purchased an Office Premise at the World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi from the NBCC (M/s. National Buildings Construction Corporation Ltd), who has been entrusted with the development and sale of the space at WTC by the Ministry of Housing & Urban Affairs, @ approx. 160.97 crores with a super built-up area of 40,139 sft (carpet area 30,045 sft) on freehold basis from Imbalance and Overrun Fund of PNGRB. This will enhance the effectiveness and also lead to considerable savings from out go of rental charges. A National Centre for Hydrocarbon Infrastructure Monitoring is also being installed in the new premises for effective planning and monitoring of natural gas & liquid petroleum logistics.



8.2.6 Human Resource Development

A. Study tours/conferences/trainings:

i. Shri Anjani Kumar Tiwari, Member and Shri Pankaj Bhutani, Joint Adviser visited USA from 14th to 23rd July, 2023 to study Transportation Tariff of Petroleum and Petroleum Product Pipelines.

ii. Shri Gajendra Singh, Member, Md. Tanweer Akhter, Joint Adviser and Shri Ankur Jain, Deputy Adviser visited Canada from 20th to 28th August, 2023 to study Transportation Tariff of Petroleum and Petroleum Product Pipelines.

iii. Shri Ajit Kumar Pande, Member (Legal), attended Gastech Conference, 2023 in Singapore from 4th to 9th September, 2023.

iv. Lt Col Kumar Abhishek, Joint Adviser and Shri Gagan Aggarwal, Deputy Director attended the ADIPIC Conference, 2023 in Abu Dhabi from 01st to 06th October, 2023.

v. Lt Col Kumar Abhishek, Joint Adviser and Shri Shreyas Palsule, Assistant Adviser participated four month certificate course on Regulatory Governance organized by the Forum of Indian Regulators (FOIR).

vi. Shri Khaja Mohideen, Deputy Director, attended regional workshop on PM Gatishakti National Master Plan in Varanasi, UP from 11th and 12th April, 2023.

vii. Shri Ankur Jain, Deputy Adviser, attended Management Development Program on "Execution Excellence and Managing Relationship" with effect from 24th to 28th April, 2023 at Hyderabad.

viii. Shri Somanshu Jairath and Shri Sharique Hussain, Assistant Consultants attended workshop of PM Gatishakti at BISAG-N CPSE Training Module from 1st & 2nd June, 2023.

ix. Shri Pankaj Bhutani, Joint Adviser attended training program in Mumbai on Masterclass for Directors and Boardroom effectiveness from 8th to 6th June, 2023.

x. Shri Shreyas Palsule, Assistant Adviser and Shri Lalit Panchpal, Assistant Consultant attended a training organized by FSR Global - School on Energy Transition from 12th – 15th September, 2023.

xi. Shri Mohit Budhiraja, Bench Officer attended the 25th Appreciation Course in Legislative Drafting from 12th – 23rd February, 2024 organized by Institute of Legislative Drafting and Research a wing of Ministry of Law and Justice.

xii. One Week Training on MS-Excel (Basic and Advance) was organized twice for the employees from the week starting 29.08.2024 & 18.12.2023.



B. Knowledge Sharing Lectures:

i. Shri Chandra Bhushan, a leading environment and climate change expert shared his views on "Climate Change Challenge for India" on 14th December, 2023.

ii. Shri Mukesh Choudhary, Director (Marketing), Coal India Limited (CIL), delivered a talk on "Prospects of change in the electricity fuel mix in the Medium Term" on 3rd January, 2024.

iii. Shri Saurabh Diddi, Director, Bureau of Energy Efficiency, delivered a talk on "Carbon Credit Trading Scheme Perform Achieve and Trade (PAT) and Renewable Energy Certificate (REC) Schemes" on 5th March, 2024.

iv. Ms. Dhiya Ann Mathew, National General Secretary of Youngs Women Christian Association of India, New Delhi, delivered a lecture on "awareness for making workplace women friendly as well as for highlighting issues relating to prevention of sexual harassment of women at workplace" on 8th March, 2024.

8.3 Right to Information (RTI) Act, 2005

8.3.1 The Right to Information Act, 2005 (RTI Act) aims at achieving the objectives of good governance in a transparent, responsive, citizen-friendly manner with the ability to disseminate all the information to the public. The RTI Cell is headed by a Nodal Officer, Lt Col Pawan Kumar Uniyal, Joint Adviser, where applications seeking information under the RTI Act are received. In addition, information is also now being sought through Department of Personnel and Training online RTIMIS portal.

8.3.2 Dissemination of information in public domain includes particulars of organisation, its functions and duties, the designation of CPIO and Appellate Authority etc. The Board is also providing information under Section 4(2) of the RTI Act i.e. to provide information suo moto to the public at regular intervals by updating the website of PNGRB.

8.3.3 Details of RTIs/Appeals are as under:

Period	RTI		Appeals	
	Received	Pending as on 31.03.2024	Received	Pending as on 31.03.2024
1st April, 2023 to 31st March 2024	215	14	19	01



8.4 Vigilance Matters:

No vigilance cases were either contemplated or pending during 2023-24 in the Board.

8.5 Implementation and Encouragement of Official Language

Meetings of Official Language Implementation Committee were held every quarter to discuss and review the progressive use of Hindi for achieving the targets of annual program issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

Various activities were organized to encourage and motivate the employees to maximise the use of Official Language in their day-to day work. Efforts were made at all levels to achieve the prescribed target as per annual program issued by the Department of Official Language. The website of PNGRB is bilingual.

The following activities were undertaken for promoting the use of official language: -

(a) Hindi Pakhwada was organized with effect from 14 September to 29 September, 2023. Various activities were organized during the fortnight such as Translation Competition, Hindi slogan writing Competition, Hindi Poem Recitation Competition, Official Language and General Knowledge Competition, Hindi Idioms & Proverbs Competition.

(b) The third issue of the Hindi magazine namely "PNGRB Darpan" during 2023-24 was published. During the closing ceremony of the Rajbhasha Pakhwada, the magazine was released by Dr. Anil Kumar Jain, Chairperson, PNGRB.

(c) Five Hindi Workshops were organized on subjects such as Standardization of Hindi Spelling, Constitutional Status and Provisions of Official Language Hindi, Official Rules, Acts and Policies and Useful words and phrases for working in Hindi in e-office during the year to enhance the knowledge of the employees.

(d) Regular Hindi Competitions were held during the year such as Poster Competition, Official Language Quiz, Slogan Competition, Picture Description Competition and Dictation Competition to encourage the employees to increase the usage of Hindi.

(e) Books in Hindi language were regularly purchased for the library to create interest amongst the staff members towards Hindi literature.

(f) To enhance the knowledge of Official Language Hindi, five English words along with their Hindi translation are displayed on the notice board on a daily basis.

8.6 Miscellaneous Activities: -

8.6.1 World Environment Day (05th June, 2023)

PNGRB celebrated World Environment Day on 5th June, 2023. During the event, plants were distributed to all the employees. The theme of World Environment Day was "Beat Plastic Pollution".



8.6.2 World Yoga Day (21st June, 2023)

PNGRB celebrated World Yoga Day on 21st June, 2023 by organizing an event, wherein a Yoga Instructor was called to spread awareness regarding Yoga and to explain its benefits and importance in daily life. The theme of the World Yoga Day was Yoga for *"Vasudhaiva Kutumbakam"* means "The world is one family".



Employees participating in World Yoga Day Celebration

8.6.3 Swachhta Pakhwada (01-15th July 2023)

PNGRB celebrated Swachhta Pakhwada by organizing various activities during 1st to 15th July 2023. A cleanliness pledge was taken by all the employees. The participants pledged that they would remain committed to cleanliness and devote time for it. Several cleanliness drives were carried out inside and outside the PNGRB premises and the employees enthusiastically participated in the campaign. Obsolete items, boxes, files, paper waste, electronic waste etc were disposed off.



Cleanliness activities on Swachta Pakhwada

8.6.4 International Women's Day celebrated on 08th March, 2024 at PNGRB.

The International Women's Day, 2024 was celebrated in PNGRB on 8th March 2024. During the program, a talk on the theme "DigitALL: Innovation and technology for gender equality" was delivered by the chief guest, Ms. Dhiya Ann Mathew, the National General Secretary of YWCA, Delhi.

On this day, a Quiz Competition, Cultural program and Singing Competition were conducted, wherein all the women employees participated.



Secretary PNGRB and National General Secretary, YWCA with all PNGRB Women Staff

8.6.5 Forum of Indian Regulators (FOIR)

The Forum of Indian Regulators is a registered Society under the Societies Registration Act. The Forum includes regulators of sectors such as Electricity, Ports, Aviation, Petroleum and Natural Gas, Competition and Insolvency. It provides the Regulators a common platform to discuss to emerging issues in regulatory procedures and practices, to evolve common strategies to meet the challenges before regulators in India, and to share information and experiences. PNGRB is a Member of FOIR.



Shri Anjani Kumar Tiwari, Member, PNGRB attended the Conference of FOIR held on 21-22 December, 2023 at Thiruvanthapuram, Kerala



8.7 International Co-operation

8.7.1. MoU with Federal Energy Regulatory Commission, (FERC) USA:

PNGRB entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with Federal Energy Regulatory Commission, (FERC) U.S.A. at Houston, U.S.A. on 14 March, 2019. The objectives of the MoU in oil and natural gas sectors within the Authorities' regulatory jurisdiction are:

a) Exchange of information on each other's laws, rules, and regulations relating to the oil and natural gas sectors and their experiences in regulating these sectors with a view to learning about the best practices and promoting development of competitive markets in their respective countries

b) Consultation on the area of mutual interest

c) Impart training to personnel from the other Regulatory Body, as per request and feasibility

d) Technical assistance to improve technical capabilities on regulatory issues including

   i. development of a regulatory framework for the promotion of fair trade and competitive markets

   ii. guidelines for regulating open access to common carrier

   iii. development of tariffs

A meeting was held with Commissioner, Federal Energy Regulatory Commission, USA in February, 2023 at PNGRB for discussions on co-operation between the regulators and future strategies, outlooks, hydrogen etc.

8.7.2 MoU with American Society of Mechanical Engineers (ASME)

The Board entered into MoUs with ASME- American Society of Mechanical Engineers to implement Pipeline Inspection & Personnel Qualification program and to explore opportunities to participate in ASME working groups and training forums.

Also, ASME to collaborate with PNGRB in the exploration of additional opportunities in the following areas:

i) Training Indian pipeline personnel in auditing functions and pipeline maintenance.

ii) Creation of a guidance document on qualification for pipeline inspectors.

iii) Development of qualification criteria, examinations, and checklists for pipeline inspectors.

iv) Development and deployment of training and examinations for pipeline personnel in accordance with ASME B31Q.

8.7.3 US India Low Emission Gas Task Force

US India Gas Task Force was constituted under US India Strategic Clean Energy Partnership to increase the share of Gas in India's Energy Basket. Subsequently, this task force was

renamed as Low Emission Gas Task Force to have focus of use of other low emission energy alternative like Compressed Bio gas, blending of hydrogen in natural gas etc. Shri S C Gupta, Joint Advisor, PNGRB is co-chair of Market and Regulatory Sub-committee.

The India-US Joint sub-committee has finalised five papers on authorization process for development of infrastructure, gas pricing and marketing freedom, pipeline access, ROU acquisition for gas pipelines and gas pipeline tariff to promote gas markets and infrastructure development. Presently, sub-committee is focusing of repurposing the existing gas infrastructure for transportation of natural gas blended with hydrogen, compressed bio gas etc.

8.7.4 International Conference of Petroleum and Natural Gas Regulators

The inaugural edition of the International Conference of Petroleum and Natural Gas Regulators was held under the aegis of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) between 5th-8th February 2024 during the India Energy Week('IEW") 2024, Goa. The conference featured major South and Southeast Asian National Energy Regulatory Authorities from Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Thailand, as well as international industry leaders.

The overarching theme of the Conference was "Navigating Pathways for Natural Gas Development", which emphasized upon natural gas's role in driving faster and deeper emission reduction that is vital to meet climate goals of emerging and developing countries. The discussions at five plenary sessions delved into a spectrum of topics, ranging from geopolitical uncertainties impacting energy security, rapid infrastructure development, public-private partnerships and institutional growth. An exclusive roundtable of international regulators brought together the custodians of regulatory frameworks, providing a platform for sharing best practices, cross-border collaborative strategies to enhance energy security and ensuring effective governance.

Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri while addressing the gathering reiterated Prime Minister's vision to increase the share of natural gas from 6% to 15% in India's energy mix. He appreciated this initiative and emphasised that going forward international regulatory conclave of oil and gas regulators be made as an integral feature of IEW. Dr. Anil Kumar Jain, Chairperson, PNGRB, stressed upon the importance of regional collaboration between South and Southeast Asian countries for knowledge sharing to formulate effective regulatory frameworks for natural gas development.

The esteemed group of speakers bought forward the need for natural gas to grow in the energy mix and its role as a transition fuel to achieve net-zero emissions. They highlighted geopolitical uncertainties impacting energy supply to developing countries and the need for a united front from the global south to secure energy supply. The dialogue put spotlight

on India's natural gas regulatory and infrastructure development, especially for overall infrastructure development and city gas distribution sector to provide reliable and affordable clean energy. The industry leaders advocated for the need for a regional clean energy agenda between South and Southeast Asian nations via interconnected gas and electricity grids.

The International Conference of Petroleum and Natural Gas Regulators served as a nexus of expertise, offering an opportunity for various stakeholders to network, exchange knowledge and forge partnerships to shape the future of natural gas development.





International Conference of Petroleum and Natural Gas Regulators at Goa



8.8 New Regulations Framed/Amended

PNGRB has issued the following regulations/amendment regulations during the period of 1st April, 2023 to 31st March 2024:

S. No.	Gzt S.No.	Subject	Date of Publishing of Gazette
1	649	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulation, 2023	20.09.2023
2	745	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for dispensing of Automotive Fuels) Amendment Regulations, 2023	01.11.2023
3	840	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorize Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulation, 2023	18.12.2023
4	839	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2023	18.12.2023
5	796	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2023	01.12.2023
6	101	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulation, 2024	16.02.2024
7	100	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulation, 2008	15.02.2024
8	168	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Amendment Regulations, 2024	07.03.2024



PART 9: NON-COMPIANCE

9.1.1 PNGRB notified the PNGRB (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007 ("Other Charges Regulations") on 26th November 2007. Subsequently, the said regulations were amended vide amendment regulations dated 7th June 2010, 21st June 2013, 3rd January 2019, 13th May 2020, 28th September 2020, 27th August 2021 and 2nd August, 2022.

As per the extant regulation any entity engaged in laying, building, operating or expanding natural gas pipeline or petroleum or petroleum product pipeline of any nature or city or local gas distribution network shall annually pay to the Board Other Charges in respect of each such pipeline or CGD network for each financial year as specified. e., for a period of 12 months beginning 1st April and ending 31st March of the following year, within a period of two months from the beginning of the financial year i.e. by 31st May.

In terms of above regulations following entities have not complied with the regulation 4 of the Levy of Fees and Other Charges Regulation: -

Amount (₹ in Lakh)

Sl. No.	Name of Entity	Pending Other charges as on 31.03.2024 (including surcharge) *
1.	Indian Oil Corporation Limited	575.34
2.	Hindustan Petroleum Corporation Limited	147.80
3.	Bharat Petroleum Corporation Limited	128.23
4.	Indraprastha Gas Limited #	67.22
5.	Jay Madhok Energy Pvt Ltd	37.55
6	Bengal Gas Company limited #	7.80
7.	KEI-RSOS Petroleum and Energy Ltd	6.69
8.	Ricasil Ceramic Ind Pvt Ltd	6.69
9.	Maharaj Soaps Industry Private Limited	5.06
10.	Steel Exchange India Ltd	1.11
11.	AGP Karaikal LNG Private Limited	1.10
12.	Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd #	1.10
Total		**985.69**

**Levied based on fixed/minimum charges as per extant regulation.*

 # Other charges received in the financial year 2024-25

In addition to above, other charges are also pending from Gujarat Gas Co. Limited, Sabarmati Gas Ltd and ONGC (up to FY 2018-19) and for Calcutta Compressions & Liquefaction Engineering Ltd given NOC for Bokaro & Dhanbad (Pending for 2017-18 and 2018-19) and the same is yet to be quantified in absence of revenue details required from these entities.



9.1.2 As per Section 11(a) of the Act the Board is required to taken suitable measures to protect the interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities. Accordingly, the Board in order to understand the financials and cost structures adopted by major LNG terminals, called major regas terminals including Petronet LNG Limited to present historical physical and financial performance, cost structure of re-gasification charges, tied up capacities, utilisation of terminals, efforts for increasing the utilisation of the terminals, future business plans etc. It is notable that high regas charges have a cascading effect on gas price to consumers.

Petronet LNG Limited refused to participate in the discussion and sent a letter to the Board inter alia stating that, considering the scope, meaning and intent of Section 11 of the PNGRB Act, in its entirety read along with Section 15, the information desired in the form of presentation does not fall within the scope of Section 11(a). PLL further informed that since it is a listed entity, its financial statements are available in the public domain, in accordance with requirements of applicable law. As a consequence of above, the Board was prevented from a considered examination of a matter of vital importance from the point of view of improving the competitiveness of gas.



PART 10: FINANCE AND ACCOUNTS

10.1 Provisions relating to Grants from the Central Government and PNGRB Fund

10.1.1 In terms of Section 38 of PNGRB Act, the Central Government may allocate the annual budget in the form of Grants-in-Aid.

Section 39(1) of the PNGRB Act, provides for constituting a fund to be called the PNGRB fund wherein all grants, fees, penalties, charges and sums received by the Board from such other sources as may be approved by the Central Government are credited. This fund is to be used for incurring expenses in carrying out the provisions of the Act.

10.1.2 Utilization of PNGRB income to meet its expenses

The Board decided to stop drawing grants-in aid w.e.f. 1st June 2020 and to manage its expenses through its own generated income. PNGRB has last drawn grants in aid for the months of April and May 2020 (₹3.48 Crore as against total sanctioned grants in aid of ₹23.53 Crore) for the financial year 2020-21.

MOP&NG has allowed PNGRB to only use interest income on corpus fund and 75% of recurring fees and other charges to meet the expenses. MOP&NG has also directed not to deplete the Corpus Fund.

10.2 Levy of Other Charges

10.2.1 In exercise of the powers conferred by section 11(g) read with section 61(2)(g), the Board had framed Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fees and Other Charges) Regulation, 2007 which were notified on 26th November 2007. The Other Charges Regulations were subsequently amended and notified on 7th June 2010, 21st June 2013, 3rd January, 2019, 13th May, 2020, 28th September, 2020, 27th August, 2021 and 2nd August, 2022.

10.2.2 Through notification dated 2nd August 2022, application fee for Tie-in connectivity pipeline, and fee for application for seeking renunciation of authorization in favour of another entity and Application fee for transfer of less than 51% equity shareholding/ stake, etc have been incorporated in the Regulations.

10.3 Recoveries for Imbalance and Overrun Charges

10.3.1 The Board notified PNGRB (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2019 on 13th August, 2019. In terms of the said amendment, the amounts collected by transporters on account of imbalance and overrun charges till date and kept in escrow account with the entities, are transferred to bank account maintained by PNGRB. Further, transporters



are also required to transfer the imbalance and overrun charges collected in future on quarterly basis. The Board has formulated the "Guidelines for utilization of Imbalance/ Overrun Charges fund" on 16th June, 2022 which are effective from FY 2022-23.

10.3.2 Details of money deposited by various entities and interest earnings thereon are given in the table below:

₹ in Crore

	FY 2023-24
Balance at the beginning of the year	423.05
Transferred by the entities during the year	62.64
Interest received and accrued during the year	31.66
Balance at the close of the year	**517.35**
Deployed in: Fixed deposits with Banks	**383.34**
Interest accrued but not due	**12.14**
Advance to MoHUA on capital account	**121.62**
Tax deducted at source	**0.25**

10.4 Investment of Surplus Fund

10.4.1 Policy for investment of short-term surplus funds as Term Deposits (TDs) was approved by the Board in its 72nd meeting held on 28th February, 2018. The policy has been refined subsequently from time to time. As per said policy, competitive bids are invited by the Board for investment of surplus funds of more than rupees One Crore available for investment. In line with the said policy, ₹883.35 Crore (PNGRB Fund - ₹473.69 Crore, APTEL directed deposit-₹26.32 Crore and Imbalance and Overrun Charges Fund - ₹383.34 Crore), stands invested as on 31st March, 2024, in seven empanelled public sector banks.

10.5 Five-year Financial Highlights

₹ in Crore

	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24
Grants-in-Aid from Government of India	19.10	3.48	0.00	0.00	0.00
Interest	17.72	17.29	17.54	21.76	33.46
Levy of Other Charges and surcharge on other charges (including prior period)	23.70	23.03	23.40	27.76	42.17
Application fee for CGD Networks and Pipelines	1.70	0.92	87.50	11.27	6.51



	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24
Other receipts	4.48	5.34	7.54	3.97	41.69
Total Gross Receipts	**66.70**	**50.06**	**135.98**	**64.76**	**123.83**
Expenditures (including for previous years)	26.43	25.40	27.32	27.46	33.02
Net Receipts	**40.27**	**24.66**	**108.66**	**37.30**	**90.81**
Depreciation	0.44	0.56	0.42	0.42	0.47
Provision for Income Tax for past years	(5.31)	-	-	-	-
Net Surplus Transferred to PNGRB Fund	**45.14**	**24.10**	**108.24**	**36.88**	**90.34**

10.6 Annual Statement of Accounts

MoP&NG vide notification dated 5th June, 2020 published PNGRB (Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2020. The annual statement of accounts for the financial year 2023-24 have been prepared as per the format prescribed in the amended rules.

The annual statement of accounts for the financial year 2023-24 have been audited by C&AG. The same are attached, along with Separate Audit Report of C&AG.



Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
Balance Sheet as at 31st March, 2024

(₹ in Lakh)

Corpus/Capital Fund And Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	48,241.64	39,208.05
Reserve & Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	51,735.51	42,305.43
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	4,824.23	6,537.23
TOTAL		**1,04,801.38**	**88,050.71**
Assets			
Fixed Assets	8	139.08	105.72
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	40,965.80	42,872.75
Investments-Others	10	47,369.13	40,119.40
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	16,327.37	4,952.84
Miscellaneous Expenditure		-	-
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**1,04,801.38**	**88,050.71**
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Pankaj Bhutani	**Vandana Sharma**	**A.K.Tiwari**	**Dr. Anil Kumar Jain**
Joint Adviser	**Secretary**	**Member**	**Chairperson**

Place: New Delhi
Date: 27th June 2024



Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2024

(₹ in Lakh)

	Schedule	Current Year	Previous Year
Income			
Income from Sales / Services	**12**	8,967.55	4,277.07
Grants/Subsidies	**13**	-	-
Fees or Subscriptions	**14**	-	-
Income from Investments (Income on Investment from earmarked or endow. Funds transferred to Funds)	**15**	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	**16**	-	-
Interest Earned	**17**	3,346.37	2,175.90
Other Income	**18**	3.62	2.55
Increase or (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	**19**	-	-
Prior Period Income (Annex-A)		65.39	20.23
TOTAL (A)		**12,382.93**	**6,475.75**
Expenditure			
Establishment Expenses	**20**	1,241.58	1,243.29
Other Administrative Expenses etc.	**21**	2,040.58	1,504.91
Expenditure on Grants, Subsidies etc	**22**	-	-
Interest	**23**	-	0.99
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		46.99	41.99
Prior Period Expenditure (Annex-A)		20.19	(3.83)
TOTAL (B)		**3,349.34**	**2,787.35**
Balance being excess of Income over Expenditure(A-B)		**9,033.59**	**3,688.40**
Transfer to Special Reserve (Specify each)		**-**	**-**
Transfer to or from General Reserve		**-**	**-**
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**9,033.59**	**3,688.40**
Significant Accounting Policies	**24**		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	**25**		

Pankaj Bhutani	**Vandana Sharma**	**A.K.Tiwari**	**Dr. Anil Kumar Jain**
Joint Adviser	**Secretary**	**Member**	**Chairperson**

Place: New Delhi
Date: 27th June 2024



Schedules Forming Part of Balance Sheet as at 31st March, 2024

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 1 - CORPUS OR CAPITAL FUND :	Current Year	Previous Year
PNGRB FUND		
Balance as at the beginning of the year	39,208.05	35,519.65
Add: Contribution towards Corpus or Capital Fund	-	-
Add/(Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	9,033.59	3,688.40
BALANCE AS AT THE YEAR-END	**48,241.64**	**39,208.05**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 2 - RESERVE AND SURPLUS :	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve	-	-
2. Revaluation Reserve	-	-
3. Special Reserves	-	-
4. General Reserves	-	-
TOTAL	**-**	**-**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the funds (Escrow account)	35,755.95	27,130.94
(Interest)	6,549.48	4,569.42
b) Additions to the Funds :		
i. Donations or grants	-	-
ii Fund received during the year on account of Escrow	6,264.27	8,625.01
iii Other additions (Interest)	3,165.83	1,980.06
TOTAL (a+b)	**51,735.53**	**42,305.44**
c) Utilisation or Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure (Refer Part B -2a of Schedule 11 Loans & Advances and note no 10 of Schedule 25)	-	-
ii. Revenue Expenditure	0.02	0.01
Total (c)	**0.02**	**0.01**
Net Balance as at the year end (a+b-c)	51,735.51	42,305.43

Notes

1.) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2.) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds



(₹ in Lakh)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	CurrentYear	PreviousYear
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks :		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (Specify)	-	-
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note : Amounts due within one year

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks	-	-
a) Term Loans	-	-
b) Others Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**
Note : Amounts due within one year		

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note : Amounts due within one year

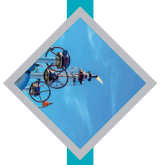


(₹ in Lakh)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods	-	-
b) Others	216.59	64.54
3. Advance Received	24.90	10.75
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities		
a) Overdue	-	-
b) Others	72.06	29.71
6. Other Current Liabilities		
a) Imbalance and Overrun Charges Deposits	-	-
b) Interest Free Deposit under Levy of Fee	724.23	1,013.53
c) Security Deposits Received		
(i) from GAIL	2,725.95	2,557.08
(ii) from others	237.26	102.66
d) Current Account with SBI	-	14.75
TOTAL (A)	**4,000.99**	**3,793.02**
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Trade Warranties/Claims	-	-
5. Others		
a) Advances-Encashed PBGs under Litigation (Refer note no. 3 in Schedule 25 "Notes on Accounts")	522.73	2,622.73
b) Provision for Expenses	300.51	121.48
TOTAL (B)	**823.24**	**2,744.21**
TOTAL (A+B)	**4,824.23**	**6,537.23**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	Gross Block					Depreciation						Net Block	
Description	As on 1st April, 2023	Additions during the year	Deductions during the year	Reclassification during the year	As on Mar 31,2024	As on 1st April, 2023	Depreciation during 22-23	On Additions 22-23	On Deductions 22-23	Prior Year Depreciation	Acc. Dep upto Mar 31,2024	As on Mar 31,2024	As on Mar 31,2023
A. FIXED ASSETS:													
Office Equipment	101.34	5.90	(2.45)	3.32	108.11	63.04	15.62	1.23	(2.44)	(0.05)	77.39	30.72	38.30
Furnitures and Fixtures	22.93	11.61	-	-	34.55	7.05	2.10	0.65	-	(0.01)	9.78	24.77	15.88
Computers/ Peripherals	93.23	39.13	(6.38)	-	125.98	67.77	9.90	4.76	(6.07)	(0.09)	76.27	49.71	25.46
Computers Software	65.06	2.32	-	-	67.39	60.53	2.85	0.18	-	(0.01)	63.55	3.84	4.53
Networks & Servers	102.84	15.17	-	-	118.01	81.30	9.03	0.59	-	0.01	90.94	27.07	21.54
Staff Furnishing Asset	-	3.05	-		3.05	-		0.08	-	-	0.08	2.97	-
Total	**385.40**	**77.17**	**(8.83)**	**3.32**	**457.09**	**279.69**	**39.49**	**7.50**	**(8.51)**	**(0.16)**	**318.01**	**139.08**	**105.72**
Previous Year	**358.59**	**26.81**			**385.40**	**237.72**	**37.76**	**4.23**	**-**	**(0.02)**	**279.69**	**105.72**	**120.87**
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS	**-**											**-**	
TOTAL													




(₹ in Lakh)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (i) Imbalance and Overrun	38,334.01	40,455.61
(ii) APTEL directed (refer note 2 in Schedule 25 'Notes on Accounts')	2,631.79	2,417.14
TOTAL	**40,965.80**	**42,872.75**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS-OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (i) PNGRB Funds Deposit	47,320.68	39,963.81
(ii) CLTD PNGRB Fund	48.45	155.59
TOTAL	**47,369.13**	**40,119.40**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in- trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	945.13	690.84
b) Others	42.23	67.35
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-



SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:		
- On Current Accounts		
a) PNGRB Funds	7.28	6.37
b) Imbalance and Overrun Charges	0.49	0.21
- On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
- On Saving Accounts	-	-
b) With non - Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Saving Accounts	-	-
5. Post Office Savings Accounts	-	-
TOTAL (A)	**995.13**	**764.77**

(₹ in Lakh)

B. LOANS , ADVANCES AND OTHER ASSETS	Current Year	Previous Year
1. Loans:		
a) Staff	-	-
b) Other entities engaged in activities/objectives similar to that of entity	-	-
c) Other (Specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for		
value to be received:		
a) On Capital Account (On Escrow account, also refer note no 10 of Schedule 25)	12,161.57	-
b) Prepayments	9.65	5.73
c) Others	-	-
i) Security deposit paid	17.71	0.06
ii) Tax Deducted at Source		
- PNGRB Fund	77.49	61.79
- Imbalance and Overrun Charges	24.73	2.89
- Others	1.77	1.67
iii) National Building Construction Corporation Limited	75.78	75.78
Less: Provision for doubtful recovery (Refer note		
no. 9 in Schedule 25 "Notes on Accounts")	(75.78)	(75.78)
iv) Advance to Employees	-	-
v) Advance to Suppliers/Contractors	1.58	8.76
vi) Assets Held For Sale/Dispose Off	-	-
vii) TDS Recoverable from Creditors	17.78	1.66
viii) Stock in Hand (Consumables)	6.77	2.63



B. LOANS , ADVANCES AND OTHER ASSETS	Current Year	Previous Year
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	1,214.71	1,846.72
b) On Investments Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (i) PNGRB Funds	1,705.02	2,116.45
(ii) APTEL directed (refer note 2 in Schedule 25 Note		
on Accounts)	92.31	138.23
4. Claims Receivable		
- GEECL for a period exceeding Six Months	1.15	1.15
- AGP CGD India Ltd	-	0.11
- PAO (Explosives) Nagpur	-	0.22
TOTAL (B)	**15,332.24**	**4,188.07**
TOTAL (A+B)	**16,327.37**	**4,952.84**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment / Property)	-	-
e) Others (Specify)	-	-
i) Fees and Other Charges		
- Application Fees for CGD Networks and Pipelines	651.00	1,127.37
- Levy of Other Charges	4,065.38	2,700.44
- Surcharge on Other Charges	88.07	55.49
- Third Party Inspection Fee	35.70	66.00
- Complaint Fee	28.00	36.60
- Fees for Miscellaneous Services	3.21	12.44
ii) Fines		
- Penalty	4,096.19	278.73
TOTAL	**8,967.55**	**4,277.07**



(₹ in Lakh)

SCHEDULE 13 - GRANTS/ SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1) Central Government	-	-
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) International Organisations	-	-
5) Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees/Subscriptions	-	-
3. Seminar/Program Fees	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note : Accounting policies towards each item are to be disclosed

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year	Previous Year
(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)		
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Dividends		
a) On Shares	-	-
b) On Mutual Funds Securities	-	-
3) Rents	-	-
4) Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**-**	**-**



(₹ in Lakh)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous Year
1.) Income from Royalty	-	-
2.) Income from Publications	-	-
3.) Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	3,346.37	2,175.90
b) With Non- Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non- Scheduled Banks	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans:		
a) Employees /Staff	-	-
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
TOTAL	**3,346.37**	**2,175.90**
Note - Tax deducted at source to be indicated		

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
1) Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned assets	0.01	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2) Export Incentives realized	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services	-	-
4) Miscellaneous Income -		
a) Interest on Income Tax Refund	1.84	-
b) Recovery of Computer Hire Charges	-	-
c) Sale of Tender Documents	1.51	2.52
d) RTI fee	0.03	0.03
e) Others	0.23	-
TOTAL	**3.62**	**2.55**



(₹ in Lakh)

SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
a) Closing stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]	-	-

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
(a) Salaries and Wages	1,176.55	1,193.10
(b) Allowances and Bonus	2.98	0.59
(c) Contribution to Provident Fund	-	-
(d) Contribution to Other Fund (specify)	-	-
(e) Staff Welfare Expenses	-	-
(f) Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits	28.43	23.28
(g) Others		
i) Medical expenses	5.16	4.17
ii) Leave encashment	8.05	13.07
iii) Leave Travel Concession	2.16	1.97
iv) Administrative & EDLIS Charges	0.80	0.53
v) Brief Case	0.72	-
vi) Transfer Benefit Claim	-	1.62
vii) Books & Periodical	0.04	-
viii) Canteen Benefits	0.44	-
ix) Mobile set	2.32	-
x) Vehicle Running	13.93	4.96
TOTAL	**1,241.58**	**1,243.29**

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 21- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
(a) Purchases	-	-
(b) Labour and processing expenses	-	-
(c) Cartage and Carriage inwards	-	-
(d) Electricity and Power	8.13	8.29
(e) Insurance	-	-
(f) Repairs and Maintenance	7.91	10.42
(g) Excise Duty	-	-



SCHEDULE 21- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
(h) Rent, Rates and Taxes	712.67	631.88
(i)Vehicles Running and Maintenance	15.81	5.21
(j) Postage, Telephone and Communication Charges	16.23	10.19
(k) Printing and Stationary	20.51	14.88
(l) Travelling and Conveyance Expenses	85.02	41.33
(m) Expenses on Seminar/Workshops	-	-
(n) Subscription Expenses	4.74	1.95
(o) Auditors Remuneration	18.37	26.17
(p) Hospitality Expenses	17.30	15.46
(q) Professional Charges	853.48	568.95
(r) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	-	-
(s) Irrecoverable Balances Written Off	-	-
(t) Packing Charges	-	-
(u) Freight and Forwarding Expenses	-	-
(v) Distribution Expenses	-	-
(w) Advertisement and Publicity	5.66	12.28
(x) Others		
a) Casual Labour expenses	113.12	95.31
b) Hindi Rajbhasha expenses	1.21	0.24
c) Miscellanous expenses	4.33	3.66
d) Newspaper	1.22	0.96
e) Security Expenses	23.88	23.89
f) Water Charges	1.70	1.71
g) Venue Charges	-	-
h) IT Expenses	15.95	14.95
i) Loss from sale of Assets	0.19	-
j) Conference & Exhibition	97.69	14.63
k) Penalty	-	2.55
l) Briefcase-Consultants	1.49	-
m) Brokerage	5.88	-
n) Manpower Welfare Expenses	5.37	-
o) Mobile Set	2.17	-
p) Library Books	0.55	-
TOTAL	**2,040.58**	**1,504.91**



(₹ in Lakh)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a.) Grants given to Institutions/Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note- Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

(₹ in Lakh)

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	0.94
c) Others - Interest on NPS	-	0.05
TOTAL	**-**	**0.99**

(₹ in Lakh)

ANNEXURE -A PRIOR PERIOD ADJUSTMENT ACCOUNT	Current Year	Previous Year
INCOME		
- Levy of Other Charges	47.27	13.06
- Surcharge on Other Charges	16.67	7.17
- Others	1.45	-
TOTAL INCOME (A)	**65.39**	**20.23**
EXPENDITURE		
-Retirement & Terminal Benefits	-	(3.75)
-Information Technology Expenses	1.22	(1.24)
-Professional Expenses - Legal	1.73	-
-Professional	-	1.16
-Depreciation	(0.15)	(0.02)
-Interest on NPS	-	0.02
-Repair	(3.32)	-
-Salary & Allowances	6.51	-
-Rent	13.94	-
-Others	0.26	-
TOTAL EXPENDITURE(B)	**20.19**	**(3.83)**
NET PRIOR PERIOD INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)	**45.20**	**24.06**



Annexure-B

Detail of Re-grouping of Previous Year Figures

(₹/ lakh)

Head	Sub-Head	Amount as per Previous Year Account (2022-23)	Restated balances in current year books for F.Y. 2022-23	Difference
Income & Expenditure Account				
Schedule-20	(g) Others x)Vehicle Running	-	4.96	4.96
Schedule 21	(i) Vehicles Running and Maintenance	10.17	5.21	(4.96)
Schedule 21	(p) Hospitality Expenses	31.26	15.46	(15.80)
Schedule 21	(x)Others a) Casual Labour expenses	79.51	95.31	15.80



Schedule 24 - Significant Accounting Policies

1. Annual Statement of Accounts has been prepared on accrual basis as per the format notified by MoP&NG in Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2017 and as amended by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2020.

However, all amounts included in the Annual Statement of Accounts are reported in lakhs of rupees (₹/ lakh), unless otherwise stated.

2. **Fixed Assets:** Fixed assets are stated at cost of acquisition, inclusive of inward freight, duties and taxes and any other directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. However, books, irrespective of cost of purchase, are charged to revenue in the year of purchase.

3. **Depreciation:**

a) Depreciation is provided on Straight Line Method at rates specified in the Companies Act, 2013. In respect of additions to/deletions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis. **However, in case of staff furnishing assets depreciation is charged over a period of 3 years, irrespective of its cost except in case of mobile sets which is charged to revenue in the year of purchase itself.**

b) Assets costing ₹5,000 or less each are fully depreciated in the year of capitalization.

c) Intangible assets, viz. computer software, etc, are depreciated 100% of cost of acquisition during the useful life.

4. **Government Grants/Subsidies:** Government grants/subsidies are accounted on realisation basis.

5. **Foreign Currency Transactions:** Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

6. **Retirement Benefits:**

6.1. In respect of Chairperson, Members and Secretary, provision for accumulated leave encashment benefit, leave salary and pension contribution is accounted on accrual basis. Retirement benefits are computed assuming that they are entitled to receive the benefits at the end of each year.

6.2. In respect of employees on deputation from Public Sector Undertakings, provision is made by the parent company and the same is claimed by the respective parent companies from PNGRB.

6.3. In respect of employees on deputation from Central Government the retirement benefits like leave salary and pension contribution are accounted on accrual basis.

7. **Prior Period Adjustment**: Income or Expenditure of earlier years, which could not be provided due to errors or omissions, is shown as "Prior Period Income/Expenses".



8. Revenue Recognition:

8.1. Other Charges are accounted on accrual basis. However, the same for the period up to 2018-19 are being accounted on realisation basis. Levy of Fee is accounted for on realisation basis.

8.2. Penalties realised, by way of encashment of PBG or otherwise, are accounted for as income**,** in case the entity whose PBG is encashed has not filed any appeal within prescribed time for filing a appeal in APTEL, High Court or Supreme Court against such encashment. However, in case levy of such penalties are subject to litigation in APTEL, High Court or Supreme Court, the same is accounted for as liability under the head "PBG encashed - under Litigation" till final judicial decision. On receipt of final judicial decision, these are accounted for accordingly.

9. Provisions: Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources.

Schedule-25 - Contingent Liabilities and Notes on Accounts

A. Contingent Liability

i. Disputed demands in respect of Income Tax: ₹ 0.78 lakh (Previous year: ₹1.73 lakh) (Refer Note 8.1).

ii. TDS demands reflected on Traces Portal: ₹1.31 lakh (Previous year: ₹2.53 lakh) (Refer Note 8.2).

B. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

C. Taxation

In view of there being no taxable income under Income-tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

D. Foreign Currency Transaction

Expenditure in foreign currency on Travel/DA: ₹17.76 lakh (Previous year: ₹3.14 lakh)

E. Notes on Accounts

1. As per MoP&NG letter dated 20.11.2020, PNGRB is allowed to utilize the Corpus Fund in the following manner:
   a. Corpus Fund shall not be depleted. Therefore, expenditure shall not be met from Corpus.
   b. PNGRB can utilize the interest amount on Corpus Fund.
   c. The income from fees and other charges which is of recurring nature may be utilized to the extent of 75% remaining 25% may go to Corpus.
   d. All other income like penalties, application fees etc may go into Corpus.
   e. The expenses on Salary and General may be met as above and if any shortfall is there then grant in aid will be asked from Ministry.



2. PNGRB received complaints from M/s Sravanthi Energy Pvt Ltd (admitted by PNGRB on 05.03.2015), M/s Beta Infratech Pvt Ltd and M/s Gama Infrapop Pvt Ltd (admitted by PNGRB on 10.03.2015) against GAIL (India) Limited ('Respondent'). PNGRB vide order dated 11.04.2016 inter-alia directed respondent to cease its Restrictive Trade Practices and imposed a penalty of ₹10 lakh on respondent u/s 28 of the PNGRB Act and directed it to return the Bank Guarantee and Security Deposit to the petitioner within a month.

   2.1 GAIL challenged this order in APTEL. APTEL passed an interim order and directed GAIL to deposit the Security Deposit with PNGRB which shall invest it in any nationalized bank on usual terms. It also directed that this amount along with interest shall abide by the final order to be passed in the appeal. Accordingly, GAIL deposited in September 2016 ₹1,750.63 Lakh with PNGRB.

   2.2 The Hon'ble APTEL vide judgement dated 27.10.2021 allowed the appeals and set aside PNGRB order dated 11.04.2016. Subsequently, M/s Sravanthi Energy Pvt Ltd appeal before the Hon'ble Supreme Court against the Hon'ble APTEL judgement dated 27.10.2021 and the stay has been granted in the matter vide Hon'ble Supreme Court order dated 25.02.2022.

   2.3 PNGRB has been investing the same in empanelled Public Sector Banks for short term investments of surplus funds and the amount has increased to ₹2,725.95 lakh as on 31.03.2024 (Principal Amount ₹1750.63 lakh, Interest received ₹883.01 lakh and Interest accrued ₹92.31 lakh).

3. Encashment by PNGRB of the following Performance Bank Guarantee (PBGs) received from the entities, due to default in achieving the targets, etc. is under various stages of Litigation. Pending such litigation, these amounts have been shown as "Current Liabilities and Provisions" under the head "Advances-Encashed PBGs under litigation". Details of Advances for Encashed PBGs under Litigation as show in Schedule 7B are as follows:

₹/lakh

S. No.	Name of the Entity	GA/Pipeline	2023-24	2022-23
1	Jay Madhok Energy Pvt Ltd	Ludhiana GA	300.00	300.00
2	Jay Madhok Energy Pvt Ltd	Kutch GA	200.00	200.00
3	Jay Madhok Energy Pvt Ltd	Jalandhar GA	0.00	100.00
4	H Energy	Jaigarh – Mangalore Natural Gas Pipeline	0.00	2000.00
5	IMC Limited	Ennore Port Manali Industrial Area Petroleum Product Pipeline	22.73	22.73
			522.73	**2622.73**

   3.1 PNGRB has decided to withdraw the appeal against Jay Madhok Energy Pvt Ltd in relation to Jalandhar GA, so provision of ₹100 lakh has been transferred from "Advances-Encashed PBGs under litigation" Part B to "Security Deposits Received" Part A, in Schedule 7 under "Current Liabilities and Provisions".

   3.2 PBG of ₹2000 lakh pertaining to H Energy was encashed during 2022-23. Same was challenged before Hon'ble APTEL. Judgment pronounced on 19.04.2023 in favour of PNGRB, 90 days period



prescribed to challenge the judgment has been lapsed so same has been accounted as Income under Schedule 12 "Income from Services-Fines-Penalty" as per note no 8.2 of Significant Accounting policies.

3.3 During the financial year 2022-23, PBG of ₹22.73 lakh pertaining to IMC Ltd was encashed. Party filed an appeal before Hon'ble APTEL and judgement was pronounced in favour of PNGRB on 15.05.2024. However, there is 90 days period prescribed to challenge the judgment.

4. Penalty of ₹50 lakh imposed by the Board on Great Eastern Energy Corporation Limited during the year 2014-15 was deposited by the entity with the Hon'ble Delhi High Court. As the amount is not received by PNGRB and the matter is sub-judice, the same has neither been recognised as income nor as liability.

5. Board has not received any grant relating to any specific fixed asset. Fixed assets held by the Board are for carrying its activities and the ownership vests with the Board.

6. A sum of ₹49.56 lakh in the year 2023-24 (Previous year: ₹10.45 lakh) was spent towards overseas travel including conference.

7. The Board notified PNGRB (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2019 on 13.08.2019. In terms of the said amendment, the amounts collected by gas transporting entities on account of imbalance and overrun charges and kept by them in escrow account have been transferred to the SBI Escrow account opened by the Board. Further, such entities are also required to transfer the imbalance and overrun charges collected in future to the Board on quarterly basis. The amount received from various entities in the Escrow account maintained by PNGRB is deposited with empanelled public sector banks from time to time as well as kept in CLTDs. During the year 2023-24, an amount of ₹6,264.27 lakh (Previous year: ₹8,625.01 Lakh) has been received from various gas transporting entities on this account.

7.1 On 31.03.2024, an amount of ₹51,735.51 lakh (Previous year ₹42,305.43 lakh) has been shown as "Earmarked and Endowment Funds" in schedule 3. The details of the same on the Assets side of the balance sheets is shown as:

₹/ lakh

Head	Particulars	2023-24	2022-23
Investments from Earmarked/Endowment Funds	Bank balances-with scheduled Banks:		
	-SBI Current Account	0.23	0.21
	-On A/c Escrow-Canara Bank	0.26	0.00
	-Deposit Account	38,333.54	40,455.61
	-CLTD	0.47	0.00
	Accrued Interest	1,214.71	1,846.72
Loans, Advances and Other Assets	Tax Deducted at Source	24.73	2.89
	Capital Adv to Ministry of Housing and Urban Affairs (NBCC)	12,161.57	0.00
	Total	**51,735.51**	**42,305.43**



8. Central Board of Direct Taxes has granted tax exemption to the Board in respect of certain incomes arising to the Board under section 10(46) of the Income Tax Act, 1961 for assessment years from 2014-15 to 2023-24 vide Gazette Notifications dated 07.12.2016 and 14.09.2018. Exemption for AY 2024-25 onwards has been applied u/s 10(46A) of the Income Tax Act 1961 and is expected to be received in continuation from last year.

8.1 During the year 2019-20, the Board received a notice under section 156 of the Income Tax Act, 1961 from Income Tax Authorities raising a demand of income tax of ₹6.65 lakh in respect of Assessment Year 2012-13. The Board during the year 2019-20 filed a rectification application under section 154 of Income Tax Act, 1961 and the amount payable is ₹4.92 lakh. Pending receipt of Rectification Order from Income Tax Department, during the year 2020-21 PNGRB deposited ₹4.92 lakh. Currently outstanding demand of ₹0.78 lakh (Demand ₹0.39 lakh and Interest ₹0.39 lakh) is appearing on the Income Tax Portal (₹1.33 lakh had already adjusted by IT department while processing the refund of AY 2019-20).

8.2 It is observed that following TDS demands from PNGRB are reflected on Traces Portal:

Financial Year	Quarter	Form Type	Amount (₹) (F.Y.2023-24)	Amount (₹) (F.Y.2022-23)
2008-09	Q4	24Q	0	107,880
2010-11	Q4	24Q	190	190
2016-17	Q2	24Q	0	8,330
2016-17	Q2	26Q	0	5,730
2019-20	Q4	24Q	131,230	131,230
Total			**131,420**	**253,360**

As TDS recovered on salaries and other payments had been deposited in time by PNGRB, matter has been taken up with Income Tax (TDS) authorities for rectification/cancellation of these demands. Pending rectification/cancellation of these demand, the same has been shown as Contingent Liability.

9. Application money of ₹666.68 lakh was paid to National Buildings Construction Corporation Ltd (NBCC), a public sector undertaking in August 2013 for allotment of space in proposed office complex at Kidwai Nagar (East), New Delhi. In view of the economy instructions issued by Ministry of Finance that no new scheme during the current financial year will be considered, Ministry of Petroleum and Natural Gas conveyed in January 2014 that no budgetary support can be provided to PNGRB in the current year and advised PNGRB to withdraw the application money given to NBCC. NBCC refunded an amount of ₹590.90 lakh only in June 2016 after deducting an amount of ₹75.78 lakh being 1% of cost of the office space. The matter is being pursued with Ministry of Urban Development, which is the administrative Ministry of NBCC. The amount of ₹75.78 lakh has been shown as advance to NBCC and a provision for the same has been made under the head "Provision for Doubtful Recovery".



10. Advance for NBCC project for acquiring office space at World Trade Centre – A project by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India: The PNGRB participated in bidding process organized by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India (Through Implementing Agency-NBCC) for acquiring of office space with 30,045 sft. of carpet area (40,139 sft. Super built-up area) on free hold basis at World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi to meet office space requirements. The project is presently under construction. As such, payment related to NBCC project has been accounted under "Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received: on Capital account" under Part B Loans and Advances in Schedule-11.

11. During the year Staff Furnishing Assets amounting to ₹3.05 lakh accounted in books of accounts on which depreciation of ₹0.08 lakh on pro rata basis has been claimed, same is shown under Schedule 8 Fixed Assets. Also, Mobile reimbursement amounting to ₹4.49 lakh given to employees/consultants has been booked as expense during the year.

12. Previous year figures have been rearranged/regrouped to make them comparable with the current year figures, wherever necessary. Figures in brackets indicate deductions.

13. Schedules 1 to 25 with *Annexure A and B* are annexed to and form an integral part of the 'Balance Sheet' as at 31st March 2024, the 'Income and Expenditure Account' and the 'Receipts and Payments Account' for the year ended on that date.

Pankaj Bhutani	**Vandana Sharma**	**A.K.Tiwari**	**Dr. Anil Kumar Jain**
Joint Adviser	**Secretary**	**Member**	**Chairperson**

Place: New Delhi
Date: 27th June 2024



Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

Receipts and Payments Statement for the year ended 31st March, 2024

(₹ in lakh)

RECIEPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			**I.Expenses**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	1,045.29	1,156.42
b) Bank Balances	-	-	b) Administrative Expenses	1,851.05	1,504.37
i) PNGRB Funds	(8.38)	85.28			
ii) Imbalance and Overrun Charges	0.21	0.10	**II. Expenditure on Fixed Assets & Work-in-Progress & CWIP**		
			a) Computer	39.13	22.28
II. Deposit Accounts			b) Office Equipment	5.37	1.46
i) PNGRB Funds	43,608.27	23,288.93	c) Furniture & Fixtures	11.61	2.89
ii) Imbalance and Overrun Charges	80,482.87	18,302.77	d) Servers & Networks	14.74	0.18
			e) Computer Software	2.32	-
III. Grants Received					
a) From Government of India	-	-	**III. Other Payments**		
			Recovery from Salary	46.38	47.49
IV. Income on Investment from	-	-	Advances to Vendors	1.00	7.58
			Capital Advance to Ministry of Housing and Urban Affairs	12,161.57	-
V. Interest Received			Refund of Security Deposits	0.58	50.00
a) PNGRB Funds	3,970.98	1,428.96	Prepaid Expenses	9.37	4.16
b) Imbalance and Overrun Charges	3,786.49	1,112.23	Security Deposit Paid-Rent	17.65	-
			Repay of Loan Canara bank		250.00
VI. Other Income			Refund of PBGs	1,250.00	807.50
Fees	719.45	1,244.96	Recoverable from GEECL , ACPCGD India & PAO(Explosive)	-	0.33
Charges (incl. surcharge)	3,577.42	2,241.11			



(₹ in lakh)

RECIEPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
Fines	2,096.19	3,031.46	**IV. Deposit Accounts**		
			i) PNGRB Funds	51,072.66	27,843.53
VII. Any other receipts			ii) Imbalance and Overrun Charges	78,361.27	28,039.90
Interest free security deposits	33.24	25.76			
Security Deposits	1,285.20	50.01	**V. Closing Balances**		
Imbalance and Overrun Charges	6,253.76	8,625.01	a) Cash in hand	-	-
Refund of TDS from IT Deptt	25.38	-	b) Bank Balances		
Refund of TDS from IT Deptt-Escrow	-	-	i) PNGRB Funds	7.28	(8.38)
Refund from NIC		1.24	ii) Imbalance and Overrun Charges	0.49	0.21
Refund from MoPNG		4.91			
Amt recd agst debtors	47.82	37.04			
Committee Visit-AGP & Torrent	1.56	-			
Advance -Essar Oil & Think Gas	15.02	-			
Sale of Asset	0.36	-			
Interest on TDS Refund	1.84	-			
PAO(Supply Div) ND	0.08				
Loan from Canara bank		250.00			
TDS Refund by Advocate		0.15			
TOTAL	**1,45,897.76**	**59,729.92**	**TOTAL**	**1,45,897.76**	**59,729.92**

Pankaj Bhutani	**Vandana Sharma**	**A.K.Tiwari**	**Dr. Anil Kumar Jain**
Joint Adviser	**Secretary**	**Member**	**Chairperson**

Place: New Delhi
Date: 27th June 2024



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the annual accounts of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi for the year ended 31 March 2024

We have audited the attached Balance Sheet of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), New Delhi as at 31 March, 2024 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Statement for the year ended on that date, under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Services) Act, 1971 read with section 40(2) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006. These financial statements are the responsibility of the PNGRB's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms etc. Audit observations on the financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Statement dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India.

   iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by PNGRB in so far as it appears from our examination of such books.

   iv. We further report that:

A. Comment on Accounts

Delay in laying of Audited Annual Accounts

The Committee on Papers Laid on the Table (COPLOT) recommended in its First Report (5th Lok Sabha) 1975-76 that Audit Report and audited Annual Accounts of every Autonomous Body are to be laid before the Parliament within nine months after close of the accounting year. As such, the Audited Annual Accounts were required to be laid in the Parliament by 31st December every year. However,



audited annual accounts of PNGRB were laid in Lok Sabha with a delay of 220 days (laid on 08.08.2024), while the same are yet to be laid in Rajya Sabha.

B. Grant-in-aid:

PNGRB did not receive any Grant-in-aid during the year 2023-24.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report would be brought to the notice of the Chairperson, PNGRB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In-so-far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) as at 31 March 2024 and

(b) In-so-far as it relates to Income and Expenditure Account, of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

Sd/-

(Guljari Lal)

Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi

Date: 23.10.2024



Annexure I

{Referred to in Para 4 (vi)}

1.	Adequacy of Internal Audit System	Internal Audit is conducted by Pay & Accounts Office (PAO) of the MoP&NG. However, Internal Audit has not been conducted by the PAO of MoPNG from the year 2020-21 onwards.
2	Adequacy of Internal Control System	Internal Control system is commensurate with the size of the Autonomous Body.
3.	System of verification of fixed Assets	Physical verification of Fixed Assets has been done by a committee consisting of three members. As per Physical Verification Report, there was no instance of shortage/excess.
4.	System of Physical verification of Inventory	PNGRB does not have any inventory.
5.	Regularity in payment of Statutory Dues applicable to them.	PNGRB was regular in timely payment of Statutory dues except GST. GST is applicable on the fee/receipt of regulatory functions of PNGRB. However, without receiving any exemption in this regard till date, PNGRB had not paid the statutory liability on account on GST for the years 2018-19 to 2023-24, which amounted to ₹5791.64 lakh on fee/receipts collected by PNGRB.
6.	Significant risk to financial reporting observed during the course of audit	No significant risk perceived.
7.	Details of loss of cash or Government property due to theft, misappropriation, fraud and embezzlement etc.during the year.	Management certified that no such case was noticed/reported during the year.

Sd/-

(Guljari Lal)

Director General of Audit (Energy)



BOARD's Response to Observation of C&AG

A Para	Comments on Accounts	Response
	Delay in laying of Audited Annual Accounts The Committee on Papers Laid on the Table (COPLOT) recommended in its First report (5th Lok Sabha) 1975-76 that Audit Report and audited Annual Accounts of every Autonomous Body are to be laid before the Parliament within nine months after close of the accounting year. As such, the Audited Annual accounts are required to be laid in the Parliament by 31st December every year. However, audited annual account of PNRGB were laid in Lok Sabha with a delay of 220 days (laid on 08.08.2024), while the same are yet to be laid in Rajya Sabha.	Copies of Annual Report 2022-23 (bilingual) were forwarded to MoPNG for laying on the table of Lok Sabha and Rajya Sabha vide letter PNGRB/Admin/13-AR (01)/2022 dated 22.12.2023. As the winter Session of the Parliament was adjourned on the same day i.e 22.12.2023, the said report could not be get tabled in the Parliament at that time. It was learnt that the said report could not be laid in the Budget Session of the Parliament. Hence the Ministry was requested to ensure that the Annual Report for the Year 2022-23 may be tabled in the next Parliament session. The Annual Report for the year 2022-23 was laid in Lok Sabha on 08.08.2024. However, the Parliament was adjourned on 09.08.2024, before it could be laid in Rajya Sabha. In view of the above, SAR para may please be dropped.

Sl no	Annexure I (Referred to in para 4(vi)	Response
1	Adequacy of Internal Audit System Internal Audit is conducted by Pay & Accounts Office (PAO) of the MoP&NG. However, Internal Audit has not been conducted by the PAO of MoPNG for the year 2020-21 onwards.	PNGRB received the letter PAO/PNG/Internal Audit/PNGRB/2024-25/400 dt 29.07.2024 from Pay & Accounts Office (PAO) of the MoP&NG regarding conduct of Internal Audit. Also vide PAO e mail dated August 28,2024, it has been advised that audit of the PNGRB will be conducted only for the period during which grants-in-aid were released by the Ministry and internal audit team will visit PNGRB very soon.
2	Regularity in payment of Statutory Dues applicable to them PNGRB was regular in timely payment of statutory dues except GST.GST is applicable on the fees/receipts of regulatory functions of PNGRB. However, without receiving any exemption in this regard till date, PNGRB had not paid the statutory liability on account of GST for the year 2018-19 to 2023-24, which amounted to ☐5791.64 lakh on the fee/receipts collected by PNGRB.	a) The taxable event for applicability of GST is the supply of goods or services or both. The expression "Supply" is defined in Section 7(1) of the CGST Act, 2017. One of the important ingredients of supply of goods & services that the transaction of supply should be in the course or furtherance of business. This points out that primarily GST is confined to commercial transactions. Supplies made by a person or entity in carrying on any non-business/non-commercial transaction would not come under the scope of supply of goods or services and hence no GST will be levied on such transactions.



Sl no	Annexure I (Referred to in para 4(vi)	Response
		b) As per Notification No. 13/2017 dated 28.06.2017 under CGST Act, 2017 states that Services supplied by the Central Government, State Government, Union Territory or Local authority to a business entity shall be paid on reverse charge basis excluding- 1) renting of immovable property, 2) Services specified below- i. Services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Government. ii. Services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport; iii. Transport of goods or passengers. Hence, 100% liability to pay GST in any other services is of the Service recipient i.e., Business Entity. So, if any service supplied by PNGRB is covered under the ambit of GST then it is the liability of the recipient of services to pay the GST to the Government. c) PNGRB is a Regulatory body as well as is a quasi-judiciary body. From the Preamble of PNGRB Act 2006, it is clear that the Board has been set up by the Government to regulate refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum, petroleum products and natural gas. The Board aims to protect the interest of the consumers and entities engaged in specified activities, apart from ensuring uninterrupted and adequate supply of petroleum, petroleum products and natural gas in all parts of the country. The essential character of the Board is that of a regulatory body created by specific statue. The Board does not aim to earn any profit, gain or livelihood by carrying on controlling or regulatory activities in the interest of consumers and other stake holders. Consequently, the Board is not liable to pay GST (CGST/SGST/IGST) on application fee, levy of other charges, complaint fee and third-party inspection fee, etc.

Sl no	Annexure I (Referred to in para 4(vi)	Response
		d) In Section 13 of PNGRB Act, the Board will have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code & Civil Procedure,1908 so it is acting as a regulatory body/quasi-judicial have not engaged in any business or professional activity for gain or livelihood. The Board is not engaged in any activity on continuously and systematically basis by application of labour or skill and money with a view to earn an income. There is no profit motive behind the regulatory/quasi-judicial activities of the Board and consequently the services rendered by the Board do not constitute supply of taxable services. Activities of the Board are not in the nature of commercial or business and accordingly do not constitute supply of taxable services. e) PNGRB have taken Legal Opinion in 2017 from S.C Kamra & Co. (GST Expert) & they also stated that services of PNGRB do not amount to supply of services in the course of business. Hence GST Registration need not be applied on Board nor make any GST compliances. f) PNGRB has also made various representations to GST Council, Ministry of Finance, Govt of India in 2018 where Board requested to include PNGRB name in list of bodies exempted from GST. Despite many written communication & reminders there is no reply from Ministry however, this does not mean that the Board is liable to pay GST. Since the activities/services provided by PNGRB do not constitute supply of services and do not attract GST, PNGRB did not take registration with GST authorities. Considering the above, PNGRB is not required to levy and collect the GST on revenue generated.



Annexure A

CGD Authorisations in 9th CGD Bidding Round / Targets

GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.01	Srikakulam, Visakhapatnam & Vizianagaram Districts	Andhra Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	9,29,842	211	2,300
9.02	Cachar, Hailakandi & Karimganj Districts	Assam	Purba Bharti Gas Private Limited	95,001	21	751
9.03	Kamrup & Kamrup Metropolitan Districts	Assam	Purba Bharti Gas Private Limited	3,21,001	51	961
9.04	Aurangabad, Kaimur & Rohtas Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	14,271	12	800
9.05	Begusarai District	Bihar	Think Gas Begusarai Private Limited	1,69,787	25	762
9.06	Gaya & Nalanda Districts	Bihar	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	37,591	46	1,304
9.07	Diu and Gir Somnath Districts	Daman and Diu (UT) & Gujarat	IRM Energy Limited	91,000	35	188
9.08	Surendranagar District (EAAA)	Gujarat	Adani Total Gas Limited	87,005	20	839
9.09	Barwala & Ranpur Talukas	Gujarat	Adani Total Gas Limited	12,098	4	209
9.10	Navsari District (EAAA), Surat District (EAAA), Tapi District (EAAA) & the Dangs District	Gujarat	Adani Total Gas Limited	90,191	25	1,010
9.11	Junagadh District	Gujarat	Torrent Gas Private Limited	77,400	45	3,186
9.12	Kheda District (EAAA) & Mahisagar District	Gujarat	Adani Total Gas Limited	1,75,007	30	1,010
9.13	Narmada (Rajpipla) District	Gujarat	Gujarat Gas Limited	1,750	4	55
9.14	Porbandar District	Gujarat	Adani Total Gas Limited	60,464	12	704
9.15	Panchkula District (EAAA), Sirmaur, Shimla & Solan (EAAA) Districts	Haryana & Himachal Pradesh	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	32,360	45	NA



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.16	Bhiwani, Charkhi Dadri & Mahendragarh Districts	Haryana	Adani Total Gas Limited	1,50,464	60	1,010
9.17	Hisar District	Haryana	HCG (KCE) Private Limited	2,51,370	46	1,991
9.18	Jhajjar District	Haryana	Haryana City Gas (KCE) Private Limited	1,38,815	46	1,175
9.19	Sonipat District (EAAA) & Jind District	Haryana	Hindustan Petroleum Corporation Limited	98,000	38	1,183
9.20	Nuh & Palwal Districts	Haryana	Adani Total Gas Limited	1,81,019	60	803
9.21	Bilaspur, Hamirpur & Una Districts	Himachal Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	28,170	10	NA
9.22	Bokaro, Hazaribagh & Ramgarh Districts	Jharkhand	Indian Oil Corporation Limited	79,052	99	1,300
9.23	Giridih & Dhanbad Districts	Jharkhand	GAIL Gas Limited	50,000	30	650
9.24	Chitradurga & Davanagere Districts	Karnataka	Unison Enviro Private Limited	1,01,000	42	75
9.25	Udupi District	Karnataka	Adani Total Gas Limited	1,10,099	11	569
9.26	Ballari & Gadag Districts	Karnataka	Bharat Petroleum Corporation Limited	53,850	24	1,365
9.27	Bidar District	Karnataka	Bharat Petroleum Corporation Limited	6,200	4	143
9.28	Dakshina Kannada District	Karnataka	GAIL Gas Limited	3,50,000	100	1,250
9.29	Ramanagara District	Karnataka	Maharashtra Natural Gas Limited	1,13,115	37	354
9.30	Kozhikode & Wayanad Districts	Kerala	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	4,21,277	142	927
9.31	Malappuram District	Kerala	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	3,38,518	130	1,671



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.32	Kannur, Kasaragod & Mahe Districts	Kerala & Puducherry (UT)	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	3,67,176	125	1,103
9.33	Palakkad & Thrissur Districts	Kerala	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	6,00,000	200	2,126
9.34	Bhopal & Rajgarh Districts	Madhya Pradesh	Think Gas Bhopal Private Limited	5,50,222	104	2,508
9.35	Guna District	Madhya Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	4,900	7	400
9.36	Rewa District	Madhya Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	7,861	18	950
9.37	Satna & Shandol Districts	Madhya Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	15,600	8	196
9.38	Ahmednagar & Aurangabad Districts	Maharashtra	Bharat Petroleum Corporation Limited	7,08,100	106	2,109
9.39	Valsad (EAAA), Dhule & Nashik Districts	Maharashtra & Gujarat	Maharashtra Natural Gas Limited	9,37,965	156	2,181
9.40	Latur & Osmanabad Districts	Maharashtra	Unison Enviro Private Limited	9,999	30	10
9.41	Sangli & Satara Districts	Maharashtra	Bharat Petroleum Corporation Limited	3,76,700	64	2,112
9.42	Sindhudurg District	Maharashtra	Maharashtra Natural Gas Limited	25,779	25	759
9.43	Angul & Dhekanal Districts	Odisha	Bharat Petroleum Corporation Limited	22,600	21	1,464
9.44	Sundargarh & Jharsuguda Districts	Odisha	GAIL Gas Limited	1,00,000	20	500
9.45	Balasore, Bhadrak & Mayurbhanj Districts	Odisha	Adani Total Gas Limited	1,50,464	20	506



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.46	Bargarh, Debagarh & Sambalpur Districts	Odisha	Bharat Petroleum Corporation Limited	13,910	11	650
9.47	Ganjam, Nayagarh & Puri Districts	Odisha	GAIL Gas Limited	51,000	15	650
9.48	Jagatsinghpur & Kendrapara Districts	Odisha	Bharat Petroleum Corporation Limited	12,550	10	791
9.49	Jajpur & Kendujhar Districts	Odisha	Bharat Petroleum Corporation Limited	18,200	19	2,442
9.50	Karaikal & Nagapattinam Districts	Puducherry (UT) & Tamil Nadu	Torrent Gas Private Limited	1,66,644	27	495
9.51	Puducherry District	Puducherry (UT)	East Coast Natural Gas Private Limited	2,75,000	130	2,100
9.52	SAS Nagar District (EAAA), Patiala & Sangrur Districts	Punjab	Torrent Gas Private Limited	5,20,200	54	2,610
9.53	Ludhiana District (Except area already authorized), Barnala & Moga Districts	Punjab	Think Gas Ludhiana Private Limited	4,51,317	47	1,486
9.54	Jalandhar District (EAAA), Kapurthala & SBS Nagar Districts	Punjab	Think Gas Ludhiana Private Limited	3,86,147	51	1,029
9.55	Barmer, Jaisalmer & Jodhpur Districts	Rajasthan	AGP CGD India Private Limited	5,51,111	80	NA
9.56	Alwar (Other than Bhiwadi) & Jaipur Districts	Rajasthan	Torrent Gas Jaipur Private Limited	13,20,000	132	12,030
9.57	Kota District (EAAA), Baran & Chittorgarh (Only Rawatbhata Taluka) Districts	Rajasthan	Torrent Gas Private Limited	60,300	27	3,393
9.58	Bhilwara & Bundi Districts	Rajasthan	Adani Total Gas Limited	2,70,056	25	659
9.59	Chittorgarh (Other than Rawatbhata Taluka) & Udaipur Districts	Rajasthan	Adani Total Gas Limited	4,00,583	70	1,568
9.60	Dholpur District	Rajasthan	Dholpur CGD Private Limited	18,000	14	412



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.61	Kanchipuram District	Tamil Nadu	AGP CGD India Private Limited	11,51,111	111	668
9.62	Chennai & Tiruvallur Districts	Tamil Nadu	Torrent Gas Chennai Private Limited	33,00,000	222	6,666
9.63	Coimbatore District	Tamil Nadu	Indian Oil Corporation Limited	9,12,783	273	2,500
9.64	Cuddalore, Nagapattinam & Tiruvarur Districts	Tamil Nadu	Adani Total Gas Limited	3,00,089	40	839
9.65	Ramanathapuram District	Tamil Nadu	AGP CGD India Private Limited	41,311	11	251
9.66	Salem District	Tamil Nadu	Indian Oil Corporation Limited	3,37,062	158	1,368
9.67	Tiruppur District	Tamil Nadu	Adani Total Gas Limited	3,75,005	75	829
9.68	Bhadradri Kothagudem & Khamman Districts	Telangana	Megha City Gas Distribution Private Limited	99,999	12	800
9.69	Jagtial, Peddapalli, Karimnagar & Rajanna Sircilla Districts	Telangana	Indian Oil Corporation Limited	5,731	5	520
9.70	Jangaon, Jayashankar Bhupalpally, Mahabubabad, Warangal Urban & Warangal Rural Districts	Telangana	Megha City Gas Distribution Private Limited	99,999	12	800
9.71	Medak, Siddipet & Sangareddy Districts	Telangana	Torrent Gas Private Limited	3,10,770	54	5,076
9.72	Medchal-Malkajgiri, Ranga Reddy & Vikarabad Districts	Telangana	Megha City Gas Distribution Private Limited	4,15,000	110	2,020
9.73	Nalgonda Suryapet & Yadadri Bhuvanagiri Districts	Telangana	Megha City Gas Distribution Private Limited	3,50,000	75	1,500
9.74	Gomati District	Tripura	Tripura Natural Gas Company Limited	11,514	6	170



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
9.75	West Tripura (EAAA) District	Tripura	Tripura Natural Gas Company Limited	15,800	6	60
9.76	Bulandshahr District (EAAA), Aligarh & Hathras Districts	Uttar Pradesh	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	1,43,404	46	1,662
9.77	Allahabad District (EAAA), Bhadohi & Kaushambi Districts	Uttar Pradesh	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	58,658	24	680
9.78	Amethi, Pratapgarh & Raebareli Districts	Uttar Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	18,169	20	385
9.79	Auraiya, Kanpur Dehat & Etawah Districts	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	1,18,800	27	1,602
9.80	Faizabad & Sultanpur Districts	Uttar Pradesh	Green Gas Limited	4,000	4	350
9.81	Gorakhpur, Sant Kabir Nagar & Kushinagar Districts	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	1,78,200	36	5,814
9.82	Meerut District (EAAA), Muzaffarnagar & Shamli Districts	Uttar Pradesh	Indraprastha Gas Limited	1,05,543	36	1,755
9.83	Moradabad (EAAA) District	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	1,54,800	27	792
9.84	Unnao (EAAA) District	Uttar Pradesh	Green Gas Limited	3,000	2	150
9.85	Dehradun District	Uttarakhand	GAIL Gas Limited	3,00,001	50	900
9.86	Burdwan District	West Bengal	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	2,47,852	80	2,230
Total				**2,21,16,702**	**4,603**	**1,16,171**

**Note: EAAA stands for Excluding / Except Area Already Authorised*



Annexure B

CGD Authorisations in 10th CGD Bidding Round / Targets

GA ID	Geographical Area (GA)	State/Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
10.01	Anantapur and YSR (Kadapa) Districts	Andhra Pradesh	AGP City Gas Private Limited	10,01,101	134	3,289
10.02	Sri Potti Sriramulu Nellore District	Andhra Pradesh	AGP City Gas Private Limited	8,52,111	81	1,468
10.03	Chittoor, Kolar and Vellore Districts	Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka	AGP City Gas Private Limited	22,95,933	251	1,731
10.04	Araria, Purnia, Katihar and Kishanganj Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	3,05,200	79	910
10.05	Arwal, Jehanabad, Bhojpur and Buxar Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	80,636	50	1,023
10.06	Khagaria, Saharsa and Madhepura Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	24,730	9	374
10.07	Lakhisarai, Munger and Bhagalpur Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	54,471	16	1,625
10.08	Muzaffarpur, Vaishali, Saran and Samastipur Districts	Bihar	Indian Oil Corporation Limited	10,06,975	222	2,838
10.09	Nawada and Koderma Districts	Bihar and Jharkhand	Indian Oil Corporation Limited	13,632	21	527
10.10	Sheikhpura, Jamui and Deoghar Districts	Bihar and Jharkhand	Indian Oil Corporation Limited	37,441	16	1,564
10.11	Kaithal District	Haryana	Indraprastha Gas Limited	99,144	27	810
10.12	Sirsa, Fatehabad and Mansa (Punjab) Districts	Haryana and Punjab	Gujarat Gas Limited	5,00,001	54	1,500
10.13	Chatra and Palamu Districts	Jharkhand	Bharat Petroleum Corporation Limited	10,821	4	100
10.14	Seraikela-Kharsawan District	Jharkhand	GAIL Gas Limited	2,20,001	41	601



GA ID	Geographical Area (GA)	State/Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
10.15	West Singhbhum District	Jharkhand	GAIL Gas Limited	6,028	5	100
10.16	Bagalkot, Koppal and Raichur Districts	Karnataka	AGP City Gas Private Limited	5,86,121	114	1,979
10.17	Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu Districts	Karnataka	AGP City Gas Private Limited	9,28,651	121	1,187
10.18	Kalaburagi and Vijayapura Districts	Karnataka	AGP City Gas Private Limited	5,26,551	62	1,395
10.19	Mysuru, Mandya and Chamarajanagar Districts	Karnataka	AGP City Gas Private Limited	13,54,714	171	1,293
10.20	Uttara Kannada, Haveri and Shivamogga Districts	Karnataka	AGP City Gas Private Limited	8,99,311	126	1,993
10.21	Alapuzzha, Kollam and Thiruvananthapuram Districts	Kerala	AGP City Gas Private Limited	18,51,111	291	1,851
10.22	Ashoknagar District	Madhya Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	3,885	9	158
10.23	Gwalior (EAAA) District and Sheopur District	Madhya Pradesh	Rajasthan State Gas Limited	1,67,756	26	2,278
10.24	Morena District	Madhya Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	8,160	8	138
10.25	Raisen, Shajapur and Sehore Districts	Madhya Pradesh	GAIL Gas Limited	4,00,001	65	551
10.26	Shivpuri District	Madhya Pradesh	Think Gas Bhopal Private Limited	27,229	11	60
10.27	Sidhi and Singrauli Districts	Madhya Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	20,800	11	600
10.28	Ujjain (EAAA) District, Dewas (EAAA) District and Indore (EAAA) District	Madhya Pradesh	Gujarat Gas Limited	4,84,500	42	1,800
10.29	Anuppur, Bilaspur and Korba Districts	Madhya Pradesh and Chattisgarh	Adani Total Gas Limited	77,033	20	1,289



GA ID	Geographical Area (GA)	State/Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
10.30	Jhabua, Banswara, Ratlam and Dungarpur Districts	Madhya Pradesh and Rajashthan	Gujarat Gas Limited	4,50,000	54	2,100
10.31	Jhansi (EAAA) District, Bhind, Jalaun, Lalitpur and Datia Districts	Madhya Pradesh and Uttar Pradesh	Adani Total Gas Limited	1,10,099	29	1,568
10.32	Ferozepur, Faridkot and Sri Muktsar Sahib Districts	Punjab	Gujarat Gas Limited	3,50,004	45	1,200
10.33	Hoshiarpur and Gurdaspur Districts	Punjab	Gujarat Gas Limited	6,00,123	81	1,800
10.34	Ajmer, Pali and Rajsamand Districts	Rajasthan	Indraprastha Gas Limited	10,00,944	198	1,944
10.35	Jalore and Sirohi Districts	Rajasthan	Gujarat Gas Limited	4,00,008	30	1,800
10.36	Azamgarh, Mau and Ballia Districts	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	1,00,800	40	1,008
10.37	Bareilly (EAAA) District, Pilibhit and Rampur Districts	Uttar Pradesh	Hindustan Petroleum Corporation Limited	1,45,000	140	1,200
10.38	Basti and Ambedkarnagar Districts	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	35,100	18	207
10.39	Farrukhabad, Etah and Hardoi Districts	Uttar Pradesh	Hindustan Petroleum Corporation Limited	98,000	75	1,200
10.40	Gonda and Barabanki Districts	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	1,11,600	36	756
10.41	Jaunpur and Ghazipur Districts	Uttar Pradesh	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	77,033	38	875
10.42	"Kanpur (EAAA) District, Fatehpur and Hamirpur Districts"	Uttar Pradesh	Indraprastha Gas Limited	1,44,000	45	1,170
10.43	Mainpuri and Kannauj Districts	Uttar Pradesh	Hindustan Petroleum Corporation Limited	60,000	45	972



GA ID	Geographical Area (GA)	State/Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
10.44	Mirzapur, Chandauli and Sonbhadra Districts	Uttar Pradesh	GAIL Gas Limited	1,51,001	51	400
10.45	Shahjahanpur and Budaun Districts	Uttar Pradesh	Hindustan Petroleum Corporation Limited	1,25,000	75	950
10.46	Bijnor and Nainital Districts	Uttar Pradesh and Uttarakhand	Hindustan Petroleum Corporation Limited	3,00,000	91	NA
10.47	Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts	West Bengal	Hindustan Petroleum Corporation Limited	6,90,000	125	NA
10.48	Howrah (EAAA) District and Hoogly (EAAA) District	West Bengal	Hindustan Petroleum Corporation Limited	5,75,000	100	900
10.49	Nadia (EAAA) District and North 24 Parganas (EAAA) District	West Bengal	Hindustan Petroleum Corporation Limited	6,25,000	110	1,543
10.50	South 24 Parganas (EAAA) District	West Bengal	Hindustan Petroleum Corporation Limited	3,00,000	65	1,552
Total				**2,02,92,760**	**3,578**	**58,177**

**Note: EAAA stands for Excluding / Except Area Already Authorised*



Annexure C

CGD Authorisations under 11 and 11A CGD Bidding Round / Targets

GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
11.01	Kurnool, Guntur, and Prakasam districts	Andhra Pradesh	Indian Oil Corporation Limited	44,99,311	301	1,412
11.02	Nagaon, Morigaon, Hojai, Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao districts	Assam	Adani Total Gas Limited	4,81,962	78	1,962
11.03	Lakhimpur, Dhemaji , Darrang, Udalgiri, Sonitpur and Biswanath Chariali districts	Assam	North East Gas Distribution Private Limited	3,46,000	166	2,288
11.04	Kokrajhar, Dhubri, South Salmara-Mankachar and Goalpara districts	Assam	Adani Total Gas Limited	3,11,962	62	962
11.05	Baksa, Barpeta, Bongaigaon, Chirang, Nalbari and Bajali districts	Assam	Adani Total Gas Limited	4,81,962	78	878
11.06	Darbhanga, Madhubani, Supaul, Sitamarhi and Sheohar districts	Bihar	Bharat Petroleum Corporation Limited	10,10,999	50	2,895
11.07	Gopalganj, Siwan, West Champaran, East Champaran and Deoria districts	Bihar & Uttar Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	10,10,999	67	4,141
11.08	Baloda Bazar, Gariyaband and Raipur districts	Chhattisgarh	HCG Raipur Private Limited	15,06,000	606	5,060
11.09	Kabirdham, Raj Nandgaon and Kanker districts	Chhattisgarh	Adani Total Gas Limited	3,11,962	78	1,962
11.10	Mungeli, Bemetara, Durg, Balod and Dhamtari districts	Chhattisgarh	Adani Total Gas Limited	11,11,962	178	1,962
11.11	Jashpur, Raigarh, Janjgir-Champa and Mahasamund districts	Chhattisgarh	Adani Total Gas Limited	8,81,162	162	1,962
11.16	Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti districts	Himachal Pradesh	Gasonet Services (HP) Limited	2,52,000	45	NA
11.17	Kangra and Chamba districts	Himachal Pradesh	Think Gas Himachal Private Limited	3,00,109	41	NA
11.18	Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua districts	UT of Jammu and Kashmir	Indian Oil Corporation Limited	14,52,352	121	NA



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
11.19	Gumla, Latehar, Lohardaga, Simdega, Garhwa and Khunti districts	Jharkhand	Adani Total Gas Limited	1,61,978	62	978
11.20	Chikkaballapur district	Karnataka	Megha City Gas Distribution Private Limited	3,82,500	81	999
11.21	Idukki, Kottayam and Pattanamtitta districts	Kerala	Sholagasco Private Limited	10,80,928	325	1,342
11.22	Agar Malwa, Neemuch, Mandsaur and Jhalawar districts	Madhya Pradesh and Rajasthan	Megha City Gas Distribution Private Limited	5,40,000	126	3,060
11.23	Burhanpur, Khandwa, Khargone and Harda districts	Madhya Pradesh	Adani Total Gas Limited	5,11,978	119	1,578
11.24	Tikamgarh, Niwari, Chattarpur and Panna districts	Madhya Pradesh	Adani Total Gas Limited	1,91,978	47	1,478
11.25	Betul, Chhindwara, Seoni and Balaghat districts	Madhya Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	4,00,500	171	2,088
11.26	Damoh, Jabalpur, Katni, Mandla, Umaria and Dindori districts	Madhya Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	15,30,000	171	6,507
11.27	Hoshangabad, Narsinghpur, Sagar and Vidisha districts	Madhya Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	6,63,300	207	3,600
11.28	Buldana, Nanded and Parbhani districts	Maharashtra	Maharashtra Natural Gas Limited	20,07,730	325	2,600
11.29	Beed, Jalgaon and Jalna districts	Maharashtra	Indian Oil Corporation Limited	23,09,973	151	1,188
11.30	Akola, Hingoli and Washim districts	Maharashtra	Adani Total Gas Limited	5,11,962	101	1,962
11.31	Amravati and Yavatmal districts	Maharashtra	Adani Total Gas Limited	9,01,962	162	2,562
11.32	Chandrapur and Wardha districts	Maharashtra	Megha City Gas Distribution Private Limited	9,09,000	117	3,060
11.33	Nagpur district	Maharashtra	HCG Nagpur Private Limited	19,65,000	756	7,221
11.34	Bhandara, Gondiya and Garchiroli districts	Maharashtra	Adani Total Gas Limited	3,61,962	78	1,562



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
11.35	Alirajpur, Nandurbar and Barwani districts	Maharashtra and Madhya Pradesh	Adani Total Gas Limited	2,21,962	62	662
11.36	Koraput, Malkangiri, and Nabarangpur districts	Odisha	Adani Total Gas Limited	1,51,968	38	968
11.37	Gajapati, Kandhamal, Boudh and Sonepur districts	Odisha	GAIL Gas Limited	30,001	30	900
11.38	Rayagada, Kalahandi, Bolangir and Nuapada districts	Odisha	Megha City Gas Distribution Private Limited	3,03,030	63	2,520
11.39	Pathankot district	Punjab	Indian Oil Corporation Limited	2,62,740	51	151
11.40	Tarn Taran district	Punjab	Megha City Gas Distribution Private Limited	2,43,000	72	999
11.41	Fazilka (except area already authorized), Ganganagar and Hanumangarh districts	Punjab & Rajasthan	Bharat Petroleum Corporation Limited	7,52,999	49	3,308
11.42	Bikaner and Churu districts	Rajasthan	Gasonet Services (RJ) Limited	9,00,000	81	1,800
11.43	Jhunjhunu, Sikar and Nagaur districts	Rajasthan	Indian Oil Corporation Limited	20,87,645	171	1,200
11.44	Dausa, Karauli, Sawai Madhopur and Tonk districts	Rajasthan	Hindustan Petroleum Corporation Limited	7,07,000	124	3,988
11.45	Dharmapuri and Krishnagiri districts	Tamil Nadu	Indian Oil Corporation Limited	16,19,227	201	1,201
11.46	Tiruvannamalai, Villupuram and Kallakkurichi districts	Tamil Nadu	Megha City Gas Distribution Private Limited	13,23,000	99	2,520
11.47	Ariyalur and Perambalur districts	Tamil Nadu	Megha City Gas Distribution Private Limited	4,19,400	63	1,530
11.48	Namakkal and Tiruchirapalli districts	Tamil Nadu	IRM Energy Limited	17,74,000	290	1,450
11.49	Pudukottai, Sivaganga and Thanjavur districts	Tamil Nadu	Megha City Gas Distribution Private Limited	14,00,004	216	6,498
11.50	Madurai, Theni and Virudhnagar districts	Tamil Nadu	Indian Oil Corporation Limited	28,46,696	201	2,001



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
11.51	Kanyakumari, Thoothukudi, Tiruneveli Kattabo and Tenkasi districts	Tamil Nadu	Indian Oil Corporation Limited	29,39,842	251	2,001
11.52	Dindigul and Karur districts	Tamil Nadu	Megha City Gas Distribution Private Limited	10,08,000	135	3,510
11.53	The Nilgiris and Erode districts	Tamil Nadu	Bharat Petroleum Corporation Limited	8,84,777	201	1,316
11.54	Nizamabad, Adilabad, Nirmal, Mancherial Kumuram Bheem Asifabad and Kamareddy districts	Telangana	Maharashtra Natural Gas Limited	12,86,333	351	2,500
11.55	Jogulamba Gadwal, Nagarkurnool, Mahabubnagar, Narayanpet, Wanaparthy and Yadgir districts	Telangana and Karnataka	Megha City Gas Distribution Private Limited	12,99,996	270	4,545
11.56	South Tripura and Sepahijala district	Tripura	North East Gas Distribution Private Limited	96,000	46	844
11.57	Dhalai, North Tripura, Unakoti and Khowai	Tripura	North East Gas Distribution Private Limited	1,16,000	66	552
11.58	Amroha (except area already authorized) & Sambhal (except area already authorized) districts	Uttar Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	6,57,000	99	1,440
11.59	Kasganj district	Uttar Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	2,52,000	45	1,530
11.60	Purulia and Bankura districts	West Bengal	Bharat Petroleum Corporation Limited	5,55,999	27	1,211
11.61	East Mednipore, West Mednipore and Jhargram districts	West Bengal	Indian Oil Corporation Limited	37,34,901	131	1,500
11.62	Alipurduar and Koch Bihar	West Bengal	Bharat Petroleum Corporation Limited	2,51,999	19	706
11.63	Banda, Chitrakoot and Mahoba	Uttar Pradesh	Indraprastha Gas Limited	1,50,006	102	2,325
11.64	Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal districts	Uttarakhand	Gasonet Services (UK) Limited	3,51,000	63	NA



GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				PNG Domestic Connections (Nos.)	CNG Stations (Nos.)	Pipeline (inch-Km)
11.65	Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar districts	Uttarakhand	Gasonet Services (UK) Limited	4,05,000	72	NA
11A.01	Lakhimpur Kheri, Sitapur, Bahraich, Shrawasti, Balrampur, Siddharth Nagar & Maharajganj districts	Uttar Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	50,69,648	421	5,060
11A.02	Banka (Bihar), Dumka, Godda, Jamtara, Pakur & Sahibganj districts	Bihar & Jharkhand	Hindustan Petroleum Corporation Limited	14,76,189	99	2,007
11A.03	Birbhum, Murshidabad, Maldah & Dakshin Dinajpur districts	West Bengal	Hindustan Petroleum Corporation Limited	62,10,189	162	1,845
11A.04	Koriya, Surajpur, Balrampur and Surguja districts	Chhattisgarh	Bharat Petroleum Corporation Limited	2,59,496	54	1,335
11A.05	Kondagaon, Bastar, Sukma, Narayanpur, Bijapur and Dantewada districts	Chhattisgarh	GAIL Gas Limited	70,031	32	511
11A.06	Yanam	Puducherry	HCG Yanam Private Limited	51,000	51	133
Total				**7,05,57,571**	**9,540**	**1,33,836**

**Note: EAAA stands for Excluding / Except Area Already Authorised*



Annexure D

CGD Authorisations under 12 and 12A CGD Bidding Round / Targets

Unique GA ID	Geographical Area (GA)	State	Authorized CGD Entity	Minimum Work Program		
				CNG Stations	PNG Domestic Connections	Steel Pipeline (Inch-km)
12.01	Arunachal Pradesh State	Arunachal Pradesh	Consortium of BPCL & OIL India Ltd	19,000	26	150
12.02	Meghalaya State	Meghalaya	Consortium of HCG (KCE) Private Limited & Others	3,56,000	314	2,105
12.03	Manipur State	Manipur	Tripura Natural Gas Company Limited	1,00,439	39	180
12.04	Nagaland State	Nagaland	HPOIL Gas Private Limited	3,56,589	63	189
12.05	Sikkim State	Sikkim	Hindustan Petroleum Corporation Limited	1,77,399	45	657
12.06	Anantnag, Bandipora, Baramulla, Budgam, Doda, Ganderbal, Kargil, Kishtwar, Kulgam, Kupwara, Leh, Poonch, Pulwama, Rajouri, Ramban, Shopian, Shrinagar	Jammu & Kashmir, Ladakh	Bharat Petroleum Corporation Limited	30,804	23	360
12A	Mizoram State	Mizoram	Tripura Natural Gas Company Limited	2,91,562	75	1,002
Total				**13,31,793**	**585**	**4,643**

**Note: EAAA stands for Excluding / Except Area Already Authorised*



Annexure E

CGD Authorisations until 8th CGD Bidding Round, Pre-PNGRB Authorisations & Authorisation under section 42 & 16 of PNGRB Act, 2006

S No	GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Date of Authorization
1st CGD Bidding Round					
1	1.01	Dewas	Madhya Pradesh	GAIL Gas Limited	01-Jun-09
2	1.02	Kota	Rajasthan	Rajasthan State Gas Limited	01-Jun-09
3	1.03	Mathura	Uttar Pradesh	Torrent Gas Private Limited	11-Jun-09
4	1.04	Kakinada	Andhra Pradesh	Bhagyanagar Gas Limited	12-Jun-09
5	1.05	Sonipat	Haryana	GAIL Gas Limited	12-Jun-09
6	1.06	Meerut	Uttar Pradesh	GAIL Gas Limited	12-Jun-09
2nd CGD Bidding Round					
7	2.01	Chandigarh	Chandigarh, Haryana, Punjab & Himachal Pradesh	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	08-May-13
8	2.02	Allahabad	Uttar Pradesh	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	08-May-13
9	2.03	Jhansi	Uttar Pradesh	Central UP Gas Limited	26-Feb-14
3rd CGD Bidding Round					
10	3.01	Jalandhar	Punjab	Adani Total Gas Limited	06-Sep-13
11	3.02	Bhavnagar	Gujarat	Gujarat Gas Limited	05-Mar-14
12	3.03	Jamnagar	Gujarat	Gujarat Gas Limited	17-Jan-14
13	3.04	Kutch (West)	Gujarat	Gujarat Gas Limited	19-Dec-14
14	3.05	Kutch (East)*	Gujarat	Jay Madhok Energy Private Limited led Consortium	12-Mar-15
15	3.06	Ludhiana*	Punjab	Jay Madhok Energy Private Limited led Consortium	25-Jul-15
4th CGD Bidding Round					
16	4.01	Bengaluru Rural and Urban Districts	Karnataka	GAIL Gas Limited	18-Feb-15
17	4.02	Panipat District	Haryana	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	01-Apr-15
18	4.03	Palghar District & Thane Rural	Maharashtra	Gujarat Gas Limited	01-Apr-15
19	4.04	Raigarh District (EAAA)	Maharashtra	Mahanagar Gas Limited	01-Apr-15
20	4.05	UT of Dadra & Nagar Haveli	Dadra & Nagra Haveli	Gujarat Gas Limited	01-Apr-15
21	4.06	UT of Daman	Daman and Diu	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	01-Apr-15
22	4.07	Amritsar District	Punjab	Gujarat Gas Limited	05-May-15
23	4.08	Pune District (EAAA)	Maharashtra	Torrent Gas Private Limited	18-May-15
24	4.09	Ernakulam District	Kerala	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	14-Oct-15
5th CGD Bidding Round					
25	5.01	Udham Singh Nagar District	Uttrakhand	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	28-Jul-15



S No	GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Date of Authorization
26	5.02	Haridwar District	Uttrakhand	Haridwar Natrural Gas Private Limited	27-Jul-15
27	5.03	East Godavari District (EAAA)	Andhra Pradesh	Godavari Gas Private Limited	14-Aug-15
28	5.04	West Godavari District	Andhra Pradesh	Godavari Gas Private Limited	14-Aug-15
29	5.05	Tumkur District	Karnataka	Megha City Gas Distribution Private Limited	14-Aug-15
30	5.06	Krishna District (EAAA)	Andhra Pradesh	Megha City Gas Distribution Private Limited	14-Sep-15
31	5.07	Dharwad District	Karnataka	Indian Oil-Adani Gas Private Limited	14-Sep-15
32	5.08	Belgaum District	Karnataka	Megha City Gas Distribution Private Limited	14-Sep-15
6th CGD Bidding Round					
33	6.01	Bhatinda District	Punjab	Gujarat Gas Limited	10-May-16
34	6.02	Saharanpur District	Uttar Pradesh	Bharat Petroleum Corporation Limited	11-May-16
35	6.03	Amreli District	Gujarat	Gujarat Gas Limited	27-May-16
36	6.04	Patan District	Gujarat	Sabarmati Gas Limited	27-May-16
37	6.05	Dahej Vagra Taluka	Gujarat	Gujarat Gas Limited	06-Jun-16
38	6.06	Rupnagar District	Punjab	Bharat Petroleum Corporation Limited	10-Jun-16
39	6.07	North Goa District	Goa	Goa Natural Gas Private Limited	24-Jun-16
40	6.08	Dahod District	Gujarat	Gujarat Gas Limited	27-Jun-16
41	6.09	Banaskantha District	Gujarat	IRM Energy Limited	01-Jul-16
42	6.10	Anand District (EAAA)	Gujarat	Gujarat Gas Limited	04-Jul-16
43	6.11	Panchmahal District	Gujarat	Gujarat Gas Limited	04-Jul-16
44	6.12	Fatehgarh Sahib District	Punjab	IRM Energy Limited	05-Jul-16
45	6.13	Yamunanagar District	Haryana	Bharat Petroleum Corporation Limited	22-Jul-16
46	6.14	Ratnagiri District	Maharashtra	Unison Enviro Private Limited	09-Aug-16
47	6.15	Rewari District	Haryana	Indraprastha Gas Limited	19-Aug-16
48	6.16	Dhar District	Madhya Pradesh	Naveriya Gas Private Limited	07-Nov-16
49	6.17	Rohtak District	Haryana	Bharat Petroleum Corporation Limited	09-Apr-18
50	6.18	Ahmedabad District (EAAA)	Gujarat	Gujarat Gas Limited	22-Jun-16
7th CGD Bidding Round					
51	7.01	Solapur District	Maharashtra	IMC Limited	06-Mar-17
8th CGD Bidding Round					
52	8.01	South Goa District	Goa	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	07-Feb-18
53	8.02	Karnal District	Haryana	Indraprastha Gas Limited	08-Feb-18
54	8.03	Ambala & Kurukshetra Districts	Haryana	HPOIL Gas Private Limited	22-Feb-18
55	8.04	Kolhapur District	Maharashtra	HPOIL Gas Private Limited	06-Mar-18



S No	GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Date of Authorization
56	8.05	Bulandshahr (part) District	Uttar Pradesh	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	06-Mar-18
57	8.06	Bagpat District	Uttar Pradesh	Bagpat Green Energy Private Limited	28-Mar-18
Pre-PNGRB - Central Government Authorisations (Regulation 17 of CGD Authorisation Regulation)					
58	99.01	National Capital Territory of Delhi	Delhi	Indraprastha Gas Limited	09-Jan-09
59	99.02	Mumbai & Greater Mumbai	Maharashtra	Mahanagar Gas Limited	21-Jan-09
60	99.03	Bareilly	Uttar Pradesh	Central UP Gas Limited	22-Apr-09
61	99.04	Kanpur	Uttar Pradesh	Central UP Gas Limited	22-Apr-09
62	99.05	Pune City including Pimpri - Chichwad & adjoining contigeneous areas Hinjewadi, Chakan, Talegaon	Maharashtra	Maharashtra Natural Gas Limited	01-Jun-09
63	99.06	Vijaywada	Andhra Pradesh	Bhagyanagar Gas Limited	28-Jul-09
64	99.07	Thane urban and adjoining Municipalities	Maharashtra	Mahanagar Gas Limited	04-Aug-09
65	99.08	Indore (including Ujjain City)	Madhya Pradesh	Aavantika Gas Limited	31-Aug-09
66	99.09	Hyderabad	Telangana	Bhagyanagar Gas Limited	09-Oct-09
67	99.10	Agra	Uttar Pradesh	Green Gas Limited	12-Nov-09
68	99.11	Gandhinagar Mehsana Sabarkantha	Gujarat	Sabarmati Gas Limited	16-Dec-09
69	99.12	Gwalior	Madhya Pradesh	Aavantika Gas Limited	04-Jan-10
70	99.13	Firozabad (Taj Trapezium Zone)	Uttar Pradesh and Rajasthan	GAIL Gas Limited	26-Sep-11
71	99.14	Kolkata Muncipal Corporation and Parts of Adjoining Districts	West Bengal	Bengal Gas Company Limited	02-Feb-16
72	99.15	Upper Assam	Assam	Assam Gas Company Limited	06-Feb-15
73	99.16	Agartala	Tripura	Tripura Natural Gas Company Limited	24-Feb-15
74	99.17	Lucknow	Uttar Pradesh	Green Gas Limited	15-Mar-16
75	99.18	Vadodara	Gujarat	Vadodara Gas Limited	27-Oct-16
76	99.19	Ghaziabad & Hapur Districts	Uttar Pradesh	Indraprastha Gas Limited	06-Sep-19
77	99.20	Noida (including Greater Noida)	Uttar Pradesh	Indraprastha Gas Limited	25.04.2023
Pre-PNGRB - Other than Central Government Authorisations (Regulation 18 of CGD Authorisation Regulation)					
78	98.01	Khurja	Uttar Pradesh	Adani Total Gas Limited	04-Dec-12
79	98.02	Surat, Bharuch, Ankleshwar	Gujarat	Gujarat Gas Limited	08-Nov-12
80	98.03	Moradabad	Uttar Pradesh	Torrent Gas Moradabad Limited	30-Nov-12



S No	GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized CGD Entity	Date of Authorization
81	98.04	Nadiad	Gujarat	Gujarat Gas Limited	01-Oct-13
82	98.05	Navsari	Gujarat	Gujarat Gas Limited	01-Oct-13
83	98.06	Rajkot	Gujarat	Gujarat Gas Limited	01-Oct-13
84	98.07	Surendranagar	Gujarat	Gujarat Gas Limited	01-Oct-13
85	98.08	Ahmedabad City and Daskroi Area	Gujarat	Adani Total Gas Limited	28-Nov-13
86	98.09	Hazira	Gujarat	Gujarat Gas Limited	17-Jul-14
87	98.10	Valsad	Gujarat	Gujarat Gas Limited	20-Jan-15
88	98.11	Anand area including Kanjari & Vadtal Villages (in Kheda District)	Gujarat	Charotar Gas Sahakari Mandali Limited	12-May-15
89	98.12	Bhiwadi (in Alwar District)	Rajasthan	Haryana City Gas Distribution (Bhiwadi) Limited	01-Aug-18
90	98.13	Gurugram-2	Haryana	Haryana City Gas Distribution Limited	25-Apr-23
Under Section 42 and 16 of PNGRB Act, 2006					
91	97.01	Patna District	Bihar	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
92	97.02	East Singhbhum District	Jharkhand	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
93	97.03	Ranchi District	Jharkhand	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
94	97.04	Khordha District	Odisha	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
95	97.05	Cuttack District	Odisha	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
96	97.06	Varanasi District	Uttar Pradesh	GAIL (India) Limited	07-Mar-18
Under Section 16 of PNGRB Act, 2006					
97	95.01	Faridabad-2	Haryana	Adani Total Gas Limited	25-Apr-23

*Authorisation of these CGD Networks cancelled by PNGRB on 03.12.2020



ANNEXURE F

Details of Progress Review Meetings and Hearings for CGD Networks
(1st April, 2023 to 31st March, 2024)

S. No.	Name of Entity	Name of CGD Network	Date of Meeting/ Hearing
1	Adani Total Gas Limited	Nagaon, Morigaon, Hojai, Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao Districts	19-04-2023
2		Kokrajhar, Dhubri, South Salmara-Mankachar and Goalpara Districts	19-04-2023
3		Baksa, Barpeta, Bongaigaon, Chirang and Nalbari Districts	19-04-2023
4		Kabirdham, Raj Nandgaon and Kanker Districts	19-04-2023
5		Jashpur, Raigarh, Janjgir-Champa and Mahasamund Districts	19-04-2023
6		Gumla, Latehar, Lohardaga, Simdega, Garhwa and Khunti Districts	19-04-2023
7		Akola, Hingoli and Washim Districts	19-04-2023
8		Amravati and Yavatmal Districts	19-04-2023
9		Bhandara, Gondiya and Garchiroli Districts	19-04-2023
10		Koraput, Malkangiri, and Nabarangpur Districts	19-04-2023
11		Mungeli, Bemetara, Durg, Balod and Dhamtari Districts	19-04-2023
12	Consortium of Assam Gas Company Limited and Oil India Limited (AGCL & OIL)	Lakhimpur, Dhemaji, Darrang, Udalgiri, Sonitpur and Biswanath Chariali Districts	02-05-2023
13		South Tripura and Sepahijala Districts	02-05-2023
14		Dhalai, North Tripura, Unakoti and Khowai Districts	02-05-2023
15		Lakhimpur, Dhemaji, Darrang, Udalgiri, Sonitpur and Biswanath Chariali Districts	13-07-2023
16		South Tripura and Sepahijala Districts	13-07-2023
17		Dhalai, North Tripura, Unakoti and Khowai Districts	13-07-2023
18	GAIL Gas Limited	Lakhimpur, Dhemaji, Darrang, Udalgiri, Sonitpur and Biswanath Chariali Districts	12-09-2023
19		South Tripura and Sepahijala Districts	12-09-2023
20		Dhalai, North Tripura, Unakoti and Khowai Districts	12-09-2023



S. No.	Name of Entity	Name of CGD Network	Date of Meeting/ Hearing
21	GAIL Gas Limited	Kondagaon, Bastar, Sukma, Narayanpur, Bijapur and Dantewada Districts	28-04-2023
22		Kondagaon, Bastar, Sukma, Narayanpur, Bijapur and Dantewada Districts	04-07-2023
23		Kondagaon, Bastar, Sukma, Narayanpur, Bijapur and Dantewada Districts	21-08-2023
24	Gasonet Services (HP) Limited	Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts	28-04-2023
25		Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts	04-07-2023
26		Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts	21-08-2023
27	Gasonet Services (UK) Limited	Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts	28-04-2023
28		Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts	28-04-2023
29		Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts	04-07-2023
30		Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts	04-07-2023
31		Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts	21-08-2023
32		Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts	21-08-2023
33	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Dausa, Karauli, Sawai Madhopur and Tonk Districts	26-04-2023
34		Banka (Bihar), Dumka, Godda, Jamtara, Pakur & Sahibganj Districts	26-04-2023
35		Birbhum, Murshidabad, Maldah & Dakshin Dinajpur Districts	26-04-2023
36	Sholagasco Private Limited	Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	26-04-2023
37		Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	12-06-2023
38		Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	21-08-2023
39		Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	13-02-2024
40	Think Gas Ludhiana Private Limited (TGLPL)	Ludhiana District (EAAA), Barnala & Moga Districts	18-04-2023



ANNEXURE G:

Pending Financial Closure (FC) and Gas Supply Agreement (GSA) - 11th and 11A CGD Bidding Rounds (Status as on 31.03.2024)

S. No.	Unique GA ID	Geographical Area (GA)	State/ Union Territories	Authorized Entity	Date of Auth.	Date of Amend-ment/ Tranfer of Auth./ Effective Date	Due Date for GSA & FC	Achievement/ Submission Status	
								GSA	FC
1	11.03	Lakhimpur, Dhemaji, Darrag, Udalgiri, Sonitpur and Biswanath Chariali districts	Assam	North East Gas Distribution Company Limited	23.03.2022	06.03.2024	17.12.2022	NA	Under Review
2	11.56	South Tripura and Sepahijala district	Tripura	North East Gas Distribution Company Limited	15.03.2022	06.03.2024	09.12.2022	NA	Under Review
3	11.57	Dhalai, North Tripura, Unakoti and Khowai	Tripura	North East Gas Distribution Company Limited	15.03.2022	06.03.2024	09.12.2022	NA	Under Review
4	11.64	Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal districts	Uttarakhand	Gasonet Services (UK) Limited	20.02.2023	02.09.2022	20.02.2023	NA	Under Review
5	11.65	Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar districts	Uttarakhand	Gasonet Services (UK) Limited	04.02.2023	02.09.2022	04.02.2023	NA	Under Review
6	11.21	Idukki, Kottayam and Pattanamtitta districts	Kerala	Sholagasco Private Limited	09.12.2022	NA	09.12.2022	NA	Documents awaited



ANNEXURE H:

Extensions to CGD Entities due to non-availability of designated NGPL

S. No.	Unique GA ID	Geographical Area (GA)	Authorized Entity	Old Start Dt.	New Start Dt.	Deisgnated NGPL
1	11.02	Nagaon, Morigaon, Hojai, Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.01.2023	Integrated Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline
2	11.04	Kokrajhar, Dhubri, South Salmara-Mankachar and Goalpara districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.07.2023	Integrated Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline
3	11.05	Baksa, Barpeta, Bongaigaon, Chirang, Nalbari and Bajali districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.07.2023	Integrated Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline
4	11.08	Baloda Bazar, Gariyaband and Raipur districts	HCG Raipur Private Limited	01.04.2022	01.10.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
5	11.09	Kabirdham, Raj Nandgaon and Kanker districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.04.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
6	11.10	Mungeli, Bemetara, Durg, Balod and Dhamtari districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.04.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
7	11.11	Jashpur, Raigarh, Janjgir-Champa and Mahasamund districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.07.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
8	11.19	Gumla, Latehar, Lohardaga, Simdega, Garhwa and Khunti districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.10.2023	Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline
9	11.28	Buldana, Nanded and Parbhani districts	Maharashtra Natural Gas Limited	01.04.2022	01.10.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
10	11.29	Beed, Jalgaon and Jalna districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.10.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
11	11.30	Akola, Hingoli and Washim districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.07.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
12	11.31	Amravati and Yavatmal districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.10.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
13	11.33	Nagpur district	HCG Nagpur Private Limited	01.04.2022	01.07.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline



S. No.	Unique GA ID	Geographical Area (GA)	Authorized Entity	Old Start Dt.	New Start Dt.	Deisgnated NGPL
14	11.34	Bhandara, Gondiya and Garchiroli districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.10.2023	Mumabi-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline
15	11.36	Koraput, Malkangiri, and Nabarangpur districts	Adani Total Gas Limited	01.04.2022	01.01.2023	Srikakulam-Angul Natural Gas Pipeline
16	11.39	Pathankot district	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.10.2025	Gurdaspur Jammu Natural Gas Pipeline
17	11.43	Jhunjhunu, Sikar and Nagaur districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.04.2023	Mehsana Bhatinda Natural Gas Pipeline
18	11.45	Dharmapuri and Krishnagiri districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.01.2023	Ennore-Tuticorin Natural Gas Pipeline
19	11.48	Namakkal and Tiruchirapalli districts	IRM Energy Private Limited	01.04.2022	01.04.2024	Ennore-Tuticorin Natural Gas Pipeline
20	11.50	Madurai, Theni and Virudhnagar districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.01.2023	Ennore-Tuticorin Natural Gas Pipeline
21	11.51	Kanyakumari, Thoothukudi, Tiruneveli Kattabo and Tenkasi districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.01.2023	Ennore-Tuticorin Natural Gas Pipeline
22	11.54	Nizamabad, Adilabad, Nirmal, Mancherial Kumuram Bheem Asifabad and Kamareddy districts	Maharashtra Natural Gas Limited	01.04.2022	01.07.2023	Mallavaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaipur Natural Gas Pipeline
23	11.61	East Mednipore, West Mednipore and Jhargram districts	Indian Oil Corporation Limited	01.04.2022	01.07.2023	Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline



ANNEXURE I:

Details of Progress Review Meetings and Hearings for Natural Gas Pipelines (1st April, 2023 to 31st March, 2024)

S. No.	Name of Pipeline	Name of Entity	Date of Meeting/ Hearing
1	Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline (KKBMPL)	GAIL India Limited (GAIL)	06 April 2023
2	Chainsa-Jhajjar-Hisar Natural Gas Pipeline (CJHPL) and Dadri Bawana Nangal Natural Gas Pipeline (DBNPL)	GAIL India Limited (GAIL)	19 April 2023
3	North-East Natural Gas Pipeline Grid (NEGG)	Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL)	20 April 2023
4	Kakinada-Srikakulam Natural Gas Pipeline (KSPL)	Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited	20 April 2023
5	Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamra, Barauni – Guwahati and Dhamra – Haldia Natural Gas Pipeline (Integrated JHBDPL)	GAIL (India) Limited	03 May 2023
6	Kakinada-Vijayawada-Nellore Natural Gas Pipeline (KVNPL)	IMC Limited (IMC)	03 May 2023
7	Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL)	IHB Limited	09 May 2023
8	Kakinada-Srikakulam Natural Gas Pipeline (KSPL)	Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited	09 May 2023
9	Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline (MNJPL)	GAIL (India) Limited	15 May 2023
10	Kanai-Chhata-Shrirampur Natural Gas Pipeline (KCSPL)	Hooghly Pipelines Private Limited	25 May 2023
11	Kakinada-Srikakulam Natural Gas Pipeline (KSPL)	Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited	13 June 2023
12	Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline	GSPL India Gasnet Limited (GIGL)	07 August 2023
13	Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra (including Barauni –Guwahati and Dhamra – Haldia) Natural Gas Pipeline	GAIL (India) Limited	08 August 2023
14	Ennore-Thiruvallur-Bengaluru- Puducherry-Nagapattinam-Madhurai-Tuticorin Natural Gas Pipeline (ETPL)	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	21 August 2023
15	Srikakulam-Angul Natural Gas Pipeline	GAIL (India) Limited	28 August 2023
16	Meeting with CGD entities for connectivity with Ennore-Thiruvallur-Bengaluru-Puducherry-Nagapattinam-Madhurai-Tuticorin Natural Gas Pipeline (ETBPNMTPL) authorised to Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	Meeting with CGD entities for connectivity with Ennore-Thiruvallur-Bengaluru-Puducherry-Nagapattinam-Madhurai-Tuticorin Natural Gas Pipeline (ETBPNMTPL) authorised to Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	04 September 2023
17	Gurdaspur - Jammu Natural Gas Pipeline	GAIL (India) Limited	13 September 2023
18	Kakinada-Srikakulam Natural Gas Pipeline (KSPL)	Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited	21 September 2023



S. No.	Name of Pipeline	Name of Entity	Date of Meeting/ Hearing
19	Joint Meeting of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport Limited (NIAL)	Joint Meeting of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport Limited (NIAL)	04 October 2023
20	Kanai-Chhata-Shrirampur Natural Gas Pipeline (KCSPL)	Hooghly Pipelines Private Limited	06 October 2023
21	Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline (KKBMPL)	GAIL (India) Limited	09 October 2023
22	Bhatinda-Gurdaspur Natural Gas Pipeline (BGPL)	GSPL India Gasnet Limited (GIGL)	09 October 2023
23	Meeting with GIGL regarding completion of the spur pipeline to Jodhpur in an expeditius manner and commissioning of the same within the committed timeline.	GSPL India Gasnet Limited (GIGL)	09 October 2023
24	Hazaribagh Ranchi Natural Gas Pipeline (HRPL)	Indian Oil Corporation Limited	03 November 2023
25	Kakinada-Vijayawada-Nellore Natural Gas Pipeline	IMC Limited	07 November 2023
26	Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline	GAIL (India) Limited	12 December 2023
27	Presentation regarding sources and demand centres of Natural Gas in the North Eastern States	"Presentation regarding sources and demand centres of Natural Gas in the North Eastern States"	27 December 2023
28	Dwecha, Jalore (SV-01 station on Barmer-Pali section of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline (MBPL)) to HRRL Refinery at Panchpadra Rajasthan	GSPL India Gasnet Limited (GIGL)	09 January 2024
29	Jagdishpur -Haldia-Bokaro-Dhamra (Including Baruni Guwahati) Natural Gas Pipeline and Dhamra-Haldia Pipeline	GAIL (India) Limited	15 January 2024
30	Srikakulam Angul Natural Gas Pipleine	GAIL (India) Limited	15 January 2024
31	Kanai - Chhata - Panitar Natural Gas Pipeline (KCPPL)	Hooghly Pipeline Private Limited (HPPL)	16 January 2024
32	Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline	GSPL India Gasnet Limited (GIGL)	28 February 2024
33	Presentation for Fully Operational Common Carrier Natural Gas Pipelines, Tie- in Connectivity and Dedicated Natural Gas Pipelines	GAIL (India) Limited	14 March 2024
34	Presentation for Kakinada-Hyderabad-Uran Ahmedabad (East West) Natural Gas Pipeline	Pipeline Infrastructure Limited (PIL)	27 March 2024



Annexure - J (Contd..)

NATURAL GAS PIPELINE NETWORKS IN INDIA – As on 31st March, 2024

Details		Length (Km)	Total (Km)
Authorized Natural Gas Pipelines	Common Carrier	31,903	33,478
	Tie-in connectivity	795	
	Dedicated	780	
Operational Natural Gas Pipelines	Common Carrier	23,560	24,881
	Tie-in connectivity	178	
	Dedicated	653	
	STPL	490	
Under Construction Natural Gas Pipelines	Common Carrier	9,528	10,404
	Tie-in connectivity	619	
	Dedicated	122	
	STPL	135	

The variation in the sum of the lengths of Operational and Under Construction Natural Gas Pipelines vis-à-vis the length of the Authorized pipelines are on account of one or more of the following factors:

i Variation in As-Built length due to site conditions,

ii Additional pipelines laid by the authorized entities for providing connectivity within the tariff corridor in line with the provisions of the NGPL Authorization Regulations,

iii Length of the operational and Under Construction pipelines as above includes the available length of Sub-Transmission Pipelines (STPL) owned by CGD entities, etc.

The above operational and under construction length of Natural Gas Pipelines includes the available length of Sub-Transmission Pipelines owned by the CGD entities.

Disclaimer: The above data is derived based on the submission made by the entities. In case of any discrepancy, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) should not be held liable/responsible for any eventuality to any one as a result of any action taken arising out of access to, or the use of the information contained in it.



Annexure - J (A) (Contd..)

(A) List of Abbreviations

AGCL	Assam Gas Company Limited
AGPKLPL	AGP Karaikal LNG Private Limited
APCPL	Astha Power Corporation Private Limited
APGDC	Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited
BGL	Bhagyanagar Gas Limited
BGRL	Bharat Gas Resources Limited
CGSML	Charotar Gas Sahakari Mandali Limited
CUGL	Central UP Gas Limited
DFPCL	Deepak Fertilizer and Petrochemical Corporation Ltd.
DNPL	DNP Limited
ECCPL	East Coast Concessions Private Limited
EOGEPL	Essar Oil and Gas Exploration and Production Limited
GGL	Gujarat Gas Limited
GGPL	Godavari Gas Private Limited
GIGL	GSPL India Gasnet Limited
GITL	GSPL India Transco Limited
GSPL	Gujarat State Petronet Limited
HEPL	H-Energy Private Limited
HNGPL	Haridwar Natural Gas Private Limited
HPGGG	High Pressure Gujarat Gas Grid
HPOIL	HPOIL Gas Private Limited
HPPL	Hooghly Pipelines Private Limited
HVJ	Integrated Hazira-Vijaipur-Jagdishpur NGPL
IGGL	Indradhanush Gas Grid Limited
IGL	Indraprastha Gas Limited

IMC	IMC Limited
IOCL	Indian Oil Corporation Limited
IRMEPL	IRM Energy Private Limited
KM	Kilometre
IOAGPL	Indian Oil Adani Gas Private Limited
KRPEPL	Kei RSOS Petroleum & Energy Private Limited
MEIL	Megha Engineering & Infrastructure Limited
MMSCMD	Million Metric Standard Cubic Meters per Day
MSIPL	Maharaj Soaps Industry Private Limited
NGPL	Naveriya Gas Private Limited
ONGC	Oil and Natural Gas Corporation Limited
OPaL	ONGC Petro addition Limited
PIL	Pipelines Infrastructure Limited
RCIPL	Recasil Ceramics Industries Private Limited
RGPL	Reliance Gas Pipelines Limited
SCPL	Silica Ceramica Private Limited
SEIL	Steel Exchange India Limited
SnGL	Sanwariya Gas Limited
TGPL	Torrent Gas Private Limited
TGPuL	Torrent Gas Pune Limited
TNGCL	Tripura Natural Gas Company Limited
TPL	Torrent Power Limited
UEPL	Unison Enviro Private Limited
VGL	Vadodara Gas Limited
WCPL	Western Concessions Private Limited

Annexure - J (B) (Contd..)

Fully Operational Common Carrier Natural Gas Pipelines As on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 5/17/18 of the NGPL Authorization Regulations)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Authorization	Auth. Length (KM)	Auth. Capacity (MMSCMD)	Operating Length (KM)	States from which Pipeline passes
1	17.01.NGPL	Assam Regional Network	GAIL	04.11.2009	8	2.5	8	Assam
2	17.02.NGPL	Cauvery Basin Network	GAIL	04.11.2009	240	4.33	243	Puducherry, Tamil Nadu
3	17.03.NGPL	Hazira-Vijaipur-Jagdishpur -GREP (Gas Rehabilitation and Expansion Project)-Dahej-Vijaipur HVJ/VDPL	GAIL	19.04.2010	6,169	107	6718	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat
4	17.11.NGPL	Dahej-Vijaipur (DVPL)-Vijaipur-Dadri (GREP) Upgradation DVPL 2 & VDPL		14.02.2011				
5	17.04.NGPL	Kakinada-Hyderabad-Uran-Ahmedabad (East West Pipeline)	PIL	19.04.2010	1,459	85	1483	Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Telangana
6	17.05.NGPL	Dahej-Uran-Panvel-Dabhol	GAIL	10.05.2010	815	19.9	943	Gujarat, Maharashtra
7	17.06.NGPL	KG Basin Network	GAIL	12.05.2010	878	16	865	Andhra Pradesh, Puducherry
8	17.07.NGPL	Gujarat Regional Network	GAIL	03.12.2010	609	8.31	589	Gujarat
9	17.08.NGPL	Agartala Regional Network	GAIL	13.12.2010	55	2	65	Tripura
10	17.10.NGPL	Dadri-Panipat	IOCL	05.01.2011	132	20	143	Haryana, Punjab, Uttar Pradesh
11	17.13.NGPL	Mumbai Regional Network	GAIL	14.03.2011	129	7.04	125	Maharashtra
12	17.14.NGPL	Uran-Trombay	ONGC	03.05.2011	24	6	24	Maharashtra
13	18.01.NGPL	High Pressure Gujarat Gas Grid	GSPL	27.07.2012	2,207	31	2665	Gujarat
14	18.02.NGPL	Hazira-Ankleshwar (HAPi)	GGL	05.07.2012	73	5.06	73	Gujarat
15	18.03.NGPL	Low Pressure Gujarat Gas Grid	GSPL	19.03.2013	58	12	57	Gujarat
16	5.05.NGPL	Shahdol-Phulpur	RGPL	11.07.2013	312	3.5	304	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh
17	17.17.NGPL	Assam Regional Network	AGCL	20.12.2013	105	2.428	107	Assam
18	17.18.NGPL	Dukli – Maharajganj	GAIL	09.01.2014	5.2	0.08	0	Agartala
19	17.19.NGPL	Uran-Taloja	DFPCL	21.10.2014	42	0.7	42	Maharashtra
20*	17.09.NGPL	Chainsa-Jhajjar-Hissar	GAIL	13.12.2010	455	35	444	Haryana, Rajasthan
21*	17.12.NGPL	Dadri-Bawana-Nangal	GAIL	15.02.2011	921	31	983	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Himachal Pradesh
Total					**14,696**		**15,881**	

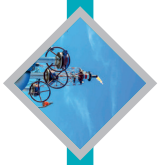
*Note: - * indicates that as per report submitted by GAIL, Trunk line of Chainsa-Jhajjar-Hissar (CJHPL) and Dadri-Bawana-Nangal (DBNPL) pipeline have been commissioned. However, commissioning letter for CJHPL is still awaited and only spur lines are left in the DBNPL Pipeline.*



Annexure - J (C) (Contd..)

Fully Operational Tie-in connectivities as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 21(1) of the NGPL Authorization Regulations)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Authorization	Auth. Length (KM)	Auth. Capacity (MMSCMD)	Operating Length (KM)	States from which Pipeline passes
1	21.01.NGPL	Jaigarh – Dabhol	WCPL	18.05.2015	60	29	60	Maharashtra
2	21.03.NGPL	ONGCs WHI North Penugonda to GAH, Peravali SV station	KRPEPL	16.02.2016	7.8	0.05	7.8	Andhra Pradesh
3	21.06.NGPL	ONGC's Madnam field to GAIL's Cauvery Basin Network at SV-2 (Memathur)	GAIL	21.12.2017	29	0.85	30	Andhra Pradesh
4	21.07.NGPL	ONGC's S1-VA fields ex-Odalarevu to GAIL's KG Basin Network at SV-1, Bodaskurru	GAIL	09.01.2018	13.6	5.2	14	Andhra Pradesh
5	21.04.NGPL	Suvali to HVJ/DVPL Network	GAIL	24.01.2017	7	2	10	Gujarat
6	21.05.NGPL	ONGC's Bantumilli gas source field to GAIL's KG Basin Network	GAIL	21.12.2017	41	0.9	38	Andhra Pradesh
7	21.19.NGPL	Vedanta Limited's Jaya Fields at Jambusar, Gujarat to South Gujarat Main subnetwork of GAIL's Gujarat Natural Gas Pipeline Network	GAIL	07.03.2022	18	0.1	18	Gujarat
Total					**176**		**178**	


Annexure - J (D) (Contd..)

Operational Dedicated Natural Gas Pipelines as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 19 of the NGPL Authorization Regulations)

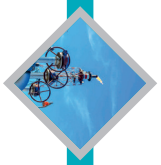
S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Auth.	Auth. Length (Km)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Operating Length (KM)	States from which Pipeline passes
1	19.01.NGPL	Duliajan to Numaligarh	DNPL	26.03.2009	194	1.2	192	Assam
2	19.02.NGPL	Esaar 's LP gas gathering header to Phillips Carbon Black Ltd. Durgapur	EOGEPL	03.11.2010	8	0.7	8	West Bengal
3	19.03.NGPL	Essar's LP Gas Gathering Header to Graphite India Ltd in Durgapur	EOGEPL	12.08.2015	3	0.06	2.36	West Bengal
4	19.04.NGPL	PLL Dahej Terminal to DGEN Power Plant, Dahej SEZ	TPL	27.08.2012	13	8	13	Gujarat
5	19.05.NGPL	EPS Akoljoni - Sapna Chemical *	GAIL	14.12.2012	3.4	0.01	3.4	Gujarat
6	19.06.NGPL	EPS Nanda - Supreme Glass	GAIL	14.12.2012	0.37	0.01	0.37	Gujarat
7	19.07.NGPL	Dahej GGS to GACL P/L	GAIL	14.12.2012	11.25	0.22	12.12	Gujarat
8	19.08.NGPL	GGS Olpad to CYA. & CHEM.	GAIL	14.12.2012	1.2	0.05	1.2	Gujarat
9	19.09.NGPL	Jolwa EPS to Nahar P/L	GAIL	14.12.2012	0.85	0.04	0.85	Gujarat
10	19.10.NGPL	Jolwa EPS to GACL (MDPE)	GAIL	14.12.2012	7.8	0.13	7.8	Gujarat
11	19.11.NGPL	Kim EPS to Spire cera P/L (MDPE)	GAIL	14.12.2012	1.2	0.01	1.2	Gujarat
12	19.12.NGPL	EPS Wasana - Universal Metal (Manglam Alloys)	GAIL	14.12.2012	0.61	0.01	0.61	Gujarat
13	19.13.NGPL	Motera GGS - RIL Sughad	GAIL	14.12.2012	3.72	0.07	3.72	Gujarat
14	19.14.NGPL	Kalol collector line T/O - BVM	GAIL	14.12.2012	1.7	0.02	1.7	Gujarat
15	19.15.NGPL	EPS Nandasan - Nirma	GAIL	14.12.2012	4.97	0.01	4.97	Gujarat
16	19.16.NGPL	EPS Nandasan - Sterling (N)	GAIL	14.12.2012	2.84	0.01	2.84	Gujarat
17	19.17.NGPL	EPS Nandasan - Sterling (K)	GAIL	14.12.2012	0.52	0.02	0.52	Gujarat
18	19.18.NGPL	EPS Wadu - Pioneer	GAIL	14.12.2012	0.35	0.01	0.35	Gujarat
19	19.19.NGPL	Sanand GGS - Jalaram	GAIL	14.12.2012	1.17	0.03	1.17	Gujarat
20	19.20.NGPL	Limbodara EPS - Akash	GAIL	14.12.2012	0.2	0.03	0.2	Gujarat
21	19.21.NGPL	Nandasan EPS - Akik Tiles	GAIL	14.12.2012	2.4	0.01	2.43	Gujarat





S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Auth.	Auth. Length (Km)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Operating Length (KM)	States from which Pipeline passes
22	19.22.NGPL	Nallur - TNEB Thirumakkottai	GAIL	14.12.2012	9.8	0.77	10.21	Tamil Nadu
23	19.23.NGPL	Nallur - Prem Chemco	GAIL	14.12.2012	0.185	0.12	0.21	Tamil Nadu
24	19.24.NGPL	BVG-Neycer	GAIL	14.12.2012	16.55	0.02	16.32	Tamil Nadu
25	19.25.NGPL	AFL	GAIL	14.12.2012	1.7	0.1	1.71	Andhra Pradesh
26	19.26.NGPL	Hitech	GAIL	14.12.2012	0.46	0.06	0.46	Andhra Pradesh
27	19.27.NGPL	Steel Exchange	GAIL	14.12.2012	1.36	0.05	1.36	Andhra Pradesh
28	19.28.NGPL	Dandewala - Gamnewala-RSEB Ramgarh	GAIL	14.12.2012	65.19	0.075 / 0.108	65.32	Rajasthan
29	19.29.NGPL	Langtala to Ramgarh	GAIL	14.12.2012	86.21	0.12	88	Rajasthan
30	19.31.NGPL	ONGC Kavitam to GAIL Kavitam SV Station	SCPL	27.08.2013	3.6	0.02	3.8	Andhra Pradesh
31	19.32.NGPL	ONGC Kammapalem isolated well to GAIL SV terminal, Dindi in East Godavari	SEIL	09.01.2014	5.4	0.05	4.75	Andhra Pradesh
32	19.33.NGPL	ONGC's CTF Ankleshwar isolated well to GAIL's Common Carrier South Gujarat Network inter-connection point	RCIPL	20.05.2015	0.53	0.015	0.53	Gujarat
33	19.34.NGPL	Bhadol Top to Torrent Hazira Akhakol	GSPL	05.08.2015	22	0.48	22	Gujarat
34	19.34.NGPL	LANCO Kondapalli Pipeline -I	PIL	12.08.2015	12	2	12	Andhra Pradesh
35	19.36.NGPL*	Sonamura GCS to GMS-Monarchak	ONGC	12.08.2015	13	0.5	10.5	Tripura
36	19.35.NGPL*	ADB GCS to ONGC Colony Badarghat	ONGC	12.08.2015	11	0.03	10.79	Tripura
37	19.37.NGPL	ONGC Hazira -KRIBHCO HP Pipeline	ONGC	12.08.2015	5	2	4.27	Gujarat
38	19.38.NGPL	ONGC Hazira -KRIBHCO LP Pipeline		12.08.2015	5	1	4.86	Gujarat
39	19.39.NGPL	Essar's Main Compressor Station in Raniganj (East) CBM Block to Matix Fertilizer and Chemicals Ltd (MFCL) in Durgapur	EOGEPL	12.08.2015	30	3	28.47	West Bengal
40	19.43.NGPL	ONGC Poondi Fields to Maharaj Soaps Industry Private Limited	MSIPL	29.09.2020	0.2	0.002	0.26	Tamil Nadu
41	19.41.NGPL	PLL's Dahej - Koyali Refinery Natural Gas Pipeline (DKPL)	IOCL	20.03.2020	106	5.23	106	Gujarat
Total					**658**		**653**	

*Note:- * indicates that entity has not submitted the latest data; therefore the previous data has been considered for this report*




Annexure - J (E) (Contd..)

Operational Sub-Transmission Pipelines (STPL) as on 31.03.2024

S. No.	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	Operating STPL Length (KM)	Transmission PL from Tap-off taken	Transmission PL Entity
1	2.01	Chandigarh	IOAGPL	22	DBNPL	GAIL
2	2.02	Allahabad	IOAGPL	17.2	HVJ	GAIL
3	2.03	Jhansi	CUGL	8.45	VAPL	GAIL
4	4.06	UT of Daman	IOAGPL	15.6	DUPL-DPPL	GAIL
5	4.07	Amritsar District	GGL	4.8	BGPL	GIGL
6	4.08	Pune District (EAAA)	TGPL	0.198	DUPL-DPPL	GAIL
				1.71	EWPL	PIL
				0.927	EWPL	PIL
				0.565	EWPL	PIL
7	5.03	East Godavari District (EAAA)	GGPL	6.845	KG basin Network	GAIL
8	5.04	West Godavari District	GGPL	0.02	KG Basin	GAIL
				3.312	Network	
				5.772		
				4.094		
				12.3		
9	5.05	Tumkur District	MEIL	2.4	DBPL	GAIL
				0.16		
10	5.06	Krishna District (EAAA)	MEIL	0.48	KG Basin Network	GAIL
11	5.08	Belgaum District	MEIL	0.25	DBPL	GAIL
12	6.13	Yamunanagar District	BPCL	2.3	DBNPL	GAIL
13	6.14	Ratnagiri District	UEPL	0.254	DBPL	GAIL
14	9.07	Diu & Gir Somnath Districts	IRMEPL	6.48	HPGGG	GSPL
15	9.1	Navsari District (EAAA), Surat District (EAAA), Tapi District (EAAA) & the Dangs District	ATGL	17.8	HPGGG	GSPL
16	9.12	Kheda District (EAAA) & Mahisagar District	ATGL	0.74	HPGGG	GSPL
17	9.24	Chitradurga & Davanagere Districts	UEPL	0.14	DBPL	GAIL
18	9.58	Bhilwara & Bundi Districts	ATGL	0.88	HVJ	GAIL
19	9.59	Chittorgarh (Other than Rawatbhata Taluka) & Udaipur Districts	ATGL	0.45	HVJ	GAIL
20	9.7	Jangaon, Jayashankar Bhupalpally, Mahabubabad, Warangal Urban & Warangal Rural Districts	MEIL	1.319	MBBVPL	GITL
21	9.71	Medak, Siddipet & Sangareddy District s	TGPL	17.4	EWPL	PIL



S. No.	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	Operating STPL Length (KM)	Transmission PL from Tap-off taken	Transmission PL Entity
22	9.73	Nalgonda Suryapet & Yadadri Bhuvanagiri Districts	MEIL	2.8	EWPL	PIL
23	9.78	Amethi, Pratapgarh & Raebareli Districts	BPCL	0.75	HVJ	GAIL
24	9.79	Auraiya, Kanpur Dehat & Etawah Districts	TGPL	2.5	HVJ	GAIL
25	9.4	Latur & Osmanabad Districts	UEPL	11.865	EWPL	PIL
26	10.33	Hoshiarpur and Gurdaspur Districts	GGL	0.123	BGPL	GIGL
27	98.02	Surat, Bharuch, Ankleshwar	GGL	25.87	HAPi	GGL
				10.43	Mora-Sachin STPL	GGL CGD
				21.6	HAPi	GGL
				11.52	Connected with Sunpertro Source	GGL
				11	Connected with GAIL APM Source	GGL
28	98.08	Ahmedabad City and Daskroi Area	ATGL	0.38	HPGGG	GSPL
29	98.11	Anand area including Kanjari & Vadtal Villages (in Kheda District)	CGSML	6.2	HPGGG	GSPL
30	98.12	Bhiwadi District	Haryana City Gas (Bhiwadi) Private Limited	2.174	CJHPL	GAIL
31	99.18	Vadodara	VGL	0.415	HVJ	GAIL
				11.5675		
				3.607		
				13.19		
				33.55		
32	99.04	Kanpur	CUGL	8.89	HVJ	GAIL
33	99.09	Hyderabad	BGL	3.23	EWPL	PIL
34	96.04	Faridabad (Based on court order)	ATGL	0.55	HVJ	GAIL
35	96.07	Vadodara	ATGL	0.36	HPGGG	GSPL
		(Sub judice)				
36	9.41	Sangli & Satara Districts	BPCL	0.09	DBPL	GAIL
37	10.4	Gonda and Barabanki Districts	TGPL	19.04	HVJ	GAIL
38	9.11	Junagadh District	TGPL	56	HPGGG	GSPL
39	9.56	Alwar (other than Bhiwadi) & Jaipur District	TGPL	2.43	MBPL	GIGL
40	9.62	Chennai and Thiruvallur Districts	TGPL	1.31	EMPL	IOCL
41	9.2	Nuh & Palwal Districts	ATGL	0.25	CJHPL	GAIL



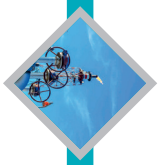
S. No.	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	Operating STPL Length (KM)	Transmission PL from Tap-off taken	Transmission PL Entity
42	9.08	Surendranagar District (EAAA) & Morbi District (EAAA)	ATGL	13.9	HPGGG	GSPL
43	9.16	Bhiwani, Charkhi Dadri & Mahendragarh Districts	ATGL	0.2	CJHPL	GAIL
44	10.31	Jhansi (EAAA) District, Bhind, Jalaun, Lalitpur and Datia Districts	ATGL	3.2	HVJ	GAIL
45	10.12	Sirsa-Fatehabad-Mansa Districts	GGL	0.848	MBPL	GIGL
46	9.68	Bhadradri Kothagudem & Khamman Districts	MEIL	0.4	EWPL	PIL
47	9.72	Medchal-Malkajgiri, Ranga Reddy & Vikarabad Districts	MEIL	8.5 6.9	EWPL	PIL
48	10.29	Anuppur, Bilaspur and Korba Districts	ATGL	18.3	SPPL	RGPL
49	10.35	Jalore and Sirohi Districts	GGL	1.924	MBPL	GIGL
50	6.1	Anand District (EAAA)	GGL	2.68	HP-GGG	GSPL
51	9.29	Ramanagara District	MNGL	4.7	DBPL	GAIL
52	9.42	Sindhudurg District	MNGL	11.5	DBPL	GAIL
Total				**490**		

Annexure - J (F) (Contd..)

Under Construction Common Carrier Natural Gas Pipelines as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 5/17/18/21(3) of the NGPL Authorization Regulations and Section 42 of the PNGRB, Act, 2006)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Name of Authorized Entity	Date of Authorization	Authorized Length (KM)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Target date of Completion*	States from which Pipeline passes
1	5.07.NGPL	Ennore- Nellore	GTIL	02.12.2014	220	36	Apr-20	Andhra Pradesh, Tamil Nadu
2	5.10.NGPL	Kakinada-Vijayawada-Nellore	IMC	19.02.2018	667	18	Mar-24	Andhra Pradesh
3	42.01.NGPL	North-East Natural Gas Pipeline Grid	IGGL	17.11.2020	1,656	4.75	Mar-25	Assam, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Nagaland, Meghalaya & Sikkim, West Bengal
4	5.11.NGPL	Kanai - Chhata - Panitar	HPPL	08.07.2019	317	19.2	Mar-24	West Bengal
5	5.12.NGPL	Srikakulam-Angul	GAIL	23.07.2019	690	6.65	Jun-24	Andhra Pradesh, Odisha
6	5.13.NGPL	Mumbai-Nagpur-Jharsuguda	GAIL	15.05.2020	1755	16.5	Jun-24	Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Odisha
7	21.17.NGPL	Jamnagar to Dwarka (Gujarat)	GSPL	19.08.2021	100	3	Aug-24	Gujarat
8	5.14.NGPL	Hazaribagh-Ranchi	IOCL	09.02.2023	65	1.03	Feb-26	Jharkhand
9	5.15.NGPL	Gurdaspur-Jammu	GAIL	12.07.2023	160	3.1	Jul-26	UT of Jammu & Kashmir, Punjab
Total					**5,630**			

*Note:- * indicates that target date of completion is as per the authorization issued to the entity or such other date as extended by the Board.*


Annexure - J (G) (Contd..)

Under Construction Tie-in connectivities as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 21(1) of the NGPL Authorization Regulations)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Auth.	Auth. Length (KM)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Target date of Completion*	States from which Pipeline passes
1	21.09.NGPL	ONGC's Odelarevu terminal, Mallavaram connecting KVNPL	IMC	06.09.2019	49.1	18	Sep-22	Andhra Pradesh
2	21.10.NGPL	GSPL's proposed Terminal at Petronet LNG Limited re-gasification expansion facilities, Dahej to GSPL's existing Terminal at Bhadbhut	GSPL	17.09.2019	39	14.77	Sep-22	Gujarat
3	21.11.NGPL	HSEPL LNG Terminal at Chhara to GSPL's dispatch terminal at Londhpur	GSPL	17.09.2019	85	18	Dec-22	Gujarat
4	21.12.NGPL	Proposed LNG Terminal at Karaikal Port to Chemplast/PPCL on existing Narimanam - Kuthalam Natural Gas Pipeline Sub-Network of GAIL's Cauvery Basin Network	AGPKLPL	24.07.2020	8	2	Jul-23	Tamil Nadu and UT of Puducherry
5	21.14.NGPL	ONGC's Jharia CBM Block to SV-28 on Dobhi-Durgapur Section of JHBDPL	GAIL	19.08.2021	6	0.87	Aug-24	Jharkhand
6	21.15.NGPL	ONGC's Bokaro CBM Block to SV-01A on Bokaro-Dharma Section of JHBDPL	GAIL	19.08.2021	23	0.99	Aug-24	Jharkhand
7	21.16.NGPL	Swan LNG Private Limited's FSRU based LNG Terminal at Jafrabad to GPPC Terminal, Jafrabad falling on Darod-Jafrabad section of GSPL's HPGGG	GSPL	19.08.2021	3	18	Aug-24	Gujarat
8	21.17.NGPL	Swan LNG Private Limited's RLNG Terminal at Jafrabad to Hadala falling on Gana-Hadala section of GSPL's HPGGG	GSPL	31.12.2021	198	18	Dec-24	Gujarat
9	21.18.NGPL	Swan LNG Private Limited's RLNG Terminal at Jafrabad to GAIL's terminal at Dahej connecting to its integrated HVJ	GAIL	31.12.2021	170	7	Dec-24	Gujarat
10	21.20.NGPL	EPS 1 of Jharia Block I to SV-28 on Dobhi-Durgapur Section of JHBDPL	PEPL	28.10.2022	9	0.79	Oct-25	Jharkhand
11	21.21. NGPL	ONGC's Raniganj CBM Block to GAIL's JHBDPL Network	GAIL	30.11.2023	28.81	0.47	Nov-26	West Bengal
Total					**619**			

*Note:- * indicates that target date of completion is as per the authorization issued to the entity or such other date as extended by the Board.*





Annexure - J (H) (Contd..)

Under Construction Dedicated Natural Gas Pipelines as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 19 of the NGPL Authorization Regulations)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Name of Autho-rized Entity	Date of Authorization	Auth. Length (KM)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Target date of Comple-tion	States from which Pipe-line passes
1	19.30. NGPL	INOLE to Pashamylaram	APCPL	14.12.2012	14.6	1.5	NA	Telangana
2	19.40. NGPL	PLL Re-gasification Terminal, Dahej to SUGEN Power Plant	TPL	20.03.2020	90	6.5	NA	Gujarat
3	19.42. NGPL	PLL to OPaL, Dahej	OPaL	20.03.2020	17	3.32	NA	Gujarat
Total					**122**			



Annexure - J (I) (Contd..)

Under Construction Sub-Transmission Pipelines (STPL) as on 31.03.2024

S. No.	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	STPL Length (KM)	Transmission PL from Tap-off taken	Transmission PL Entity
1	3.01	Jalandhar	JMEPL	4	DBNPL	GAIL
2	5.03	East Godavari District (EAAA)	GGPL	51.3	KG basin Network	GAIL
3	5.04	West Godavari District	GGPL	53.4	KG basin Network	GAIL
4	9.09	Barwala & Ranpur Talukas	ATGL	0.65	HPGGG	GSPL
5	9.25	Udupi District	ATGL	3.1	KKMBPL	GAIL
6	9.45	Balasore, Bhadrak & Mayurbhanj Districts	ATGL	0.1	JHBDPL	GAIL
7	9.51	Puducherry District	ECNGDPL	8	ETBPNMTPL	IOCL
8	9.64	Cuddalore, Nagapattinam & Tiruvarur Districts	ATGL	0.2	ETBPNMTPL	IOCL
9	10.31	Jhansi (EAAA) District, Bhind, Jalaun, Lalitpur and Datia Districts	ATGL	0.6	HVJ	GAIL
10	9.71	Medak, Siddipet & Sangareddy Districts	TGPL	2	EWPL	PIL
11	9.21	Bilaspur, Hamirpur & Una Districts	BPCL	4.7	GAIL	GAIL
12	9.26	Ballari & Gadag Districts	BPCL	0.1	GAIL	GAIL
13	9.48	Jagatsinghpur & Kendrapara Districts	BPCL	1.8	GAIL	GAIL
14	10.13	Chatra & Palamu Districts	BPCL	0.85	GAIL	GAIL
15	9.43	Angul & Dhekanal District	BPCL	4.2	JHBDPL	GAIL
Total				135		

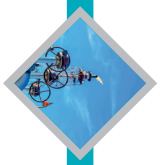
Annexure - J (J) (Contd..)

Partially Commissioned Common Carrier Natural Gas Pipelines as on 31.03.2024
(Authorized under Regulations 5/17/18/21(3) of the NGPL Authorization)

S. No.	PL Unique ID	Name of Natural Gas Pipelines	Entity	Date of Auth.	Auth. Length (KM)	Authorized Capacity (MMSCMD)	Operating Length (KM)	Under Const. Length (KM)	Target date of Completion*	States from which Pipeline passes
1	5.01.NGPL	Mehsana - Bhatinda	GIGL	07.07.2011	1,940	80.11	1200	740	Sep-23	Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab
2	5.02.NGPL	Bhatinda - Gurdaspur	GIGL	07.07.2011	261	42.42	102	159	Dec-24	Punjab
3	5.03.NGPL	Mallavaram - Bhopal - Bhilwara - Vijaipur	GITL	07.07.2011	1,881	78.25	364	1,517	Mar-20	Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, MP, Rajasthan, Gujarat
4	17.16. NGPL	Dabhol-Bangalore	GAIL	14.11.2011	1,414	16	1148	266	Feb-13	Maharashtra, Karnataka, Goa
5	17.15. NGPL	Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore	GAIL	31.05.2012	1,104	16	644	460	Nov-24	Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, UT of Puducherry
6	5.08.NGPL	Ennore-Tuticorin	IOCL	10.12.2015	1,431	84.67	1080	351	Mar-24	Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, UT of Puducherry
7	17.20. NGPL	Jagdishpur-Haldia-Bokaro Dhamra-Paradip- Barauni-Guwahati	GAIL	29.01.2018	3,546	23	3141	405	Jun-24	Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam
Total					**11,577**		**7,679**	**3,898**		

Note: - 1. ** indicates that Target date of completion is as per the authorization issued to the entity or such other date as extended by the Board.*

2. *Entire ETPL till September 2023 except for Asanur to Karaikal and Trichy to Nagapattinam - March 2024.*




Annexure - K

Details of Progress Review Meetings and Hearings for Petroleum Products Pipelines (1st April, 2023 to 31st March, 2024)

S. No.	Name of Pipeline	Name of Entity	Date of Meeting/ Hearing
1	Piyala-Jewar Petroleum & Petroleum Product (ATF) Pipeline	Bharat Petroleum Corporation Limited	06-04-2023
2	Krishnapatnam-Hyderabad Petroleum and Petroleum Product Pipeline	Bharat Petroleum Corporation Limited.	06-04-2023
3	Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL)	IHB Limited	09-05-2023
4	Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to Navi Mumbai International Airport (NMIA)	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	02-06-2023
5	Haldia-Panagarh Petroleum and Petroleum Product (LPG) Pipeline (HPPL)	Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)	06-06-2023
6	Ennore Port-Manali Industrial Area Petroleum Product Pipeline (EPMIA)	IMC Limited	06-06-2023
7	Kochi-Coimbatore-Erode-Salem LPG Pipeline (KCESPL)	Kochi Salem Pipeline Private Limited (KSPPL)	12-09-2023
8	Devangonthi - Chitradurga Petroleum & Petroleum Product Pipeline	Indian Oil Corporation Limited	13-09-2023
9	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	Piyala-Jewar ATF Pipeline (PJPL)	19-09-2023
10	Joint Meeting of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport Limited (NIAL)	Joint Meeting of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport Limited (NIAL)	04-10-2023
11	Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL)	IHB Limited	03-11-2023
12	Ennore Port Manali Industrial Area Petroleum (EPMIA) and Petroleum Product Pipeline	IMC Limited	07-11-2023
13	Kochi-Coimbatore-Erode-Salem LPG Pipeline (KCESPL)	Kochi Salem Pipeline Private Limited (KSPPL)	20-11-2023
14	Haldia-Panagarh Petroleum and Petroleum Product Pipeline (HPPL)	Hindustan Petroleum Corporation Limited	11-12-2023
15	Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to Navi Mumbai International Airport (NMIA) Petroleum and Petroleum Product (ATF)	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	09-01-2024
16	Bina – Panki and Kota – Jobner	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	09-01-2024
17	Krishnapatnam-Hyderabad Petroleum and Petroleum Product Pipeline (KHPL)	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	09-01-2024
18	Review Meeting of Mumbai – Pune – Sholapur,Uran – Chakan – Shikrapur, Rewari – Kanpur, Awa – Salawas,Mangalore – Hassan – Mysore –Yediyur ,Mundra – Delhi and Hassan – Cherlapalli	Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)	11-01-2024
19	Mundra – Mithi Rohar (Kandla)	Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ)	15-01-2024



S. No.	Name of Pipeline	Name of Entity	Date of Meeting/ Hearing
20	Chennai – Trichy – Madurai, Paradip – Raipur Ranchi and Devangonthi – Devanhalli ATF	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	16-01-2024
21	Jamnagar – Loni and Vizag – Secunderabad	GAIL (India) Limited	17-01-2024
22	Numaligarh – Siliguri	Oil India Ltd.	24-01-2024
23	Joint Meeting of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport (NIA)	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Noida International Airport (NIA)	30-01-2024
24	Review Meeting of Mangalore – Hassan – Bangalore	Petronet MHB Limited	13-02-2024
25	Review Meeting of Ennore-Port-Manali Industrial Area Petroleum and Petroleum Product Pipeline	IMC Limited	13-02-2024
26	Joint Meeting of GAIL (India) Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) regarding reduction of capacity utilization of Vizag-Secunderabad LPG pipeline	GAIL (India) Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)	14-02-2024
27	Joint Meeting to minimize movement of petroleum products and Liquefied Petroleum Gas (LPG) through road	HPCL,IOCL,BPCL & GAIL (India)	14-02-2024



Annexure - L (Contd..)

PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCT PIPELINES IN INDIA – As on 31st March, 2024

Details	Length (in Km)
Authorized Petroleum and Petroleum Product Pipelines	13,596
Operational Petroleum and Petroleum Product Pipelines	9,223
Under Construction Petroleum and Petroleum Product Pipelines	4,284

Note: The variation in Authorised pipeline length and sum of the Operational and Under Construction pipeline length may occur on account of the following factors:

i Variation in As-Built length due to site conditions,

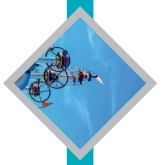
ii Additional pipelines laid by the authorized entities for providing connectivity within the tariff corridor in line with the provisions of the PPPL Authorization Regulations.

Disclaimer: The above data is derived based on the submission made by the entities. In case of any discrepancy, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) should not be held liable/responsible for any eventuality to any one as a result of any action taken arising out of access to, or the use of the information contained in it.

Annexure - L (A) (Contd..)

Operational Petroleum Product Pipelines (As on 31st March, 2024)

S. No	Unique ID	Pipeline	Entity	Date of Authorisation	Authorised Length (km)	Authorised Capacity (MMTPA)	Operating length (km)	Passing through states
1	17.01	Mumbai – Pune – Sholapur	HPCL	19.04.2011	508	4.29	508	Maharashtra
2	17.02	Mangalore – Hassan – Bangalore	Petronet MHB Ltd.	24.11.2011	362	2.14	363	Karnataka
3	17.03	Chennai – Trichy – Madurai	IOCL	26.03.2012	683	2.3	684	Tamil Nadu
4	17.04	Uran – Chakan – Shikrapur	HPCL	01.11.2012	165	1	171	Maharashtra
5	5.01	Rewari – Kanpur	HPCL	20.11.2012	440	7.98	443	Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh
6	5.02	Awa – Salawas	HPCL	20.11.2012	92	2.34	93	Rajasthan
7	5.03	Mangalore – Hassan – Mysore – Yediyur	HPCL	20.11.2012	356	3.1	356	Karnataka
8	5.04	Kota – Jobner	BPCL	05.12.2012	210	2.75	211	Rajasthan
9	17.05	Jamnagar – Loni	GAIL	24.07.2014	1414	3.25	1427	Gujarat, Rajasthan, Haryana, NCT of Delhi and Uttar Pradesh
10	17.06	Mundra – Delhi	HPCL	23.01.2015	1334	6.9	1289	Gujarat, Rajasthan, Haryana & NCT of Delhi
11	17.07	Vizag – Secunderabad	GAIL	18.05.2015	616	1.33	609	Andhra Pradesh, Telangana
12	17.08	Paradip – Raipur Ranchi	IOCL	17.08.2015	1108	5	1073	Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh
13	9.01	Devangonthi – Devanhalli ATF	IOCL	30.12.2016	36	0.66	36	Karnataka
14	5.09	Bina – Panki	BPCL	21.12.2018	355	3.49	355	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh
15	17.09	Numaligarh – Siliguri	Oil India Ltd.	01.11.2021	660	1.72	660	Assam, West Bengal
16	5.11	Hassan – Cherlapalli	HPCL	24.06.2019	680	2.2	650	Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka
17	5.08	Mundra – Mithi Rohar (Kandla)	APSEZ	28.03.2018	89	6.75	92	Gujarat
Total					**9,108**		**9,020**	


Annexure - L (B) (Contd..)

Under construction Petroleum Products Pipeline (As on 31st March, 2024)

S.No	Unique ID	Pipeline	Entity	Date of Authorisation	Authorised Length (Km)	Authorised Capacity (MMTPA)	Operating length (Km)	Under Construction (km)	Target date of Completion*	Passing through states
1	5.05	Irugur – Devangonthi	BPCL	26.02.2014	294	3.52	0	293	Dec-25	Tamil Nadu, Karnataka
2	5.06	Kochi – Coimbatore – Erode – Salem	KSPPL	26.02.2014	458	1.53	203	255	Feb-24	Kerala, Tamil Nadu
3	5.07	Ennore – Port Manali Industrial Area	IMC Ltd.	18.12.2015	21	7	0	21	Jul-20	Tamil Nadu
4	5.10	Kandla – Gorakhpur	IHB Ltd	31.12.2018	2757	8.25	0	2757	Jun-24	Gujarat, MP & UP
5	5.12	Krishnapatnam – Hyderabad	BPCL	17.03.2020	455	4.4	0	455	Mar-25	Telangana, Andhra Pradesh
6	5.13	JNPT to Navi Mumbai International Airport (ATF)	IOCL	22.08.2022	22	4.45	0	22	Aug-25	Maharashtra
7	5.14	Haldia-Panagarh	HPCL	09.11.2022	215	1.45	0	215	Nov-25	West Bengal
8	5.15	Piyala-Jewar	BPCL	09.02.2023	34	4.58	0	34	Feb-26	UP & Haryana
9	5.16	Devangonthi - Chitradurga	IOCL	12.06.2023	232	2.6	0	232	Jun-26	Karnataka and Andhra Pradesh
Total					**4,488**		**203**	**4,284**		

** Target date of completion is as per the authorization issued to the entity or such other date as extended by the Board.*





List of Regular Officers & Employees of PNGRB

Sl. No.	Name	Designation	Date of Joining	Parent Organisation	Qualification
1	Ms. Vandana Sharma	Secretary	26.07.2016	DoP&T	M.A. (Economics)
2	Shri SC Gupta	Joint Adviser I/C (Monitoring)	01.12.2014	BPCL	BE (Mechanical) & MBA
3	Md Tanweer Akhter	Joint Adviser (Authorisation)	02.08.2016	GAIL (INDIA)	B.E.(Mechanical), M. Tech. & MBA
4	Shri Anil Kumar Garg	Joint Adviser (Technical)	17.05.2018	GAIL (INDIA)	BE (Mechanical) & MBA (Marketing)
5	Shri Pankaj Bhutani	Joint Adviser (Commercial)	09.09.2019	GAIL (INDIA)	CA, ICWA
6	Lt Col Pawan Kumar Uniyal	Joint Adviser (Admin & HR)	17.09.2021	Indian Army	MA(HRM), PGDBM (HR)
7	Lt Col Kumar Abhishek	Joint Adviser (Monitoring)	16.01.2023	Indian Army	PGDMSCM
8	Shri Nishant Parashar	Deputy Adviser (Legal)	04.05.2023	GAIL (India)	LLM
9	Shri Rakesh Kumar Shahi	Deputy Adviser (Authorisation-I)	02.08.2016	GAIL (INDIA)	B.E.(EEE), M. Tech, MBA(Mkt.), LLB, PGD in corporate Law.
10	Shri Piyush Varshney	Deputy Adviser (IT)	09.05.2017	GAIL (INDIA)	B. Tech (CS)
11	Shri Ankur Jain	Deputy Adviser (Commercial)	22.05.2017	GAIL (INDIA)	CA, ICSI, ICWA
12	Shri Khaja Mohideen	Deputy Adviser (Authorisation)	24.05.2017	IOCL	B.E. (Instrumentation & Control)
13	Shri Jamunalal Rout	Deputy Adviser (Technical-I)	14.07.2021	PESO	B. Tech (Chemical)
14	Shri Gagan Agrawal	Deputy Adviser (Technical-I)	04.08.2021	PESO	B. Tech (Chemical), BEE Certified energy audit/ manager, PG Diploma (Industrial safety)
15	Shri Abhishek Raj	Deputy Adviser (Monitoring)	15.07.2021	MoC&ID, Department of Commerce (Supply Division)	B.E. (Mechanical)
16	Shri Shreyash Palsule	Assistant Adviser (Commercial-4)	02.05.2022	GAIL (India)	MBA (Marketing)
17	Shri Neeraj Aggarwal	Staff- Accountant	06.07.2007	IOCL	B. Com
18	Shri Kawal Sharma	PA to Member	12.10.2007	IOCL	Bachelor Of Arts
19	Shri Shivaindu Prakash	Senior Secretarial Assistant	20.09.2021	Mumbai Customs	B. Tech (IT)

Notes



पी एन जी आर बी
PNGRB

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110001
First Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001
www.pngrb.gov.in